द्वादश माला, खंड 7, अंक 12

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1998

24 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)
अंक 12, मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1998/24 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	221 से 225	1–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	226 से 240	23–64
अतारांकित प्रश्न संख्या	2483 से 2712	64–361
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य		
संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्विपक्षीय वार्ता		361–366
सभा पटल पर रखे गए पत्र		368–372
प्राक्कलन समिति		
तीसरा प्रतिवेदन		372
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) संसद सदस्यों द्वारा रसोई गैस/टेलीफोन का बिना बारी के आबंटन की अनुमति दिया जाना		
श्री मदन लाल खुराना		373–375
(दो) "फायर" फिल्म के प्रदर्शन से संबंधित घटनाएं		
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		412–414
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल), 1998-99		375
बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक		376–401
नियम 377 के अधीन मामले		401–408
(एक) अहमदाबाद रेलवे डिवीजन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
श्री हरिन पाठक		401
(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बाई पास के कार्य को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
श्री दादा बाबूराव परांजपे		405
(तीन) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों को कम्पनी के स्थायी श्रमिकों के बराबर सुविधाएं देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री		406

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों में निर्धनता उन्मूलन के लिए विकासपरक कार्यकलापों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता

श्री खगपति प्रधानी 406

(पांच) कर्नाटक राज्य में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दो हजार करोड़ रुपए जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एच. मुनियप्पा 406–407

(छह) हज कमेटी का पुनर्गठन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 407

(सात) बिहार राज्य में पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री शकुनी चौधरी 407–408

(आठ) असम में नगरपालिका–कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री नेपाल चन्द्र दास 408

नियम 193 के अधीन चर्चा 416–488

देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार

श्री मधुकर सरपोतदार 416–431

श्री टी. आर. बालू 431–438

श्री पूर्णो ए. संगमा 439–443

कुमारी उमा भारती 443–450

श्री जी. एम. बनातवाला 451–454

श्री पी. सी. थामस 455–457

प्रो. सैफुद्दीन सोज 457–463

श्री अमर राय प्रधान 466–468

श्री हरिन पाठक 468–471

श्री जोवाकिम बखला 471–472

श्री एन. डेनिस 472–474

श्री पी. आर. किन्डिया 474–476

श्रीमती भावना कर्दम दवे 476–477

प्रो. ए. के. प्रेमाजम	477–479
श्री शकुनी चौधरी	479–481
श्री हीरालाल राय	482
श्री वी. एम. सुधीरन	482–483
श्री मोतीलाल वोरा	484–485
श्री बी. एम. मेनसिंकाई	485–486
श्री फ्रांसिस्को सारदीना	486–488

लोक सभा

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 1998/24 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत–ओमान परियोजना

+

*221 **श्री फ्रांसिस्को सारदीना :**

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत–ओमान परियोजना के लिए बैंकरों की शर्तें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय उर्वरक सचिव ने ओमान उर्वरक परियोजना के संबंध में पूछताछ करने के लिए ओमान की यात्रा की थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या वर्तमान सरकार उन देशों में, जहां प्रचुर मात्रा में सस्ती गैस की आपूर्ति उपलब्ध है, संयुक्त उद्यम परियोजनाएं करने के पक्ष में हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने दो भारतीय प्रायोजकों अर्थात् मै. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) तथा कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) को ओमान इंडियन फर्टिलाइजर परियोजना में निवेश करने की अनुमति दिसम्बर, 1997 में दे दी है। निवेश अनुमोदक को संशोधित करने के लिए भारतीय प्रायोजकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इस परियोजना के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु बैंक संघ द्वारा सुझाये गये अनिवार्य निबन्धनों तथा शर्तों मुख्यतः ऋण साम्य अनुपात में संशोधन और ऋण सर्विस रिजर्व एकाउंट में वृद्धि पर व्यवस्थापक बैंकों तथा भारतीय और ओमानी प्रायोजकों के बीच विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उर्वरक राचिव ने ओमान इंडियन फर्टिलाइजर परियोजना के संबंध में मामलों की पूछताछ करने के लिए ओमान की यात्रा नहीं की है।

(ङ) जी, हां।

(च) उर्वरकों/मध्यवर्तियों का निर्माण करने के लिए विदेशों में दो संयुक्त उद्यम परियोजनाएं चल रही हैं, ऐसी दो परियोजनाएं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और दो आयोजना की अवस्था में हैं।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि इस देश में प्रतिहेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग अन्य विकासशील तथा विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। इससे खाद्यानों के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है जिनकी कीमतें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है क्योंकि पिछले एक वर्ष से मुद्रास्फीति की दर लगभग दुगुनी हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ओमान और भारत के बीच इस परियोजना का विचार कब बना। दूसरा, व्यवहार्यता रिपोर्ट और अन्य बातों को देखते हुए सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ? आपके विचार में सरकार इस संबंध में चर्चा कब तक पूरी कर लेगी और इस परियोजना को कब आरंभ करेगी? अंत में प्रति टन यूरिया के वर्तमान मूल्यों की तुलना में परियोजना के बाद प्रति टन यूरिया की लागत क्या होगी ?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, माननीय सदस्य ने एक अनुपूरक प्रश्न में अनेक प्रश्न पूछे हैं। यह विचार काफी समय पहले बना था और भारत सरकार और ओमान की सल्तनत के बीच आर. सी. एफ. कृभको और ओ. ओ. सी. समझौता ज्ञापन पर जुलाई, 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात् सरकार ने अप्रैल, 1997 में संयुक्त उद्यम समझौता करने के लिए आर. सी. एफ. और कृभको को स्वीकृति प्रदान की थी। संयुक्त उद्यम समझौते पर अप्रैल 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे और आर. सी. एफ और कृभको को दिसम्बर, 1997 में सरकार द्वारा निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रकार सरकार कोई पार्टी नहीं है लेकिन एक ओर से दोनों भारतीय कम्पनियां पार्टी हैं और दूसरी ओर से ओमान ऑयल कम्पनी एक पार्टी है। अतः सरकर इस पर कोई निवेश नहीं कर रही है। कम्पनियां उस पर निवेश कर रही हैं और वे उम्मीद करती हैं कि 2002 तक यह परियोजना आरम्भ हो जाएगी।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : महोदय, उन्होंने मेरे संगत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : आज प्रति टन यूरिया की लागत क्या है और परियोजना के पूरे होने के बाद इसकी लागत क्या होगी ? मैं एक और प्रश्न भी पूछना चाहता हूं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : अभी यूरिया का उत्पादन नहीं हो रहा है क्योंकि संयंत्र अभी आरम्भ नहीं हुआ है। यह अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : मैं जानता हूं। मैं देश के बारे में बात कर रहा हूं। आज प्रति टन यूरिया की लागत क्या है और इस परियोजना के पूरे होने के बाद प्रति टन यूरिया की लागत क्या होगी।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह परियोजना अब से लगभग चार वर्ष बाद पूरी होने की उम्मीद है। उस समय यूरिया की कीमत क्या होगी, इस बात का अनुमान कोई नहीं लगा सकता।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : व्यवहार्यता रिपोर्ट क्या है ? व्यवहार्यता का अर्थ क्या है ? यह पूर्णतः सही नहीं होगी लेकिन मुद्दा यह है कि वह जानना चाहते हैं कि लागत क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है। अब क्या लागत है और बाद में क्या लागत होगी ? यदि सरकार ने केवल चरणों में चर्चा करने में ही चार वर्ष लगा दिए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस परियोजना को आरम्भ करने में कितना समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि यह परियोजना कभी आरम्भ नहीं की जाएगी और न ही वह दिन आएगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि परियोजना के 2002 तक पूरा होने की सम्भावना है। यह उम्मीद की जाती है। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या होंगे, इस बात का अनुमान कोई नहीं लगा सकता है क्योंकि कीमतें प्रतिदिन बढ़ और घट रही हैं।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज क्या मूल्य है। मैं नहीं जानता कि वह इसका उत्तर छुपा क्यों रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मैंने ओमान परियोजना के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था। तत्कालीन विपक्ष के नेता और अब स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री अरुणाचलम्, श्री चिदम्बरम् और अनेक अन्य सदस्यों ने इस परियोजना की कठिनाइयों अथवा कुछ संदिग्ध बातों के बारे में लिखा था। अब कार्य–भार संभाल लेने के बाद श्री बरनाला ने 22 मार्च, 1998 को एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात् मैंने फिर अब क्या हुआ और वह कैसे इसे मंजूरी देने जा रहे हैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी और श्री बरनाला को पत्र लिखे, क्या इनमें से किसी एक पार्टी ने 100 मिलियन डॉलर के व्यय जिसकी गणना पहले ही की गई थी को कम करने के लिए कहा था अथवा नहीं। यदि ऐसे ही चलता रहा और इस तरह से देर की गई तो क्या होगा ? जब आपने कहा कि आप इस पर विचार करेंगे तो आप पीछे क्यों हट गए ? आपको इसकी जांच करनी चाहिए। उस समय क्या हो रहा था जब प्रधानमंत्री जी, आपने, डॉ. मुरली मनोहर जोशी तथा सभी ने इस बारे में लिखा था ? उसका क्या हुआ ?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, माननीय सदस्य ने इस संबंध में 27 जून, 1998 को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, और मैंने 20 अक्तूबर, 1998 को माननीय सदस्य को उसका उत्तर भेजा था। इस संबंध में अपने लम्बे जवाब में मैंने निम्न प्रकार उल्लेख किया था :

> "पूर्व निश्चित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ओमान इन्डिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण (अनुबन्ध आधारित) के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। हमारी ओर से की जाने वाली कोई भी कार्यवाही जिससे इस परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं संस्थाओं का विश्वास डगमगा सकता है, हमारे देश के हित में नहीं होगी क्योंकि यह परियोजना हमने प्राकृतिक सम्पत्ति के रूप में प्रचुर संसाधनों से युक्त देशों में संयुक्त उर्वरक उपक्रम लगाने की सरकार की नीति के अनुसरण में हाथ में ली है।"

मैंने यह उत्तर उस समय माननीय सदस्य को लिखा था।

श्री शरद पवार : क्या लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए मांग की गई थी ? इस संबंध में सरकार ने वास्तव में क्या किया ?

श्री बलराम जाखड़ : दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी ने इस परियोजना पर खर्च की जाने वाली धनराशि में कभी करने के लिए लिखा है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : उस समय जब विभिन्न राजनीतिक नेताओं से ये पत्र प्राप्त हुए थे तो ये पत्र संयुक्त उद्यमों संबंधी संयुक्त समिति को भेज दिए गए थे और विभिन्न स्तरों पर इनकी जांच की गई थी। तत्पश्चात् यह मामला मंत्रिमंडल में आया। मंत्रिमंडल ने भी इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि यह उपक्रम जैसे है वैसे ही चलना चाहिए और इस समय किसी तरह की दखल–अंदाज़ी की आवश्यकता नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : आपने अभी इस बात का उत्तर नहीं दिया कि क्या किसी ने निवेश में कमी करने की बात की थी, क्या अभी भी व्यवहार्य है अथवा नहीं और क्या आपका उस पर शत–प्रतिशत नियंत्रण है अथवा नहीं। सचिवों तथा अन्यों के ओमान दौरा के संबंध में क्या हुआ ? उन्होंने अब क्या किया है ?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : इन दोनों भारतीय कम्पनियों में से किसी ने भी निवेश में कमी इत्यादि करने के संबंध में कुछ नहीं लिखा है।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि अभी जो हमारे यहां फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज हैं उनमें कितना यूरिया का उत्पादन होता है, हमारी क्या आवश्यकता है और दूसरे देशों से यूरिया मंगाने की कितनी आवश्यकता है ? अभी जो यूरिया का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है उसका रेट क्या है ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप समझ लें कि यह प्रश्न इंडो–ओमान प्रोजेक्ट के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि हम जो ओमान के सहयोग से फैक्ट्री लगाने के लिए काम कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वर्तमान प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : महोदय, शेष भारत की तुलना में, पश्चिम बंगाल में, उर्वरक की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में, यूरिया की खपत लगभग 9 लाख टन प्रतिवर्ष है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, अब तक, कोई उर्वरक कारखाना नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि यह प्रश्न भारत–ओमान परियोजना से सम्बन्धित है, न कि किसी उर्वरक कारखाने के बारे में है।

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निजी क्षेत्र की कम्पनी से पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से हल्दिया में यूरिया कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एच. एफ. सी. के हल्दिया यूनिट को फिर से चालू करने पर विचार कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्कता नहीं है। मैं इस तरह के अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : मैं संयुक्त उद्यम कम्पनी के बारे में जानना चाहता हूं। यह एक संबंधित प्रश्न है...*(व्यवधान)*

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

+

*222. **वैद्य विष्णु दत्त :**

श्री सी. डी. गामीत :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को कोई आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू और कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में तीन प्रतिशत से कम विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करेगी, जिसमें से निम्नलिखित प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पद में 1% का आरक्षण होगा :–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

(ख) श्रवण विकलांगता, तथा

(ग) चलने संबंधी (लोकोमोटर) विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात।

इस अधिनियम के लागू होने के पहले से ही समूह "ग" तथा "घ" में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में, शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के अन्तर्गत समूह "क" तथा "ख" में 3% आरक्षण के विस्तार के लिए दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91–स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 18.2.1997 के तहत अधिसूचित किया गया है।

(2) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार पाने में सहायता देने के लिए अनन्य रूप से 50 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करते हैं।

(3) इस अधिनियम के अध्याय–1, धारा–1, खंड–2 में उल्लेख है कि इसका विस्तार जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में है।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में लिखा है कि यह एक्ट जम्मू–कश्मीर स्टेट पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, मेरा कहना है कि इसे जम्मू–कश्मीर स्टेट में भी मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाए और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी जाए कि आवश्यक संशोधन करके वहां लोगों को सुविधाएं दी जाएं क्योंकि वहां हैंडीकेप्ड लोग मजबूर हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, हमने जम्मू तथा कश्मीर राज्य को लिखा है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 जुलाई, 1998 को उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। अतः अब सम्पूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैद्य, क्या आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ? कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में सात करोड़ लोग विकलांग हैं अर्थात् जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत। लेकिन आरक्षण केवल 3 प्रतिशत दिया गया है। क्या मंत्री महोदय आरक्षण की प्रतिशतता को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे ? क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि इस 3 प्रतिशत आरक्षण का भी अनुपालन होने की बजाय अवमानना अधिक होती है। यह अमान्य है। यह केवल कागज़ों में है। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कोई कड़ी कार्यवाही करेंगे ?.. *(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी : मैं सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों दोनों में और अधिक रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता का पूर्णतः समर्थन करती हूं। जहां तक कि तीन प्रतिशत रोजगार प्रदान करने का प्रश्न है उन्हें क, ख, ग और घ समूहों में विभाजित किया गया है। 'ग' तथा 'घ' समूह में हमने उनकी नियुक्ति कर दी है और हमने तीन प्रतिशत से अधिक भर्ती कर ली है। 31 मंत्रालयों में पता लगाए गए पदों में 'ग' समूह में लगभग 8.7 प्रतिशत भर्ती की गई है और 'घ' में 13.65 प्रतिशत भर्ती की गई है। हालांकि मैं माननीय सदस्य द्वारा इनके आरक्षण को तीन प्रतिशत से आठ प्रतिशत बढ़ाने के सुझाव की सराहना करती हूं, लेकिन, सच तो यह है कि 'क' तथा 'ख' समूह में हम बार–बार दिए जाने वाले अनुस्मारकों और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के साथ की गई कार्यवाही के बावजूद भी इस तीन प्रतिशत आरक्षण को पूरा नहीं कर सके।

अब, हमने जो किया है, वह यह है कि 11 सितम्बर, 1998 को हमने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। पहली बार हमने विकलांगों के लिए एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की है जो कि उनके लिए उपयुक्त और पदों का पता लगाएंगे ताकि हम न केवल इनके आरक्षण को बढ़ा सकते हैं बल्कि तीन प्रतिशत आरक्षित पदों को भी भर सकते हैं जो कि समूह 'क' और 'ख' में नहीं भरे गए हैं। वास्तव में सच तो यह है कि काफी लोगों का साक्षात्कार लिया गया था। हमने श्रवण, दृष्टि तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक के लिए प्रतिशत आरक्षण रखा है। अब हम सभी पदों को नहीं भर पाए हैं क्योंकि हम उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं कर पाए हैं। इसलिए, सरकार ने 17 विशेष व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें रोज़गार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन प्रतिशत आरक्षित पदों को भरने के बाद, मुझे विश्वास है कि इसे बढ़ाना सही होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेडडी, अनेक अन्य सदस्य भी हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्रतिशत इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि योग्य व्यक्तियों की कमी है यह सच नहीं है। विकलांग व्यक्तियों के संबंध में भर्ती करने वाले प्राधिकरणों के बीच काफी विरोधी भावना है। यह योग्य व्यक्तियों की कमी के कारण नहीं है...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी : शायद, यह सच है। इसलिए हमने अब विकलांगों के लिए एक मुख्य आयुक्त नियुक्त किया है और उसका कार्य यह देखना है कि कोई विरोधी भावना न हो। यदि ऐसा होता है तो इसे दूर किया जाना चाहिए उसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों को दूर किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि तीन प्रतिशत रिजर्वेशन तीन अलग–अलग कैटेगरीज में विकलांगों के लिए दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार कई सुविधाएं और सहायता विकलांगों को देती है। जैसा जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि रिजर्वेशन तीन प्रशित से सात प्रतिशत करना एक बात है लेकिन अभी जो तीन प्रतिशत की सुविधा है उसका हैंडीकैप्ड को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहेगी कि हर एम्प्लाएमेंट एक्सचेंज और राज्य स्तर पर चुने हुए लोगों की एक कमेटी बने जिसमें विधायकों और सांसदों को रखे, जो यह देखें कि इनको पूरा फायदा मिल रहा है या नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई कमेटी बनाने का विचार कर रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, पहले से ही 50 विशेष रोज़गार कार्यालय चल रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निशक्त लोगों को रोजगार के अवसर मिलें वरिष्ठ लोगों की निगरानी में 39 विशेष कक्ष कार्य कर रहे हैं। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं पुनर्प्रशिक्षण के लिए 17 विशेष व्यावसायिक केन्द्र हैं जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके। अब मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति होने से हम रोजगार क्षेत्र में और अधिक न्यायोचित अवसर उपलब्ध करा पाएंगे।

श्री सत्यपाल जैन : ये सब अधिकारी हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं, क्या सरकार ने निशक्तों के लिए रोजगार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। निशक्त लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या सरकार का विचार निशक्तों के लिए आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने का है।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, राज्यों को निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे अनुस्मारकों के कारण ही जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी इस अधिसूचना को पारित कर दिया है।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में जिसे श्री जयपाल रेड्डी ने पहले ही पूछ लिया है, जैसे ही हम ए और बी वर्गों में तीन प्रतिशत की सीमा को पार करेंगे तब हम इसे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे।

डॉ. सरोजा वी. : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्रालय की योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोलने की है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्या तमिलनाडु राज्य से व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। क्या यह सरकार नमक्कल, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, में एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की खोले जाने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या कोई प्रस्ताव है ?

श्रीमती मेनका गांधी : मैं इस बात को श्रम मंत्रालय के ध्यान में लाऊंगी...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : तीन वर्ष पूर्व हमने सर्वसम्मति से निशक्तता सम्बन्धी विधेयक पारित किया था परन्तु इसके बावजूद कई विभागों द्वारा इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय केन्द्र सरकार में विभिन्न पदों पर भर्ती का उल्लेख कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगा क्या इन निर्देशों को राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भेजा गया है। क्या इन निर्देशों का राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

श्रीमती मेनका गांधी : *न केवल मेरा मंत्रालय अपितु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी नियमित रूप से सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों* और सभी राज्यों को निर्देश भेजता रहता है। इनका अनुपालन भिन्न राज्यों में *अलग–अलग ढंग* से होता है। *कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि काफी समय से उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग या अन्य निशक्त व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया हो...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कई माननीय सदस्य इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं प्रश्न की महत्ता को समझता हूं। यदि माननीय मंत्री को आपत्ति न हो तो मैं इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

श्रीमती मेनका गांधी : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पहले ही आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे चुका हूं।

त्रिपुरा में लोगों पर उग्रवादियों के हमले

+

***223. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री टी. गोविन्दन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में मासूम लोगों पर उग्रवादियों के हमलों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे हमलों के कारण कितने व्यक्ति मारे गए;

(घ) क्या त्रिपुरा से केन्द्रीय बलों की बड़े पैमाने पर वापसी के कारण वहां के लोगों में अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य में तैनात सेना की बटालियनों को वहीं वापस तैनात करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) असम और त्रिपुरा में उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 1997 और 1998 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :–

राज्य	1997		1998 (2 दिसम्बर तक)	
	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	घटनाएं	मारे गए सिविलियन
अरुणाचल प्रदेश	34	9	71	2
असम	427	285	676	463
मणिपुर	320	233	235	79
मेघालय	14	3	13	5
मिजोरम	1	—	—	—
नागालैंड	380	92	186	25
त्रिपुरा	303	205	519	200

(घ) से (च) देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय बलों की तैनाती की मात्रा, अन्य बातों के साथ–साथ, समग्र सुरक्षा परिदृश्य के अलावा उक्त बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। त्रिपुरा में केन्द्रीय बलों की तैनाती उग्रवाद को रोकने और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। केन्द्र सरकार इस राज्य की सुरक्षा स्थिति से पूर्णतः परिचित है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट है कि त्रिपुरा और असम में अधिकतम घटनाएं हुई हैं। त्रिपुरा की जनसंख्या की तुलना में घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। यद्यपि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उग्रवाद पर काबू पाने के लिए त्रिपुरा में केन्द्रीय बलों को तैनात किया गया है और केन्द्र सरकार राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह वाकिफ है, मैं जानना चाहती हूं, स्थिति से निपटने के लिए त्रिपुरा सरकार को सेना की कितनी बटालियनें दी गई हैं और इस समय त्रिपुरा में कितनी बटालियनें तैनात हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि जहां तक सेना की तैनाती का सम्बन्ध है, यह परम्परा नहीं रही है कि सभा में सेना की बटालियनों या कम्पनियों की तैनाती के बारे में वक्तव्य दिए जाएं। मुझे सभा को यह जानकारी देने में आपत्ति नहीं है कि जहां तक अर्द्ध सैनिक बलों का सम्बन्ध है इस समय त्रिपुरा में कुल–मिलाकर अर्ध सैनिक बलों की 111 कम्पनियां तैनात हैं जिनमें से 45 सीमा सुरक्षा बल की हैं जो कि सीमा पर तैनात की गई हैं। उनका कार्य उग्रवाद पर रोक लगाने से सम्बन्धित नहीं है।

वे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 66 कम्पनियां विद्रोह और उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु तैनात की गई हैं। यह संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। वास्तव में हमें हमारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। परन्तु मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि त्रिपुरा राज्य और अधिक बलों की तैनाती के लिए अनुरोध कर रहा है और हम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और सांसदों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। सेना से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं जिसको कतिपय सामरिक कारणों के चलते अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा लेना पड़ा था। परन्तु हम परिस्थिति से अवगत हैं और जैसा कि मैं कह चुका हूं, असम और त्रिपुरा इन दो राज्यों में ऐसी घटनाओं और हत्याओं में वृद्धि हुई है। दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में इनमें कमी आई है। वस्तुतः आठ में से चार पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, यही जानकारी मैं असम के बारे में जानना चाहती हूं। मैं अब सेना के बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि वे इसे बता नहीं सकते। परन्तु मैं वहां पर तैनात सीमा सुरक्षा बल और अन्य बलों के बारे में जानना चाहती हूं, उनकी क्या मांग है और मंत्री महोदय उसे पूरा कैसे करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, असम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 153 कम्पनियां हैं। सीमा सुरक्षा बल की 50 कम्पनियां हैं जिनमें से 30 सीमा पर तैनात हैं।

श्री टी. गोविन्दन : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री महोदय का वक्तव्य बहुत ही छोटा है और इसमें कई तथ्यों की उपेक्षा की गई है। प्रश्न विशेष रूप से त्रिपुरा से सम्बन्धित है। वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ रही हैं। त्रिपुरा सरकार ने बलों को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए कई बार अनुरोध किया है परन्तु मंत्री जी ने उसका यहां पर उल्लेख नहीं किया है वहां पर तैनात सात कम्पनियां तैनात थीं जिसमें से दो कम्पनियों को उस राज्य से हटा लिया गया जबकि राज्य सरकार बलों को सुदृढ़ करने के लिए लगातार अनुरोध कर रही है। मैं जानना चाहता हूं इन कम्पनियों को क्यों हटाया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सेना की कुछ कम्पनियों को सामरिक कारणों से हटाया गया है। हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं और उन्हें राज्य सरकार की मंशा से भी अवगत करा रहे हैं कि अधिकाधिक बलों की तैनाती की जाए। यह राज्य उग्रवाद, छोटे पैमाने पर लगभग 18 वर्षों से उग्रवाद का सामना कर रहा है। यह बढ़ रहा है और इस समय कुल मिलाकर भिन्न–भिन्न नामों से 20 सशस्त्र जनजातीय समूह हैं जो हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इनमें से दो ए. टी. टी. एफ. और ए. डी. एल. एफ. टी. अधिकांश हत्याओं के लिए जिम्मेदार है और इन लोगों में उग्रवादी विचारधारा घर कर गई है।

परन्तु, जैसा कि मैं कह चुका हूं, जहां तक सेना का सम्बन्ध है, निर्णय वे स्वयं करेंगे। मैं सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री के भी सम्पर्क में हूं और मैं चाहूंगा कि त्रिपुरा की समस्याओं का समुचित रूप से समाधान हो।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, उत्तर–पूर्वी राज्यों में सेना की जो विभिन्न बटालियनें नियुक्त की गई हैं, उनमें सी. आर. पी. एफ., बी. एस. एफ. और लोकल पुलिस शामिल है। पिछले दिनों जब स्थाई समिति ने वहां का दौरा किया था तो देखा कि उनमें कोआर्डिनेशन नहीं है। क्या इन एजेन्सीज़ में कोआर्डिनेशन के लिए मंत्री महोदय कोई समन्वय समिति बनाने का विचार रखते हैं ताकि वह अच्छे तालमेल से काम कर सकें ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोआर्डिनेशन का काम प्रमुखतः स्टेट गवर्नमेंट करती है, अगर स्टेट चाहे तो इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोआर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर ले सकती है। अन्यथा जहां पर राज्य सरकार है और चुनी हुई राज्य सरकार है, त्रिपुरा के बारे में मैं कह सकता हूं कि वे इस मामले में बहुत प्रामाणिकतापूर्वक चाहते हैं कि इस समस्या का निराकरण हो। यद्यपि डिप्लोयमैंट के मामले में जितना इफैक्टिव डिप्लोयमैंट होना चाहिए, उतना शायद नहीं हो रहा है और इस मामले में माननीय सदस्य की टिप्पणी मैं ध्यान में रखूंगा।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण पूर्वी हिंदुस्तान में जो पनपता हुआ उग्रवाद है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप उत्तर–पूर्वी हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं या दक्षिण पूर्वी हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह : मैं उत्तर–पूर्वी हिंदुस्तान के बारे में कह रहा हूं कि वहां जो बढ़ता हुआ उग्रवाद है, वह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। सात–आठ लाख की आबादी वाले राज्यों में 44 हजार पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात हैं, फिर भी उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा है। एन. एस. सी. एन. के उग्रवादी संगठन के साथ भारत सरकार ने डेढ़ साल से सीज फायर किया हुआ है और हमारी जानकारी के अनुसार इस सीज फायर की अवधि और दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, उसका दायरा पूरे हिंदुस्तान में कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार यह उग्रवादी संगठन उत्तर पूर्वी हिंदुस्तान के सभी राज्यों में धीरे–धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। दूसरी दुश्वारी यह है कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज भारत सरकार ने इन राज्यों में आम कानून–व्यवस्था की हालत सुधारने और उग्रवाद से लड़ने के लिए भेजी हैं उनसे स्थानीय प्रशासन स्थानीय राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और अफसरशाहों की हिफाजत का काम ले रहा है, जबकि यह काम यहां की सिविल पुलिस का है। इसके कारण आम सुरक्षा का काम और अपने दायित्व का निर्वहन यह संगठन नहीं कर पा रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पनपते हुए उग्रवाद के जो दूसरे कारण हैं वे केवल पैरा मिलिट्री फोर्सेज से हल होने वाले नहीं हैं, उसके लिए केन्द्र सरकार की पहल क्या है ? दूसरी बात यह है कि जिन उद्देश्यों के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेज भेजी गई हैं, उन उद्देश्यों में उनको लगाए रखने के लिए सरकार की ओर से क्या पहल की जा रही है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें कुछ वजन है और हम इस विषय में राज्य सरकारों से बातचीत करते रहते हैं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज का उपयोग या तो प्रमुख रूप से बॉर्डर सिक्युरिटी के लिए या काउन्टर इनसर्जेन्सी के लिए होना चाहिए। यदि मैं आंकड़े दूं तो जो सैन्ट्रल पैरा मिलिट्री की कुल 349 कंपनियां वहां हैं, उनमें कुछ वी. आई. पी. सुरक्षा के लिए हैं, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है। कुल 13 इंस्टालेशन्स की सुरक्षा के लिए हैं। 34 कंपनियां एरकोर्ट्स के लिए हैं इत्यादि। हम उनको यह सलाह देते हैं कि इन कामों के लिए वे मिनीमम यूज होनी चाहिए, यह काम उनका नहीं है। यह काम प्रमुख रूप से प्रदेश की पुलिस करे तो उपयुक्त होगा।

अध्यक्ष महोदय, वैसे भी कुल मिलाकर हमें जो पंजाब का अनुभव है, उसके आधार पर उन सब स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों और डी. जी., पुलिस को यह मोटा निर्देश दिया गया है कि अंततोगत्वा जब भी हमें उग्रवाद के खिलाफ सफलता मिलती है तो उसमें मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज का सप्लीमेंट्री रोल होता है। प्रमुख रूप से इस दायित्व को अगर स्थानीय पुलिस संभाले तो हमें सफलता मिलती है क्योंकि वे लोग इसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। ये मोटी हिदायतें उन्हें दी जाती हैं। लेकिन आपने जो बात कही है वह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में है और इस ओर राज्यों का ध्यान दिलाया जाता रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि रौनिक बलों, अर्ध–सैनिक बलों और अन्य बलों को उपयोग लाए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मैं इन बातों से असहमत नहीं हूं। परन्तु मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उग्रवाद एक ऐसी समस्या है जो देश में बनी रहेगी और सभी को इसके साये में रहना है। गृह मंत्रालय के अधीन केवल सीमा सुरक्षा बल ही आते हैं, जिस प्रकार का प्रशिक्षण उन्हें मिलता है वे उग्रवाद की समस्या से निपट नहीं सकते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं क्या वे इस तथ्य पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देंगे जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है अर्थात् एक नए संगठन का गठन करना, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस देश की अखण्डता को बनाए रखना होगा तथा इस प्रकार की परिस्थिति से निपटना हो जिसका सामना पूर्वोत्तर और अन्य राज्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या माननीय मंत्री सैनिक बलों का उपयोग करने के बजाय इन बातों पर विचार करेंगे न कि क्योंकि सैन्य बलों का उद्देश्य कुछ और कार्य करना है।

महोदय, सैनिक कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई है जिससे कोई हल नहीं निकलता, और न ही हम इसे बंद कर सकते हैं और यह एक अस्थाई हल है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि कोई स्थाई हल पाने के लिए वे इस मुद्दे से किस तरह निपट रहे हैं ? वहां से मिल रही जानकारी के अनुसार इन आतंकवादियों और म्यानमार सरकार के बीच आपसी संबंध हैं और प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संबंध भी स्थापित हो

चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनका इस बारे में क्या विचार है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अर्ध सैनिक बलों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें सभी प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। केवल बी. एस. एफ. ही नहीं बल्कि सी. आर. पी. एफ., आई. टी. बी. पी. और होम गार्ड भी राज्य बलों या सेना को सहयोग देते हैं भले ही होम गार्डों को अर्ध सैनिक बलों में शामिल नहीं किया जाता। यह कहना बिल्कुल सही है कि बदलती हुई परिस्थितियों के कारण पिछले 15–20 सालों की तुलना में आज देश की जरूरतें कहीं ज्यादा अधिक हैं। मैं इससे सहमत हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : परन्तु सेना ने हमेशा वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस संबंध में हम चाहते हैं कि जहां तक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का संबंध है उनको निपटाने के लिए सेना और पुलिस का सहयोग न के बराबर लिया जाए इन्हें निपटाने के लिए अर्ध सैनिक बल सक्षम हैं। यह सच है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है परंतु राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा केन्द्र की जिम्मेदारी है जिसके प्रति हम काफी सजग हैं।

मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई अन्य टिप्पणियों को भी ध्यान में रखूंगा।

श्री समर चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि त्रिपुरा से सेना और असम राइफल्स की दो बटालियनों को हटा लिए जाने के बाद वहां की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई थी ? राज्य में 44 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में से 22 पुलिस स्टेशन क्षेत्र अशांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पांच अन्य पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। सेना, असम राइफल्स, सी. आर. पी. एफ. और अन्य सुरक्षा ताकतों को क्षेत्र वार तैनात किया गया है। ये दो बटालियन हटा लिए गए हैं और तब से कुछ क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था कायम नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री समर चौधरी : महोदय, मैं त्रिपुरा से संबंधित हूं और यह समस्या मेरे राज्य से भी संबंधित है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि क्या उनका त्रिपुरा में घुसपैठियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त बल नियुक्त किए जाने का विचार है क्योंकि इन घुसपैठियों के पास आधुनिक हथियार हैं और क्या माननीय गृह मंत्री जी वहां तुरंत अतिरिक्त बल तैनात करेंगे।

महोदय, सेना अधिकारियों के मूल्यांकन के अनुसार वहां अतिरिक्त बलों की सात बटालियनों के तैनात किए जाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सात बटालियनों को तैनात किए जाने की इस मांग से सहमत हैं जिससे स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके तथा घुसपैठियों को रोका जा सके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह मानना गलत है कि त्रिपुरा से सशस्त्र सेनाएं हटा ली गई हैं। इनकी संख्या में कुछ कमी लाई गई है। आपने दो बटालियनों की बात की है। आपने कुछ तारीखों का उल्लेख किया है। मैं सशस्त्र सेनाओं की मात्रा का उल्लेख न करने की परम्परा को तोड़ना नहीं चाहता। इस पर, मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमारे मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाया हुआ है, वे उन्हें यह जताना चाहते हैं कि हटाई गई इन बटालियनों को वापस बुलाया जाए। उसके अलावा, हमने त्रिपुरा सरकार को 'भारतीय रिजर्व बटालियनों' को लगाने की सलाह दी है। उसमें से एक तो पहले ही जारी हो चुका है। दूसरा जिसकी स्वीकृति त्रिपुरा के लिए दी गई है वह मामला भी उठाया जा रहा है। यह एक अन्य तरीका है जिसका हमने सहारा लिया है। इन मामलों में आधा खर्च केन्द्र सरकार उठाती है।

इसके अलावा हमने यह भी निर्णय लिया है कि चाहे कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का मामला है फिर भी सुरक्षा संबंधी खर्च की कुछ मदें जो घुसपैठियों और उग्रवादियों के कारण राज्यों को वहन करनी पड़ती हैं, केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसी तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों की मदद की कोशिश की है।

श्री समर चौधरी : महोदय, मेरा एक और अनुपूरक प्रश्न है।

..(व्यवधान)

चिकित्सकों के वेतनमान

***224. श्री ए. सी. जोस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने सभी राज्यों के चिकित्सकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) के अधिकारियों के समकक्ष वेतनमान दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नामक एक संवर्ग का सृजन करने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा संघ से प्राप्त की गई संकल्प की एक प्रति के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ–साथ देश में सभी सेवारत चिकित्सकों के लिए वेतन और पर्क्स में समानता, केन्द्रीय संवर्ग के समान

सेवारत चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के अवसर होने; भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के गठन; समान प्रैक्टिसबंदी भत्ते की मंजूरी; सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली; नीम–हकीमी पर प्रतिबंध लगाने; शारीरिक हमले से उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में चिकित्सकों को शामिल करने की मांग की है। चूंकि 'स्वास्थ्य' 'राज्य सूची' का विषय है इसलिए इस संबंध में कार्रवाई संबंधित सरकारों द्वारा करनी होती है।

(ग) से (ङ) एक भारतीय स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा के सृजन पर सरकार द्वारा विगत में विचार किया गया था जब 5 राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, 4 राज्यों ने सशर्त स्वीकृति प्रदान की थी, 5 राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और कुछ राज्यों ने अपनी टिप्पणियां ही नहीं दी थीं। इस विषय पर राज्यों के बीच सर्वसम्मति अभी होनी है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, इसका उत्तर यह है कि स्वास्थ्य राज्य से संबंधित विषय है और केन्द्र इस मामले में कुछ नहीं कर पाता। अगर आप पूरे देश की स्थिति पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि इस देश में स्वास्थ्य प्रबन्धन पूरी तरह अस्त–व्यस्त है। हर रोज अखबार देखने पर हम पाते हैं कि एक जगह नर्सें हड़ताल कर रही हैं तो दूसरे राज्य में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। हर रोज यही समस्या होती है, विशेषकर दिल्ली में। अब, उत्तर यह है कि इस संबंध में अभी मिलकर विचार किया जाना है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध कर सकता हूं और क्या मैं माननीय मंत्री से यह कह सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं अनुरोध नहीं कर सकते।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, क्या मैं केन्द्र सरकार से यह कह सकता हूं कि राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर स्वस्थ्य प्रबन्धन के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करें और इस मामले पर एक राय बनाई जाए ?

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव में, स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे सुझावों से किसी तरह असहमत नहीं है। वास्तव में, हम इसी के लिए हैं। सरकारिया आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और उसके बाद वेतन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। परंतु इन सिफारिशों पर मुख्यतः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विचार करता है। फिर भी, हम अगले वर्ष के प्रारम्भ में स्वास्थ्य मंत्रियों की केंद्रीय परिषद की संगोष्ठी बुला रहे हैं। जनवरी में हम वह बैठक बुलाएंगे। वास्तव में, हम इसे एक विषय के रूप में उठा रहे हैं और हम यह प्रयास करेंगे कि यथा संभव कार्य हो सके।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, उत्तरी अमेरिका में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी रह रहे बड़े–बड़े डॉक्टर भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही पढ़े हैं भारत से ही उन्होंने उपाधियां प्राप्त की हैं और विदेशों में जाकर अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। इसका अर्थ है हमारी सर्वोत्तम प्रतिभाएं *इस देश से बाहर जा रही हैं।*

इसीलिए डॉक्टरों की गोष्ठी ने यह तर्क दिया था और प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि इस तथ्य के बावजूद कि चाहे यह राज्य का विषय है या नहीं, फिर भी जैसे राज्य प्रशासन भी राज्य का एक विषय है परंतु हमारे यहां एक केंद्रीय संवर्ग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को काम करने के लिए नियुक्त करते हैं जिससे सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे यहां व्यावसायिक डॉक्टरों का एक केन्द्रीय संवर्ग क्यों नहीं होना चाहिए जिससे सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करके उन्हें उपयुक्त स्थान पर लगाया जा सके। द तिरुवनंतपुरम श्री चित्र मेडिकल इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली ऐसे दो केन्द्र हैं जहां हम उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि क्या हम आइ. ए. एस. और अन्य प्रशासनिक सेवाओं की तरह डॉक्टरों का केन्द्रीय संवर्ग बनाने पर विचार कर सकते हैं ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैं एक बार फिर माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव की सराहना करता हूं। वास्तव में, चिकित्सा क्षेत्र में ये केंद्रीय सेवाएं 1947 तक उपलब्ध थीं और बाद में उन्हें बंद कर दिया गया था । उसके बाद हाल ही में वेतन आयोग ने एक बार फिर सिफारिश की है कि राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच एक वार्ता शुरू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए कि हम अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पांच वर्षों की निर्धारित अवधि में कार्यक्रम तैयार कर सकें। यह सिफारिश वेतन आयोग ने की थी और हमें केवल इसका इंतजार करना है। समय समाप्त नहीं हुआ है। हर हाल में, इसका कोई–न–कोई परिणाम निकलेगा। मुझे आशा है कि कार्मिक विभाग भी इसमें मददगार साबित होगा। जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय में हमारा संबंध है हम अपने डॉक्टरों के गुणवत्ता योगदानों को बढ़ाने, उन्हें बल देने और उनका स्वागत करने का समर्थन करते हैं। जब वे अमेरिका या विदेश जाकर सेवा कर सकते हैं तो हम उनकी सेवाओं का लाभ क्यों नहीं उठा सकते ? हमें यह बात पता है। हम केवल अपने डॉक्टरों के योगदान और विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक बहुत ही प्रतिष्ठा–संपन्न राष्ट्रीय संस्थान है। और क्या वे यह अद्यतन स्थिति जानते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक तरह से प्रतिभा पलायन हो रहा है ? शुरू–शुरू में संस्थान की प्रतिष्ठा के कारण डॉक्टरों को बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुज़रना पड़ता है। और बाद में जब वे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं तो वे या तो विदेशों से आकर्षित हो जाते हैं या दिल्ली के ही निजी अस्पतालों से आकर्षित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके वेतन कम हैं और काम की स्थिति काफी निराशाजनक है। इसलिए क्या वे मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि

वे संस्थान के निदेशक और संकाय से मिलकर अ.भा.आ.सं. में कार्य की स्थिति को किस तरह सुधारा जाए इस पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैं प्रो. सोज का धन्यवाद करता हूं। वास्तव में उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह एक प्रतिष्ठा–संपन्न संस्थान है। मैं इस बात से किसी तरह असहमत नहीं हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : डॉक्टर विदेशों में जा रहे हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : परंतु इस प्रतिष्ठा–संपन्न संस्थान में स्थिति वैसी नहीं है जैसी उन्हें और मुझे लगती है, यह पूरी तरह भिन्न है। जैसा कि वह कहते हैं, यह केवल डॉक्टरों या संकाय सदस्यों या स्वयं निदेशक की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बहुत–सी बातें शामिल हैं। इसलिए यह स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही बात मैं मंत्रीजी से कह रहा हूं। क्या वे संकाय सदस्यों से बात या सलाह करेंगे ?

श्री दलित एजिलामलाई : जी, हां। मैं भी आपसे सहमत हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह किसी मंत्री के जाने की तरह नहीं होना चाहिए। जिसे वे एक प्रक्रिया मानते हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : हम पिछले मंत्रियों की तरह काम नहीं करते। हम वास्तव में मंत्रियों की तरह काम करते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट पर सारे देश के रोगियों का दबाव है जिसके कारण उन रोगियों को, विशेषकर बिहार के रोगियों को ठीक होने में 2–3 वर्ष का समय लग जाता है। मैं समझता हूं कि वहां या तो डॉक्टरों की कमी है या जितने रोगी हैं, उस हिसाब से वहां फैसिलिटीज नहीं हैं। मंत्री जी ने कहा कि वे इसे देखते हैं, रोगियों को मेडिकल इंस्टीच्यूट में जल्दी से जल्दी इलाज मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है क्योंकि सारे एम. पीज. को इससे रोज–रोज परेशानी होती है ? रोगी उनकी कांस्टीट्ऐंसी से आता है और उसे इलाज में साल लग जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि रोगियों का इलाज जल्दी से जल्दी हो सके, इसके लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह प्रश्न चिकित्सकों के वेतन–मानों से सम्बन्धित है।

श्री दलित एजिलमलाई : यह स्वास्थ्स सेवा एवं चिकित्सा प्रणाली और अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तरों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कारण रोगियों को मजबूरन भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। जी हां, यह सत्य है। स्वास्थ्य को उतनी वरीयता नहीं दी जाती जितनी उसे दी जानी चाहिए। हर कोई इसके बारे में जानता है। अतः ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं माननीय सदस्य से सहमत न होऊं। हम इस पर पर्याप्त ध्यान देंगे। केवल इसी वर्ष में ही इस सम्बन्ध में बजट में कुछ वृद्धि की गई थी। अन्यथा तस्वीर बिल्कुल भिन्न ही होती। वास्तविकता यह है 1998–99 हेतु हमने 2489 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है जबकि पिछली बार 1547 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इसमें धीरे–धीरे वृद्धि की जानी चाहिए। मैं इस तक्रसंगत सुझाव के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूं क्या वे भारतीय स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा के सृजन के सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे क्योंकि उससे हमारी कई समस्याएं सुलझ जाएंगी। दिया गया उत्तर अत्यन्त संक्षिप्त है कि कुछ राज्यों ने 'हां' कहा है कुछ राज्यों ने 'न' कहा है। मैं आशा करती हूं कि वे इसे गम्भीरतापूर्वक लेंगे। आजकल चिकित्सक भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। कई चिकित्सकों ने परेशान किए जाने के आरोप लगाए हैं। चिकित्सकों पर हमले भी होते हैं। हम यदि केन्द्र सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य नीति को हाथ में लें और भारतीय स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का सृजन करें। जैसा की श्री जोस ने कहा था, तो इन सभी समस्याओं से एक समान रूप से निपटा जा सकता है। क्या आप ऐसा करेंगें ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का आंशिक जवाब दे दिया है हालांकि यह राज्य का विषय है। हमें इसके लिए राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया को देखना होगा। हमने अपने उत्तर में बताया है कि कई राज्यों में से केवल 5 राज्य ही इस प्रस्ताव से सहमत हुए हैं चार राज्यों ने सशर्त स्वीकृति प्रदान की है और 5 राज्यों ने अपनी प्रतिसूचना दी है। अतः तथ्य इस प्रकार है। हमारा राज्य् सरकारों के साथ झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह राज्य विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं यह सब जानती हूं लेकिन मैं आपसे यह नहीं चाहती कि आप सभी कुछ राज्य पर छोड़ दें। मैं तो केन्द्र से सामंजस्य चाहती थी। बस इतनी ही बात है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, हम उच्च प्रवीणता वाले सेवा भावना से युक्त अच्छे चिकित्सकों की सेवाओं की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हाल ही में, अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (ए. आई. आई. एम. एस.) सहित इस देश के कई चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है जहां चिकित्सा अधीक्षक स्वयं भष्टाचार के मामलों में संलिप्त हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यंत गम्भीर मुद्दा है। मैं नहीं जानता क्या इसका कारण कम वेतनमान है। यदि वेतनमान कम है तो इसकी छानबीन की जानी चाहिए। लेकिन यह न केवल वेतनमान का मामला है बल्कि भ्रष्टचार का मामला भी है जो हर जगह व्याप्त है। लेकिन जहां तक चिकित्सा क्षेत्र का सम्बन्ध है जहां चिकित्सक है, जहां उनकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जहां चिकित्सा संस्थाओं में गरीब रोगियों को उचित उपचार मिलता है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी

इस प्रकार के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री दलित एजिलमलाई : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। भ्रष्टाचार हाल ही की घटना नहीं है। भ्रष्टाचार छः आठ महीनों में ही नहीं पनपा है। यह तो पहले से चला आ रहा है। किसी ने कहा था कि यह समाज का अंग है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। यदि माननीय सदस्य भ्रष्टाचार समाप्त करने में हमारी सहायता करते हैं तो मैं उसका आभारी होऊंगा। जब भी ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी में आएगी। मैं पूरे विवरण के साथ सदन में उपस्थित होऊंगा।

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : सरकारी चिकित्सकों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों के समान वेतनमानों की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार की सभी मेडिकल कॉलेजों में उत्कृष्ट प्रोफेसर के पदों का सृजन करने की योजना है। माननीय मन्त्री ने अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में उत्कृष्ट प्रोफेसर के पद का सृजन करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार सभी राज्य सरकारों को यह संदेश देगी कि सभी चिकित्सा कालेजों में उत्कृष्ट प्रोफेसर के पदों का सृजन किया जाए।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, यह प्रश्न केवल 'एम्स' से सम्बन्धित है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्य चिंता प्रकट कर रहे थे कि चिकित्सकों का वेतनमान कम होने के कारण वे अमेरिका आदि देशों में पलायन कर रहे हैं। हमारे देश में चिकित्सकों का बुनियादी काम गांव से लेकर आदिवासी क्षेत्रों और शहरों तक में चिकित्सा उपलब्ध कराना है। मैं भी चाहता हूं कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, जिससे वे पलायन न करें। चिकित्सकों का वेतनमान बढ़ाने के बाद गांवों में जो चिकित्सा की व्यवस्था बनाई गई है, आदिवासी क्षेत्रों में जो व्यवस्था बनाई गई है कि वे वहां जाएं और वहां के लोगों को बुनियादी सेवा उपलब्ध कराएं, लेकिन देखा गया है कि वे गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जाते तथा वहां लोगों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते। क्या इस तरह का कानून केन्द्र सरकार बनाने वाली है या इसे राज्य सरकार का विषय कहकर छोड़ दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। समय खत्म हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : समय नहीं है तो यह बात कहने का कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट प्रश्न पूछें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरा सवाल यह है कि क्या केन्द्र की ओर से कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे चिकित्सक गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों को चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराएं ?

[अनुवाद]

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, यह प्रश्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के वेतन और भत्तों के बारे में है। वेतन और सुविधाएं ऐसे विषय हैं जिस पर वेतन आयोगों द्वारा विचार किया जाता है। और वेतन आयोगों की सिफारिशों को सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकार किया जाता है अथवा इनकी समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस भेजना

***225. श्री ब्रजमोहन राम :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से 1997 के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल से कितने बंगलादेशी घुसपैठियों को बंगलादेश वापस भेजा गया;

(ख) क्या बंगलादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने से पूर्व इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने बंगलादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के बारे में बिहार सरकार को कोई दिशा-निर्देश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनका पता लगाना तथा उन्हें स्वदेश वापस भेजने संबंधी अधिकार राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को प्रदत्त किए गए हैं। स्वदेश भेजे गए अवैध प्रवासियों की संख्या का राज्य-वार डाटा, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार से मिली सूचना से पता चलता है कि 1994 से 1998 (मई तक) की अवधि के दौरान 50,132 बंगलादेशियों को स्वदेश वापस भेजा गया।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, यदि कोई विदेशी नागरिक किसी विशेष राज्य का निवासी होने का दावा करता है तो संबद्ध राज्य सरकार से सत्यापन, इत्यादि के बारे में विचार-विमर्श किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च) विदेशी नागरिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को, बिहार राज्य सरकार को भी भेजा गया है।

श्री ब्रजमोहन राम : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह घुसपैटियों को रोकने के लिए बंगलादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा पट्टी के रूप में पांच किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाने का विचार रखती है और इसमें राज्य सरकारों को कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा, क्या ऐसा भी विचार रखती है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बंगलादेश और भारत की सीमा का जो भौगोलिक रूप है, उसके बारे में जिन्हें जानकारी है, उन्हें पता होगा कि जिस प्रकार से पश्चिमी सीमा पर हम फैंसिंग लगा सकते हैं, उतना सहज काम वहां नहीं है। फिर भी वहां फैंसिंग लगाने का सिद्धांततः निर्णय किया गया है। इसी के साथ रोड्स बनाने और पुल बनाने का भी निर्णय किया गया है। सितम्बर, 1998 तक कुल मिलाकर 2116 किलोमीटर लम्बी सड़कों का और 789 किलोमीटर में फैंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन हम इस बात के बारे में चिंतित हैं कि जो अवैध घुसपैठ है, वह कैसे रोकी जाए। इस दृष्टि से बी. एस. एफ. की व्यवस्था को और कठोर करना तथा साथ-साथ बंगलादेश सरकार से भी लगातार इस बारे में चर्चा करते रहने का कार्य भी हम कर रहे हैं। अगर फिर भी यह समस्या हल नहीं होगी तो हमारे सम्बन्धों में जो सौहार्द विगत वर्षों में उत्पन्न हुआ है, उसको बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई होगी, इस बारे में उनसे लगातार बातचीत होती रही है।

श्री ब्रजमोहन राम : बंगलादेशी घुसपैठियों को बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में आने से रोकने के लिए गुप्तचरों की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर उन्हें वापस भेजने और उनको सीमा क्षेत्र में नहीं घुसने देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोई विदेशी घुसपैठिया बिना पत्रों के आता है तो उसके बारे में सभी प्रदेशों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसमें उन्होंने बिहार और पश्चिमी बंगाल के बारे में पूछा है कि वहां से 1990 के बाद अब तक कितने घुसपैठिये या अवैध रूप से आने वालों को निकाला गया है। मैंने इसकी जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल से हमें सूचना मिली है। वैसे केन्द्रीय स्तर पर ऐसे डिपोर्टीज़ की संख्या का विवरण नहीं रखा जाता, लेकिन पिछले दिनों, क्योंकि एक सवाल पूछा गया था और जानकारी मांगी गई थी, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सूचना दी है कि वर्ष 1994 से मई 1998 तक उन्होंने कुल मिलाकर 50132 अवैध माइग्रेंट्स को वापस बंगलादेश भेजा है। बिहार सरकार की ओर से इस बारे में सूचना नहीं मिली है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन

***226. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रम सुचारु रूप से क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त कार्यक्रम सुचारु रूप से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) प्रतिरक्षण कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम का भाग है। बाल जीवन रक्षा के मुद्दों, मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों और गर्भ निरोधन के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए पूरे देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। जन्म दर को नीचे लाने में अलग-अलग राज्यों से प्राप्त हुई सफलता को आंकते हुए यह कार्यक्रम केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंढीगढ़ तथा पांडिचेरी में सफल रहा है जहां प्रतिस्थापना स्तर के सन्निकट जन्म दरें हासिल की गई हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप राज्य ऐसे चरण में हैं, जहां उनसे अगले 5-10 वर्षों में सदृश स्तर हासिल किए जाने की आशा की जा सकती है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कमजोर है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के परिणामों का निर्धारण कुछ कारकों द्वारा किया जाता है जैसे-(i) कार्यक्रम के लिए उपलब्ध आधारभूत ढांचा और संसाधन, (ii) राय कायम करने वाले जन-नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया समर्थन और समुदाय द्वारा दिया गया समर्थन, (iii) राज्य स्वास्थ्य प्रणाली की कार्य-कुशलता और स्वास्थ्य कार्मिकों का उत्तरदायित्व, (iv) परिवारों विशेष रूप से महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति, समाज में महिलाओं की स्थिति और परिवारों की आर्थिक स्थिति।

उन राज्यों में जिनमें कार्यक्रम कमजोर है, उपर्युक्त मददगार कारक भी कमजोर हैं।

परिवार कल्याण 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। सरकार ने हाल में इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी है और संसाधनों के आबंटन को 1996-97 में 1547 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1998-99 में 2489.35 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कार्यक्रम की प्रगति की राज्य सरकारों के साथ मिलकर समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और जहां कार्यान्वयन में कमियां होती हैं, वहां उन्हें दूर करने हेतु राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाता है।

पेट्रोलियम उद्योग का उदारीकरण

***227. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पैट्रोलियम उद्योग के और उदारीकरण हेतु नए पैकेज की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाञ्छापडी के. राममूर्ति) : (क) से (ग) सितम्बर, 1997 में घोषित सरकारी निर्णय के अनुसरण में प्रशासित मूल्य व्यवस्था की समाप्ति प्रक्रिया 1.4.1998 को आरम्भ हुई। सुधार 2002 तक पूरा करने के लिए चरणबद्ध किए गए है। सरकार ने तेल और गैस के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की भी घोषणा की है।

[अनुवाद]

विद्रोही गतिविधियां

***228 श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्रोही गतिविधियों के कारण सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह की स्थिति और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में वर्तमान स्थिति कैसी है;

(घ) क्या भूटान आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या पहल की गई है;

(च) क्या इन राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई नई कार्य योजना तैयार की गई है :

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने और विद्रोही दलों की राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के साथ–साथ विद्रोह से प्रभावित राज्यों में आर्थिक पैकेज देने सहित क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) विद्रोह और आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर है।

(ख) और (ग) इन राज्यों में कानून और व्यवस्था तथा विद्रोह की स्थिति की सरकार द्वारा सतत पुनरीक्षा की जाती है। भारत सरकार और नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के इस्साक–मुईवाह गुट के बीच युद्ध–विराम होने के कारण नागालैंड और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जम्मू और कश्मीर में भी, विशेष रूप से घाटी में सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन द्वारा सतत दबाव, सतर्कता और ठोस कार्रवाई के फलस्वरूप स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) इस आशय की रिपोर्ट है कि उल्फा और बोडो उग्रवादियों के भूटान में शिविर/छिपने के ठिकाने हैं। अतः भूटान राजशाही सरकार के साथ राजनयिक माध्यमों से मामला उठाया गया है। सीमा पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गयी है।

(च) और (छ) पूर्वोत्तर में विद्रोह को कभी भी केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं समझा गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास और उसे मजबूत बनाना मूल आधार रहा है जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद से विकास संबंधी कार्य–नीति योजना के व्यापक ढांचे के अंतर्गत बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास कर सकें और उनके ऊपर कुछ भी थोपा न जाए तथा जीवन और संस्कृति के पारम्परिक तरीकों को बढ़ावा मिले। जहां तक सम्भव हो, प्रयास यह होना चाहिए कि प्रशासन तथा विकास का कार्य करने के लिए स्वदेशी टीमों को ही प्रशिक्षित और तैयार किया जाए तथा विकास कार्य स्वदेशी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा किया जाए।

पूर्वोत्तर में विद्रोह पर काबू पाने की रणनीति में उचित शिकायतों के बारे में बैठक और विचार–विमर्श करने की सहमति, यह संकल्प करना कि हिंसा को सहन नहीं किया जाएगा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तीव्र आधारभूत विकास, रोजगार संबंधी योजनाओं पर जोर और अच्छा प्रशासन तथा विकेन्द्रीकरण शामिल है।

जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से समर्थित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ प्रबंध के सुदृढ़ बनाना, भीतरी क्षेत्रों में उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को विफल करना,

आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना शामिल है।

विद्रोह से लड़ने के लिए राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी कार्रवाई योजनाएं बनायी हैं। संघ सरकार इन योजनाओं की निगरानी करती है, इनका समन्वय करती है और इनका सुदृढ़ीकरण करती है। विद्रोहों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त इकाइयों की तैनाती, बेहतर समन्वय एवं आसूचना का आदान–प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, गंभीर रूप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करना तथा बड़े विद्रोही गुटों की विधि–विरुद्ध संगठनों के रूप में अधिसूचित करना शामिल है। विद्रोह से प्रभावित राज्यों का सुरक्षासंबंधी व्यय केन्द्र द्वारा वहन किए जाने की भी एक योजना प्रचलित है। संपूर्ण विद्रोह–स्थिति पर नजर रखी जा रही है और समय–समय पर उसकी समीक्षा की जाती है।

(ज) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 मई, 1997 को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट को लागू करने के लिए तंत्र विकसित करने हेतु आयोग में बैठकें की गयी थीं। की गयी सिफारिशों को नई औद्योगिक नीति के रूप में सम्मिलित किया गया जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। नई औद्योगिक नीति से बेरोजगारी दूर होने और विद्रोही ग्रुपों के राष्ट्रीय मुख्य धारा में आने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के क्रियान्वयन की गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा सतत पुनरीक्षा की जाती है।

जम्मू और कश्मीर के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। विगत में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 12 हजार से अधिक युवकों को रोजगार मिला है। जम्मू और कश्मीर के युवकों के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोत्तरी की गई है। सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट क्षेत्र के शिखर निकायों जैसे सी. आई. आई. और एफ. आई. सी. सी. आई. से अनुरोध किया गया है कि वे जम्मू और कश्मीर के युवकों को प्राइवेट क्षेत्र में वरीयता के आधार पर रोजगार दें।

आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

***229. श्री ए. वैंकटेश नायक :**

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998 के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी–कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार इन वस्तुओं की वास्तविक मांग कितनी थी और प्रत्येक राज्य को इनका कितनी–कितनी मात्रा में आबंटन किया गया;

(ग) क्या राज्यों से इन वस्तुओं का कोटा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को इन वस्तुओं की अलग–अलग कितनी मात्रा जारी की गई;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार इन वस्तुओं की मांग/खपत कितनी रही;

(छ) क्या खाद्यान्नों के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों को गत 6 मास के दौरान इन वस्तुओं की आपूर्ति से वंचित रखा गया है; और

(ज) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1998 के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तैल और मिट्टी के तेल की आबंटित मात्रा और वास्तविक उठान का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। सब्सिडीप्राप्त इन जिंसों की मांग सामान्यतया अधिक होती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनका कोटा बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त होते हैं। उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें शामिल भारी सब्सिडी की बाधाओं के कारण ऐसी मांग को पूरा करना हमेशा संभव नहीं होता है।

(ङ) 1998 के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को रिलीज की गई इन जिन्सों की राज्य–वार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन जिंसों के राज्य–वार आबंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण–III, IV और V में दिया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1998 में वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और चीनी के राज्य–वार आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	172.20	98.97	2296.40	1630.92	347.19		32.00	36.42	561.63	558.28
अरुणाचल प्रदेश	6.00	3.04	109.20	78.67	4.63		–	–	9.54	9.11
असम	363.60	171.03	645.00	453.01	117.39		–	–	225.70	22.71
बिहार	831.04	558.00	507.36	192.96	449.10		0.80	0.06	678.23	671.56
गोवा	33.72	27.23	75.96	51.10	6.26		3.50	1.92	23.57	23.52
गुजरात	564.00	347.06	326.00	182.55	215.92		23.00	20.48	709.94	712.42
हरियाणा	186.60	84.71	–	–	86.17		0.40	–	141.60	141.48
हिमाचल प्रदेश	136.92	108.29	142.98	87.70	26.75		1.60	0.69	51.13	51.87
जम्मू और कश्मीर	364.56	117.22	386.52	226.22	44.86		0.50	0.17	79.00	81.39
कर्नाटक	315.00	238.59	940.00	723.97	235.64		8.00	7.48	440.08	439.53
केरल	182.64	402.57	1783.84	1337.36	148.52		–	–	248.68	248.41
मध्य प्रदेश	518.88	258.71	417.20	248.62	345.92		–	–	527.02	525.05
महाराष्ट्र	1268.16	900.42	692.48	516.26	411.86		27.00	34.81	1314.96	1313.19
मणिपुर	32.60	25.87	120.20	40.82	10.10		1.60	0.58	19.07	18.84
मेघालय	29.52	23.08	209.60	146.24	9.45		0.40	0.05	27.57	17.39
मिजोरम	24.06	19.04	125.04	102.50	3.82		0.27	0.05	6.94	6.89
नागालैंड	44.06	36.31	125.80	95.92	7.13		2.40	1.62	11.97	12.13
उड़ीसा	414.00	321.74	610.48	485.99	164.46		10.50	7.34	247.39	238.37
पंजाब	61.56	7.24	11.52	1.53	107.49		–	–	285.13	285.77
राजस्थान	775.44	368.59	51.36	3.98	230.79		2.00	0.32	352.63	349.80
सिक्किम	10.68	7.07	87.72	47.19	2.09		0.88	0.67	6.67	6.64
तमिलनाडु	390.00	200.63	1260.76	1024.20	291.86		4.00	5.15	596.01	583.94
त्रिपुरा	21.60	13.38	194.40	146.41	27.06		0.20	0.01	26.96	26.93
उत्तर प्रदेश	1299.04	775.00	587.40	346.41	719.36		6.70	1.76	1120.81	1115.98
पश्चिम बंगाल	1102.35	854.43	587.25	178.20	356.89		14.00	9.11	671.89	679.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. और नि. द्वीपसमूह	5.25	—	22.50	—	1.69		0.20	—	6.03	6.02
चंडीगढ़	21.60	3.34	3.60	2.01	4.85		—	—	18.11	15.96
दादरा और नगर हवेली	3.00	1.77	6.60	3.30	0.73		0.32	0.29	2.71	2.72
दमन और दीव	2.40	0.66	7.20	1.33	0.41		0.42	0.46	2.52	2.51
दिल्ली	703.59	465.48	154.68	81.40	147.25		6.06	5.15	206.53	192.67
लक्षद्वीप	0.12	0.17	1.59	2.93	0.49		0.29	0.24	0.78	0.41
पांडिचेरी	9.00	0.08	26.00	0.60	5.46		4.00	2.41	12.82	12.53
जोड़	10193.19	6439.72	12516.64	8440.30	4531.59		156.03	137.24	8623.80	8378.62

1. गेहूं और चावल के आबंटन की सूचना दिसम्बर, 1998 तक की है और उठान की सूचना अक्तूबर, 1998 तक की है।
2. चीनी के आबंटन की सूचना दिसम्बर, 1998 तक की है।
3. लेवी चीनी का उठान 100 प्रतिशत माना जाता है।
4. खाद्य तेलों के आबंटन और उठान की सूचना नवम्बर, 1998 तक की है।
5. मिट्टी के तेल के आबंटन और उठान की सूचना अक्तूबर, 1998 तक की है।

विवरण—II

1998 के दौरान बाढ़ राहत के लिए किए गए चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल के आबंटन का ब्यौरा

(मात्रा मी टन में)

राज्य के नाम	महीना	चावल	गेहूं	मिट्टी का तेल
आन्ध्र प्रदेश	नवम्बर, 98		—	3.891
असम	अप्रैल, 98	20,000	—	—
	अक्तूबर, 98	25,000	—	—
बिहार	सितम्बर, 98	—	50,000	—
	नवम्बर, 98		20,000	—
गुजरात	जून, 98	—	—	15.564
मेघालय	अक्तूबर, 98	2,000	—	—
उत्तर प्रदेश	अगस्त, 98	25,000	30,000	—
	सितम्बर, 98	—	—	7.782
पश्चिम बंगाल	सितम्बर, 98	10,000	—	—
	अक्तूबर, 98	10,000	—	3,891
	नवम्बर, 98	10.000	—	—
पांडिचेरी	नवम्बर, 98	1,000	—	—
	दिसम्बर, 98	1,000	—	—

विवरण–III

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1995 में वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और चीनी के राज्यवार आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान*	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	192.00	109.90	2600.00	2322.21	312.41		52.60	36.81	612.39	610.20
अरुणाचल प्रदेश	7.20	8.80	106.20	89.60	4.00		—	0.03	9.57	9.75
असम	360.00	357.00	535.30	410.40	119.89		0.90	0.67	253.65	257.19
बिहार	705.60	197.50	381.60	19.70	414.07		—	—	596.22	595.91
गोवा	42.40	19.60	69.00	42.20	6.28		3.50	3.59	27.30	28.55
गुजरात	814.00	426.50	414.00	202.20	202.06		44.89	46.55	814.95	817.03
हरियाणा	212.92	52.70	51.56	7.20	79.68		0.20	0.02	156.83	157.96
हिमाचल प्रदेश	144.00	109.20	138.80	43.90	24.21		1.50	1.54	41.79	42.14
जम्मू और कश्मीर	360.0	113.30	528.00	238.90	33.45		0.50	0.34	82.66	91.25
कर्नाटक	350.0	232.50	1443.12	896.10	221.56		9.00	9.62	462.15	471.89
केरल	540.00	499.00	1800.00	1148.60	148.04		1.50	1.56	273.69	280.67
मध्य प्रदेश	583.92	139.70	582.72	193.40	312.49		2.50	—	469.44	470.56
महाराष्ट्र	1100.00	602.80	858.00	316.40	373.04		27.50	12.13	1535.07	1521.41
मणिपुर	32.40	31.50	120.00	29.00	9.06		0.20	0.16	21.21	21.94
मेघालय	26.50	28.30	166.00	156.40	8.38		0.20	0.07	16.23	16.33
मिजोरम	24.00	24.50	95.60	95.23	3.58		0.90	0.46	6.33	6.58
नागालैंड	24.40	34.50	77.00	67.40	5.50		4.10	2.81	10.59	11.52
उड़ीसा	420.00	200.80	707.50	325.50	154.52		12.00	4.45	206.78	208.59
पंजाब	158.00	2.90	16.20	1.00	99.05		—	—	335.67	335.42
राजस्थान	1453.92	484.00	52.00	8.80	211.73		0.30	—	321.96	319.15
सिक्किम	12.00	10.00	57.60	44.90	2.07		0.72	0.63	7.65	7.66
तमिलनाडु	305.00	147.70	1455.00	1402.82	280.83		6.00	5.67	673.59	674.56
त्रिपुरा	21.60	8.20	194.40	160.80	12.80		0.50	0.06	22.92	22.92
उत्तर प्रदेश	1185.60	225.70	549.60	208.40	659.30		—	—	1062.49	1058.45
पश्चिम बंगाल	1098.60	845.20	868.00	464.80	324.16		19.00	16.25	754.14	758.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ. और नि. द्वीपसमूह	9.00	6.93	30.00	24.30	3.07		0.15	0.06	4.65	4.52
चंडीगढ़	21.60	0.20	3.60	1.10	4.93		0.10	—	21.06	19.54
दादर और नगर हवेली	2.60	2.21	6.00	3.61	0.63		0.48	0.48	3.12	3.12
दमन और दीव	2.00	—	6.40	4.00	0.49		0.81	0.60	2.99	2.73
दिल्ली	860.00	159.90	240.00	26.40	124.26		3.01	2.96	244.18	244.41
लक्षद्वीप	0.50	—	6.30	4.50	0.86		0.24	0.24	0.85	0.21
पांडिचेरी	9.00	—	24.00	2.10	4.25		4.70	3.53	14.97	14.45
जोड़	1088.76	5081.01	14183.50	8962.97	4160.68		198.00	151.31	9067.06	9085.35

*लेवी चीनी का 100% उठान होने का अनुमान है।

विवरण–IV

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1996 में वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और चीनी के राज्य–वार आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

आंकड़े हजार टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान*	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	180.00	116.60	2520.00	1927.50	354.64		63.00	46.30	636.21	640.57
अरुणाचल प्रदेश	7.20	5.20	105.20	94.60	4.64		—	—	11.01	11.07
असम	355.50	337.50	621.60	489.80	120.98		1.30	0.47	258.03	259.88
बिहार	702.70	399.70	384.50	27.10	461.09		0.90	—	642.82	641.60
गोवा	37.20	30.40	90.00	57.00	6.34		4.00	3.05	27.73	28.27
गुजरात	670.00	595.10	369.50	270.60	213.76		42.00	41.16	824.01	829.29
हरियाणा	207.60	111.60	54.00	19.50	86.11		—	0.26	159.62	160.38
हिमाचल प्रदेश	140.00	105.60	116.80	77.10	26.18		1.80	0.96	54.52	52.40
जम्मू और कश्मीर	360.00	136.40	528.00	302.20	46.25		0.90	0.48	89.80	84.29
कर्नाटक	356.00	264.50	1447.12	1050.90	240.00		9.50	9.51	506.46	505.52
केरल	597.00	569.30	1823.00	1418.70	150.75		2.00	0.97	290.19	293.72
मध्य प्रदेश	576.60	348.00	561.80	265.10	353.44		—	—	513.20	514.79
महाराष्ट्र	960.00	803.60	858.00	522.70	407.35		35.00	35.20	1546.35	1545.91
मणिपुर	32.40	28.40	120.00	49.20	10.37		2.80	1.44	21.82	21.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मेघालय	29.50	28.60	184.00	174.00	9.65		0.90	0.20	19.18	19.07
मिजोरम	23.80	23.40	96.02	82.20	3.97		1.80	0.48	7.65	7.31
नागालैंड	10.20	10.60	78.20	87.40	7.02		3.60	2.34	13.05	13.06
उड़ीसा	416.00	374.10	927.00	515.40	169.11		9.00	4.00	229.38	227.26
पंजाब	125.00	40.24	18.00	2.90	109.87		—	—	335.13	334.45
राजस्थान	1444.10	951.50	59.00	14.30	235.80		0.45	—	351.51	347.67
सिक्किम	12.20	12.60	58.60	54.30	2.21		0.99	0.61	8.42	8.44
तमिलनाडु	300.30	213.00	1843.50	1924.80	296.09		9.00	6.44	686.42	684.39
त्रिपुरा	21.60	14.10	194.40	136.50	15.01		0.90	0.06	28.98	27.42
उत्तर प्रदेश	1120.40	664.30	549.60	324.10	743.14		—	—	1138.55	1145.22
पश्चिम बंगाल	1031.00	879.30	790.00	489.20	364.75		20.00	18.46	765.17	764.71
अ. और नि. द्वीपसमूह	9.00	7.24	30.00	25.02	3.53		0.26	0.03	4.82	4.80
चंडीगढ़	21.60	4.60	3.60	1.70	5.01		—	—	37.18	19.75
दादरा और नगर हवेली	3.00	2.95	6.00	4.40	0.76		0.72	0.49	3.14	3.09
दमन और दीव	2.40	0.66	7.20	2.78	0.51		1.06	0.52	3.02	2.71
दिल्ली	760.00	429.20	240.00	88.50	149.67		3.70	2.56	243.06	242.71
लक्षद्वीप	0.50	—	6.30	6.40	1.04		0.36	0.23	0.89	0.19
पांडिचेरी	8.53	2.57	20.70	7.55	5.83		4.50	3.28	15.13	14.49
जोड़	10521.28	7510.85	14711.64	10513.44	4604.89		220.47	179.48	9472.53	9456.32

*लेवी चीनी का 100% उठान हुआ माना जाता है।

विवरण-V

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1997 मे वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और चीनी के राज्यवाद आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

आंकड़े हजार टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूँ		चावल		चीनी		खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान*	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	156.20	120.32	2337.90	2000.18	348.80		28.00	10.09	645.10	609.81
अरुणाचल प्रदेश	5.91	4.31	110.35	91.95	4.60		—	—	9.90	10.07
असम	322.18	237.62	615.86	442.49	117.13		—	0.01	262.02	266.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	769.44	495.01	463.46	112.53	450.47		0.30	—	671.37	668.14
गोवा	33.17	27.18	80.31	49.29	6.26		2.00	1.01	27.90	28.16
गुजरात	736.05	543.16	359.00	203.45	215.94		27.00	8.00	843.69	847.55
हरियाणा	166.52	104.18	14.00	8.70	86.28		—	—	163.26	163.22
हिमाचल प्रदेश	134.15	118.73	134.40	83.86	26.31		0.80	0.70	58.58	57.82
जम्मू और कश्मीर	282.18	170.60	466.12	351.01	45.02		0.40	—	88.08	92.45
कर्नाटक	260.00	240.18	1169.30	919.60	235.02		12.50	4.95	509.50	509.04
केरल	371.38	353.73	1865.40	1645.65	136.16		—	—	289.43	286.21
मध्य प्रदेश	618.93	345.07	555.45	309.13	346.05		—	—	526.67	526.48
महाराष्ट्र	1149.76	935.64	732.28	563.91	411.81		34.00	20.69	1554.57	1549.64
मणिपुर	25.66	27.56	101.40	50.67	10.04		0.80	1.15	22.53	21.65
मेघालय	26.66	26.52	198.40	157.84	9.44		—	0.04	20.13	20.43
मिजोरम	16.76	15.78	98.95	89.53	3.84		0.80	0.14	7.86	7.68
नागालैंड	16.74	16.66	98.77	88.40	6.95		1.60	0.69	13.71	13.71
उड़ीसा	340.00	245.19	888.78	568.65	164.41		5.80	1.54	236.57	237.94
पंजाब	122.91	38.36	14.22	1.22	107.65		—	—	335.85	334.37
राजस्थान	1052.91	674.24	54.10	7.91	230.70		—	—	357.73	356.58
सिक्किम	4.81	3.56	71.35	93.98	2.16		0.88	0.51	7.92	7.92
तमिलनाडु	201.50	98.89	1557.02	1424.36	291.79		4.00	2.10	699.68	688.39
त्रिपुरा	17.96	15.06	167.33	155.10	14.80		—	0.04	31.23	30.69
उत्तर प्रदेश	1172.71	905.83	513.49	322.63	722.85		—	—	1166.37	1167.53
पश्चिम बंगाल	1195.45	886.94	583.50	417.51	356.90		20.50	2.50	779.67	779.22
अ. और नि. द्वीपसमूह	7.35	2.46	20.60	7.93	5.41		0.14	0.05	6.14	6.15
चंडीगढ़	17.58	7.27	2.94	2.22	4.11		—	—	21.54	18.72
दादरा और नगर हवेली	1.90	1.23	4.80	2.89	0.73		0.32	0.34	3.21	3.18
दमन और दीव	1.50	0.80	4.38	3.56	0.49		0.52	0.46	3.00	2.80
दिल्ली	661.48	561.47	195.63	112.63	147.40		2.62	1.82	245.16	241.75
लक्षद्वीप	0.86	0.98	13.14	3.78	1.00		0.40	0.13	0.86	0.67
पांडिचेरी	4.67	0.28	20.34	7.35	5.27		2.00	1.32	15.30	14.45
जोड़	9895.28	7224.81	13512.97	10297.91	4515.77		145.36	58.28	9624.73	9569.23

* लेवी चीनी का उठान 100 प्रतिशत हुआ माना जाता है।

केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना से छूट

*230. **श्री सुनील खां :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना से छूट देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या इन उपक्रमों ने किसी वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव किया है और उसे प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उपक्रमों को छूट न देने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, मैसर्स इंडियन पैट्रो कैमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स टेल्को लिमिटेड ने स्वयं ही पेंशन योजना का संचालन करने के उद्देश्य से छूट दिए जाने का अनुरोध किया है और सरकार के पास ऐसी वैकल्पिक पेंशन योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, सेवानिवृत्ति, अधिवार्षिता, मृत्यु आदि होने पर पेंशन की अदायगी का प्रावधान है। चूंकि आवेदक प्रतिष्ठानों द्वारा तैयार की गई पेंशन योजनाओं के उपबंध, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं अतः उन्हें छूट दे पाना संभव नहीं पाया गया है।

अपराध

*231. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार उन विभिन्न अपराधों, जिनके बारे में जानकारी मिली, का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार अपराधों की वृद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या इन अपराधों के लिए सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक जिम्मेदार हैं; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सूचित किए गए संज्ञेय अपराधों की घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर अपराध–दर (जनसंख्या के प्रति लाख पर मामले) निम्नानुसार थी :–

वर्ष	अपराध दर
1995	185.1
1996	183.4
1997	181.3

(ग) और (घ) अपराधों के लिए सामाजिक–आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों सहित, विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं। भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच–पड़ताल करने और पता लगाने के साथ–साथ अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान–प्रदान भी करती है और समय–समय पर उन्हें सलाह भेजती है।

विवरण

1995, 1996 और 1997 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सूचित संज्ञेय अपराधों की घटनाएं

		1995		1996		1997	
		घटनाएं	दर	घटनाएं	दर	घटनाएं	दर
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,05,016	146.4	1,09,759	150.6	1,14,963	155.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,907	198.6	1,927	194.6	1,776	185.7
3.	असम	36,494	148.3	36,490	145.3	36,562	142.8
4.	बिहार	1,15,598	121.8	1,17,017	120.8	1,17,481	118.8
5.	गोवा	3,545	279.1	2,798	215.2	2,895	217.7

1	2	3	4	5	6	
6. गुजरात	1,23,514	276.9	1,17,821	259.6	1,17,823	255.2
7. हरियाणा	33,823	187.2	33,516	181.9	31,981	170.2
8. हिमाचल प्रदेश	11,147	198.7	10,776	188.4	10,242	105.7
9. जम्मू व कश्मीर	15,018	176.5	17,478	201.1	17,192	194.0
10. कर्नाटक	1,20,334	250.4	1,14,475	234.9	1,14,863	232.5
11. केरल	87,262	282.3	86,141	275.0	92,523	291.0
12. मध्य प्रदेश	1,97,445	273.7	1,96,779	217.8	2,05,026	274.0
13. महाराष्ट्र	1,94,163	226.0	1,87,471	214.1	3,85,122	207.5
14. मणिपुर	2,596	127.9	2,573	123.7	2,974	139.6
15. मेघालय	1,773	90.5	1,863	92.7	1,978	94.2
16. मिजोरम	2,396	303.3	2,241	276.7	2,120	252.4
17. नागालैंड	1,395	100.4	1,378	96.4	1,477	98.5
18. उड़ीसा	50,995	148.8	50,619	45.2	49,843	140.5
19. पंजाब	11,145	51.6	13,922	63.5	15,069	67.8
20. राजस्थान	1,48,266	307.5	1,16,621	328.9	1,65,469	330.5
21. सिक्किम	633	134.7	710	147.9	623	124.6
22. तमिलनाडु	1,26,761	217.5	1,31,497	223.5	1,41,867	238.9
23. त्रिपुरा	3,731	122.3	3,630	116.3	3,444	108.0
24. उत्तर प्रदेश	1,77,992	118.6	1,72,480	113.0	1,92,779	98.5
25. पश्चिम बंगाल	69,413	94.7	69,118	92.9	65,481	86.7
कुल (राज्य)	16,42,362	181.9	16,44,100	179.1	16,51,593	176.9
संघ शासित क्षेत्र						
26. अ. और नि. द्वीप समूह	464	144.6	376	110.6	477	136.3
27. चंडीगढ़	2,032	260.5	2,048	252.8	2,181	259.6
28. दादरा और नगर हवेली	436	272.5	410	256.3	347	204.1
29. दमन और दीव	283	257.3	258	234.5	267	222.5
30. दिल्ली	47,686	434.7	59,871	527.0	60,883	517.7
31. लक्षद्वीप	31	51.7	44	73.3	26	43.3
32. पांडिचेरी	2,402	273.0	3,469	274.3	2,530	275.0
कुल (संघ शासित क्षेत्र)	53,334	401.3	65,476	476.6	66,711	469.1
कुल (समस्त भारत)	16,95,696	185.1	17,09,576	183.4	17,18,304	181.3

अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल

***232. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए अब तक कुल कितने होस्टलों की स्थापना की गई है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार ऐसे होस्टलों से राज्य–वार अनुसूचित जातियों की कुल कितनी लड़कियां लाभान्वित हुई;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ऐसे अनेक राज्यों में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के होस्टलों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत होस्टलों की कुल संख्या तथा अब तक इन होस्टलों द्वारा शामिल लाभग्राहियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य–वार होस्टलों और लाभग्राहियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	होस्टलों की संख्या	लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	763	74775
2.	असम	88	460
3.	बिहार	57	3970
4.	गुजरात	100	3882
5.	हरियाणा	7	49
6.	जम्मू और कश्मीर	9	291
7.	कर्नाटक	306	15347
8.	केरल	93	3633
9.	महाराष्ट्र	317	13528
10.	मध्य प्रदेश	454	18505
11.	मणिपुर	7	201
12.	उड़ीसा	219	4800
13.	पंजाब	19	317
14.	राजस्थान	22	680
15.	तमिलनाडु	333	18779
16.	त्रिपुरा	26	888
17.	उत्तर प्रदेश	50	1506

1	2	3	4
18.	पश्चिम बंगाल	90	3430
19.	हिमाचल प्रदेश	19	145
20.	सिक्किम	6	145
	कुल	2985	165331

नशामुक्ति केन्द्र

*233. **श्री नादेन्दला भास्कर राव :**

श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नशाखोरी का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किए गए;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों से नशा करने वाले लोगों के लिए नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने तथा उनके लिए कल्याण योजनाएं बनाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विभिन्न अध्ययन तथा रिपोर्टें समाज के कुछ संवेदनशील वर्ग में नशीली दवा दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को सूचित करती हैं, जिसमें बेसहारा बच्चे, वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ता, बेरोजगार युवक, परिवहन कामगार, गंदी बस्ती के निवासी, अफीम उगाने वाले, सीमा क्षेत्र आदि शामिल हैं।

(ख) मंत्रालय मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जो एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है जिसमें निवारक शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श तथा जागरूकता केन्द्र तथा नशा-मुक्ति-व-पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/अनुरक्षण, नशामुक्ति शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करने जैसे अनेक कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत व्यय के 90% की सीमा तक का सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान, सम्पूर्ण देश में 370 केन्द्रों के लिए 278 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया।

(ग) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान स्थापित नए नशामुक्ति केन्द्रों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :-

आन्ध्र प्रदेश	–	2
हरियाणा	–	4
जम्मू एवं कश्मीर	–	1
कर्नाटक	–	3
केरल	–	2
महाराष्ट्र	–	1
उड़ीसा	–	1
पांडिचेरी	–	1
	कुल	15

(घ) से (च) राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए नशामुक्ति व पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावों का राज्यवार विवरण जिनको वर्ष 1998-99 में विचारार्थ लिया गया था, निम्नलिखित है :-

1	2
आन्ध्र प्रदेश	5
असम	2
बिहार	15
गुजरात	3
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	9
केरल	2
महाराष्ट्र	23
मणिपुर	5
मध्य प्रदेश	1
मेघालय	3
मिजोरम	1

1	2
नागालैंड	3
उड़ीसा	18
पंजाब	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	8
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	31
पश्चिमी बंगाल	4
दिल्ली	2
कुल	145

इनमें से 59 प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। शेष प्रस्ताव आवश्यक कागजातों को पूर्ण करने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने आदि सहित प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त मेडिकल डिग्रियां

***234. श्री अभय सिंह एस. भोंसले :**

श्री विट्ठल तुपे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व सोवियत संघ के देशों से मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को डिग्रियों को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन छात्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त मेडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् को आवेदन किया है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् (एस. सी. आई.) ने इन डॉक्टरों को पंजीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन छात्रों का भविष्य क्या होगा जिनकी डिग्रियों को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (च) रूस और अन्य सी. आई. एस. देशों में 29 संस्थाओं की चिकित्सीय अर्हताएं मान्यता प्राप्त अर्हताएं हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की तृतीय अनुसूची के भाग–II में शामिल 29 संस्थाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। तथापि, दो संस्थाओं नामतः दागेस्तान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, रूस और अजरबेजान मेडिकल इंस्टीट्यूट, अजरबेजान द्वारा प्रदत्त एम. डी. (फिजीशियन) की चिकित्सीय अर्हता की मान्यता 31 दिसम्बर, 2005 तक सीमित कर दी गई है।

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने छह वर्ष का पूरा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है और पूर्ववर्ती यू. एस. एस. आर. में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एम. डी. (फिजीशियन) की डिग्री प्राप्त की है और जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के निर्णय के अनुसार पात्रता मानदंडों को भी पूरा करते हैं, वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 13(3) के उपबंधों के अनुसार भारतीय आयुविर्ज्ञान परिषद्/राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों में पंजीकरण कराने के पात्र हैं।

पूर्ववर्ती यू. एस. एस. आर. में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई एम. डी. (फिजीशियन) अर्हता को मान्यता देने के लिए अनुरोध भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में प्राप्त हुआ था :–

1. सारातोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सारातोव, रूस
2. किरगाडज़ स्टेट मेडिकल अकादमी, बिशकेक
3. नॉर्थ ओस्सेटियन स्टेट मेडिकल अकादमी, अलानिया
4. सेमिपालाटिन्स्क मेडिकल इंस्टीट्यूट
5. द एल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रूस
6. चेलियाबिंस्क स्टेट मेडिकल अकादमी, चेलियाबिंस्क

इन संस्थाओं की चिकित्सीय डिग्रियों को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए इन संस्थाओं के छात्र पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं।

ऐसे छात्रों, जिन्होंने पूर्ववर्ती यू. एस. एस. आर. में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एम. डी. (फिजीशियन) की अर्हता प्राप्त की है लेकिन जिनके प्रदेश के लिए अर्हक परीक्षा अर्थात् 10+2 में निर्धारित विषयों में न्यूनतम अंक नहीं थे, को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा पंजीकरण किए जाने हेतु पात्र नहीं समझा गया है।

उन छात्रों के मामले में, जिन्हें शुरू में किसी गैर मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश दिया गया था और बाद में माइग्रेट किया गया था और जिन्होंने पूर्ववर्ती यू. एस. एस. आर. में मान्यता प्राप्त चिकित्सीय संस्थाओं से डिग्री प्राप्त की थी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने निर्णय किया है कि वे पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

उन छात्रों ने, जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा पंजीकरण करने से इंकार किया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की हैं और यह मामला न्यायाधीन है।

यह भी प्रस्ताव है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम को संशोधित करके पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए विदेशी डिग्रियों के धारक सभी भारतीय राष्ट्रीकों के लिए जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) शुरू किया जाए।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर. में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची

क्रम सं.	पहला नाम	बदला हुआ नाम
1	2	3
1.	एम. डी. 'फिजीशियन' (पैटराइसलु लुम्बा फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (रशियन पीपल फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी)
2.	एम. डी. 'फिजीशियन' (फर्स्ट मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (दि मास्को मेडिकल एकेडमी ऑफ रशिया)
3.	एम. डी. 'फिजीशियन' (फर्स्ट लिनिनगार्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (सैंट पीटर्सबर्ग आई. पी. पावलो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी) यू. एस. एस. आर.
4.	एम. डी. 'फिजीशियन' (क्रिमीया मेडिकल इंस्टीट्यूट इन सिमफरोपॉल) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (दि क्रिमिया स्टेट मेडिकल इंस्टी.) यू. एस. एस. आर.
5.	एम. डी. 'फिजीशियन' (विटेबस्क मेडिकल इंस्टी.) यू. एस. एस. आर.	
6.	एम. डी. 'फिजीशियन' (वोलगोगार्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
7.	एम. डी. 'फिजीशियन' (रॉस्टोव मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (रॉस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी)
8.	एम. डी. 'फिजीशियन' (स्ट्रवपूल मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (स्ट्रवोपॉल मेडिकल एकेडमी)
9.	एम. डी. 'फिजीशियन' (कैलेनिन मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (इवर स्टेट मेडिकल इंस्टी.) यू. एस. एस. आर.
10.	एम. डी. 'फिजीशियन' (कुबन मेडिकल इंस्टीट्यूट इन क्रिसंदर) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (कुबन स्टेट मेडिकल एकेडमी)
11.	एम. डी. 'फिजीशियन' (इरकुतस्क मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
12.	एम. डी. 'फिजीशियन' (वोरोशाईलोवगा मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (दि लुगंनस्क मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.
13.	एम. डी. 'फिजीशियन' (डॉनस्टक मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
14.	एम. डी. 'फिजीशियन' (जापरेरजाई मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
15.	एम. डी. 'फिजीशियन' (लोवव मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
16.	एम. डी. 'फिजीशियन' (विनीतसा मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (विनीतसा स्टेट प्रिगोव मैमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी)
17.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ओडेसा मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ओडेसा प्रिगोवा मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.
18.	एम. डी. 'फिजीशियन' (मिंक मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
19.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (सैकिंड ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.

1	2	3
20.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ताजिक मेडिकल इंस्टीट्यूट इंन दुशाबा) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ताजिक स्टेट अबुली–इब्न–सिनो मेडिकल यूनिवर्सिटी) यू. एस. एस. आर.
21.	एम. डी. 'फिजीशियन' (अलमा–अट्टा मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (अल्मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट)
22.	एम. डी. 'फिजीशियन' (कारकोव मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
23.	एम. डी. 'फिजीशियन' (चेरवान मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
24.	*एम. डी. 'फिजीशियन' (अजरबेजान मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (अजरबेजान एन. नरिमानव मेडिकल यूनिवर्सिटी)
25.	एम. डी. 'फिजीशियन' (स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, केव) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ओ. बोगोमोलैट्स उरेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी)
26.	एम. डी. 'फिजीशियन' (सैकंड) (मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (ओ सैंकड मास्को स्टेट प्रिगोव मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.
27.	एम. डी. 'फिजीशियन' (लेनिनगाई सैंनेटरी हाइजेनिक इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	एम. डी. 'फिजीशियन' (सैंट पीटरसबर्ग) स्टेट मेडिकल एकेडमो (यू. एस. एस. आर.)
28.	एम. डी. 'फिजीशियन' (मास्को मेडिकल स्टेमैटोलाजिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	
29.	*एम. डी. 'फिजीशियन' (ड्रगस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट) यू. एस. एस. आर.	

टिप्पणी : * इन दो कालेंजों को 31.12.2005 तक मान्यता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

डीजल आयात पर विलंब शुल्क

***235. डॉ. सुशील इन्दौरा :**

श्री के. पैरी मोहन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तनों पर जगह की एवं भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण कच्चे तेल से लदे जहाजों को समुद्र में ही खड़े रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कारण से डीजल पर विलंब शुल्क वसूला जाता है;

(ग) यदि हां, तो किस दर से विलंब शुल्क लिया जाता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विलंब शुल्क के तौर पर कितनी राशि दी गई; और

(घ) स्टाक को रखने की जगह की व्यवस्था होने तक देश में डीजल से लदे जहाजों की आवाजाही को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति) : (क) से (घ) पैट्रोलियम उत्पादों का आयात मांग को पूरा करने के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाता है। आधारभूत सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप पत्तनों पर भीड़–भाड़ हो जाती है। विलम्ब शुल्क इस कारण से और खुले समुद्र में रोके रखे गए तैरते सामान के कारण देना पड़ता है।

विलम्ब शुल्क जहाज दर जहाज और मुद्रा विनिमय दर सहित प्रचलित बाजार परिस्थतियों के अनुसार भिन्न–भिन्न होता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों पर व्यय किये गये विलम्ब शुल्क की मात्रा निम्नानुसार है :

1995–96	–	369.3 करोड़ रुपये
1996–97	–	565.7 करोड रुपये
1997–98	–	448.0 करोड़ रुपये

डीजल के आयात की योजना रिफाइनरियों के संसाधन समयानुक्रम देश के भीतर मांग के प्रतिरूप और फ्लोटिंग टैंकरों सहित कार्यनीतिक सामान सूची स्तरों को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों में मिलावट

*236 **डा. सुगुण कुमारी चलामेला :**

श्री दादा बाबूराव परांजये :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काली मिर्च में पपीते के बीज, मिर्च में ईंट का चूरा तथा सरसों के बीज में आरजिमोन की मिलावट के अनेक मामलों के कारण उपभोक्ता धीरे-धीरे मर रहे हैं तथा अनेक तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस तरह के कितने मामले राज्यवार दर्ज किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मिलावटकर्ताओ के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए कानून को अधिक कठोर बनाने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1993 से 1997 के अनुसार काली मिर्च, मिर्च और सरसों के बीज सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की सामग्री सीमा 8 से 11 प्रतिशत के बीच पाई गई। मिलावटी सरसों के उपभोग से ड्राप्सी के कारण हाल ही में हुई मौतें षडयंत्र का एक असामान्य मामला है जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों को कड़ाई से लागू करके और संबद्ध गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करके नियंत्रित भी किया गया है।

1995, 1996 और 1997 के वर्षों के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के उपबंधों के अधीन जांचे गए, मिलावटी/गलत ब्रांड के पाए गए नमूनों की संख्या मिलावट की प्रतिशतता और चलाए गए मुकद्मों की संख्या के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) बदलती हुई जरूरतों और विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर) की चिंताओं को देखते हुए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को और अधिक कारगर बनाने के लिए उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। इस अधिनियम में मिलावट करने वालों के लिए पहले से ही संक्षिप्त विचारण और कड़े दंड की व्यदस्था है। प्रमाणित मिलावट के मामलों में, अधिनियम में छह महीने के कारावास के कम से कम दंड की व्यवस्था है, जिसे जुर्माने के साथ 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां ऐसी मिलावट मृत्यु अथवा ऐसी शारीरिक हानि होने का कारण पाई जाती है जो भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा 320 के अर्थ के भीतर घोर उपहति (गहरी चोट) के समान होगी, तो मिलावट करने वाले को दिए जा सकने वाले कारावास के दंड की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन उस कारावास को आजीवन कारावास के रूप में बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा।

विवरण

वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अधीन जांचे गए नमूनों अपमिश्रित/गलत ब्रांड वाले पाए गए, अपमिश्रण की प्रतिशतता और चलाए गए मुकदमों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांचे गए नमूने			अपमिश्रित पाए गए नमूने			अपमिश्रण की प्रतिशतता			चलाए गए मुकदमे		
	1995	1996@	1997@	1995	1996@	1997@	1995	1996@	1997@	1995	1996@	1997@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2. आंध्र प्रदेश	10564	10756	10734	881	739	748	8.3	6.87	6.96	188	231	243
3. अरुणाचल प्रदेश	74	114	87	11	21	20	14.8	18.42	22.98	3	6	4
4. असम	1234	1059	963	148	144	135	11.99	13.59	14.01	138	42	135
5. बिहार	2362	**	**	616	**	**	26.08	**	**	188	**	**
6. चंडीगढ़	315	436	371	42	33	46	13.3	7.56	12.39	123	147	183

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	दादरा व नगर हवेली	6	10	**	*	3	**	*	30%	**	**	3	**
8.	दमन व दीव	*	25	27	*	2	*	*	8%	*	*	*	*
9.	दिल्ली	555	594	**	82	124	**	14.77	20.87	**	64	110	**
10.	गोवा	456	260	320	34	37	15	7.46	14.2	4.68	22	19	18
11.	गुजरात	9813	9286	7891	690	561	643	7.03	6.04	8.15	596	588	559
12.	हरियाणा	3677	**	**	450	**	**	12.24	**	**	424	**	**
13.	हिमाचल प्रदेश	607	**	**	170	**	**	28%	**	**	113	**	**
14.	जम्मू व कश्मीर	558	812	**	107	136	**	19.17	16.74	**	74	82	**
15.	कर्नाटक	2190	**	**	104	**	**	4.7	**	**	24	**	**
16.	केरल	7809	**	5404	306	**	161	3.9	**	2.9	94	**	**
17.	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18.	मध्यप्रदेश	5208	**	**	978	**	**	18.78	**	**	961	**	**
19.	महाराष्ट्र	26117	27326	**	1644	1802	**	6.29	6.59	**	678	951	**
20.	मणिपुर	**	11	**	**	*	**	**	**	**	**	*	**
21.	मेघालय	199	196	286	8	8	20	4%	4.08	6.9	4	7	18
22.	मिजोरम	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23.	नागालैंड	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
24.	उड़ीसा	1261	694	**	266	142	**	21.09	20.4	**	208	114	**
25.	पांडिचेरी	474	219	**	25	15	**	5.27	6.84	**	13	15	**
26.	पंजाब	3609	**	**	333	**	**	9.2	**	**	252	**	**
27.	राजस्थान	2331	4201	160	502	1120	23	21.5	26.66	14.37	472	995	21
28.	सिक्किम	33	**	22	6	**	5	18%	**	22.7	6	**	5
29.	तमिलनाडु	11978	9274	7055	618	443	481	5.16	4.77	6.82	337	275	473
30.	त्रिपुरा	**	309	**	**	25	**	**	8.09	**	**	22	**
31.	उत्तर प्रदेश	10678	13854	11241	1229	2928	1772	11.5	21.13	15.7	1752	1772	865
32.	पं. बंगाल	1530	1700	1564	174	179	174	11.37	10.5	11.1	175	179	174
	कुल	103638	81136	46125	9424	8462	4243	9.09	10.42	9.19	6909	5558	2829

* शून्य

** अनुपलब्ध

@ वर्ष 1996 और 1997 के आंकड़े अस्थायी हैं और कुछ एक राज्यों को सूचित किए गए हैं।

जनसंख्या नियंत्रण

*237. **श्री दिलीप संघाणी :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है

(ख) क्या निरन्तर जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पिछली जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां असफल साबित हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी समुदायों के लिए उन उपायों के समरूप समान रूप से कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन–किन समुदायों को इन दिशा–निर्देशों के दायरे से बाहर रखा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) अल्पावधि में गर्भ निरोधन के अस्थाई और स्थाई तरीकों को उपयोग से अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए नागरिकों को प्रेरित करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। लम्बी अवधि में जनसंख्या को शिशु जीवन–रक्षा और मातृ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान देकर भी जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। तद्नुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम में शिशु जीवन रक्षा संबंधी जरूरतों मातृ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और गर्भनिरोधन संबंधी जरूरतों के लिए नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था है। सरकार की नीति इन सुविधाओं को बताए ढंग से उपयोग करने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के माध्यम से नागरिकों को प्रेरित करते समय इन सुविधाओं को नागरिकों को मित्रतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए जाने की रही है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जन्म दर को जो 1951–61 में प्रति हजार जनसंख्या पर 41.7 थी को कम करके 1997 में 27.2 करने, शिशु मृत्यु दर जो 1951–61 में 145 थी को कम करके 1997 में 71 करने और प्रजननता दर जो 1951 में 6 थी को कम करके 1994 में 3.5 करने में सफल रहा है। ये ठोस उपलब्धियां परिवार कल्याण की असफलता को नहीं दर्शाता है। यद्यपि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम की सभी योजनाएं सभी समुदायों के उपयोग के लिए हैं। सरकार ने किसी भी समुदाय अथवा नागरिकों के समूह को परिवार कल्याण कार्यक्रमों के दायरे से बाहर नहीं रखा है।

राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रारूप की आलोचना

*238. **श्री एस. एस. ओवेसी :**

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रक्त नीति का प्रारूप जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस नीति को कड़ी आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रक्त नीति के संबंध में विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को बिना किसी कठिनाई के रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) से (छ) राष्ट्रीय रक्त नीति का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे सभी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों, रक्त बैंकों, स्वैच्छिक रक्त बैंकों/संघों और विख्यात डाक्टरों इत्यादि को उनके विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित कर दिया गया है। इन अभिकरणों से प्राप्त की गई टिप्पणियों/विचारों के आधार पर इस नीति को अन्तिम रूप दिया जायेगा। राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रारूप का उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रव्यापी प्रणाली का विकास करने की योजना तैयार करना है जिससे सभी लोगों को भले ही उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर कोई भी हो, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला रक्त और उसके घटकों की पर्याप्त आपूर्ति आसानी से सुलभ हो सके। इस नीति का उद्देश्य व्यापक और समग्र प्रबंधन के दृष्टिकोण के माध्यम से रक्ताधान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रारूप का उद्देश्य रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाना है :–

(i) राष्ट्रीय रक्ताधान सेवाओं को स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाकर सुदृढ़ करना।

(ii) सभी रक्त केन्द्रों को रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(iii) रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करना।

(iv) रक्त घटकों के निर्माण के लिए सुविधाएं विकसित करना।

(v) प्लाजमा फ्रेक्शनेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना और उन्हें सुदृढ़ करना।

(vi) रक्त और रक्त उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण की सुनिश्चित करना।

(vii) रक्त निरापदता में सुधार लाने, रक्त की आपूर्ति में

कुशलता लाने के लिए रक्ताधान सेवाओं के प्रचालन पर अनुसंधान करना।

(viii) रक्ताधान सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन, मानीटरिंग और मूल्यांकन का विकास करना और उन्हें सुदृढ़ करना।

बहुत से विशेषज्ञों से टिप्पणियां और विचार प्राप्त हो गए हैं और कुछ विशेषज्ञों की टिप्पणियां और विचार अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। अब तक की प्राप्त टिप्पणियों से यह पाया गया है कि उनमें से बहुत बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की टिप्पणियों और विचार में कमोबेश समानुरूपता है और कुछ विशेषज्ञों ने अच्छे सुझाव भी दिए हैं जिन पर इसे अन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद उचित ध्यान देगी। तथापि, अब इस नीति पर कोई तीव्र आलोचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरत मंद व्यक्तियों को रक्त बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जाये, भारत सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त रक्त उत्पन्न करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे :

1. लोगों को स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण समय के दौरान उपयुक्त अन्तरालों पर तैयार किए गए टी.वी. स्पाटों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का एक अभियान चलाया गया है।

2. टाइम्स एफ. एम. चैनल के माध्यम से उनके संगीत कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए सन्देश प्रसारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की सहायता से फोल्डरों, पोस्टरों के रूप में स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के बारे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्प्रेषण के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण की तैयार शुदा (प्रोटोटाइप) सामग्री तैयार की है और उसे देशी भाषाओं में उपयोग और पुनः तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया है।

4. राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार) ने रक्त की मांग और उपलब्धता में अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से 50 चुनिन्दा शहरों में स्वैच्छिक रूप से रक्तदान की भावना उत्पन्न करने के लिए एक मार्गदर्शी कार्य परियोजना शुरू की है।

5. रक्त बैंकों को रक्तदाताओं का डेटाबेस बनाये रखने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें मान्यता देने और उनको पुरस्कारों, प्रमाण पत्रों, बैजों इत्यादि से सम्मानित करने के अतिरिक्त उन्हें नियमित रूप से सम्पर्क में रखा जा सके और आपात स्थिति में उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

6. हर वर्ष 'पहली अक्तूबर' का दिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन–साधारण को शिक्षित करने के विशेष अभियान चलाए जाते हैं और रक्त एकत्र करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के संदेश दूरदर्शन और रेडियो से प्रसारित किए जाते हैं। जिनमें स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपीलें जारी की जाती हैं। ये सन्देश समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं।

नकली दवाइयां

*239. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री नरेश पुगलीया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानी–मानी कंपनियों के नाम पर अनेक घटिया किस्म की जीवनरक्षक दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस अभिशाप पर काबू पाने में असफल रही है;

(ग) सरकार ने देश में नकली दवाइयों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विशेषकर राजधानी में नकली दवाइयों के सेवन से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ङ) नकली दवाइयां बनाने वालों एवं इनकी बिक्री करने वाले लोगों को दण्ड देने के लिए कानूनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए एवं बाजार में उचित मूल्य पर असली दवाइयों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से कारगर कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन अपने सामान्य नमूना लेने और निगरानी संबंधी कार्यकलापों के अंग के रूप में समय–समय पर नकली औषधों का पता लगा रहा है। राज्यों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1997–98 के दौरान परीक्षण किए गए 25547 नमूनों में से औषधों के 132 नमूने नकली पाए गए थे। नकली औषधों की प्रतिशतता 1997–98 के दौरान लिए गए औषधों के कुल नमूनों का 0.5 प्रतिशत बैठती है।

(ग) नकली औषधों का निर्माण बेईमान निर्माताओं द्वारा किया गया लाइसेंस के बिना और अवैध कार्यकलाप हैं। प्राप्त की गई सूचना के आधार पर औषध नियंत्रण प्राधिकारी पुलिस की सहायता से ऐसे संस्थापनों पर छापा मारती है।

प्रवर्तन कर्मचारियों की सहायता के लिए औषधों की सन्देहास्पद गुणवत्ता की परीक्षण खरीद करने के लिए राज्य नकली ग्राहक भेजते

हैं। औषध एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 के अन्तर्गत उपभोक्ता संघों को भी सन्देहास्पद नमूने लेने और उन्हें परीक्षण के लिए अनुमोदित प्रयोगशालाओं को भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्हें औषध एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 32 के अन्तर्गत न्यायालयों में शिकायतें दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट संघों को उपभोक्ताओं को औषधों को खरीदने और उन्हें लेने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' के संबंध में शिक्षित करने के लिए कहा गया है।

(घ) देश के लिए अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) राज्य सरकार अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अधिकार प्राप्त किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कतिपय अपराधों के समरी ट्रायल के लिए राज्य सरकारों को शक्ति देने के लिए 1982 में औषध एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में धारा 36 ए पूरी स्थापित की गई थी।

(ii) राज्यों को पुलिस की सहायता से नकली औषधों का पता लगाने के लिए विधि–राह–आसूचना कक्ष गठित करने का परामर्श दिया गया है।

(iii) विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र और राज्यों दोनों में औषध परीक्षण क्षमता बढ़ाने और प्रवर्तन कर्मचारियों को सुदृढ़ करने का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चिकित्सा सुविधाएं

***240. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे अर्से बाद भी सभी लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, प्रोत्साहक तथा उपचारी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में एक–व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया गया है जिसमें 136815 उपकेन्द्र, 22962 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2708 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का दायित्व है लेकिन इस नाजुक अन्तराल को भरने के लिए एड्स, कुष्ठ, क्षयरोग, मलेरिया, दृष्टिहीनता के कार्यक्रम तथा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को विदेशी सहायता जुटाई गई है।

इसके अतिरिक्त, छह राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता का लाभ उठाया गया है जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में और सुधार होगा।

अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण संबंधी मानदण्ड

2483. श्री एच. पी. सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य कौन–सी एजेंसी निर्धारित करती है और उसने क्या मानदंड अपनाए हैं; और

(ग) प्रत्येक तीन महीने या छः महीने के बाद प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई विशिष्ट योजना न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना, उनकी आपूर्ति और मांग में अंतर होना, वर्ष 1997–98 के दौरान कम उत्पादन होना तथा विपणन लागतें हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बाजार ताकतों द्वारा निर्धारित करते हैं और इन वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट एजेंसी नहीं है।

(ग) व्यावहारिक तथा प्रचालन संबंधी अन्य कठिनाइयों के कारण हर तीन महीने और छः महीने के बाद प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम तैयार करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

जम्मू कश्मीर में गैस एजेन्सियां

2484 श्री चमन लाल गुप्त : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू–कश्मीर में कुछ लोग असली लाइसेंसधारियों की बजाय छद्म नाम से गैस एजेन्सियां तथा पैट्रोल पम्प चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) जम्मू, प्रदेश, कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के इन जिलों के उन लोगों को रसोई गैस उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है जो उग्रवाद से ग्रस्त हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जम्मू कश्मीर में असली लाइसेंस धारियों की बजाय छद्म रूप से कोई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप चलाए जाने की सूचना नहीं है। तथापि, श्रीनगर में बी॰ पी॰ सी॰ की एक एल॰ पी॰ जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैसर्स चिनार गैस सर्विस, जो श्री सुनील राजदान के नाम से आबंटित है, वह फिलहाल श्री असलम धर द्वारा चलाई जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैसर्स चिनार गैस सर्विस के नाम से चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में कानून व व्यवस्था की समस्या के कारण श्री राजदान को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था और उन्हें श्री असलम धर के घर में शरण लेनी पड़ी, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के शोरूम के मालिक हैं। प्रतिहिंसा के डर से श्री राजदान ने श्री धर को डिस्ट्रीब्यूटरशिप की चाबियां सौंप दी और 5.6.90 को दिल्ली पलायन कर गए।

यद्यपि मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने श्री राजदान से अनुरोध किया है कि वह घाटी में पुनः लौटकर अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभाल लें, तथापि उन्होंने राज्य की अशांत स्थिति के मद्देनजर अपनी असमर्थता प्रकट की है। तथापि, जम्मू–कश्मीर और इसकी राजधानी श्रीनगर की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत कठिन होगा कि श्री असलम धर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चलाया जाना रोक दिया जाए।

(ग) गत विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा, जम्मू–कश्मीर के लिए वर्ष 1996–98 की एल॰ पी॰ जी॰ विपणन योजना में दो और एल॰ पी॰ जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स शामिल की गई है। मौजूदा नीति के अनुसार, राज्य में 2000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर एल॰ पी॰ जी॰ कनेक्शन तत्काल जारी कर दिए जाते हैं।

चण्डीगढ़ में निर्माण ध्वस्त करना

2485. श्री सत्य पाल जैन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने अक्तूबर, 1998 के दौरान किसी गांव में निर्माण ध्वस्त किए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। रायपुर कलां में कृषि भूमि पर निर्मित गैर–कानूनी ढांचों को हटाने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा 27 अक्तूबर, 1998 को निर्माण ध्वस्त करने संबंधी एक अभियान चलाया गया था।

(ग) और (घ) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को पंजाब न्यू कैपिटल (पेरिफैरी) कंट्रोल अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत अग्रिम नोटिस जारी किए गए थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिलाओं को वित्तीय सहायता

2486. श्री राजो सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बिहार को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त वित्तीय सहायता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 में विश्व बैंक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बिहार राज्य को वर्ष–वार क्रमशः 13.724 लाख रुपये, 5.956 लाख रुपये तथा 19.719 लाख रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों तथा केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट द्वारा प्रबोधन किया जाता है। उपयोग तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। प्रगति की समीक्षा विश्व बैंक तथा इस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नियमित अंतरालों में की जाती है।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

'चाइना क्ले काम्पलेक्स' के लिए प्राकृतिक गैस

2487. श्रीमती कमल रानी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'चाइना क्ले काम्पलेक्स' के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक गैस आंबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच. बी. जे. पाइपलाइन के आस-पास के उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए उपलब्ध प्राकृतिक गैस पहले से की गई प्रतिबद्धताओं से बहुत कम है।

[अनुवाद]

एल. पी. जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिप

2488. श्री राजवंशी महतो :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के घोघरडीहा, करमाघह, जामनगर, बेनीपट्टी और मधुबनी में एल. पी. जी. एजेन्सी खोलने के लिए एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के बारे में स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस प्रयोजन के लिए कब तक आवेदन पत्र आमंत्रित करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल कंपनियों ने एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें लगाने के लिए जून, 1998 में निम्नलिखित स्थानों का विज्ञापन दिया है :

1. घोघरडीला
2. करमाघह
3. जमहौर
4. बेनीपट्टी

पूर्व चम्पारन जिले में मधुबन के अव्यवहार्य बताया गया। मधुबनी जिले में जामनगर नाम से कोई स्थान नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुरुषों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

2489. श्री सुरेश बरपुडकर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के लिए स्थापित क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की तरह ही पुरुषों के लिए भी क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) के *तत्वाधान में सरकार द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का आयोजन बुनियादी शिल्पकार प्रशिक्षण प्रणाली के लिए संबंधित राज्य सरकारों/निजी* निकायों द्वारा एवं उच्च स्तर तथा अनुदेशात्मक कौशल के लिए केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है।

क्षेत्रीय व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण संस्थानों (आर वी टी आई) की स्थापना, बुनियादी, उच्च एवं अनुदेशात्मक कौशलों में चुनिंदा इंजीनियरी एवं गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए की गई है। इस तथ्य के मद्देनजर कि आम प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, विशिष्ट रूप में महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए इन संस्थानों की स्थापना की गई है।

धान की खरीद में शिथिलता

2490. श्री के. एस. राव :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में धान की फसल बेमौसमी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हरियाणा और पंजाब के मामले में क्षतिग्रस्त फसल की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को शिथिल किया है;

(घ) क्या क्रय एजेंसियों को आंध्र प्रदेश के किसानों से धान की फसल का पूरा स्टाक खरीदने के लिए कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या खरीद एजेंसियों द्वारा इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो क्या चालू सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक कितनी धान की खरीद की गई है और वह किस कीमत पर खरीदी गई ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) बेमौसमी बरसात के कारण धान/फसलों को हुई क्षति का अभी से पता लगाना संभव नहीं है।

(ग) चालू खरीफ विपणन मौसम 1998–99 के लिए आंध्र प्रदेश में सरकार ने धान की विनिर्दिष्टियों को शिथिल किया है। शिथिल विनिर्दिष्टियों के अधीन किसानों से ऐसी धान के स्टाक की वसूली की जा सकती है जिसमें (i) अधिकतम 8% की सीमा तक क्षतिग्रस्त, बदरंग, उगे हुए और घुन लगे अनाज हों; और (ii) अधिकतम 4% तक कच्चा, सिकुड़ा हुआ और 'शिविल्ड' अनाज हो।

(घ) से (च) भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि मूल्य समर्थन योजना के अधीन शिथिल विनिर्दिष्टियों के अनुसार धान की वसूली करे। किसानों तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहुंचाने और धान की मजबूरन बिक्री रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम के आंध्र प्रदेश में 124 क्रय केन्द्र स्थापित किए हैं।

(छ) चालू खरीफ विपणन मौसम 1998–99 में आंध्र प्रदेश में अभी तक धान की कोई वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि धान के बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् साधारण किस्म के लिए 440/– रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड 'ए' किस्म के लिए 470/– रुपये प्रति क्विंटल से अधिक चल रहे हैं।

घरेलू नौकर

2491. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों स्कूली बच्चों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन कर यह मांग की थी कि बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) कुछ क्षेत्रों से बालकों को घरेलू नौकरों के रूप में नियोजन को दण्डनीय अपराध करने की मांग की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों पर श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मामला उठाया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा सिक्किम सहित कुछ राज्यों ने अपने सेवा आचरण नियमों को संशोधित कर सरकारी कर्मचारियों को 14 वर्ष की आयु से कम किसी बालक को घर पर कार्य करने के लिए नियोजित करने पर रोक लगा दी है।

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध

2492. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के परियरम मेडिकम कॉलेज में वर्ष 1998–99 के लिए छात्रों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से इस प्रतिबंध को उठाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) से (घ) शिक्षण स्टॉफ की कमी को देखते हुए *मई, 1998 में इस महाविद्यालय में प्रवेश रोक दिए गए थे। फिर भी, बाद में राज्य सरकार से शिक्षण स्टॉफ को नियुक्ति संबंधी स्पष्टीकरण* मिलने पर 1998–99 के दौरान छात्रों के प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

सीमा पर लगाये गए खंभे

2493. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–बंगलादेश सीमा पर लगाये गये 33000 खंभों में से 13000 खंभे गायब हैं अथवा इनका दूसरे रूप में उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत–बंगलादेश सीमा पर बनाए गए सीमा स्तम्भों की कुल संख्या 33653 है। इनमें से 8762 स्तम्भ क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 6736 स्तम्भ या तो लापता हैं या पानी में डूब गए हैं। सीमा स्तम्भों का रख–रखाव एक सतत प्रक्रिया है और इस कार्य को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए घर

2494. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल शहर में गोविन्दपुरा में निर्मित मकानों का भोपाल गैस त्रासदी के बाद कैसे उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या उन मकानों को केन्द्रीय आरक्षी बल के कर्मियों द्वारा आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किस अधिकारी ने अनुभूति दी;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र में जिस प्रयोजन से इन मकानों का निर्माण किया गया था वह सिद्ध नहीं होगा;

(ङ) क्या गैस प्रभावित अनेक परिवारों के उन लोगों को नौकरी दे दी गई है जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया था; और

(च) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : *(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी के बाद भोपाल स्थित गोविन्दपुरा में कोई गृह विनिर्माण नहीं किया गया।*

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गोविन्दपुरा में विशेष औद्योगिक क्षेत्र में 152 कार्यशालाओं (वक्रशैड) का विनिर्माण किया गया था जिनमें से 12 कार्यशालाएं 11 स्थापित उद्योगों के अधिग्रहण में हैं और 32 कार्यशालाएं हस्तशिल्प विकास निगम के अधिग्रहण में हैं। 46 गैस पीड़ितों को 11 स्थापित उद्योगों द्वारा रोजगार मुहैया कराया गया है। हस्तशिल्प विकास निगम ने 3000 महिलाओं को पटसन में प्रशिक्षण दिया है। इन प्रशिक्षित महिलाओं की सात सोसाइटियां बनाई गई हैं और 175 महिलाएं इन सोसाइटियों के जरिए रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 275 प्रशिक्षित महिलाएं पटसन सेवा केन्द्र के साहचर्य से पटसन कार्य कर रही हैं। प्रशिक्षित 3000 महिलाओं में से 80 प्रतिशत महिलाएं गैस से प्रभावित क्षेत्रों से हैं।

[अनुवाद]

श्रमिकों हेतु प्रशिक्षण

2495. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभार्थ प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन श्रमिकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के प्रशिक्षण पर निम्नलिखित अनेक अभिकरण लगे हुए हैं।

1. श्रम मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय : यह एक शीर्षस्थ संगठन है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु उत्तरदायी है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत् नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में राज्य/निजी क्षेत्र के तहत् 4086 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों (संलग्न विवरण–I के अनुसार) का एक नेटवर्क कार्य कर रहा है जो 42 इंजीनियरिंग तथा 18 गैर–इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना है। योजना के तहत् चलाए जा रहे प्रशिक्षण *कार्यक्रम संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।*

व्यावसायिक प्रशिक्षण समवर्ती विषय होने के कारण केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही उत्तरदायित्व का वहन करती हैं। नीतियों, मानकों, नियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों इत्यादि का निर्धारिण करना केन्द्र सरकार का दायित्व है, जबकि, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश का दायित्व है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार में आता है।

2. ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय : यह मंत्रालय स्व–रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल उपलब्ध कराना है ताकि वे कृषि/अनुषंगी क्षेत्र, उद्योगों, सेवा एवं व्यवसाय संबंधी कार्य–कलापों जैसे व्यापक क्षेत्रों में स्व/वेतन रोजगार आरम्भ कर सकें। योजना का एक संघटक प्रशिक्षण संबंधी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है जिसके तहत् अपर्याप्त प्रशिक्षण संबंधी मूलभूत सुविधाओं वाले ब्लॉकों में विशिष्ट ट्राइसेम प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीटीसी) की स्थापना की जानी है। ये केन्द्र विशेष रूप से ट्राइसेम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए ही स्थापित किए गए हैं। 1995–96 में योजनाओं के आरम्भ होने से स्वीकृत किए गए ईटीटीसी की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

3. लघु उद्योग क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग : इस विभाग के तहत्, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, चेन्नई में चमड़े की वस्तुओं के निर्माण, डिंडीगल एवं अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) उप–केन्द्रों में ताले की असेम्बली के व्यवसायों में रत असंगठित श्रमिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है।

4. खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी), लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग : खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग देश भर में परंपरागत कामगारों/शिल्पकारों हेतु 45 प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है।

5. कपड़ा मंत्रालय : इस मंत्रालय के तहत्, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय देश भर में 24 केन्द्रों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा हथरकघा बुनकरों के कौशलों का उन्नयन करने हेतु 'बुनकरों का विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण' को कार्यन्वित कर रहा है।

उक्त कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित कार्मिक अपेक्षित कौशलों से लैस हो जाते हैं जिनसे उन्हें संगठित या असंगठित क्षेत्रों में लाभपद्र रोजगार पाने या स्व–रोजगार संबंधी प्रयत्नों में आसानी हो जाती है।

विवरण–I

5.11.1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीटों की क्षमता सहित सरकारी एवं गैर–सरकारी औ.प्र.संस्थानों/औ.प्र.केन्द्रों की क्षेत्रवार संख्या।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीटों की क्षमता (सरकारी)	गैर–सरकारी औ.प्र. संस्थानों की संख्या	सीटों की क्षमता (गैर–सरकारी)	कुल प्र.सं./ औ.प्र.केन्द्र	सीटों की कुल क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1.	हरियाणा	75	12849	22	1172	97	14021
2.	हिमाचल प्रदेश	34	3444	2	48	36	3492
3.	जम्मू एवं कश्मीर	36	5978	1	32	37	6010
4.	पंजाब	1103	13871	24	1204	127	15075
5.	राजस्थान	112	10236	46	2780	158	13016
6.	उत्तर प्रदेश	230	43300	84	6700	314	50000
7.	चण्डीगढ़	2	868	0	0	2	868
8.	दिल्ली	16	9204	37	1928	53	11132
	उप–योग	608	99750	216	13864	824	113614
दक्षिणी क्षेत्र							
1.	आन्ध्र प्रदेश	81	22328	500	91100	581	113428
2.	कर्नाटक	56	11226	233	20032	289	31258
3.	केरल	40	12284	431	38409	471	50693
4.	तमिलनाडु	52	17056	570	73958	622	91014
5.	लक्षदीप	1	96	0	0	1	96
6.	पाण्डिचेरी	7	1100	7	440	14	1540
	उप–योग	237	64090	1741	223939	1978	288029
पूर्वी क्षेत्र							
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	374	0	0	2	374
2.	असम	24	4488	2	48	26	4536
3.	बिहार	34	12560	14	3532	48	16092
4.	मणिपुर	6	648	0	0	6	648
5.	मेघालय	7	606	2	288	9	894

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मिजोरम	1	300	0	0	1	300
7.	नागालैंड	3	404	0	0	3	404
8.	उड़ीसा	24	6408	105	6982	129	13390
9.	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
10.	त्रिपुरा	7	996	0	0	7	996
11.	पश्चिम बंगाल	23	10602	35	2196	58	12798
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	198	0	0	1	198
	उप–योग	133	37724	158	13046	291	50770
पश्चिमी क्षेत्र							
1.	गोवा	10	2268	4	388	14	2656
2.	गुजरात	159	51048	79	648	238	58696
3.	मध्य प्रदेश	108	23822	65	048	173	30870
4.	महाराष्ट्र	301	66444	264	29048	565	95492
5.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
6.	दमन और दीव	2	349	0	0	2	349
	उप–योग	581	144159	412	44132	993	188291
	कुल–योग	1559	345723	2527	294981	4086	640704

विवरण-II

स्वीकृत किए गए विशिष्ट ट्राइसेस प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीटीसी) की राज्यवार संख्या

राज्यों के नाम	स्वीकृत किए गए विशिष्ट ट्राइसेम प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	91
असम	44
गुजरात	10
केरल	28
मध्य प्रदेश	99
महाराष्ट्र	30
मणिपुर	1
मेघालय	7
उड़ीसा	17
राजस्थान	79
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	21
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	1
कुल	441

[हिन्दी]

विधवाओं को रोजगार

2496. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री अमन कुमार नागरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवाओं को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से तुरंत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विधवाओं को तुरंत रोजगार उपलब्ध कराए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) सरकार ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के रोजगार चाहने वालों को 4 प्राथमिकता वर्गों, नामतः वर्ग I, वर्ग II (क), वर्ग II (ख) तथा वर्ग III में वर्गीकृत किया है। विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता III प्रदान की गई है तथा रोजगार कार्यालयों को उनके लिए अधिसूचित प्राथमिकता रिक्तियों के लिए तदनुसार नाम भेजने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार की सतर्कता शाखा के अधीन मामले

2497. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सुपर बाजार की सतर्कता शाखा द्वारा कितने मामले पंजीकृत किए गए;

(ख) इनमें से अब तक कितने मामले लम्बित हैं/कितने मामलों का निपटारा किया गया है;

(ग) बाकी मामलों का निपटारा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के तेजी से निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सुपर बाजार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान सुपर बाजार की सतर्कता विंग द्वारा शुरू किए गए सतर्कता मामलों की कुल संख्या 170 है।

(ख) लम्बित मामलों की वर्ग–वार स्थिति इस प्रकार है :–

(i) बड़ा दंड–6

(ii) छोटा दंड–शून्य

(iii) जिन पर जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है–9

(ग) मामलों को निपटाने में देरी, अनेक मामलों में गवाहों का उपलब्ध न होना है, जो बाहर के लोग हैं, पुराने रिकार्ड का उपलब्ध न होना तथा कुछेक मामलों में जांच अधिकारी का बीमार हो जाना आदि है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सभी लम्बित मामलों को तेजी से निपटा दिया जाएगा। तथापि, मामलों की एक महीने की अवधि के अंतराल में समीक्षा की जाती है।

(घ) इन अनुशासनात्मक मामलों की प्रत्येक महीने के अंत में मंत्रालय में समीक्षा की जाती है। मंत्रालय में तिमाही बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। सरकार द्वारा मामलों को तेजी से निपटाने के बारे में समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट मामलों पर भी विचार–विमर्श किया जाता है जहां कोई समस्या नजर आती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों को और तेज गति से निपटाया जा सके।

औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940

2498. श्री पद्मा नाव बेहेरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में वीक जिंजर, टिंक्चर बी. पी. टिंक्चर ऑफ ओरेंज, आई. पी. अशोक लिक्विड एक्ट्रेक्ट आई. पी. जैसे औषधि मिश्रणों को नशे के सस्ते माध्यम के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26–क में संशोधन और प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या 30 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल की मात्रा वाली औषधियों को अनुसूची–एच. या एक्स. के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ताकि औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1945 में संशोधन करके पंजीकृत चिकित्सक सिफारिश पर ही यह औषधियां उपलब्ध हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए गया कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) ऐसी घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26–क के अंतर्गत औषधों पर प्रतिबंध उनके हानिकाकर प्रभावों अथवा अयौक्तिकता के साक्ष्यों और विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर लगाया जाता है।

(ग) और (घ) मादक चिकित्सीय विरचनाएं स्वापक और साइकोट्रामिक औषधों जिनको ही अनुसूची 'एक्स' में समाविष्ट करने पर

विचार किया जा सकता है, की श्रेणी में नहीं आतीं। जहां तक 30 प्रतिशत से ज्यादा एल्कोहल वाली औषधों को अनुसूची 'एच' में सम्मिलित करने का संबंध है इस मामले पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व विशेषज्ञ निकायों अर्थात् औषध परामर्शदात्री समिति और औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।

रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियनों के संशोधित वेतन मान

2499. श्री गंगाराम कोली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशायल के अन्तर्गत कार्यरत रेडियोग्राफर/एक्स–रे तकनीशियनों के वेतनमान में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यरत ऐसे रेडियोग्राफरों/एक्स–रे तकनीशियनों की संख्या कितनी है और पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बारे में निर्धारित किए गए वेतनमान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को वेतनमान निर्धारित करने में हुई विसंगति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विसंगतियों को कब दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मंजूर किए गए रेडियोग्राफरों/एक्स–रे तकनीशियनों के 5 पद हैं जो 4500–150–125–7000 रुपये के संशोधित वेतनमान में नियत किए गए हैं। इस संबंध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) रेडियोग्राफर/एक्स–रे तकनीशयन/वेतनमान को संशोधित करके उसे 5000–8000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक विसंगति समिति गठित की गई है। उपर्युक्त मांग की जांच करने और विसंगति का पता लगाने के बाद यह मामला विसंगति समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा।

विवरण

रेडियोग्राफर/एक्स–रे तकनीशियन के पदों के लिए पांचवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान इस प्रकार हैं

क्रम सं.	मौजूदा पद नाम	वर्तमान वेतन मान (रुपये)	प्रस्तावित वेतनमान		
			संशोधन पूर्व रुपये	संशोधित रुपये	प्रस्तावित पद नाम
1.	रेडियोग्राफर तकनीशियन पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ–रेडियोग्राफर	–	2000–3500	6500–10500	रेडियाग्राफर–I
2.	रेडियोग्राफर तकनीशिन पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ–रेडियोग्राफर	1640–2900	1640–2900	5500–9000	रेडियोग्राफर–II
3.	रेडियोग्राफर	1350–2200	1600–2660	5000–8000	रेडियोग्राफर–III
4.	–	–	1400–2300	4500–7000	सहायक रेडियोग्राफर–I
5.	वरिष्ठ डार्क रूम सहायक तकनीशियन	1200–2040	1320–2040	4000–6000	सहायक रेडियोग्राफर–II
6.	डार्क रूम सहायक तकनीशियन सहायक (एक्स–रे)	950–1500	950–1500	3050–4590	सहायक रेडियोग्राफर–III

तमिलनाडु में लंबित योजनाएं

2500. डॉ. सरोजा वी. : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार की अनुसूचितों जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) इस मंत्रालय में तमिलनाडु सरकार की कोई योजना निर्णय लेने के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को शामिल किया जाना

2501. श्री भीम दाहाल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में अपेक्षित विधेयक लाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) जी हां, श्रीमान। पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक 1998, 8.12.98 को राज्य सभा में लाया गया था।

जम्मू और कश्मीर में हिंसा

2502. श्री उमर अब्दुल्ला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य विशेषकर कश्मीर घाटी में हिंसा के शिकार लोगों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में हिंसा के शिकार हुए लोगों की शिनाख्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996, 1997 और 1998 (30 नवम्बर, 1998 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी हिंसा में 3062 सिविलियनों की जानें गयीं।

पैट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी

2503. श्रीमती शीला गौतम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने एक प्रौद्योगिकी के संबंध में जानकारी विकसित की है जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करने में लघु क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त उत्पादों की प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण हेतु 'टर्न की' आधार पर हस्तांतरित कर दी गई है/संगठनों को/ उद्यमियों को दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद–वार ब्यौरा क्या है तथा इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इनके सफलतापूर्वक विकास तथा कार्यान्वयन के लिए उद्यमियों को संस्थान द्वारा क्या प्रोत्साहन, सुविधाएं दी गईं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जो कि पूंजी गहन हैं और लघु क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तथापि, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने निम्नांकित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिनके लिए लाइसेंस लघु क्षेत्र को दिया जाता है:

– प्रयुक्त आई सी इंजन क्रेककेश लुब्रीकेटिंग आयल का पुनर्शोधन

– एल आई/ए एल कम्पलेक्स ग्रीसे।

सिलिंडरों की कालाबाजारी

2504. डॉ. रवि मल्लू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फरीदाबार में विभिन्न कंपनियों के कितने एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर कार्यरत हैं;

(ख) क्या एल पी जी के अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर उपभोक्ताओं को उचित आपूर्ति बहाल नहीं रख रहे हैं तथा सिलिंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एल पी जी के डिस्ट्रीब्यूटरों के ऐसे कदाचार पर कोई नियंत्रण रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फरीदाबाद में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही किए जाने की विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :

(क) वर्तमान में फरीदाबाद में 26 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में हैं।

(ख) जी, नहीं। फरीदाबाद में एल पी जी सिलेन्डरों के किसी बकाया अथवा कालाबाजारी के संबंध में नहीं बताया गया है।

(ग) और (ङ) तेल कम्पनियों द्वारा तेल उद्योग मानकों/नीतियों के आधार पर एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवधिक रूप से निरीक्षण किए जाते हैं। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर पता चली किन्हीं विसंगतियों, कदाचारों/अनियमितताओं की स्थिति में एल पी जी विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, ग्राहकों/भावी ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की जांच–पड़ताल के आधार पर भी एल पी जी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

हाल में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद नगर में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर कदाचारों/अनियमितताओं के किसी प्रमाणित मामले का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

गुजरात में गन्ने का उत्पादन

2505. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से 1998 के बीच गुजरात में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गुजरात में मिल–वार पेराई मिलों की पेराई क्षमता कितनी है;

(ग) राज्य में 1999–2004 तक के लिए चीनी उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी चीनी मिलें खोली गई हैं और वे कहां–कहां पर खोली गई हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में नई–चीनी मिलें खोलने के संबंध में आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों को दिए जा रहे अनुदान सहायता में की जा रही वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) गुजरात राज्य में गन्ने का वर्ष–वार उत्पादन निम्नवत है :–

चीनी वर्ष (अक्तूबर–सितम्बर)	गन्ने का उत्पादन (मिलियन टनों में)
1993–94	10.23
1994–95	10.78
1995–96	10.51
1996–97	11.40
1997–98	11.15

(ख) गुजरात राज्य में स्थित चीनी मिलों की पिराई क्षमता दर्शानेवाला विवरण–I संलग्न है।

(ग) 1999–2004 तक के वर्षों के लिए गुजरात राज्य में चीनी के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) विगत पांच वर्षों यथा 1993–94 से 1997–98 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान उत्पादन आरम्भ करने वाली चीनी मिलों का ब्यौरा दर्शाने वाला वितरण–II संलग्न है।

(ङ) और (च) चीनी उद्योग 11.09.1998 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्यमी अब नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा विद्यमान फैक्ट्रियों में क्षमता विस्तार के लिए निवेश तथा प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(छ) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय चीनी मिलों को केवल विभिन्न गन्ना विकास योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। 30.9.98 को स्थिति के अनुसार, 590 चीनी मिलों को 637.72 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 353.97 करोड़ रु. चीनी मिलों को संवितरित कर दिए गए हैं।

गन्ने पर आधारित फसल पद्धति के निरन्तर विकास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन कृषि मंत्रालय पूर्व परिचित साधनों तथा ड्रिप संरचना की खरीद के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो निम्नवत है :–

(1) बैलों द्वारा लाया गया	– 50 प्रतिशत, बशर्ते 1500 रु. प्रति इकाई की सीमा तक हो।
(2) ट्रैक्टर द्वारा लाया गया	– 25 प्रतिशत, बशर्ते 10,000 रु. प्रति इकाई की सीमा तक हो।
(3) ड्रिप संरचना	– 25,000 रु. प्रति हैक्टेयर की कुल लागत का 90 प्रतिशत छोटे तथा सीमान्त किसानों, अ. जा./अ. जनजाति तथा महिला किसानों के लिए।
	– 25,000 रु. प्रति हैक्टेयर की कुल लागत का 70 प्रतिशत अन्य किसानों के लिए।

विवरण-I

गुजरात राज्य में चीनी मिलों की पेराई क्षमता दर्शाने वाला विवरण

(30.9.98को)

क्रम संख्या	फैक्ट्री का नाम तथा स्थान	क्षेत्र	प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता (टनों में)
1	2	3	4
गुजरात			
1.	श्री खादुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., सरदार बाग, बारदोली, जिला सूरत।	सहकारी	7000
2.	श्री मादी विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि. डाकघर मादी, जिला सूरत।	सहकारी	5000
3.	श्री चलथान विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., चलथान, जिला सूरत।	सहकारी	5000
4.	श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., सयान, जिला सूरत।	सहकारी	3500
5.	श्री महुवा प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., जरबाबरा, जिला सूरत।	सहकारी	3500
6.	श्री उकाय प्रवेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., स्थान और डाकघर पनियारी, जिल सूरत।	सहकारी	2500
7.	श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., स्थान कोसाम्बका, तह. मंगरूल, जिला सूरत।	सहकारी	2500
8.	दि सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., गनदेवी वाया बिलीमोरा, जिला वलसाड।	सहकारी	3500
9.	श्री मारोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., कल्याणनगर, डाकघर मारोली, जिला वलसाड।	सहकारी	2500
10.	श्री वलसाड सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., पारनेरा परपी, जिला वलसाड।	सहकारी	2500
11.	श्री विलेश्वर खांड उद्योग खेदुत सहकारी मंडली लि., कोडीनार, जिला अमेरली।	सहकारी	2600
12.	श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., ऊना (सोराठ), जिला जूनागढ़।	सहकारी	1250

1	2	3	4
13.	श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., डाकघर तलाला, जिला जूनागढ़ (गीर)।	सहकारी	1250
14.	श्री कामरेज विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., कामरेज, जिला सूरत।	सहकारी	2500
15.	चरोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., गांव पलाज, तालुका पेटलाड, जिला कैरा।	सहकारी	1250
16.	श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., डिसाड़ तालुका वालिया, जिला भारूच (वटारिया)	सहकारी	2500
17.	श्री रेवा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., स्थान और डाकघर अमोड, तालुका अमोड, जिला भारूच।	सहकारी	2500
18.	श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., धारीखेडा, तालुका नान्देड़, जिला भारूच।	सहकारी	2500
19.	श्री वालोड प्रदेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., स्थान वीरपुर, तालुका वालोड, जिला सूरत।	सहकारी	2500
20.	सरदार वल्लभभाई पाटेल खांड उद्योग कोप. सोसायटीज लि., डाकघर धोराजी, जिला राजकोट।	सहकारी	1250

विवरण–II

पिछले पांच चीनी वर्षों यथा 1993–94 से 1997–98 (अक्तूबर–सितम्बर) में उत्पादन आरम्भ करने वाली चीनी मिलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

चीनी फैक्ट्री का नाम तथा स्थान	क्षेत्र	प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता (टनों में)
1	2	3
1993-94		
शून्य		
1994-95		
शून्य		
1995-96		
श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., कोसाम्बा, जिला सूरत	सहकारी	2500

1	2	3
1996-97		
श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., धारीखेड, जिला भारूच	सहकारी	2500
1997-98		
श्री वालोड प्रदेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., दादीरिया (वीरपुर), जिला सूरत	सहकारी	2500

गरीब व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र

2506. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में श्रवण शक्ति अभियानों का आयोजन करके गरीब लोगों को श्रवण यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसा अभियान शुरू करने हेतु निदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह अभियान कब तक शुरू किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र तथा उपकरणों की खरीद/लगाने की योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत देश भर की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से श्रवण सहायक यंत्र सहित जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न किस्म के सहायक यंत्र/उपकरण दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

श्रमिकों का व्यावसायिक वर्गीकरण

2507. डॉ. रामचन्द्र डोम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों का व्यावसायिक ढांचा 2000 ई. में क्या होगा;

(ख) क्या 1961 की स्थिति की तुलना में श्रमिकों के वर्गीकरण में कोई आधारभूत परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) 1961 की जनगणना के अनुसार कामगारों का व्यावसायिक पैटर्न विवरण–I के रूप में संलग्न है। परंतु, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण परिणामों पर आधारित व्यावसायिक विभाजन द्वारा 1977–78 से 1993–94 तक कामगारों के वितरण के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं तथा विवरण–II के रूप में संलग्न हैं। सन् 2000 के लिए प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-I

खेती के अलावा कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक वर्गीकरण, 1961

व्यावसायिक विभाजन (एनसीओ–58)	शीर्षक	कुल का प्रतिशत
1	2	3
विभाजन 0	वृत्तिक, तकनीकी तथा संबद्ध कामगार	5.6
विभाजन 1	प्रशासनिक, अधिशासी तथा प्रबंधकीय कामगार	3.1
विभाजन 2	लिपिकीय तथा संबद्ध कामगार	5.6
विभाजन 3	बिक्री कामगार	12.0

1	2	3
विभाजन 4	किसान, मछुआरे, शिकारी, कबाड़िये तथा संबद्ध कामगार	11.2
विभाजन 5	खनिक, खदान मजदूर तथा संबद्ध कामगार	1.2
विभाजन 6	परिवहन तथा संचार व्यवसाय के कामगार	3.3
विभाजन 7–8	शिल्पकार, उत्पादन प्रक्रिया कामगार तथा वह कामगार जो कहीं वर्गीकृत नहीं हैं।	47.6
विभाजन 9	सेवा, खेल तथा मनोरंजन कामगार	9.7
विभाजन 10	वह कामगार जो व्यवसाय द्वारा वर्गीकृत नहीं हैं	0.7
कुल	सभी विभाजन	100

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय

विवरण-II

व्यावसायिक विभाजन द्वारा कार्य बल का वितरण

अखिल भारत

व्यावसायिक	ग्रामीण				शहरी			
विभाजन (एनसीओ–68)	1977–78	1983	1987–88	1993–94	1977–78	1983	1987–88	1993–94
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 वृत्तिक, तकनीकी तथा संबद्ध कामगार	1.5	2.1	1.7	2.3	7.3	8.2	8.0	9.0
2 प्रशासनिक अधिशासी तथा प्रबंधकीय कामगार	0.3	0.4	0.7	0.9	3.0	4.0	5.0	5.9
3 लिपिकीय तथा संबद्ध कामगार	0.9	1.2	1.3	1.4	10.2	9.9	10.2	9.7
4 बिक्री कामगार	3.1	3.3	3.9	4.2	16.3	15.8	16.8	17.0
5 सेवा कामगार	2.5	2.4	2.3	2.0	11.0	10.4	9.9	9.2
6. किसान, मछुआरे तथा संबद्ध कामगार	82.4	79.8	75.1	76.7	13.7	12.7	10.7	10.7
7–8–9 उत्पादन तथा संबद्ध कामगार, परिवहन उपकरण संचालक तथा श्रमिक	9.3	10.8	12.7	12.4	38.5	39.1	38.5	38.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
* कामगार, जो व्यवसाय द्वारा वर्गीकृत नहीं हैं	–	–	2.4	–	–	–	0.8	–
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

आंकड़े व्यक्तियों की मूल सामान्य स्थिति से संबंधित हैं।
कार्यबल में नियमित लाभकारी गतिविधि से संबद्ध व्यक्ति समाविष्ट हैं।
पूर्णांकित करने के कारण योग मेल नहीं खा सकते।
स्रोत : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 32 वां, 38 वां, 43 वां, तथा 50 वां राऊंड।

पाकिस्तान से आतंकवादियों को भारत को सौंपने संबंधी मांग

2508. श्री तारिक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान से वहां छिपे या संरक्षण प्राप्त कर रहे कुख्यात आतंकवादियों तथा अपराध जगत के सरगनाओं को भारत को सौंप देने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तथापि, भारत–पाकिस्तान की संयुक्त बातचीत के एक भाग के रूप में दोनों देशों के बीच 'आतंकवाद और नशीली औषधियों का अवैध व्यापार' पर भविष्य में गृह आंतरिक सचिव स्तरीय वार्ताओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

जिन्सों की कालाबाजारी/जमाखोरी

2509. श्री मित्रसेन यादव :

श्री विट्ठल तुपे :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

श्री शैलेन्द्र कुमार :

श्री जोगेन्द्र कवाडे :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामलों के मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं में मिलावट करने, जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परिसरों/गोदामों में छापे के दौरान पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्षों के दौरान तथा आज तक राज्य–वार ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है;

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने जमाखोरी और काला–बाजारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई बैठक बुलाई है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ज) आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हैं। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी करने तथा प्रवर्तन की कार्रवाई करने के लिए अधिकांश शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य सरकारों को चोर–बजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम, 1980 के तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वर्ष, 1997 और 1998 के दौरान इन दो अधिनियमों के तहत की गई कार्रवाई के बारे में उनसे प्राप्त सूचना संलग्न विवरण–I, II, और III में दी गई है। खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री जी ने 16.7.98 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे इन अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 27.11.98 को मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अन्य बातों के अलावा, इन दो अधिनियमों के तहत प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने का भी अनुरोध किया गया।

विवरण–I

वर्ष 1997 के दौरान 1.1.97 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रु. में)	निम्न अवधि तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3952	1317	52	7	243.66	अगस्त
2.	असम	1041	9	9	—	12.93	दिसम्बर
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	दिसम्बर
4.	बिहार	749	65	137	41	288.21	दिसम्बर
5.	गुजरात	4585	74	90	13	528.38	दिसम्बर
6.	गोवा	21	—	—	—	—	दिसम्बर
7.	हरियाणा	15	2	4	—	—	जनवरी
8.	हिमाचल प्रदेश	.....	.....	शून्य	.....	.....	दिसम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	1204	1249	2	—	0.02	दिसम्बर
10.	कर्नाटक	1368	16	175	110	117.74	दिसम्बर
11.	केरल	3724	—	—	—	0.44	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	2745	9	26	44	85.79	दिसम्बर
13.	महाराष्ट्र	627	380	271	122	291.01	दिसम्बर
14.	मणिपुर	1	1	—	—	—	दिसम्बर
15.	मेघालय	50	—	—	—	—	दिसम्बर
16.	मिजोरम	169	—	5	—	—	दिसम्बर
17.	नागालैंड	.....	.....	शून्य	.....	.....	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	513	2	72	4	10.79	दिसम्बर
19.	पंजाब	40102	3	1	1	0.22	दिसम्बर
20.	राजस्थान	735	25	158	87	123.28	दिसम्बर
21.	सिक्किम	1	1	—	—	—	दिसम्बर
22.	तमिलनाडु	11506	1483	4196	3930	368.13	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	96	20	32	—	7.38	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	52424	82	184	1951	96.64	दिसम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	829	523	441	6	210.51	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	*अ.व नि.द्वीप समूह*	*100*	—	—	—	—	*दिसम्बर*
27.	चण्डीगढ़	8	8	1	—	0.16	दिसम्बर
28.	दादरा और न. हवेली	.....	.....	शून्य	.....	.....	दिसम्बर
29.	दिल्ली	1164	76	30	88	—	दिसम्बर
30.	दमण न दीव	40	—	—	—	—	दिसम्बर
31.	लक्षद्वीप	.....	.....	शून्य	.....	.....	दिसम्बर
32.	पांडिचेरी	182	15	5	—	1.22	दिसम्बर
	कुल	127951	5940	5891	6404	2386.51	

विवरण–II

वर्ष, 1998 के दौरान 1.1.98 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रु. में)	निम्न अवधि तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	9128	2060	48	7	302.56	सितम्बर
2.	असम	1184	13	—	—	2.63	अगस्त
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	
4.	बिहार	400	31	45	5	4.58	अगस्त
5.	गुजरात	3683	23	23	—	247.91	सितम्बर
6.	गोवा	—	—	—	—	—	जून
7.	हरियाणा	23	20	9	3	1.26	अप्रैल
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	जून
9.	जम्मू और कश्मीर	523	455	2	—	—	जुलाई
10.	कर्नाटक	367	11	46	1	314.75	मई
11.	केरल	4675	—	—	—	0.64	अगस्त
12.	मध्य प्रदेश	1533	13	33	1	56.96	जून
13.	महाराष्ट्र	135	251	52	1	15.4	फरवरी
14.	मणिपुर	1	1	—	—	—	अगस्त
15.	मेघालय	48	—	—	—	—	अक्तूबर

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	10	—	—	—	—	जनवरी
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	अक्तूबर
18.	उड़ीसा	234	15	50	—	5.73	अगस्त
19.	पंजाब	31202	4	3	0	0.18	अक्तूबर
20.	राजस्थान	125	2	20	3	7.29	जून
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	सितम्बर
22.	तमिलनाडु	1702	179	648	545	56.86	फरवरी
23.	त्रिपुरा	24	8	9	—	2.76	जून
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	730	415	375	—	469.01	अगस्त
26.	अ.व नि.द्वीप समूह	—	—	—	—	—	जून
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	मई
28.	दादरा और न. हवेली	—	—	—	—	—	सितम्बर
29.	दिल्ली	722	46	32	71	—	अक्तूबर
30.	दमण न दीव	21	—	—	—	—	सितम्बर
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	31	7	8	—	8.14	अक्तूबर
	कुल	56501	3554	1403	637	1496.66*	

विवरण में 30.11.98 तक प्राप्त सूचना दर्शाई गई है।

विवरण-III

पिछले दो वर्षों के दौरान चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई नजरबंदियों की संख्या

राज्य का नाम	1997	1998 (नवम्बर तक)
आन्ध्र प्रदेश	4	2
असम	11	3
गुजरात	101	114
महाराष्ट्र	2	1
तमिलनाडु	3	3
कुल	121	123

मूल्य वृद्धि पर विचारों में भिन्नता

2510. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्याज और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति से भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा; और

(घ) इन वस्तुओं की जमाखोरी, निर्यात तथा आयात में विलंब इसके लिए कहां तक उत्तरदायी है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने 14.10.1998 से प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्याज, दालों और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से उनका उत्पादन कम होना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आयात हेतु उनका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना और देश में उनकी मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होना है।

राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी

2511. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संवैधानिक प्रावधानाओं और इस संबंध में पारित किए गए संकल्प के अनुरूप हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान में हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाए जाने का उल्लेख नहीं है।

[अनुवाद]

प्रवासियों के लिए पृथक विभाग/मंत्रालय का गठन

2512. श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल :

श्री गुरुदास कामत :

श्री तारिक अनवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवाद में लगातार वृद्धि के कारण अपनी सुरक्षा और उत्तरजीविता के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे लोगों के कल्याण के लिए एक पृथक विभाग/मंत्रालय गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आतंकवाद/उपद्रवों के कारण जम्मू और कश्मीर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ लोग पलायन कर गए हैं।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पोटाश का आयात

2513. श्री एच. जी. रामुलू : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक को भेजे जाने वाले 20,000 टन आयातित पोटाश को मंगलौर पत्तन के बजाए तमिलनाडु भेज दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) पोटाश नियंत्रणमुक्त उर्वरक है और इसका आयात असरणीबद्ध है। राज्य–वार वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है तथा आयातकों द्वारा इसका संचलन राज्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं के अनुसार किया जाता है।

आसूचना ब्यूरो में रिक्तियां

2514. श्री रामशकल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विभाग–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (घ) आसूचना ब्यूरो में विभिन्न रैंकों में रिक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ये सामान्य रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

आसूचना ब्यूरो में रिक्तियों की स्थिति दर्शाने वाली सूची

क्रम सं.	रैंक	रिक्ति
1	2	3
1.	अपर निदेशक	5
2.	उप निदेशक	24
3.	सहायक निदेशक	55
4.	जे. ए. डी. (एक्सी)	27
5.	डी. सी. आई. ओ.	27

1	2	3
6.	ए सी आई ओ–II (जी)	380
7.	एस ए/जी	261
8.	उप निदेशक (तकनीकी)	1
9.	तकनीकी अधिकारी	60
10.	ए सी आई ओ–I (तकनीकी)	11
11.	ए सी आई ओ–II (डब्ल्यू.टी.)	36
12.	ए सी आइ ओ–II (तकनीकी)	31
13.	जे. आई. ओ–I (तकनीकी)	2
14.	सहायक निदेशक (एन पी)	11
15.	अनुभाग अधिकारी	10
16.	सहायक	107
17.	उच्च श्रेणी लिपिक	15
18.	अवर श्रेणी लिपिक	164
19.	पी. एस.	6
20.	पी. ए.	80
21.	आशुलिपिक	44
22.	जे. आई. ओ–I (एम टी)	4
23.	जे. आई. ओ–II (एम टी)	26
24.	ए सी आई हो–I (ई डी पी)	2
25.	ए सी आई ओ–II (ई डी पी)	10
26.	ए सी आई ओ–II (वर्कशाप)	5
27.	जे. आई. ओ–I (वक्रशाप)	9
28.	ए. सी. आई. ओ–II (ओवरसीयर)	1
29.	जे. आई. ओ–I (ओवरसीयर)	2
30.	ए एफ एल ई	1
31.	ए सी आई ओ–I (भाषा)	7
32.	ए सी आई ओ–I (साईफर)	2
33.	प्रयोगशाला सहायक	3
34.	लाइब्रेरी अटेन्डेंट	9
35.	कम्पाउंडर	53
36.	ग्रुप 'घ' पद	110

तिलहनों की खरीद

2515. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरसों के तेल में मिलावट के कारण खाद्य तेलों का भंडार बाजार से गायब हो गया जिससे उपभोक्ता के लिए इसकी अत्यंत कमी हो गई;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस हद तक है;

(ग) तेल की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) तिलहनों की खरीद, उत्पादन तथा मानक गुणवत्ता के तेल के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सरसों के तेल में मिलावट से सचेत होने और उसके बाद गुणवत्ता उपायों को कड़े करने की वजह से खाद्य तेलों, विशेषकर सरसों के तेल की उपलब्धता में कुछ रुकावट आई।

(ग) खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ निम्न प्रकार से हैं :–

(i) सुरक्षित खाद्य तेल का वितरण पहली की स्थिति में लाने के लिए जांच सुविधाएं स्थापित की गई।

(ii) वनस्पति में सरसों के तेल के प्रयोग पर लगी रोक को उठाया गया।

(iii) खाद्य तेलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।

(iv) खाद्य तेलों आदि की जमाखोरी को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कड़े उपाय करने की सलाह दी गई है।

(घ) सरकार ने फसल वर्ष 1998–99 के लिए विभिन्न तिलहनों के लिए बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए हैं । फिर भी, बाजार में प्रचलित कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक हैं।

खाद्य तेलों की स्थिति वस्तुतः अब सामान्य हो गई है। इसकी संतुष्टि खाद्य तेलों की कीमतों में हो रही गिरावट से भी होती है।

खाद्य तेल पैंकेजिंग (नियमन) आदेश, 1998, 17 सितम्बर, 1998 से लागू हो गया है जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेलों की पैकेटों में उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा (मध्य प्रदेश)

2516. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को रीवा में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के निर्माण को जारी रखने के संबंध में मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अपेक्षित सहायता कब तक प्राप्त होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के मौजूदा स्नातक कॉलेजों को सुधारने और सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत वर्ष 95–96 के दौरान 2,3, 90, 187 रुपये (उपस्कर खरीदने के लिए 12,59,187 रुपये और भवन (स्थान) के लिए 11,31,000 रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करने वाला एक प्रस्ताव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दिनांक 7 मार्च, 1996 के स्वीकृति पत्र के तहत कॉलेज को 20 लाख रुपये (10.00 लाख रुपये उपस्करों के लिए और 10.00 लाख रुपये अस्पताल निर्माण के लिए) का अनुदान स्वीकृत/जारी किया गया है। पहले दिए गए अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र के अभाव की वजह से आगे के अनुदान पर विचार नहीं किया जा सका।

खाद्यान्नों की प्रबन्धन संबंधी समिति

2517. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के प्रबन्धन भंडारण और परिवहन की पुरानी विधि के कारण खाद्यान्न के क्षेत्र में हर वर्ष बहुत अधिक हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस गंभीर समस्या पर गौर करने और; देश में अनाज के प्रबन्धन व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु कोई समिति गठित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के अनाज हैंडलिंग संगठनों द्वारा वैज्ञानिक भंडारण आचार संहिता और परिरक्षण तकनीक अपनाए जाने के कारण खाद्यान्न हानियां न्यूनतम होती हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन प्रक्रिया में कुछ हानियां स्वाभाविक और अपरिहार्य हैं। 1993–94, 1994–95 और 1995–96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई भंडारण और मार्गस्थ हानियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	भंडारण हानियों की प्रतिशतता	मार्गस्थ हानियों की प्रतिशतता
1993–94	0.37	1.21
1994–95	0.40	1.18
1995–96	0.53	1.28

(ग) और (घ) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के उन्नयन विशेष रूप से भारत में खाद्यान्नों के बल्क भंडारण, हैंडलिंग और ढुलाई के प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा दी गई सिफारिशें इस प्रयोजनार्थ गठित टास्क फोर्स के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

सामान्य मुक्त लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अंतर्गत उपभोग की आवश्यक वस्तुएं

2518. श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

डॉ. असीम बाला :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुछेक आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुभूति देने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) दालों, खाद्य तेलों, प्याज और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है। रोलर फ्लोर मिल्स को गेहूं का आयात उन्मुक्त रूप से सीधे अथवा एपेडा को सूचित करते हुए राज्य व्यापार निगम, परियोजना उपकरण निगम (पी ई सी) धातु एवं खनिज व्यापार निगम के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने दालों और प्याज पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) निःशुल्क आयात के प्रभाव का आंकलन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

कास्टिक सोडा एवं सोडा ऐश के आयात पर प्रतिबन्ध

2519. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कास्टिक सोडा एवं सोडा ऐश के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, नमक, देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तत्संबंधी आयातों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल): (क) जी, हां। कास्टिक सोडा और सोडा ऐश के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में देश में पर्याप्त मात्रा में साल्ट उपलब्ध है।

(ख) और (ग) कास्टिक सोडा और सोडा ऐश मूल रसायन हैं जिसका अनेक उद्योगों में प्रयोग होता है। अतः सरकार का आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव नहीं है। इन रसायनों का आयात स्वदेशी उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत कम है।

उपभोक्ता आन्दोलन

2520. श्री के. सी. कोंडय्या :

श्री आर. एस. गवई :

श्री के. एस. राव :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 में संशोधन का प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों में संशोधन करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ताकि इस अधिनियम को अधिक प्रभावशाली और प्रयोजनमूलक बनाए जा सके।

(ग) से (ङ) सरकार, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं तथा उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि हो रही है। सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ श्रव्य–दृश्य/प्रिण्ट मीडिया के जरिए प्रचार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण के संदेश का प्रसार करने तथा साथ ही उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

(च) और (छ) राज्य सरकारों को समय–समय पर सलाह दी जाती है कि वे रिक्त पदों को ठीक समय पर भरकर और पर्याप्त आधारभूत ढांचा प्रदान करके उपभोक्ता न्यायालयों को मजबूत बनाएं। उनसे विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के गठन को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों का प्रचार क्षेत्रीय भाषाओं में करने आदि के लिए भी कहा गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।

आयातित यूरिया और उर्वरक की उठाई-धराई की पतनों पर समस्या

2521. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन यूरिया और अन्य उर्वरकों के आयात में माल की उठाई–धराई की समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की आयातित उर्वरकों की उठाई धराई में पत्तनों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए नई नीतियां बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) यूरिया का आयात सरकारी खाते में किया गया है। डीएपी और एमओपी नियंत्रणमुक्त उर्वरक है जिनका आयात किया जाता है। इनके आयातों को असरणीबद्ध कर दिया गया है और इनका आयात निजी व्यवसाय खाते में किया जाता है। यूरिया आयातों के लिए बन्दरगाहों का चयन देश के विभिन्न राज्यों की मांग के वितरण को देखते हुए किया जाता है। तथापि, डीएपी और एमओपी के आयातकर्त्ता निकासी बन्दरगाहों का चयन अपनी व्यापारिक सुविधा के अनुसार करते हैं। जब पोत समूह में आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता प्रदान किये जाने के बावजूद भी कभी–कभी

उन्हें लंगर–डालने से पूर्व कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उर्वरकों की मांग मौसमी है। हाल ही में, डीएपी तथा एमओपी लाने वाले पोतों ने जेएनपीटी, विशाखापट्टनम तथा काण्डला में लंगर डालने से पूर्व कठिनाई का सामना किया।

(ग) और (घ) अधिकांश समस्यायें प्रचालनात्मक प्रकृति की हैं। बन्दरगाहों पर तीव्र निकासी तथा कार्गो को खाली करने हेतु सुविधाओं को उन्नत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कैप्टिव प्रयोक्ताओं को नामांकन आधार पर प्रमुख बन्दरगाहों पर उनकी स्वयं की सुविधाओं की व्यवस्था करने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की सुरक्षा

2522. श्रीमती रानी नरह :

श्री तारिक अनवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सर्वाधिक असुरक्षित सीमा क्षेत्र है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन–कौन से ऐतिहासिक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सामरिक रूप से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण जगह पर स्थित है, क्योंकि अन्य के साथ–साथ, संचार की प्रमुख समुद्री लेनें इसके आसपास से होकर गुजरती हैं। इस द्वीपसमूह की सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र में खतरों की संभावनाओं का सामरिक विश्लेषण करने के बाद, एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है। तटरक्षक विकास योजना में भी बल स्तर और सुरचनात्मक बढ़ोत्तरी और हार्ड–वेयर और उपकरण प्राप्ति पर विचार किया गया है। नौसेना और तटरक्षक नियमित रूप से निगरानी करते हैं और गश्त लगाते हैं।

[हिन्दी]

नैफेड

2523. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नैफेड' राज्यों को लेवी लगाई गई खाद्य सामग्री की खरीद करता है और इसकी 50 प्रतिशत राशि संबंधित राज्य द्वारा वहन की जाती है;

(ख) क्या ऐसे सौदे में हानि को केंद्र और सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(ग) क्या सम्बद्ध राज्य में खाद्यान्नों के स्टाक में गिरावट दर्शाए जाने की परिणामस्वरूप 'नैफेड' लेवीयुक्त खाद्य सामग्री की खरीद नहीं करता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) नैफेड ने सूचित किया है कि वह राज्यों में लेवी की खाद्य वस्तुएं नहीं खरीद रहा है।

(ग) से (ङ) इस नीति में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पुस्तक से प्रतिबंध हटाना

2524. श्री बालरामसिंह यादव :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सलमान रूशदी की पुस्तक 'द सैटनिक वर्सेज' से प्रतिबंध हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लेखकों पर ऐसे प्रतिबंध लगाने और छूट देने/प्रतिबंध वापस लेने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्नगत पुस्तकों के वस्तुपरक आंकलन के बाद ही प्रतिबंध लगाने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

पुरूलिया में हथियार गिराये जाने का मामला

2525. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को पुरूलिया में हथियार गिराये जाने की पूर्व जानकारी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पुरूलिया में शस्त्र गिराने के मामले में अभियुक्त श्री पीटर ब्लीच द्वारा संबंध में किए गए खुलासे की सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग) मामला न्यायाधीन है।

रिलायंस उद्योगों पर मारे गए छापे

2526. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री वी. वी. राघवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में मुम्बई और दिल्ली में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मकानों तथा कार्यालयों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो छापे के दौरान प्राप्त गोपनीय दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिलायंस उद्योग लिमिटेड के अधिकारियों का अपराध जगत से संबंध पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुम्बई और दिल्ली में हाल में रिलायंस ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के अधिकारियों/कार्यापालकों/सहयोगियों के आवास और कार्यालय परिसरों पर छापे मारे हैं। इन छापों के दौरान दो वर्गीकृत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां बरामद की गईं। इनमें से एक दस्तावेज दीर्घावधि गैस आपूर्ति ठेके के प्रस्ताव तथा दूसरा दस्तावेज इनसैट–2 और 2–डी से संबंधित है।

(ग) और (घ) मामलों की जांच–पड़ताल से पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्री के दिल्ली स्थित ग्रुप–प्रैजीडेंट के, रोमेश शर्मा के साथ संबंध थे जिसे हाल में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मामलों की जांच अभी भी चल रही है।

मंगलौर से बंगलौर तक पाइप लाइन

2527. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने मंगलौर तेल शोधक कारखाने से पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के लिए मंगलौर से बंगलौर तक पाइप बिछाने हेतु एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या पाइप लाइन परियोजना के लिए अपेक्षित भुमि अधिग्रहीत कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या मुआवजे के मामले में प्रभावित भूस्वामियों की एक जैसी आपत्ति है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले के समाधान हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यह परियोजना कब तक पूरी कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में 707 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हसन में निकासी बिन्दु सहित मंगलौर से बंगलौर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए 364 कि.मी. लम्बी क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था है।

(ग) से (च) पाइपलाइन बिछाने के अधिकारों का अर्जन पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 3 और 5 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। आपत्तियों की सुनवाई आरम्भ हो गई है। आपत्तियों और मुआवजे की अदायगी का मामला इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा। इस परियोजना को मार्च, 2001 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

निजी अस्पतालों को उपलब्ध सरकारी चिकित्सकों की सेवाएं

2528. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक और विशेषज्ञ निजी अस्पतालों में कार्य करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकारी अस्पतालों के उन वरिष्ठ चिकित्सकों और सर्जनों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निजी अस्पतालों में कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(ग) उक्त चिकित्सकों की सेवाएं अस्पतालों तक ही सीमित रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधीनस्थ अस्पतालों से प्राप्त फीडबैड से यह पता नहीं चलता कि काफी डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में कार्य करने के लिए इन अस्पतालों को छोड़ रहे हैं। तथापि प्राइवेट सेक्टर और विदेशों में नियुक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से डॉक्टरों द्वारा अस्पताल छोड़ने के हमेशा ही मामले होते रहते हैं। पिछले तीन वर्षों से पूरे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा सवंर्ग के लगभग दो प्रतिशत डॉक्टरों ने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिये हैं। इन डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में कार्य करने के बारे में कोई संकेत नहीं दिये गए हैं।

(ग) डॉक्टरों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने के अलावा यात्रा, ज्ञान को विस्तृत करने और

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करके उनके संतुष्टि स्तर में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए गए।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की मांग और उपलब्धता

2529. श्री मोइनुल हसन अहमद :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, फलों और सब्जियों की औसतन वार्षिक घरेलू उपलब्धता और मांग क्या रही है;

(ख) क्या सरकार मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा करने में सफल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है ताकि बाजार में उनकी उपलब्धता उचित दरों पर सुनिश्चित की जा सके ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) आलू, प्याज, तिलहन, फल, सब्जियों और दालों के संबंध में मांग के वर्ष वार कोई सही–सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनन्तिम अनुमानों के अनुसार खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मी. टन का और दाल की मांग और आपूर्ति के बीच 20 लाख मी. टन से अधिक का अंतर है।

(ख) से (घ) सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है तथा खाद्य तेलों और दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया है। दालों और प्याज पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है तथा खाद्य तेलों के संबंध में शुल्क को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। चुनिंदा खाद्य तिलहनों के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त गत कुछ वर्षों के दौरान देश में खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा दालों और आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पीपुल्स वार ग्रुप के द्वारा बम विस्फोट

2530. प्रो. पी. जे. कुरियन :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में गैर–कानूनी घोषित पीपुल्स वार ग्रुप के द्वारा हाल ही में किए गए भीषण बम विस्फोट में पुलिस कर्मी सहित कुछ व्यक्ति मारे गए;

(ख) यदि हां, तो पुलिसकर्मियों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में पिछले एक महीने से आई. एस. आई. की गतिविधियां बढ़ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) 10 पुलिस कार्मिकों सहित 13 व्यक्तियों की जानें गईं।

(ग) पिछले एक महीने के दौरान, आंध्र प्रदेश में आई. एस. आई. की गतिविधियों में बढ़ोतरी सुझाने से संबंधित कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई हैं।

(घ) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, गृह मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित धन राशि रिलीज की है :

(रु. लाखों में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि
1996–97	709.560
1997–98	1209.560
1998–99	104.780

उपर्युक्त के अलावा, नक्सलवाद से प्रभावित क्षत्रों में तैनाती के लिए राज्य को पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल कम्पनियां और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के लिए रसोई गैस के कूपन

2531. श्री रिजवान जहीर खां :

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों को रसोई गैस कूपन जारी करने पर कब तक प्रतिबंध लगाया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) संसद सदस्यों को कूपन जारी करने में घपलेबाजी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या नए सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) इस संबंध में प्रतिबंध हटाने और उनके विशेषाधिकार को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) संसद सदस्यों (लोक सभा) द्वारा एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने से संबंधित वर्ष 1998 की रिट याचिका संख्या 11507 के संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक न्यायालय द्वारा इसके दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 के आदेश के जरिए बालित कर दी गई है। तदनुसार, दिनांक 14 दिसंबर, 1998 से संसद सदस्यों (लोक सभा) को एल पी जी कूपन पुस्तिकाओं का वितरण आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

न्यायालय के आदेश के मुताबिक संसद सदस्य निम्नांकित दिशा–निर्देशों की शर्त पर एल पी जी कनेक्शन जारी कर सकते हैं :

1. लाभार्थी संसद सदस्य के निर्वाचन का निवासी हो।
2. ऐसे व्यक्ति को एल पी जी कनेक्शन की तत्काल आवश्यकता हो।
3. उसका नाम एल पी जी वितरक के पास प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत हो।
4. आपूर्ति की गई एल पी जी का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन के लिए होना चाहिए।

गोल मार्केट पार्क का रख-रखाव

2532. श्री भेरूलाल मीणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में गोल माक्रिट क्षेत्र में सरकारी मकानों के मध्य स्थित पार्क का उचित रख–रखाव नहीं हो रहा है जबकि वहां के निवासियों द्वारा नियमित रूप से इस संबंध में शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अभी तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) प्रश्नाधीन पार्कों का रख–रखाव, केन्द्रील लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसने सूचित किया है कि वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के अन्दर इस क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों के बीच के लानों का रख–रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्थानीय निवासी कल्याण एसोसिएशनों से तीन अनुरोध प्राप्त हुए थे जिन पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(i) ब्लाक 18 और 42 के बीच के एक पार्क के पुनर्विकास के लिए और सैक्टर–2, गोल मार्केट में पृथक जल टैंक की व्यवस्था हेतु 73,800 रु. की राशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई है;

(ii) ब्लाक सं. 18 और 42 के बीच एक दूसरे पार्क का पुनर्विकास किया जा चुका है; और

(iii) गोल मार्केट क्षेत्र में एक मॉडल पार्क है विकास पर विचार किया जा रहा है। बशर्ते कि समक्ष प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग

2533. श्री के. पी. मोहन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांगों के लिए हलके और सुविधाजनक कृत्रिम अंग बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृत्रिम अंग के नये निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए कोई उदार और सरल ऋण योजना लागू करने का भी विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य की मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां।

(1) कम्पोजिट प्लास्टिक आधारित फ्लोर रिएक्शन आर्थोसिस (एफ. आर. ओ.) –कम्पोजिट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, हैदराबाद द्वारा ऐसे उपकरण विकसित किए गए हैं और इस समय क्षेत्र परीक्षण के अधीन हैं। क्षेत्र परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) में ऐसे उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना है।

(2) एलिम्को ने आई. सी. आर. सी. (अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति) प्रौद्योगिकी पर आधारित लाइट वेट पोलीप्रोपाइलीन आधारित लोअर लिम्ब प्रॉस्थेसिस के विकास और निर्माण की एक परियोजना आरंभ की है।

(3) एलिम्को दृष्टि विकलांगों के लिए ब्रेल स्लेट का निर्माण और इसकी आपूर्ति भी करता है जिसे लाइट वेट ए बी एस सामग्री (प्लास्टिक) से तैयार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए ख्यातिप्राप्त सरकारी/शैक्षिक संगठनों के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायक यंत्रों और उपकरणों के निर्माण के लिए

लघु उद्योग स्थापित करने हेतु जो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, 25 लाख रु. की अधिकतम राशि तक ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुप्तचर एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा

2534. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत गुप्तचर एजेंसियों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गुप्तचर एजेंसियों की असफलता के कारण देश में प्रमुख दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन गुप्तचर एजेंसियों को अपने कर्त्तव्य के प्रति अधिक निष्ठावान बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्र सरकार समय-समय पर अपनी आसूचना एजेंसियों के कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा करती है। राज्य सरकारों की आसूचना एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार की आसूचना एजेंसियां अपने कार्यों के प्रति समर्पित है और ऐसी अवांछनीय गतिविधियों जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।

तेलशोधन परियोजना

2535. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी तेलशोधक परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ होने में विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल रिफाइनरियों तथा इनकी इकाइयों से संबंधित 15 परियोजनाएं विलंबित हो गई हैं। विलम्ब के कारणों में संयंत्र तथा उपस्कर की सुपुर्दगियों में देरी, संविदाकारों का कार्यनिष्पादन, लाइसेंसों तथा इंजीनियरिंग पैकेजों को अंतिक रूप देने में विलम्ब, सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त न होना, भारी उपस्कर से जुड़ी परिवहन समस्यायें इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रगति की निगरानी करने एवं शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कंपनियों तथा सरकार दोनों द्वारा नियमित परियोजना बैठक आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

थायरॉइड के मामले

2536. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी लोगों में थायरॉइड संबंधी बीमारियां खतरनाक ढंग से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) शहरी लोगों में थायरॉइड संबंधी बीमारियों के खतरनाक ढंग से बढ़ रही घटनाओं को प्रदर्शित करने हेतु प्रकाशित कोई वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं। तथापि आयोडीन अल्पता विकार देश में व्यापक रूप से व्याप्त हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् राज्य-स्वास्थ्य निदेशालयों और अन्य संस्थाओं द्वारा किए सर्वेक्षण स्पष्ट दर्शाते हैं कि कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोडीन अल्पत विकारों की समस्या से मुक्त नहीं है। 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक सर्वेक्षित 275 जिलों में से 235 जिले स्थानिकमारी वाले हैं जहां पर व्याप्तता 10% से अधिक है।

(ग) पूर्व में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जाना जाने वाला राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, कार्यक्रम/कार्यनीति में आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण, आयोडीकृत नमक की आपूर्ति नमक में आयोडीन की मात्रा और मूत्रीय आयोडीन उत्सर्जन की मॉनिटरिंग और जनजागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।

उत्तर प्रदेश में रीफीलिंग प्लांट्स

2537. श्री राघवेन्द्र सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम अथवा भारत पैट्रोलियम कंपनी ने उत्तर प्रदेश में पिन्हानी के नजदीक रसोई गैस रीफिलिंग प्लांट्स स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश की मांग उद्योग के एल पी जी भरण संयंत्रों की वर्तमान क्षमता द्वारा पूंजी की जा रही है जो कि 412 अनुमोदन के अनुसार 664 टी एम टी पी ए तक की अतिरिक्त क्षमता विभिन्न पहचान किए गए स्थानों पर भरण संयंत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 8वीं योजना और 9वीं योजना के दौरान उद्योग द्वारा सुविधाओं के रूप में बढ़ाई जाएगी और यह क्षमता उत्तर प्रदेश में एल पी जी की अनुमानित मांग, जो कि 9वीं योजना के अंत तक 1025.315 टी एम टी पी ए होने का अनुमान है, पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना उद्योग/तेल समन्वय समिति द्वारा प्रौद्योगिकीय–आर्थिक अध्ययन के आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

2538. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1998 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' दिल्ली संस्करण में 'एंटी माइनोरटीज वेव' नामक शीर्षक पर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के विचारों और उनके द्वारा जताई चिन्ता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य चिंता और इसमें दिए गए सुझाव क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उल्लिखित समाचार में जताई गई मुख्य चिंता अपराध के सांप्रदायिकीकरण के बारे में थी। दिए गए सुझावों में संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के माध्यम से एक लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकरी की विशेष सुरक्षा तथा अपराध और समुदाय के गठबंधन को तोड़ने की आवश्यकता शामिल हैं।

(ग) सार्वजनिक सुव्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का दायित्व है तथा दिशा–निर्देश जारी करने के द्वारा विभिन्न समुदायों के सदस्यों में वैमनस्य, घृणा या असामंजस्य फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। सांप्रदायिक स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देते हुए 22 अक्टूबर, 1997 को साम्प्रदायिक सामंजस्य पर नवीनतम दिशा–निर्देश जारी किए गए। केन्द्र सरकार, आसूचना द्वारा और जब कभी आवश्यक होता है केन्द्रीय अर्धसैनिक बल मुहैया कराते हुए राज्य सरकारों को सहायता देती है।

आपूर्ति किया गया उर्वरक

2539. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के दौरान आज तक भारतीय पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., एफ. ए. सी. टी., कृभको और एस. पी. आई. सी. द्वारा कर्नाटक में कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है;

(ख) सरकार द्वारा कर्नाटक को पोटाश तथा अन्य उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार उर्वरकों पर टर्न ओवर टैक्स को समाप्त किए जाने के कारण होने वाली हानि को पूरा करने हेतु उर्वरकों पर राज–सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) इंडियन पोटाश लि., राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., एफएसीटी, कृभको तथा स्पीक द्वारा 1.4.1998 से 30.11.1998 तक के बीच कर्नाटक को सप्लाई की गयी उर्वरकों की मात्रा संलग्न कर विवरण में दी गई है।

(ख) यूरिया के सिवाय पोटाश तथा अन्य उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं और उनकी उपलब्धता सरकार की रियायत स्कीम के मानदण्डों के अन्तर्गत प्रचलित बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। तथापि, रबी 1998–99 के दौरान विभिन्न राज्यों को पोटाश तथा डीएपी समय पर पहुंचाने के लिये सरकार ने पोतों की लंगरगाही तथा संयंत्रों और बन्दरगाहों, दोनों से रेल द्वारा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के संचलन को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, आईपीएल के माध्यम से जोर्डन से 55,000 मी. टन एमओपी की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) उर्वरकों पर टर्न–ओवर कर समाप्त कर देने के कारण राज्य सरकार को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न कम्पनियों द्वारा 1.4.1998 से 30.11.1998 तक कर्नाटक राज्य को सप्लाई की गई उर्वरक का विवरण

(आंकड़े 000 मी. टन में)

क्रम सं.	उत्पाद	आईपीएल	आर. सी. एफ.	एन. एफ. एल	फैक्ट	कृभको	स्पीक
1.	यूरिया	29.41	200.22	—	31.79	25.6	91.23
2.	डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डी. ए. पी.)	2.61	—	—	—	—	74.05
3.	म्यूरिएट आफ पोटाश (एम. ओ.पी.)	54.62	—	—	—	—	12.32
4.	सल्फेट आफ पोटाश (एस. ओ. पी.)	5.91	—	—	—	—	—
5.	केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (के. न.)	—	—	16.16	—	—	—
6.	अमोनियम सल्फेट (ए. एस.)	—	—	—	32.07	—	—
कम्प्लेक्स							
7.	15:15:15	—	58.39	—	—	—	—
8.	20:20:20	—	11.55	—	106.81	—	—

आई. पी. एल. : इंडियन पोटाश लि.

आर. सी. एफ. : राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

एन. एफ. एल. : नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.

एफ. ए. सी. टी. : फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.

कृभको : कृषक भारती कोआपरेटिव लि.

स्पीक : सर्दन पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि.

पैट्रोल/डीजल में अपमिश्रण

2540. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री भगवान शंकर रावत :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री मदन पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण की दर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार तेल कम्पनियों विशेषकर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और इसकी सहयोगी कम्पनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ग) क्या सरकार ने वाहनों द्वारा होने वाले वायु पदूषण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों के अनुसरण में अपमिश्रण को रोकने हेतु नए मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पता चले संदिग्ध मिलावट के मामलों की संख्या वर्ष, 1996–97 में 146, वर्ष 1997–98 में 185 तथा वर्ष 1998–99 (नवम्बर, 1998 तक) में 216 थी।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. द्वारा वर्ष 1995–96 से 1998–99 तक (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान समग्र भारत में विभिन्न पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल और डीजल की मिलावट से संबंधित 40 शिकायतें प्राप्त की गई थीं। इसके अलावा सरकार द्वारा हाल ही में एक शिकायत मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि. द्वारा पेट्रोलियम में मिलावट के संबंध में प्राप्त की गई थी।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण के संबंध में रिट याचिका, एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28 जुलाई, 1998 के आदेश के जरिए ईंधन इत्यादि के गुणवत्ता के संबंध में कुछ एक निदेश जारी किए थे, जैसे–

मिश्रण पूर्व तेल डिस्पेन्सरों का विस्तार तथा सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर दो स्ट्रोक वाले इंजन वाहनों के लिए केवल 2–टी मिश्रण–पूर्व पेट्रोल की आपूर्ति खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा सर्विस गैराजों पर खुले 2–टी तेल की आपूर्ति पर रोक, नमूनों का स्वतंत्र परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2 स्वतंत्र ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि। तेल कंपनियों ने फिल्टर परीक्षणों, फरफ्यूरल डोपिंग, नमूने लेने और उनका निर्धारित विनिर्देशों के लिए समनुरूपता के संबंध में परीक्षण करवाने के जरिए मिलावट की जांच करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश भी निर्धारित किए हैं। पैट्रोलियम उत्पादों की मिलावट को नियंत्रित करने तथा गलती करने वालों को विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के अनुसार सजा देने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा दूसरे निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं।

निरोध का उत्पादन

2541. श्री पी. सी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स की रोकथाम करने के लिए निरोध के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निरोध का कितना प्रयोग किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में निरोध के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसकी क्वालिटी में सुधार हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निरोध का उत्पादन बढ़ाने और उसकी क्वालिटी में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य के मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कंडोमों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन नग में)

	स्कीम	1995–96	1996–97	1997–98
1.	मुफ्त वितरण	891.22	741.70	677.72
2.	सामाजिक विपणन	162.92	263.25	324.43
3.	वाणिज्यिक बिक्री	199.33	239.35	203.81
	कुल	1253.47	1244.30	1205.96

(ग) और (घ) उत्पादन की मात्रा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न अन्य विपणन बिक्री केन्द्रों द्वारा प्रक्षेपित मांग पर आधारित है जो वर्ष दर वर्ष भिन्न–भिन्न होती है।

(ङ) और (च) जी, हां। कंडोमों की गुणवत्ता को औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची–"आर के अन्तर्गत लाकर इसे सुधारा गया है ताकि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के विनिर्देशों के अनुसार बनाया जा सके और साथ–साथ कंडोमों की गैर–चिकनाई वाली किस्मों को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा सके।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस की मांग

2542. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री तेजवीर सिंह :

श्री रामपाल सिंह :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री पंकज चौधरी :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री रंजीव बिस्वाल :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री चन्द्रशेखर साहू :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल और प्राकृतिक गैस का वर्तमान में कितना भण्डार है तथा प्रत्येक राज्य में मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्तमान भण्डार मांग की पूर्ति करने में पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मांग की पूर्ति हेतु तेल और प्राकृतिक गैस को आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश कब तक आत्मनिर्भर बन जायेगा तथा मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) वर्ष 1998–99 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 93.297 मि. मी. टी. होने का अनुमान है। कच्चे तेल के संसाधन की आवश्यकता 67.858 मि. मी. ट. है। वर्ष 1998–99 के दौरान स्वदेशी क्रूड का उत्पादन 32.792 मि. मी. ट. होने का अनुमान है। शेष मांग को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में 36.953 मि. मी. ट. कच्चे तेल तथा 28.07 मि. मी. ट. पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किए जाने का अनुमान है। मांग का परिकलन रिफाइनरियों में 10 दिन के क्रूड भंडार तथा देश में 30 दिनों के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पानीपत रिफाइनरी सहित मौजूदा शोधन क्षमता 67.55 मि. मी. ट. प्रति वर्ष है। क्रासरूट रिफाइनरियों के रूप में सरकार द्वारा अतिरिक्त 64.4 मि. मी. ट. प्रति वर्ष क्षमता अनुमोदित है तथा मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। आशय पत्र कार्यान्वित होने के साथ ही देश शोधन क्षेत्र में आत्म–निर्भर हो जाएगा।

दिनांक 1.4.98 को प्राकृतिक गैस के भंडार 669.14 विलियन घन मीटर (बी. सी. एम.) है। प्राकृतिक गैस की मांग तथा उस पर आपूर्ति की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल, रिजर्वायर आचरण की बेहतर समझ, नए क्षेत्रों के विकास, वर्तमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास के माध्यम से और अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी और निजी पूंजी आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार द्वारा और उत्पाद आयातों को न्यूनतम करने के लिए संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना करके देश में शोधन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

जहां तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल. एन. जी.) का संबंध है, अब यह ओपन जनरल लाइसेंस ओ. जी. एल. सूची में है और सरकार ने इसके आयातों की अनुमति दे दी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 50 प्रतिशत समांशता धारिता और शेष समांशता वित्तीय संस्थाओं, निजी पक्षकारों और अन्य को दिए जाने की व्यवस्था सहित पेट्रोनेट इंडिया लि. के गठन का अनुमोदन भी कर दिया है।

विवरण

मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम. एम. एस. सी. एम. डी.) में

क्रं. सं.	राज्य	पंजीकृत मांग*	वर्तमान मांग (मौजूदा उपभोक्ता)	वर्तमान आपूर्ति
1.	आंध्र प्रदेश	23.60	3.70	3.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.14	–	–
3.	असम	10.91	6.55	3.38
4.	दिल्ली	3.45	0.63	0.79
5.	गुजरात	45.13	20.71	17.05
6.	हरियाणा	6.76	0.73	0.63
7.	हिमाचल प्रदेश	0.01	–	–
8.	कर्नाटक	9.36	–	–
9.	मध्य प्रदेश	21.34	4.83	4.38
10.	महाराष्ट्र	47.07	15.63	11.47
11.	उड़ीसा	0.49	–	–
12.	पंजाब	0.02	–	–
13.	राजस्थान	15.95	4.33	4.18
14.	तमिल नाडु	12.82	0.11	0.04
15.	त्रिपुरा	1.80	1.33	0.90
16.	उत्तर प्रदेश	30.17	16.90	14.68
17.	पांडिचेरी	0.33	0.25	0.07
	योग	229.35	75.76	61.06

* पंजीकृत मांग में वर्ष 2000 के बाद की मांग शामिल है।

भारतीय तेल क्षेत्र का बुनियादी ढांचा

2543.श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी तेल खनन क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए भारतीय तेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में आमूल परिवर्तन लाने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परिवर्तन कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) ऐसा कोई कुल परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तथापि, विदेशी तेल इक्विटी के लिए अवसर खोजने के उद्देश्य से अपस्ट्रीम तथा डाऊनस्ट्रीम क्षेत्रों में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को अधिकार देने व प्रोत्साहन देने के कदम उठाए गए हैं।

(अनुवाद)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मदों की कमी

2544. डॉ. वल्लभाई कथीरिया :

श्री नरेश पुगलिया :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 17 अक्तूबर, 1998 के "स्टेट्समैन" में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और चीनी की कमी बताई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में उचित मूल्य की दुकानों को पर्याप्त मात्रा में मदों की सप्लाई नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन खाद्यान्नों की कुल कितनी कमी है और सरकार द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को इन मदों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में मदों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश भर में विशेष रूप से दिल्ली में अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए क्या नीति तैयार की गई है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) दिनांक 17.10.1998 के स्टेट्समैन में "फेयर प्राइज शाप्स रन शार्ट ऑफ स्टाक" नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार में केवल दिल्ली में गेहूं, चावल और चीनी की कमी का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण अक्तूबर, 98 में दिल्ली में 15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने के कारण इन जिन्सों की समयबद्ध सुपुर्दगी प्रभावित हुई थी क्योंकि इस प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकतर वाहन पुराने थे और चलाए नहीं जा सकते थे। वर्तमान में दिल्ली में गेहूं, चावल और चीनी की कोई कमी नहीं है। कुछ उत्तर–पूर्वी राज्यों के अलावा, पिछले मानसून के दौरान संचलन बाधाओं के कारण अन्य राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इन मदों की कमी के संबंध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं।

(ङ) से (छ) वसूली और सब्सिडि बाधाओं के कारण सीमित मात्रा में खाद्यान्नों के उपलब्ध होने के कारण गेहूं, चावल और चीनी की पूर्ण मागं को हमेशा पूरा करना संभव नहीं होता है। मूल्य प्रवृति को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जहां तक संभव होता है, अतिरिक्त आबंटन किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को खुली बिक्री हेतु 40 लाख टन तक गेहूं रिलीज करने का भी निर्णय लिया गया है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुली बिक्री की केवल पूरक है, स्थानापन्न नहीं।

(ज) दिल्ली सहित देश भर में उचित दर की दुकानों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :–

(i) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक के उठान से पूर्व खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अनुमत किया गया है।

(ii) उपभोक्ताओं के हित के लिए निर्गम किए जाने वाले लाटों में से लिए गए खाद्यान्नों के टाइप सील बन्द नमूनों को उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित किया जाता है।

(iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच के लिए उचित दर की दुकानों पर आकस्मिक जांच की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में उचित दर दुकानों को आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रत्येक प्रेषण से संयुक्त रूप से नमूने लिए जाने और संयुक्त नमूने के एक भाग को उचित दर की दुकानों को भेजना आवश्यक बनाया गया है ताकि कार्डधारक उसे दिए जा रहे खाद्यान्नों को देखकर इसकी तुलना सीलबंद नमूनों के साथ कर सकें।

तेल की चोरी

2545.श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान वर्ष–वार तेल तथा डीजल की चोरी के कितने मामले पकड़े गए; और

(ख) इस तरह की चोरी को भविष्य में रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जैसा कि रिपोर्ट मिली है पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे तेल की चोरी के मामले में निम्नानुसार हैं :

1996–97	17
1997–98	33

देश में डीजल की बिक्रियों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए डीजल की चोरियों की संख्या बहुत नगण्य है।

(ख) सुरक्षा और उत्पादन कार्मिकों द्वारा संयुक्त निरीक्षणों, कांटेदार तारों से तेल कूपों की बाड़ लगाने, खुली प्रवाह लाइनों की बजाय भूमिगत प्रवाह लाइनें बिछाने और चोरी की आसन्नता वाले क्षेत्रों में हथियारबन्द संरक्षकों को लगाने के अलावा ओ. एन. जी. सी./ओ. आई. एल. ने इस प्रयोजन के लिए सी. आई. एस. एफ. कार्मिकों को भर्ती किया है तथा हेलिकाप्टरों द्वारा तेल क्षेत्रों/पाइपलाइनों की हवाई निगरानी भी शुरू की है।

राज्यों का पुनर्गठन

2546. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों का पुनर्गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत किसी नए राज्य के सृजन का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार का सामान्य तौर पर राज्यों के पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है। तथापि, विद्यमान बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों को उन पर अपने विचार व्यक्त के लिए अगस्त, 98 में संबंधित राज्य विधान मंडलों को भेजा गया था जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में अपेक्षित है, ताकि वनांचल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड/उत्तरांचल, नए राज्यों का सृजन किया जा सके। राज्य विधान मंडलों के विचार प्राप्त हो चुके हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है।

गन्ने का उत्पादन

2547. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है जिससे किसानों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य में गन्ना पिराई क्षमता के समुचित उपयोग के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों के उद्यम की उचित प्रतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार वर्तमान मौसम 1998–99 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान 53 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 40 मिलियन टन राज्य की चीनी मिलों द्वारा पिराई करने के लिए उपलब्ध होने की संभवना है, जिससे लगभग 52 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा। जबकि, 1995–96 मौसम के दौरान, 46.66 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ तथा 51.46 मिलियन टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा पिराई की गयी, जिससे 53.76 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इस प्रकार राज्य की चीनी मिलों ने राज्य में उत्पादित गन्ने से अधिक गन्ने की पिराई की। दूसरे शब्दों में, पड़ोसी राज्यों से लाए गए गन्ने की कुछ मात्रा की भी पिराई की गई थी। इस तरह वर्तमान पिराई के मौसम के दौरान गन्ने की संभावित उत्पादन की मात्रा की पिराई के लिए राज्य में पर्याप्त पिराई क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, 11 चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा 11 विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों ने 1995–96 से अपने क्षमता विस्तार कार्य को भी पूरा कर लिया है।

तटवर्ती राज्यों में तेल की ढुलाई

2548. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल आयोग को तटवर्ती राज्यों में तेल ले जाने में होने वाली देरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या तटवर्ती मार्गों द्वारा इन राज्यों को तेल भेजने के लिये उपाय किये गये हैं और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आई. ओ. सी. के पत्तन स्थलों तक तेल के परिवहन में कोई विलम्ब नहीं होता।

(ग) और (घ) तटीय परिवहन यथापेक्षा किया जा रहा है। तटीय राज्यों में उत्पादों की भण्डार स्थिति सुविधाजनक है।

[हिन्दी]

आगरा में आई. एस. आई. की गतिविधियां

2549. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा छावनी पाकिस्तान की सूचना एजेंसी आई. एस. आई. का निशाना बनी हुई है तथा कश्मीर के आतंकवादियों के माध्यम से सेना को होने वाली जल आपूर्ति में जहर मिलाने अथवा खाद्य वस्तुओं में सायना मड मिलाने का कोई षडयंत्र रचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पाकिस्तान की आई. एस. आई. द्वारा आगरा छावनी को विशेष रूप से लक्ष्य बनाने के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

तथापि, इन रिपोर्टों के आधार पर कि पाकिस्तान की आई. एस. आई. की जम्मू और कश्मीर की छावनियों में सैनिकों के लिए भोजन में साइनाइड मिलाने की योजना थी, सभी छावनियों द्वारा आवश्यक एहतियाती उपाय उठाए गए हैं।

डीजल की कीमत

2550. डॉ. ए. के. पटेल :

श्री मोहन रावले :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की घटती कीमतों को ध्यान में रखते हुए डीजल की कीमतों को घटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और कितनी घटाये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगे से एच. एस. डी. का मूल्य आयात समता आधार पर होगा। तद्नुसार, एच. एस. डी. के भंडारण स्थल तक के मूल्य में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

प्रभावी तारीखें	भण्डारण स्थल पर मूल्य (उत्पाद शुल्क आदि को छोड़कर) (रुपए/कि. ली.)
07.11.97	7918.14
25.12.97	7996.84
01.03.98	7839.24
04.04.98	7645.47
20.05.98	7536.89

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम

2551. श्री अर्जुन सेठी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्यों के वित्त एवं विकास निगमों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जारी की गई राशि का विशेषकर उडीसा राज्य में उचित एवं समय पर उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य वित्त एवं विकास निगम द्वारा भुवनेश्वर में स्वीकृत योजना/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) एन. एस. एफ. डी. सी. की प्राधिकृत अंश-पूंजी 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रु. कर दी गई है।

(ग) अब तक एन. एस. एफ. डी. सी. को ऐसे किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कर्मियों के लिए राशन भत्ता

2552. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में पुलिस कर्मियों को राशन भत्ता दिया जाता है और राज्य-वार दी जा रही भत्ते की दर क्या है;

(ख) किन राज्यों में पुलिस कर्मियों का उक्त भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ग) इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(घ) यह विसंगति कब तक दूर किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस" चूंकि राज्य सरकार का विषय है अतः पुलिस कार्मिको को, जैसा भी वे उपयुक्त समझते हैं, वेतन और राशन भत्ते और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का काम है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठन

2553. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन–कौन से आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और इनमें से कितने संगठनों को विदेशों से समर्थन प्राप्त है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए;

(ग) आतंकवादियों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गए; और

(घ) आतंकवाद को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) देश में सक्रिय मुख्य संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं :–

जम्मू और कश्मीर संगठन

1. हिजबुल मुजाहिद्दीन
2. हरकत–उल–अंसार
3. लस्कर–ए–तोईबा
4. अल–बर्क
5. तहरीक–उल–मुजाहिद्दीन
6. अल जेहाद
7. जे. एण्ड के. लिब्रेशन फ्रन्ट
8. अल–उमर–मुजाहिद्दीन
9. हिजबुल्लाह
10. दुख्तरान–ए–मिलात

सिख संगठन

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. इंटरनेशनल सिख यूथ फैड्रेशन
3. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स
4. खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स
5. दल खालसा इंटरनेशनल
6. बब्बर खालसा
7. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स

पूर्वोत्तर संगठन

1. युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम
2. बोडो सिक्योरिटी फोर्स
3. अचिक लिब्रेशन मातगरिक आर्मी
4. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी
5. युनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट
6. हमार पीपल कन्वेन्शन
7. नेशनल सोसलिस्ट कोंसिल आफ नागालैंड (इजाक सु)
8. नागा नेशनल कोंसिल (खोदाओ यन्थन)
9. नागा नेशनल कोंसिल (अदिन्हो)
10. नागा फैड्रल गवर्न्मेंट
11. नेशनल सोशलिस्ट कांउन्सिल आफ नागालैण्ड (खापलोंग)
12. आल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स
13. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा

तमिल संगठन

1. लिब्रेशन टाइगर आफ तमिल ईलम

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उपर्युक्त अधिकांश संगठन विदेशों में स्थित हैं अथवा विदेशों द्वारा समर्थित और वित्तपोषित हैं।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार देश में चालू वर्ष के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या 1269 है।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान आतंकवादियों द्वारा 2145 व्यक्ति मारे गए हैं।

(घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, इस बारे में विभिन्न उपाय निकालना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केन्द्र स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने और राज्य के बीच उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, उन्नत हथियारों की पूर्ति, अर्ध–सैनिक बलों की तैनाती आदि के रूप में मदद दी जा रही है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की पूर्ति के लिए पहले से आबंटित की गई राशि के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के कारण, आतंकवादियों के अनेक मोड्यूल्स को निष्क्रिय किया गया है।

[अनुवाद]

डाइमिथाइल ईंधन की बिक्री

2554. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में डाइमिथाइल ईंधन डी.

एम. एफ. के विकास और बिक्री के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन, गेल और अमोका के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन, गेल और भारतीय संस्थान ने अमरीका की मुख्य कंपनी अमोका के साथ जुलाई, 1998 में डी. एम. एफ. के उत्पादन और वितरण की प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने संबंधी समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे राज्य को कितना फायदा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य में ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में डी. एम. ई. को बढ़ावा देने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश राज्य ने 22 सितम्बर, 1998 को आई. ओ. सी., गेल, आई. आई. पी. वाले समूह तथा अमोको इंडिया डेवलपमेंट कंपनी के डाइमथाइथर (डी. एम. ई.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, हां। आई. ओ. सी., गेल, आई. आई. पी. तथा अमोको इंडिया डेवलपमेंट कंपनी ने 20 जुलाई, 1998 को एक संयुक्त सहयोग करार (जे. सी. ए.) किया है ताकि भारत में प्रयोग के लिए ईंधन स्रोत के रूप में डी. एम. ई. के अंत्य प्रयोक्ताओं के लिए उसका मूल्यांकन विकास, उत्पादन, परिवहन, वितरण (जिसमें भारत में संग्रहण सुविधाएं, पाइपलाइनें तथा अन्य वितरण सुविधाएं शामिल हैं) तथा विपणन किया जा सके।

(घ) डी. एम. ई. पर्यावरण अनुकूल बहु–प्रयोजन ईंधन के रूप में सामने आ रहा है, जिसे नाफ्था, एल. पी. जी. तथा एच. एस. डी. आदि के वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हुए उत्पादित किया जा सकता है। विद्युत संयंत्र ईंधन के रूप में, डी. एम. ई., प्रतियोगी मूल्यों पर राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए नाफ्था की प्रत्याशित अल्प आपूर्ति को पूरा कर सकता है, जिससे अंततः आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक व बुनियादी विकास हो सकता है।

बाल-मजदूर

2555. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल मजदूरी जैसे अवैध रोजगार के लिए मिल मालिकों के विरुद्ध कितने अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, राज्य–वार ब्यौरा दें;

(ख) बाल श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए कालीन निर्यातकों के विरुद्ध कालीन निर्माण किए जाने वाले क्षेत्र में कितने छापे डाले गए; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले 4 वर्षों के दौरान, बाल श्रमिकों के गैर–कानूनी नियोजन के लिए नियोजकों के विरुद्ध 6500 मामले पंजीकृत किए गए हैं। बाल श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध कालीन क्षेत्र में छापे मारे गए थे और चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाए गए हैं। कालीन क्षेत्र में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण भी करवाया गया है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं (जिनमें कालीन उद्योग शामिल है) में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की पद्धतियों को विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजक अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं। कानून के बाल श्रम से संबंधित उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास एक प्रवर्तन तंत्र होता है। केन्द्रीय सरकार आवधिक विवरणियों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है।

कच्चे तेल का आयात

2556. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

डॉ. चिन्ता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1998 के बाद अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में कमी के कारण आयातित कच्चे तेल के लिए भुगतान करने में चालू वर्ष के दौरान सरकार को वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य अत्याधिक संवेदनशील हैं और इनमें बहुत अधिक उतार–चढ़ाव होते रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में किसी भी परिवर्तन से हमारी आयात लागत पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में अंतर के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए अप्रैल–सितम्बर, 1998 (अनंतिम) अवधि हेतु रुपए के संबंध में अतिरिक्त व्यय 730.64 करोड़ रुपए है।

आई. एस. आई. विरोधी दस्ते का गठन

2557. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्री विजय गोयल :

क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ रहे आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए आई. एस. आई. विरोधी दस्ते का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान आई. एस. आई. समर्थित कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए;

(ग) आतंकवादी मामलों से निपटने के लिए सैन्य/अर्द्ध सैन्य और पुलिस बलों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में आई. एस. आई. गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान की सरकार को साक्ष्य प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां तो इस पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्र और राज्य सरकारें, आई. एस. आई. द्वारा समर्थित उग्रवादी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के कार्य में लगी है।

(ख) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान गिरफ्तार किए गए आई. एस. आई. समर्थित उग्रवादियों की संख्या नीचे दी गई है :–

1997 – 37 भारतीय, 5 पाकिस्तानी नागरिक

1998 – 20 भारतीय, 15 पाकिस्तानी नागरिक,
4 बंगलादेशी

जम्मू और कश्मीर में, जहां उग्रवाद को पाक आई. एस. आई. द्वारा सहायता दी जाती है और भड़काया जाता है, गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की संख्या नीचे दी गई है :–

1997 – 2557 भारतीय, 8 पाकिस्तानी नागरिक,
1 बंगलादेशी, 10 अफगानी

1998 – 1293 भारतीय, 12 पाक नागरिक, 1 अफगानी

(ग) सेना और अर्द्ध सैनिक बल तथा पुलिस बलों समेत केन्द्रीय/राज्य सरकारों की एजेंसियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रखें तथा आतंकवादी और विघटनकारी तत्वों के खिलाफ सतत अभियान चलाने सहित सभी आवश्यक कदम उठाएं।

(घ) से (च) 12 नवम्बर, 1998 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी शिष्टमंडल का ध्यान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की ओर आकर्षित किया और पाकिस्तान के आतंकवाद में संलिप्त होने के बारे में उन्हें तात्विक साक्ष्यों का एक दस्तावेज भी दिया। उसमें यह उल्लेख किया गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने के अपने निरर्थक कार्य को छोड़ देना चाहिए, भारतीय मूल के उन उग्रवादियों/आपराधिक तत्त्वों को जिन्हें पाकिस्तान द्वारा शरण दी जा रही है, भारत को सौंप देना चाहिए और पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण शिविरों को बंद कर देना चाहिए तथा हिंसा को फैलाने वाले रूढ़िवादी और उग्रवादी संगठनों को पाकिस्तान की धरती का प्रयोग न करने देने अथवा अन्य सुविधाएं नहीं देनी चाहिए।

तथापि पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने सामान्य रूप से इंकार करने के अलावा, भारत ने आतंकवाद के प्रयोजन में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट दृष्टांतों का कोई उत्तर नहीं दिया।

संयुक्त भारत–पाक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत–पाक वार्ताएं सावधिक रूप से आयोजित की जाती हैं।

[हिन्दी]

आतंकवाद से प्रभावित राज्यों को विशेष निधियां

2558. श्री चेतन चौहान :

श्री मोहन रावले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आतंकवाद प्रभावित राज्यों को अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस बलों को सुसज्जित करने तथा पुलिस तंत्र को सक्रिय करने के लिए विशेष निधियां उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1997–98 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि सहायतार्थ दी गयी तथा 1998–99 के दौरान कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्यों द्वारा किस प्रकार के हथियारों की मांग की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, अपने पुलिस बलों को उचित रूप से उपकरणों से सुसज्जित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण की योजना के अधीन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में मदद देती है। वर्ष 1997–98 के दौरान, इस योजना के अधीन राज्य सरकारों को 57.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसमें सामान्य आबंटन के अधीन 30 करोड़ रुपये तथा विशेष सहायता के रूप में 27.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। वर्ष 1998–99 के लिए, उक्त योजना के अधीन राज्य सरकारों में वितरित करने के लिए 50.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। इसमें सामान्य आबंटन के अधीन 30.00 करोड़ रुपए और विशेष सहायता के रूप में 20 करोड़ रुपए शामिल हैं।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन सहायता के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों को वर्ष 1997–98 के दौरान 34.99 करोड़ रुपये के मूल्य के वाहन, शस्त्र और उपकरण उपलब्ध कराये गए। इन हथियारों में एस. एल. आर., कारबाईन्स, पिस्तौल इत्यादि शामिल हैं।

केन्द्र सरकार, राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार को सुरक्षा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति भी करती है। इस बारे में 1997–98 के दौरान 154.96 करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष में अब तक 75 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। इसके अलावा, शस्त्र और गोला–बारूद इत्यादि खरीदने के लिए "कार्य योजना" के तहत विशेष एस. आर. ई. के रूप में 20 करोड़ रुपये अग्रिम भी उपलब्ध कराए गए हैं।

चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करना

2559. प्रो. रीता वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) इन्हें किन–किन तारीखों से मान्यता दी गई थी;

(ग) क्या मान्यता दिए जाने के समय ये महाविद्यालय अपेक्षित शर्तों को पूरा करते थे;

(घ) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार बिहार में कितने चिकित्सा महाविद्यालय थे जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है और इसके क्या कारण थे;

(ङ) क्या इन महाविद्यालयों की मान्यता बहाल करने में कोई रुकावट है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन महाविद्यालयों को कब तक मान्यता दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) बिहार में आठ मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(घ) से (च) बिहार के निम्नलिखित तीन मेडिकल कालेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अभी मंजूरी दी जानी है :–

(1) पाटिलपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद

(2) माता गुजुरी मेमोरियल मेडिकल कालेज, किशनगंज

(3) कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार

इन कालेजों की मान्यता संबंधी स्थिति विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

बिहार में 8 मान्यता प्राप्त राजकीय मेडिकल कालेजों की सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	मेडिकल कालेज का नाम	आरम्भ होने का वर्ष
1	2	3	4
1.	एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	दरभंगा मेडिकल कालेज, लेहरियासराय	1946
2.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	श्री कृष्णा मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर	1970
3.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	पटना मेडिकल कालेज, पटना	1925
4.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	राजेन्दर मेडिकल कालेज, रांची	1960
5.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	एम. जी. एम. मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	1961
6.	भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, भागलपुर	1971
7.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	ए. एन. मगध मेडिकल कालेज, गया	1970
8.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना	1970

विवरण–II

बिहार में तीन अमान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की मान्यता संबंधी स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय/कालेज का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3
1.	**विनोबा भावे विश्वविद्यालय**	
1.	पाटिलपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद	इस कालेज को मान्यता 30.4.1982 तक प्रदान की गई थी। परीक्षा मानक के लिए निरीक्षण दिसम्बर, 1998 में सम्पन्न किया जाएगा और रिपोर्ट को प्राप्त होने पर उसे कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में रखा जाएगा।
2.	**बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय माधोपुर**	
2.	माता गुजुरी मेमोरियल मेडिकल कालेज, किशनगंज	परिषद ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत 29.12.98 को निरीक्षण सम्पन्न किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.3.96 के अपने आदेश के तहत आवेदक संस्था को पांच सप्ताहों की अवधि के अन्तर्गत अनंतिम संबद्धन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय को निर्देश दिया। कुल सचिव, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, माधीपुर ने दिनांक 10.4.96 की अधिसूचना के तहत इस महाविद्यालय को अनंतिम संबद्धन दे दिया है। इस कार्यालय के दिनांक 18.10.97 के पत्र के तहत कालेज प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11 (2) के अन्तर्गत निरीक्षण करने हेतु औपचारिक रूप से अनुरोध भेजें। कालेज प्राधिकारियों से यह सूचना देने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि कब उनका अन्तिम एम. बी. बी. एस. बैच विश्वविद्यालयीन परीक्षा में बैठेगा। मुख्य प्रशासक ने दिनांक 17.8.98 के पत्र के तहत सूचित किया है कि एम. बी. बी. एस. की अन्तिम परीक्षा में उनकी संस्था का पहला बैच नवम्बर/दिसम्बर 1997 के महीने में सम्मिलित होने जा रहा है। वे 50 छात्रों का वार्षिक रूप से दाखिला ले रहे हैं। 11 (2) के तहत अनुरोध की आज भी प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत परिषद ने 27/28 जून, 1995 को निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोट 17.7.95 को उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27.2.96 के अपने आदेश के तहत निदेश दिया है कि आवेदक संस्था को संबद्धन देने वाली प्रक्रियाओं पर अब शीघ्र कार्रवाई की जाए तथा समय गंवाए बिना इसके लिए अनिवार्य आदेश जारी करने हेतु प्रतिवादी को निदेश दिया है। कुल सचिव, बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय माधोपुर, ने दिनांक 2.4.96 के पत्र के तहत सत्र 1987–88 से एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में इस कालेज को संबद्धन दिया है और एम. बी. बी. एस. की पिछली परीक्षाओं के नतीजों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकाशित करने की अनुमति दी है। कालेज 60 छात्रों का वार्षिक रूप से दाखिला ले रहा है।

तेल की खोज हेतु ठेके

2560. प्रो. रीता वर्मा :

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कई तेल क्षेत्रों में तेल ब्लॉकों की खोज के लिए ठेके देने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकतम तीन महीने का समय दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसी काम के लिए भारत में चार से पांच वर्ष का समय लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह के विलंब से होने वाली विभिन्न तरह की हानियों के लिए आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल खोज ब्लॉकों हेतु ठेके दिए गए हैं;

(च) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें ठेके देने में एक वर्ष से भी अधिक का समय लगा और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) लिया गया समय भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होता है। दर्शाया गया समय दो महीने से अनेक महीने तक होता है। यह लाइसेंस प्रणाली पर भी निर्भर करता है।

(ख) 1992 से अन्वेषण ब्लॉकों के लिए हस्ताक्षर किए गए 22 ठेकों के मामले में बोली बन्द होने की तारीख से ठेकों के हस्ताक्षर किए जाने के लिए लिया गया औसत समय लगभग साढ़े तीन वर्ष रहा है। विलम्ब के निम्नलिखित कारण रहे हैं :-

(1) बोलीदाताओं द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर देने में लगने वाला अधिक समय।

(2) कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बार-बार किए जाने वाले वार्ता दौर क्योंकि वे औपचारिक उत्तर देने से पहले अपने मुख्यालय से परामर्श करने का प्रयास करते हैं।

(3) स्वीकृतियों और अनुमोदन के अनेक स्तर।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों (1995, 96, 97, 98) के दौरान सरकार ने शैल इंटरनेशनल, हार्डी ऑयल, हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, टाटा पेट्रोडॉयन लि., ऐस्सार ऑयल लि., पोलिश ऑयल एण्ड गैस कम्पनी, ओकलैण्ड इन्टरनेशनल, टुल्लो ऑयल, पीएलसी, एलएण्डटी लि. जोशी टेकनालॉजी इंक., कैनर्स एनर्जी एशिया, वीडियोकान इन्टरनेशनल, जनरल फाबर्स डीलर्स लि. फीनीक्स ओवरसीज लि. के साथ अन्वेषण ब्लॉकों के लिए 19 ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(च) उपर्युक्त पैरा (ङ) में उल्लिखित कम्पनियों के साथ सभी ठेकों में उपयुक्त पैरा (ख) में दिए गए कारणों से एक वर्ष से अधिक समय लगा है।

(छ) अन्वेषण रकबे देने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन. ई. एल. पी.) के अर्न्तगत आदर्श ठेके के उपबंधों को अपरक्राम्य बनाया गया है। विस्तृत बोली आरूप आदि सहित और भी व्यापक बोली कागजात बोलियों को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने के लिए तैयार किए गए हैं। इनसे ठेकों को अन्तिम रूप देने में लिए जाने वाले समय को कम करने की आशा है।

[अनुवाद]

रुग्ण चीनी मिलें

2561. श्री माधव राव पाटील :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने राज्य की रुग्ण सहकारी चीनी मिलों को पुनः अर्थक्षम बनाने का अनुरोध करते हुए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनः अर्थक्षम बनाए जाने हेतु प्रस्तावित रुग्ण सहकारी चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों को भी इस तरह की योजनाएं शुरू करने के लिए निदेश देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियन्त्रण नीति

2562. श्री एम. वागा रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स निवारण व नियन्त्रण नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में एच. आई. वी. विषाणु जांच केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह नीति कब तक बनाई जाएगी; और

(ङ) समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत एड्स नियंत्रित करने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां, एक प्रारूप नीति तैयार की गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रारूप नीति दस्तावेज विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्येक जिले में क्रमिक रूप से एक एच. आई. वी. केन्द्र खोलने की योजना बनाई जा रही है जो अगले 5 वर्षों (1999–2004) के अन्दर पूरी हो जाएगी।

(ङ) भारत में एच. आई. वी./एड्स के फैलाव की रोकथाम/नियंत्रण के लिए इस समय देश भर में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :–

* केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।
* एच. आई. वी./एडस के बारे में अधिक जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।
* यौन संचारित रोगों का नियंत्रण।
* रक्त बैंकों के उपयुक्त लाइसेंसीकरण और स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करके रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
* निगरानी और निदान के लिए क्षमता का सुदृढ़ीकरण; और
* एच. आई. वी./एड्स के क्लिनिकी उपचार में प्रशिक्षण प्रदान करना।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति

1. **प्रस्तावना**

1.1 भारत में एच. आई. वी./एड्स महामारी अब 11 वर्ष पुरानी है। इस छोटी सी अवधि में यह देश में एक अत्याधिक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है। एच. आई. वी./एड्स के प्रारंभिक मामले मुम्बई और चेन्नई में देह का व्यापार करने वालों में से और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधों के उपयोगकर्ताओं में से सूचित किए गए थे। यह बीमारी इन अधि केन्द्रों से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से फैली और 1996 तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मणिपुर में कुल एड्स रोगियों में से 77 प्रतिशत रोगी हो गए थे जिसमें से महाराष्ट्र से देश के कुल रोगियों में से लगभग आधे रोगी सूचित किए गए थे। यहां तक कि सरकारी तौर पर सूचित किए गए एच. आई. वी. संक्रमण और पूरी तरह से विकसित एड्स के रोगी केवल हजारों में हैं, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि देश के प्रमुख भागों में महामारी के आंकड़ों के अभाव के कारण सूचित किए गए और अनुमानित आंकड़ों में भारी अंतर है। तथापि, देश में 970 मिलियन जनसंख्या के लिए समग्र व्याप्तता अभी तक बहुत कम है। यह दर एशिया पेसिफिक क्षेत्र के बहुत से अन्य देशों से बहुत कम है।

1.2 उपलब्ध निगरानी आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एच. आई. वी. देश के लगभग सभी भागों में व्याप्त है। हाल के वर्षों से यह शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में और जोखिम का आचरण करने वाले व्यक्तियों से आम जनसंख्या में फैला है। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रसवपूर्व क्लिनिकों में अधिक संख्या में आने वाली महिलाएं जांच में एच. आई. वी. पॉजिटिव पाई जा रही हैं जिससे प्रसवकालीन संचरण का खतरा बढ़ गया है। लगभग 75 प्रतिशत संक्रमण यौन क्रिया के रास्ते (इतरलिंग कामुकता और समलिंग कामुकता दोनों) से, लगभग 8 प्रतिशत रक्ताधान के जरिए, और अन्य 8 प्रतिशत इंजेक्शन से नशीली औषधें लेने से होते हैं। सूचित किए गए रोगियों में से लगभग 89 प्रतिशत कामुकता में सक्रिय और 18–40 वर्ष के आयु के आर्थिक रूप से उत्पादकता (इक्नोमिकली प्रोडक्टिव) वर्ग के हैं। सूचित किए गए हर 4 रोगियों में से एक महिला है। देश भर में इस महामारी के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार कारण आज आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से अधिक उन्नत क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने हेतु मजदूरों का माइग्रेशन और गतिशीलता, कम साक्षरता स्तर जिनसे संभावित उच्च जोखिम वाले समूहों में कम जागरूकता होती है, लैंगिक असमानता, यौन संचारित संक्रमण और पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच प्रजनक ट्रैक्ट संक्रमण हैं। यौन संचारित संक्रमणों से जुड़ा सामाजिक कलंक भी एक अत्याधिक गंभीर तरीके से एच.आई.वी./एड्स के लिए अच्छी तरह से उत्तरदायी है। यह मुम्बई और चेन्नई जैसे शहरों में एड्स के पूर्ण रूप से विकसित रोगियों को सूचित करने में जागरूकता परिणामों से जुड़ा हुआ था जिससे अस्पताली आधारभूत ढांचे पर गंभीर दबाव पड़ा। सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों के अस्पतालों और उपचर्या गृहों में एड्स रोगियों को भर्ती

करने से इंकार करने के मामले में भी दृष्टि में आते रहे हैं। इससे एड्स रोगियों का कष्ट और बढ़ गया है। अधिकतर इसे छूत का रोग मानने की गलती की जाती है और रोगियों को वार्डों में अलग रखा जाता है जिससे आम रोगियों के बीच भय पैदा होता है। कार्य स्थलों पर भेदभाव के मामले हुए जिससे कुछ मौकों पर रोजगार से वंचित होना पड़ा। भेदभाव के ऐसे मामलों के विरुद्ध जनहित याचिकाएं लगाने में कुछ गैर–सरकारी संगठनों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका और न्यायालयों द्वारा ऐसे लोगों के अधिकारों के समर्थन में की गई न्यायिक उद्घोषणाओं से इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के कष्ट में आंशिक रूप से कमी करने में मदद मिली है। उपचार के विकल्प अभी भी प्रारंभिक परीक्षण स्थितियों में हैं और निषेधक रूप से महंगे हैं। जहां कम से कम वर्ष 2000 ईस्वी तक कोई भी वैक्सीन नजर में नहीं है, बहु–औषध प्रोटीज इन्हिबीटर थिरेपी, जो "काकटेल थिरेपी" के नाम से लोकप्रिय है, इस बीमारी का उपचार नहीं है और इससे केवल रोगी के जीवन को लंबा खींचने में मदद मिल सकती है। इन औषधों की थिरेप्युटिक जांचें अभी तक शुरू की अवस्थाओं में हैं और इस बात का डर है कि कहीं रोगियों में औषध के प्रति प्रतिरोध शक्ति और आनुषंगिक प्रभाव विकसित न हो जाएं यदि थिरेपी को उचित चिकित्सीय पर्यवेक्षण में नहीं दिया गया। नीम हकीमों के ऐसे दृष्टांत भी हुए हैं जिनमें उन्होंने स्थिति का लाभ उठाया है, तथाकथित जड़ी–बूटी उपचार के जरिए उत्साहवर्धक उपचार किया तथा उन लोगों से वायरस से संक्रमित होने की गलत आशंका जाहिर करके काफी अधिक मात्रा में पैसा उग लिया।

1.3 रक्त के जरिए इस बीमारी का संचरण यद्यपि कुल रोगियों के 8 प्रतिशत तक सीमित था, भी एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि जनसंख्या पर गलत आशंका व्यक्त करने से वह इस माध्यम से संक्रिमत हो सकती है यदि निरापद रक्त सुनिश्चित नहीं किया जाता है। काफी अधिक संख्या में छोटे और मध्यम दर्जे के रक्त बैंकों जिनमें से अनेक निजी क्षेत्र में हैं, से भी यह समस्या बढ़ गई है। उच्चतम न्यायालय के मई, 1996 के निदेश से मई, 1997 तक गैर–लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों को और दिसम्बर, 1997 तक व्यावसायिक रक्तदाताओं को क्रमिक रूप से समाप्त करने में मदद मिली है। सिफिलिस, मलेरिया और हैपेटाइटिस–बी के साथ एच. आई. वी. को अनिवार्य जांच जो अब देश भर में शुरु कर दी गई है, से रक्ताधान के जरिए एच. आई. वी. वायरस के संचरण पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

1.4 इंजेक्शन द्वारा नशीली औषधें लेने वालों की समस्या विश्वव्यापी नहीं है और यह पूर्वोत्तर राज्यों और महानगरों को शहरी बस्तियों तक सीमित है। इंजेक्शन की सूइयों, जो ऐसे मामलों में संचरण का मुख्य कारण है, का बार–बार नशीली औषधों के प्रयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। औषध व्यसन और एच. आई. वी. संचरण की जुड़वां समस्या एच. आई. वी. निवारण कार्यक्रम में एक गंभीर नैतिक समस्या पैदा करती है। सूइयों के आदान–प्रदान के कार्यक्रमों जो अन्य देशों में नशीली औषधों के उपयोगकर्ताओं के लिए निर्जीवाणकृत सूइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शुरू किए गए हैं, को भारत में नैतिक अड़चनों के कारण पसंद नहीं किया जाता है।

1.5 यद्यपि हजारों ब्यूटी पारलरों, हेयर कटिंग सैलूनों और डेंटल क्लिनिकों में सूइयों, रेजरों और अन्य काटने के उपस्करों के जरिए एच. आई. वी. का संचरण उपेक्षणीय है, फिर भी, इनमें से अधिकतर प्रतिष्ठानों में स्वच्छता पद्धतियों का अभाव असंदिग्ध आम जनसंख्या जो इन जगहों पर रोज आती है, के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी पैदा करता है। सूइयों और तेजधार वाले कटिंग करने के उपस्करों के जरिए एच. आई. वी. संचरण के अवसरों पर कम से कम करने और लगभग उनका उन्मूलन करने के लिए स्वीकार्य स्वास्थ्य संबंधी मानकों तक इन प्रतिष्ठानों को लाए जाने की अत्याधिक आवश्यकता है।

1.6 भारत में मौजूद क्षयरोग के लगभग 14 मिलियन रोगियों के साथ एच. आई. वी./एड्स, एच. आई. वी./क्षयरोग सह–संक्रमण को एक जुड़वा चुनौती पैदा करती है। लगभग 60 प्रतिशत एड्स रोगी अवसरवादी क्षयरोग संक्रमण के सूचित किए जाते हैं। एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों के बीचक्षयरोग का उपचार राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए एक नई चुनौती है जिसमें अब क्षयरोग संक्रमण के नियंत्रण के लिए डॉट्स नीति अपनाई गई है। कुछ औषधें जिनकी क्षयरोग के उपचार के लिए सिफारिश की जाती है एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों के मामलों में जटिलताएं पैदा करती है और उन्हें उच्च एच. आई. वी. व्याप्तता वाले क्षेत्रों में वापिस लेना पड़ा। उसी समय क्षयरोग संक्रमित व्यक्तियों के बीच एच. आई. वी. की जांच करने से देश में काफी बड़ी तादाद में क्षयरोग संक्रमित रोगियों को डॉट्स नीति के अंतर्गत उपचार से वंचित होने की समस्या भी पैदा हो जाएगी। किसी भी क्षयरोग के रोगी को एच. आई. वी. से संक्रमित होने का तब तक कोई खतरा नहीं होगा जब तक वह (पुरुष अथवा महिला) उच्च जोखिम का आचरण नहीं करती/करता अथवा एच. आई. वी. संक्रमित रक्त चढ़ाने से संक्रमित नहीं होता या होती।

1.7 एच. आई. वी./एड्स ऐसी बीमारी नहीं है जो छुट–पुट रूप से फैलती है और यह एक विशिष्ट पैटर्न के परिणास्वरूप फैलती है और इसके जोरदार सामाजिक आर्थिक निहितार्थ होते हैं। इससे क्षयरोग, न्यूमोनिया और क्रिप्टोकोक्कल मेंनिनजाइटिस जैसे अवसरवादी संक्रमणों को नियंत्रित करने में पर्याप्त मात्रा में धन ही खर्च नहीं होता अपितु इससे व्यक्ति अपने मुख्य उत्पादकता वर्षों के संदर्भ में गंभीर रूप से कुप्रभावित होते हैं जिससे उन्हें और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक हानि होती है।

1.8 ये सभी पहलू विभिन्न तरीकों से जरिए होने वाले एच. आई. वी. संक्रमण को एक असाधारण चुनौती प्रदान करते हैं जिनका लंबी अवधि तक पता नहीं चलता और कुछ वर्षों तक अवसरवादी संक्रमणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। भारत में जिसका अधिक और घनी जनसंख्या, निम्न साक्षरता स्तर और उसके परिणामस्वरूप जागरूकता के निम्न स्तर हैं, एच. आई. वी./एड्स एक अत्याधिक चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है जिसका देश ने पहले कभी सामना नहीं किया है।

2. उत्तरकारिता :

2.1 देश में प्रथम एच. आई. वी./एड्स के रोगी की सूचना

मिलने के शीघ्र बाद सरकार ने इस समस्या की गंभीरता का पता लगाया और इस महामारी की रोकथाम करने हेतु अनेक उपाय किए। 1986 में एक उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय एड्स समिति गठित की गई और उसके एक वर्ष के बाद एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरू के वर्षों में इस कार्यक्रम को जन संचार कार्यक्रमों के जरिए जन–जागरुकता पैदा करने, रक्ताधान प्रयोजनों के लिए रक्त की जांच शुरू करने और अधिकेन्द्रों में निगरानी कार्यकलाप आयोजित करने पर केन्द्रित किया गया। 1992 में सरकार ने भारत एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए एक बहु–क्षेत्रीय कार्यनीति तैयार की। इसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के जरिए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरों पर राज्य एड्स सैलों/सोसायटियों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम को निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित किया गया जो सार्वभौमिक एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यनीति के समनुरूप है :–

1. कार्यक्रम प्रबंध,
2. निगरानी और अनुसंधान,
3. सूचना, शिक्षा और संचार जिसमें गैर सरकारी संगठनों के जरिए गतिशीलता शामिल है,
4. यौन संचारित रोगों का नियंत्रण,
5. कंडोम कार्यक्रम,
6. रक्त निरापदता, और
7. प्रभाव में कमी।

2.2 पांच वर्षों तक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बाद सरकार देश की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच एच. आई. वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछले वर्षों में अपनी सफलता पर संतोष के साथ दृष्टिपात कर सकती है। जागरूकता स्तर जो महामारी के शुरू में लगभग नगण्य थे, शहरी क्षेत्रों में बढ़कर लगभग 70–80 प्रतिशत हो गए हैं और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता स्तर लगभग 30 प्रतिशत के निम्न स्तर पर ही हैं।

2.3 रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, रक्त बैंकों की लाइसेंसिंग पद्धति शुरू करके और व्यावसायिक रक्तदाताओं को क्रमिक रूप से समाप्त करके रक्त निरापदता सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गई हैं। घटक पृथक्करण सुविधाएं शुरू करने से रक्ताधान के लिए संपूर्ण रक्त के इस्तेमाल में भी मदद मिली है। कलकत्ता के सोनागाची क्षेत्र में देह का व्यापार करने वाले व्यक्तियों, चेन्नई में पुरुष द्वारा पुरुष के साथ सहवास करने और मणिपुर में नशीली औषध का इंजेक्शन द्वारा इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों में कुछ बहुत ही सफल उपचार कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों की समर्पित भागीदारी के जरिए आयोजित किए गए थे। सामाजिक विपणन के जरिए अच्छी किस्म के कंडोमों की उपलब्धता से पिछले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

2.4 अभी भी कार्यक्रम में बहुत सी कमियां रह गई हैं और पिछले 11 वर्षों के दौरान बहुत सबक सीखे गए हैं। प्रारंभिक अधि केन्द्रों से शेष देश में बीमारी के अत्याधिक फैलने से सभी स्तरों पर एच. आई. वी./एड्स के विरुद्ध उत्तरकारिता में एक प्रतिमान बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता को कम आंका गया है जिससे एच. आई. वी./एड्स की समस्या के बदले हुए स्वरूप से कारगर ढंग से निपटने के लिए एच. आई. वी./एड्स पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करना अनिवार्य हो गया है। एच. आई. वी./एड्स को केवल एक जन स्वास्थ्य मुद्दे की बजाए एक विकासात्मक समस्या के रूप में लेते हुए एच. आई. वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण संबंधी पूरे कार्यक्रम को बदल कर एक अधिक समग्रतावादी एप्रोच बनाए जाने की जरूरत है।

2.5 इस प्रयोजन के लिए एच. आई. वी./एड्स निवारण और नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ अनेक विचार–विमर्श किए गए हैं। एच. आई. वी./एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यनीति के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने हेतु गठित किए गए तकनीकी कार्य समूह ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। अन्ततः राष्ट्रीय एड्स समिति ने नीति संबंधों दिशा–निर्देशों पर विचार–विमर्श किया और नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने मूल्यवान सुझाव दिए।

3. उद्देश्य

3.1 नीति का सामान्य उद्देश्य महामारी को और आगे फैलने से रोकना तथा केवल संक्रमित व्यक्तियों पर ही नहीं अपितु सभी स्तरों पर आम जनसंख्या की स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर महामारी के प्रभाव को भी कम करना है। नीति के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

(i) एच. आई. वी. संक्रमण के फैलने को रोकने और व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभाव को कम करने हेतु सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से दोहराना।

(ii) भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालयों और अभिकरणों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों, पंचायती संस्थाओं और स्थानीय निकायों जैसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरोंपर सभी सहभागियों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना ताकि इसे एक सच्चा राष्ट्रीय प्रयास बनाया जा सके।

(iii) एच. आई. वी./एड्स समस्या की रोकथाम और उसे कम करने के लिए व्यापक स्तर पर सामुदायिक पहल के लिए पर्याप्त संख्या में गैर सरकारी संगठनों/सी. बी. ओ. का सहयोग जुटाना।

(iv) एच. आई. वी./एड्स के निवारण के लिए अधिक सहयोगी सामाजिक–आर्थिक वातावरण का संवर्धन।

(v) महिलाओं, बच्चों और अन्य समाज के कमजोर वर्गों को उनकी स्वास्थ्य शिक्षा, वैधानिक स्टेटस और आर्थिक

संभावनाओं में सुधार करके एच. आई. वी. संक्रमण के प्रति संवेदनशील होने से रोकना।

(vi) एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों को पर्याप्त और समान स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना और समाज में उनके विरुद्ध कलंक और भेदभाव करने की समस्या पर काबू पाने के लिए अप्रतिरोध्य जन स्वास्थ्य मूलाधार पर ध्यान आकर्षित करना।

(vii) व्यापक स्तर पर लोगों के बीच एच. आई. वी. संक्रमण की उत्तम सूझ–बूझ को बढ़ावा देना, इसके संचरण के स्वरूप के बारे में अत्याधिक जागरूकता पैदा करना और रोग को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित बिहेबोरल पद्धतियां अपनाना।

(viii) अस्पतालों और घरों दोनों में एड्स से पीड़ित लोगों की परिचर्या और सहायता के लिए समुचित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रदान करना।

(ix) वैक्सीनों, औषधों, स्वास्थ्य परिचर्या की नई पद्धतियों और अन्य वित्तीय और प्रबंधकीय निवेशों में अनुसंधान के क्षेत्र में सहायता और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ लगातार बातचीत करना।

4. कार्यनीति

4.1 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य रोग के निवारण और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कार्यनीति तैयार करना है :–

(i) अत्यधिक संख्या में लोगों और विशेष रूप से अधिक खतरे वाले समूहों को इस रोग की जटिलताओं के बारे में जागरूक बनाकर इस रोग को और आगे फैलने से रोकना और इस रोग से संक्रमित होने से बचाने के लिए आवश्यक उपस्कर प्रदान करना। कामुकता में सक्रिय आर्थिक रूप से उत्पादक समूहों के बीच एच. आई. वी. संक्रमण से निवारण के एक उपाय के रूप में कंडोम को बढ़ावा देने के साथ यौन संचारित रोगों का नियंत्रण, निवारण कार्यनीति का अत्याधिक महत्वपूर्ण घटक होगा।

(ii) एक समर्थ सामाजिक आर्थिक वातावरण तैयार करना ताकि एच. आई. वी./एड्स से ग्रस्त व्यक्ति और परिवार अपने परिवार और समुदाय के सहयोग से इस समस्या की रोकथाम कर सकें।

(iii) अस्पतालों और घरों दोनों में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के जरिए बीमारी के समय एड्स के साथ रह रहे लोगों की परिचर्या के लिए सेवाओं में सुधार करना।

5. नीतिगत पहलें

इस प्रयोजन के लिए यह नीति राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों पर जोर देती है ताकि सरकार के अंदर और सरकार के बाहर दोनों में सभी स्तरों पर एच. आई. वी./एड्स से निपटने में एक निदर्शनात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

5.1 कार्यक्रम प्रबंधन

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को अब तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले के रूप में देखा गया है। फिर भी, स्वभावगत व्यवहार और कठिन सामाजिक–आर्थिक उलझनों के कारण इस रोग का परिणामात्मक मामले के रूप में उपचार करने की जरूरत है जो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों से मेल नहीं खाता। चूंकि जनसंख्या का आर्थिक दृष्टि से उत्पादक वर्ग इस रोग से सबसे ज्यादा सुग्राह्य होता है, इसलिए रेल, भारी उद्योग, इस्पात, कोयला जैसे मंत्रालयों तथा बड़े पैमाने पर श्रमशक्ति नियोजित करने वाले दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस कार्यक्रम में सक्रिय रूपेण सम्मिलित किए जाने की जरूरत है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों की श्रमशक्ति के उत्पादक वर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करने हेतु उन्हें एकजुट किए जाने की जरूरत है। कल्याण, महिला और शिशु कल्याण, शिक्षा जैसे सामाजिक मंत्रालयों को अपने–अपने विभागों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एच. आई. वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तैयार करके चलाने चाहिए। इन मत्रालयों की ओर से इन विभागीय कार्यक्रमों के लिए सुदृढ़ बजटीय और प्रबंधकीय सहायता रहनी चाहिए।

5.1.2 राज्य सरकारों को अपने–अपने स्तरों पर एच. आई. वी./एड्स निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम का स्पष्ट स्वामित्व में विकास करना चाहिए। चूंकि इस रोग की व्याप्तता और इसकी जटिलताएं राज्य–दर–राज्य भिन्न–भिन्न होती हैं, इसलिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि में रखते हुए इस रोग से जूझने हेतु अपनी निजी कार्यनीतियां और कार्यक्रमों के लिए उपाय सोचना चाहिए। यह देखा गया है कि जहां भी राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम पर स्पष्ट स्वामित्व रहता है वहां यह अत्याधिक सफल रहा है। चूंकि रोग की व्याप्तता सीधे–सीधे शहरीकरण की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप देह का व्यापर करने वालों, नशा सेवन करने वालों, गुदा मैथुनकर्ताओं जैसे अधिक जोखिम पूर्ण व्यवहार करने वाले समूहों से संबंधित है, अतः महानगरों में नगर निगमों को एड्स निवारण और नियंत्रण हेतु अपनी निजी कार्यनीति तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नगर निगमों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष निधिकरण प्रशासनिक गत्यावरोध को बहुत दूर तक कम कर सकता है और इससे रोग के प्रभावी नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

5.1.3 चूंकि एच. आई. वी./एड्स इस देश के लिए अपेक्षाकृत नया है, इसलिए समस्या से निपटने के लिए जिला अथवा उप जिला स्तर पर कारगर क्षेत्रस्थ संगठन नहीं रहा है। कुष्ठ, क्षयरोग आदि रोगों में जिला स्तरीय सोसायटियां कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों से सीधे धन प्राप्त करती हैं। एच. आई. वी./एड्स निवारण और नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर समान बुनियादी ढांचा सृजित करने की सख्त जरूरत है। इससे निधियों

की शीघ्र निकासी में न केवल मदद मिलेगी वरन् त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और शहरी नगर पालिकाओं से लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता भी प्राप्त होगी। जिला दंडनायक/समाहर्ता एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन कार्यक्रम में सहायता देने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी आधारभूत ढांचा मुहैया करा सकेगा।

5.1.4 यह महसूस किया जाता है कि गैर सरकारी संगठनों सहित समुदाय के संगठित वर्गों के जरिए केंद्र, राज्य, जिला और उप–जिला स्तरों पर बड़े पैमाने पर एकजुटता से इस रोग के और अधिक फैलाव को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद मिल सकती है। अधिक संख्या में योग्य तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिकों को मुहैया कराके राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एड्स नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने की भी महती आवश्यकता है।

5.2 हिमायत और सामाजिक एकजुटता

5.2.1 एच. आई. वी./एड्स संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार के सक्षम अभियान के बावजूद स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी पद्धति में लगे हुए चिकित्सा और पराचिकित्सा कार्मिकों की तो बात ही क्या विधायकों, राजनेताओं और सामाजिक नेताओं, नौकरशाही, प्रचार माध्यमों, व्यापार तथा उद्योग जगत् के नेताओं एवं व्यावसायिक अभिकरणों में अब भी रोग की गंभीर उलझनों के बारे में जानकारी अल्प है। सभी स्तरों पर इन जनमत नेताओं, नीति–निर्माताओं तथा सेवा प्रदायकों के लिए एक जबरदस्त हिमायती मुहिम प्रारंभ किए जाने की जरूरत है ताकि रोग के तत्काल निवारण की जरूरत के बारे में उन्हें जानकारी देकर अभिप्रेरित किया जा सके और पहले से एच. आई. वी./एड्स से संक्रमित हो चुके व्यक्तियों के प्रति नरम रवैया अपनाया जा सके। सरकार, सरकार के उच्चतम स्तर से इसकी हिमायत की शुरुआत करने तथा देश भर में इसकी जानकारी देने की जरूरत पर जोर देती है।

5.2.2. सरकार और सरकार बाह्य दोनों के अंर्तगत वृहत संख्या वाले चिकित्सा और पराचिकित्सा कार्मिकों में भी इस रोग के प्रसार के कारणों के बारे में सूचना की गंभीर कमी भी हैं। इससे समुदाय की तो बात ही क्या, अस्पतालों, औषधालयों और कार्यस्थलों में एच. आई. वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों से भेदभाव करने की कुल मिलाकर नौबत आ जाती है। ऐसे भेदभाव और एच. आई. वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों से लोगों के दूर रहने की प्रवृति को मिटा देने के लिए सभी स्तरों पर समर्थन की सख्त जरूरत है।

5.2.3. शैक्षिक संस्थाओं में एड्स शिक्षा पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर प्रणाली से प्रदान की जानी चाहिए। स्कूलों में एड्स शिक्षा कार्यक्रम तथा "विश्वविद्यालय वार्ता एड्स" कार्यक्रम (यूनिवर्सिटी टाक एड्स) की समस्त देश में व्यापक प्रयोज्यता होनी चाहिए, ताकि छात्र समुदाय के वृहत् वर्गों को एकजुट करके उनमें चेतना जगाई जा सके तथा उन्हें शेष समुदाय के लिए अनन्य पथ–प्रदर्शक बनाया जा सके। देश के ओर–छोर में फैले हुए युवा संगठनों, खेलकूद सभाओं और नेहरू युवक केंद्रों के व्यापक तंत्र के जरिए छात्रेत्तर युवकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एड्स निवारण शिक्षा को भी कार्यकर्ता शिक्षा कार्यक्रमों और सामाजिक विकास योजनाओं में आमेलित कर दिया जाना चाहिए।

5.2.4. इलेक्ट्रानिक तथा प्रिन्ट मिडिया से करीब–करीब सार्वभौम कवरेज में भारत में सूचना का प्रसार–प्रचार होने लगा है। आम जनता में एच. आई. वी./एड्स के बारे में जागरूकता के स्तरों पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी का आंशिक श्रेय एलेक्ट्रानिक मिडिया को दिया जा सकता है जिसने बिल्कुल ग्राम स्तर तक इस संदेश को पहुंचा दिया है। यद्यपि इस रोग के बारे में सामान्य जागरुकता है तथापि संचरण की विधि, अपने–आपको संक्रमित होने से बचाने के तरीके आदि जैसे विनिर्दिष्ट पहलू आबादी के एक वृहत भाग में अब भी अज्ञात हैं, इसीलिए छात्रों, युवकों, महिलाओं, बच्चों और प्रवासी श्रमिकों आदि जैसे लक्षित समूहों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम उपलब्ध रखने की जरूरत है। इलेक्ट्रानिक मिडिया को एच. आई. वी./एड्स से संबंधित सभी पहलुओं की सूचना प्रसारित करने के लिए सकारात्मक सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों जैसे परिवार के अंतर्गत प्रेम, सौहार्द और स्नेह को मजबूत करने के साथ–साथ एक सुसमन्वित प्रचार माध्यम नीति का विकास करना चाहिए। सामाजिक एकजुटता तथा सूचना एवं अनुभव प्रदानगी के लिए अभियान चलाने में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, और अन्य प्रिन्ट मिडिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि रोग निवारण के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके। एच. आई. वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण और एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्ति की परिचर्या करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में मिडिया को सामन्यतया सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध बेहतरीन संचारकर्ता प्रतिभा–संपन्न व्यक्तियों को मिडिया के इन अभियानों को तैयार करने में लगाया जाना चाहिए जिसे स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय जरूरतों एवं स्वरूपों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिया अभियानों को स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों पर जोर डालना चाहिए और इन्हें लोक नृत्यों, जात्राओं, कठपुतली प्रदर्शनों, आदि के जरिए आयोजित किया जाना चाहिए।

5.2.5. निगमित क्षेत्र को अपने सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में कार्यस्थल और उससे बाहर दोनों में अपने कर्मचारियों को सेवा प्रदान करने सहित एड्स निवारण कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों व औषधालयों के व्यापक तंत्र को प्रभावी ढंग से ऐसा काम करना चाहिए कि इस रोग के निवारण का संदेश प्रचारित हो सके एवं एच. आई. वी./एड्स से संक्रमित श्रमिकों व उनके परिवारों की सेवा की जा सके।

5.3 गैर सरकारी संगठनों/सी. बी. ओ. की सहभागिता

5.3.1. गैर सरकारी संगठनों ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण के क्षेत्रों में तथा संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में अपने नूतन सूझ–बूझ से स्वास्थ्य जगत में उल्लेखनीय योगदान किया है। स्वैच्छिक क्षेत्र की सहभागिता को एच. आई. वी./एड्स में प्रोत्साहित करते रहना अनिवार्य है। एड्स ग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को सामुदायिक सहायता

प्रदान करने तथा अपेक्षित परिचर्या व परामर्श प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन की सहभागिता के महत्व को स्वीकार किया है। लोगों की सहभागिता, अन्तर्वैयक्तिक मेलजोल तथा सुग्राहिता, सर्जकता तथा व्यवहार्यता बढ़ाने में गैर सरकारी संगठन अपने अनुभव भी समुदाय स्तरीय काम में लगाते हैं तथा एच. आई. वी./एड्स कार्यक्रम को इस तरह जबरदस्त रूप से लाभ पहुंचाते हैं। नाको ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों की हिस्सेदारी के लिए विशेष दिशा–निर्देश प्रतिपादित किए हैं।

5.3.2. देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रोग के प्रसार से उत्पन्न हुई नई चुनौतियों का मुकाबला करने की जरूरत को देखते हुए यह अनिवार्य है कि इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों की हिस्सेदारी के लिए दिशानिर्देश को अद्यतन तथा संशोधित किया जाए। दोनों ओर का अनुभव अब तक मिला जुला रहा है। यद्यपि देह व्यापार करने वाले श्रमिकों तथा दूसरे समूहों में जाग्रति उत्पन्न करने, परामर्श सुविधा तथा उपचार विधान परियोजनाएं मुहैया कराने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा आरंभ किए गए अनेक कार्यक्रम सफल रहे हैं तथापि नवगठित गैर सरकारी संगठनों में सम्यक् परिप्रेक्ष्य के अभाव के कारण कतिपय नाकामियां भी हाथ लगी हैं। बहुत कम आधारिक गैर सरकारी संगठन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे आ रहे हैं।

5.3.3. गैर सरकारी संगठन सरकार की ओर से विविध स्तरों पर अधिकारियों के आदान–प्रदान न किए जाने जैसी संरचनात्मक व दूसरी दिक्कतों का सामना करते रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के तौर–तरीकों व निष्पादन में एकरूपता तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर सरकारी अधिकारियों में पर्याप्त अभिन्यास का भी अभाव है। गैर सरकारी संगठनों के मामलों को हैंडल करने में विलंब होते हैं जिससे गैर सरकारी संगठनों की रुचि कभी–कभी मंद पड़ जाती है और वे कार्यविरत हो जाते हैं। निधि संवितरण में विलंब होना और धन के समुपयोजन न कि संपन्न कार्य के प्रभाव निर्धारण पर अत्याधिक जोर देना गैर सरकारी संगठन की वित्तपोषण प्रक्रिया में कुछ गंभीर दोषों में से हैं।

5.3.4. सरकार इन समस्त अड़चनों को जानती है और वह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों/सी. बी. ओ. की बड़े पैमाने पर सहभागिता और हिस्सेदारी के प्रति निम्नलिखित रूपेण प्रतिबद्ध है :–

(i) राष्ट्रीय एड्स समिति में नियमित बातचीत और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के जरिए नीति निर्माण अवस्था में गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना।

(ii) जागरूकता लाने तथा परामर्श देने के परंपरागत क्षेत्रों के अलावा, नए क्षेत्रों जैसे गृह आधारित परिचर्या सहित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने एवं धर्मशालाएं आदि खोलने में उनकी भागीदारी में विस्तार करना।

(iii) सरकार गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को शुरू करने में और प्रयास करेगी ताकि इन अतिरिक्त कर्तव्यों पर अमल करने हेतु उन्हें अधिकृत किया जा सके।

(iv) गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी हेतु नाको द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को संशोधित एवं अद्यतन किया जाएगा ताकिनाको कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की और अधिक भागीदारी को आसान बनाने तथा गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण में नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले विलंबों में कमी लाई जा सके।

(v) सरकार गैर सरकारी संगठनों में जालतंत्र को प्रोत्साहित करेगी ताकि कुछेक क्षेत्रों में प्रयत्नों को दुहराने से बचा जा सके। भिन्न–भिन्न राज्यों में नोडल गैर सरकारी संगठनों की पहचान के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ताकि उस क्षेत्र में कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों के कार्य को समन्वित किया जा सके। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में आने वाली समस्या को भी दूर करे।

5.3.5. सरकार केंद्र और राज्य स्तरों पर गैर सरकारी संगठनों एवं सरकार के बीच सहयोग सुनिश्चित करने एवं बढ़ाने के लिए इन सभी मामलों पर ध्यान देगी ताकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में गैर सरकारी क्षेत्र की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

5.4 एच. आई. वी. परीक्षण

5.4.1. देश में इस विषय पर सक्रिय बहस हो रही है कि क्या एच. आई. वी. संक्रमण संदिग्ध रूप से वहन कर रहे व्यक्तियों की जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। इस विषय पर काफी विचार व्यक्त किया गया है। सरकार महसूस करती है किसी व्यक्ति की एच. आई. वी./एड्स के लिए अनिवार्यतया जांच करने में जन स्वास्थ्य का तर्काधार नहीं है। दूसरी ओर ऐसा कदम अलाभकर हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में संदिग्ध रोगी पहचान और उपचार किए जाने से भयभीत हो सकते हैं। एच. आई. वी. जांच से पूर्व और जांच के बाद उपयुक्त परामर्श देते हुए स्वैच्छिक आधार पर एच. आई. वी. जांच करना एक बेहतर कार्यनीति के रूप में समझी जाती है एवं यह कार्यनीति एच. आई. वी. जांच संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों की अनुगामी है। भारत सरकार ने एच. आई. वी. जांच संबंधी एक व्यापक नीति पहले ही जारी कर दी है और निम्नलिखित विषयों पर यहां जोर दिया गया है :–

(i) किसी भी व्यक्ति की अनिवार्य रूप से एच. आई. वी. जांच न कराई जानी चाहिए।

(ii) नियोजन अथवा नियोजन की अवधि में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में अनिवार्य रूप से एच. आई. वी जांच कराने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

(iii) जांचपूर्व एवं जांचोतर परामर्श देने के साथ पर्याप्त स्वैच्छिक परीक्षण सुविधाएं देश भर में चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देश के प्रत्येक जिले में कम–से–कम एक एच. आई. वी. जांच केंद्र होना चाहिए जिसे चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है।

(iv) यदि कोई व्यक्ति एच. आई. वी. के संबंध में अपनी स्थिति

जांच के जरिए सत्यापित कराना चाहता है तो उस व्यक्ति को सभी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और इसके परिणामों को बिलकुल गोपनीय रखा जाना चाहिए तथा उसी व्यक्ति को और उसकी सम्मति से उसके परिवार के सदस्यों को बताया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी को एच. आई. वी. की स्थिति के बारे में जानकारी और सूचना देना पूर्ण रूप से उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन उस व्यक्ति को यह सूचना अपने पति या पत्नी और परिवार को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यदि वह व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाता है तो इससे गृह आधारित उचित परिचर्या प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(v) विवाह करने की स्थिति में, यदि कोई साथी अपने दूसरे साथी की एच. आई. वी. स्थिति का पता लगाने के लिए जांच कराने पर जोर देता है तो ऐसी जांचें संबंधित व्यक्ति की संतुष्टि पर कंट्रेक्टिंग पार्टी द्वारा कराई जानी चाहिए।

5.4.2 नाको में अपनाई गई एच. आई. वी. जांच संबंधी नीति विभिन्न प्रकार की कराई जा चुकी जांचों के लिए समुचित पाई गई है। फिलहाल लोगों की निम्नलिखित जांचें की जाती हैं :

क. रक्त बैंकों में जांचें।

ख. जानपदिक रोग विज्ञानी और सर्वेक्षण।

ग. नैदानिक प्रबंधन के लिए पुष्टि जांच तथा स्वैच्छिक जांच।

5.4.3. रक्तदान करने के लिए जांच करने के मामले में रैपिड/एलिसा द्वारा अयुग्मित (सिंगल) जांच एच. आई. वी. पाजिटिव रक्त की संभावना दूर करने हेतु की जाती है। जानपदिक रोग विज्ञानी सर्वेक्षणों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है अर्थात् एलिसा अथवा रैपिड अथवा सरल जांच से एक अथवा दो जांचें। उक्त दोनों मामलों में जांच अनामी होती है और बिना मांगे संबंधित व्यक्ति को इसके परिणाम नहीं दिए जाते। नैदानिक प्रबंधन के मामले में और जो व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एच. आई. वी. स्थिति की जांच कराना चाहते हों उसकी पुष्टि जांच के लिए ऐसा भिन्न-भिन्न प्रतिजन विरचना से कम-से-कम दो एलिसा और एक रैपिड/सरल जांच से किया जाएगा। इसका निष्कर्ष जांचपूर्व और जांचोतर उचित परामर्श देते हुए बताया जाता है।

5.5 परामर्श

एच. आई. वी. संक्रमण के संदिग्ध रोगियों और एच. आई. वी./एड्स वाले लोगों के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि इन सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाए जाए जिनको इनकी जरूरत है। सभी अस्पतालों, एच. आई. वी. जांच केन्द्रों, रक्त बैंकों, यौन संचारित रोग क्लीनिकों और एच. आई. वी./एड्स वाले लोगों द्वारा बनाए गए संगठनों के पास परामर्श सेवायें होनी चाहिए जो प्रशिक्षित और व्यावसायिक परामर्शदाताओं द्वारा दी जानी चाहिए।सरकार इन परामर्श केन्द्रों को चलाने के लिए काफी संख्या में परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और इन केन्द्रों की स्थापना के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। एड्स वाले लोगों के बीच ग्रुप परामर्श, जो काफी प्रभावी सिद्ध हुआ है, को आवश्यक वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.6 एड्स से पीड़ित लोग

5.6.1. संक्रमण के पूरे देश में फैलने से समाज में एच. आई. वी. संक्रमित लोगों की संख्या में काफी तेजी आयेगी। वे विभिन्न सामाजिक हैसियत और आर्थिक पृष्ठभूमियों से संबंधित हैं। एच. आई. वी. स्टेटस घोषित करने से पहले परामर्श प्रदान करने के अलावा सरकार (क) उनकी गोपनीयता और अन्य मानव अधिकारों की रक्षा और (ख) अस्पतालों तथा समुदाय में उचित परिचर्या और सहायता को सुनिश्चित करके इन लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की सुनिश्चितता के लिए प्रयास करेगी।

5.6.2. एच. आई. वी. पॉजिटिव व्यक्तियों को समाज के अन्य सदस्यों की तरह शिक्षा और रोजगार के समान अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एच. आई. वी. स्टेटस गुप्त रखा जाना चाहिए ताकि यह किसी भी तरह उस व्यक्ति के रोजगार के अधिकार, कार्यस्थल पर उसकी स्थिति, वैवाहित संबंध और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावित न कर सके।

5.6.3. एच. आई. वी. से पीड़ित महिला को गर्भावस्था और बच्चे को जन्म देने से संबंधित निर्णय लेने को पूरी छूट होनी चाहिए। महिलाओं के एच. आई. वी. स्टेटस के आधार पर उनका जबरदस्ती गर्भपात या बंध्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस बारे में उचित परामर्श दिया जाना चाहिए। कि वे अपना गर्भ धारण करने या गर्भपात करने के बारे में उचित निर्णय ले सकें।

5.6.4. सरकार एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों के बीच ग्रुप परामर्श, घरेलू परिचर्या और उनके परिवारों और सदस्यों की सहायता के लिए स्वयं-सहायता समूह बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेगी और सहायता करेगी। इस उद्देश्य के लिए गैर-सरकारी संगठनों की आवश्यकता के माध्यम से सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा और सहायता दी जाएगी।

5.6.5. एड्स वाले लोगों के उपचार, परिचर्या और सहायता के संबंध में नीति यह है कि बिना किसी भेदभाव के घरेलू उपचार आधारित क्लीनिकल प्रबन्ध, नर्सिंग परिचर्या और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता वाली एक अविच्छिन्न विस्तृत परिचर्या तैयार की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के संसाधनों को गतिशील किया जाएगा।

5.6.6. सरकारी डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पराचिकित्सा कार्मिकों के बीच गहन अनुसमर्थन और सुग्राह्यता कार्य शुरू करेगी ताकि एड्स वाले लोगों के साथ भेदभाव न हो, उन्हें कलंकित न किया जाये या उन्हें सेवा देने से मना न किया जाए। डॉक्टरों द्वारा अपने क्लीनिकों, नर्सिंग होमों और अस्पतालों में चिकित्सा उपचार देने से मना करने की घटनाओं पर सरकार ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है, जिससे एड्स वाले व्यक्तियों का कलंकीकरण बढ़ रहा है। एच. आई. वी. संक्रमण के खतरा या खतरों

की अविद्यमानता पर उपलब्ध अद्यतन ज्ञान के साथ इस प्रकार जरूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा परिचर्या देने से मना करना दुखद है। सरकार को आशा है कि स्वास्थ्य सेवा सेक्टर अवसर के अनुकूल हो जायेगा और एड्स वाले लोगों के समुदाय के कल्याण के लिए आवश्यक चिन्ता दिखायेगा तथा उचित चिकित्सा परिचर्या सुनिश्चित करेगा। चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के व्यावसायिक संगठनों को सतत् चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से फील्ड स्तर तक अपने सदस्यों को एड्स के बारे में सूचना का प्रसार करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्मिकों का निदान, तक्रसंगत उपचार और एच. आई. वी. संबंधित बीमारियों के उत्तरवर्ती उपचार में प्रशिक्षण को पूरे जोश के साथ जारी रखा जाना चाहिए।

5.6.7. जांच केन्द्रों और परामर्श स्थलों से अस्पतालों या क्लिनिकों, समुदाय आधारित सेवाओं और घरेलू परिचर्या के लिए एक प्रभावी सेवाओं की पद्धति शुरू की जाएगी। एड्स वाले लोगों को किताबों और दस्तावेजों के रूप में घरेलू परिचर्या के लिए पर्याप्त सूचना दी जायेगी ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें और स्व–सहायता को बढ़ावा दिया जा सके।

5.6.8. व्यापक सुरक्षा एहतियाती दिशा–निर्देशों के अनुसार एच. आई. वी./एड्स के क्लीनिकल प्रबन्ध के लिए अस्पतालों में जैव सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण उपायों का कड़ा प्रवर्तन अपेक्षित है। एड्स रोगियों के उपचार के लिए कोई विशेष उपस्करों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एच. आई. वी./एड्स से उत्पन्न होने वाले संक्रमणों के उपचार के लिए आवश्यक है। अस्पतालों द्वारा एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों का उपचार करते समय चिकित्सा और परा–चिकित्सा कार्मिकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव सुरक्षा उपस्करों की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना अपेक्षित है। सरकार इन अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए आवश्यक उपस्करों और औषधियों की सप्लाई को भी सुनिश्चित करेगी। प्लास्टिक और अन्य अवशेषों तथा एच. आई. वी.–संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली सूईयों के उचित प्रबन्ध के लिए उचित सुविधायें भी सृजित की जाएगी।

5.7 निगरानी और मॉनिटरिंग

5.7.1. एच. आई. वी. के निवारण और नियंत्रण के लिए सही कार्यनीति अपनाने हेतु निगरानी गतिविधियों के माध्यम से महामारी की मॉनिटरिंग की उचित पद्धति तैयार करने की व्यवस्था आवश्यक है। जनसंख्या के उच्च और निम्न जोखिम समूहों में एच. आई. वी. संक्रमणों दरों के आंकड़े प्राप्त करने और प्रवृतियों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार प्रहरी निगरानी पद्धति को बढ़ायेगी और परिष्कृत करेगी। अच्छी गुणवत्ता वाले आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का विकास किया जायेगा और उसे अपनाया जायेगा। सरकार को भारत में एच. आई. वी./एड्स की व्यापकता पर व्यापक जानपदिक रोग विज्ञानी आंकड़ों की अपर्याप्तता के बारे में पता है। सूचना की इस कमी को उच्च जोखिम समूहों और सामान्य जनसंख्या को कवर करते हुए उचित प्रहरी सर्वेक्षण तंत्र के माध्यम से पूरा किया जाएगा। समुदाय में एच. आई. वी./एड्स की व्यापकता पर विशेष सूचना के लिए विशेष सर्वेक्षण, सूचक सर्वेक्षण और लक्षित समूहों के जोखिम व्यवहार अध्ययन शुरू किए जायेंगे।

5.8. यौन संचारित रोगों का नियंत्रण :

5.8.1. भारतीय जनसंख्या में यौन संचारित रोगों की बढ़ती हुई व्याप्तता चिन्ता का कारण है क्योंकि विशेष तौर पर अल्सर वाले यौन संचारित रोगों की मौजूदगी और डिस्चार्ज एच. आई. वी. संक्रमण को फैलने में मदद करता है। अन्य लोगों की अपेक्षा यौन संचारित रोग वाले लोगों को संक्रमण का खतरा 8 से 10 गुना अधिक होता है। चूंकि यौन संचारित रोग और एच. आई. वी. वाले लोगों का जोखिम का व्यवहार एक जैसा होता है अतः भारत सरकार देश में एच. आई. वी./एड्स के फैलाव के नियंत्रण के लिए कार्यनीति के रूप में यौन संचारित रोगों की रोकथाम व नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता देगी। यौन संचारित रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी :–

(i) सलाक्षणिक एप्रोच के माध्यम से यौन संचारित रोगों का प्रबन्धन सामान्य स्वास्थ्य सेवा पद्धति में शामिल किया जायेगा। जब एक बार यौन संचारित रोगों का रोगी प्रबन्धन पारधीय स्वास्थ्य पद्धति में एकीकृत कर दिया जायेगा तब अनावश्यक रैफरल से बचा जा सकेगा जिससे जटिल रोगियों के प्रबन्धन तथा ऑपरेशनल अनुसंधान व पर्यवेक्षण स्थलों के लिए विशिष्ट सेवायें रह जायेंगी जहां पर यौन संचारित रोग के रोगियों का उपचार किया जाता है।

(ii) यद्यपि महिलाओं में यौन संचारित रोगों की व्यापकता ऊंची हैं परन्तु इसे दबा दिया जाता है क्योंकि इस रोग के साथ सामाजिक कलंक जुड़ा है। अतः सभी स्तरों पर प्रजनन ट्रक्ट संक्रमणों और यौन संचारित रोगों की उपचार सेवाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे एकीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परिवार कल्याण विभाग और नाको समन्वय करेंगे। जिला/ब्लाक/एफ. आर. यू. स्तर पर स्थित यौन संचारित रोग क्लीनिक परिधीय केन्द्रों से रेफर किए गए यौन रोगों के उपचार के लिए रैफरल केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और अन्य केन्द्रों में यौन संचारित रोग क्लीनिकों को तकनीकी उपस्कर, रिएजेन्टों और औषध प्रदान करके सुदृढ़ किया जायेगा। संलक्षण एप्रोच के माध्यम से एस. टी. आई./आर. टी. आई. सेवाओं को प्रदान करने में शामिल सभी चिकित्सा और परा–चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वृहत पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सभी यौन संचारित रोग क्लीनिक यौन संचारित रोग के रोगियों को परामर्श सेवायें और अच्छी गुणवत्ता के निरोध भी प्रदान करेंगे। यौन संचारित रोग क्लीनिकों में ऐसी परामर्श सेवायें प्रदान करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की सेवाओं का भी उपयोग किया जायेगा।

5.9. एच. आई. वी./एड्स निवारण उपाय के रूप में कंडोमों का प्रयोग :

5.9.1. उचित परिचर्या अथवा वैक्सीन द्वारा निवारण के अभाव के कारण एच. आई. वी. के संक्रमण को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग

ही केवल प्रभावी भौतिक अवरोधन है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले भी कंडोमों का जनसंख्या नियंत्रण के एक सुरक्षित तरीके के तौर पर समर्थन किया गया है। एड्स संबंधी परिदृश्य में कंडोमों के प्रयोग ने विशेष महत्व बना लिया है क्योंकि सम्पूर्ण संयम के अलावा यौन मार्ग के माध्यम से एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम के लिए यही केवल एक प्रभावी तरीका है। सरकार महसूस करती है कि कामुकता सक्रिय लोगों विशेषतः जो उच्च जोखिम का व्यवहार करते हैं, के बीच कंडोमों के प्रचार के लिए भी नैतिक, या धार्मिक अवरोधक नहीं होगा।

5.9.2. सरकार ने सामाजिक मार्किटिंग और समुदाय आधारित वितरण पद्धति के माध्यम से कंडोमों के प्रयोग की एक सर्वसम्मत नीति अपनाई है। यह भी देखा गया है कि सामाजिक मार्किटिंग कार्य नीति से देश में कंडोमों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। जहां कहीं कंडोमों की आवश्यकता है वहां पर कंडोमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अधिक आवश्यकता है। अस्पतालों, यौन संचारित रोग क्लीनिकों, परामर्श केन्द्रों, नर्सिंग होमों और चिकित्सा व्यवसायियों के निजी क्लीनिकों में भी रोगियों के प्रयोग के लिए कंडोमों की पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए। सामुदायिक औषध भंडारों, महत्वपूर्ण सड़कों और रेलवे जंक्शनों, सार्वजनिक स्थानों, विलासिता वाले होटलों आदि में कामुकता सक्रिय लोगों के प्रयोग के लिए कंडोमों की सामान्य उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह एच. आई. वी. के नियंत्रण व निवारण के दोनों उद्देश्य को प्राप्त करने और छोटे परिवार के मानक को बढ़ा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में सहायता करेगा। इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार कंडोमों की प्रभावोत्पादकता के बारे में सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य सूचना पैकेज के विकास को बढ़ावा देगी।

5.9.3. कंडोमों की उपलब्धता सुनिश्चित करते वक्त कंडोमों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की गारंटी को देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। कंडोमों के विनिर्माण और उत्पादन में पर्याप्त गुणवता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कंडोमों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में शामिल करने के लिए उसकी अनुसूची "आर" में हाल ही में संशोधित किया गया है। कामुकता सक्रिय लोगों में कंडोमों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में विनिर्माताओं की पर्याप्त संख्या है।

5.10. रक्त निरापदता पर नीति :

5.10.1. देश में हाल ही तक रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण 6–8% एच. आई. वी. संक्रमण होता था। रक्त के माध्यम से एच. आई. वी. संक्रमण के जेखिम को घटाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपायों की अवली अपनाई है:

(i) रक्त बैंकों में प्रयोग की जाने वाली सभी रक्त यूनिटों की एच. आई. वी., हेपाटाइटिस वी., मलेरिया और सिफलिश के लिए जांच अनिवार्य बना दी गई है।

(ii) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार सभी रक्त बैंकों की लाइसेंसिंग और सभी गैर–लाइसेंसिंग बैंकों के कार्यों को रोकने की एक उचित लाइसेंसिंग पद्धति शुरू की गई है।

(iii) सरकार ने सरकारी और गैर–सरकारी एजेन्सियों को शामिल करके स्वैच्छिक रक्तदान की वृद्धि हेतु व्यापक गतिशील प्रयास शुरू किये हैं। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार पैसे लेकर रक्त देने वाले दाताओं से रक्त एकत्रण की पद्धति को दिसम्बर, 1997 तक चरणवार तरीके से खत्म कर दिया जायेगा।

(iv) सरकार प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति की उपलब्धता सहित राज्य/जिला स्तरों पर पर्याप्त रक्त बैंकिग सेवाओं की स्थापना को सुनिश्चित करेगी।

(v) देश में सम्पूर्ण (वोल) रक्त की बजाए पर्याप्त रक्त घटकों की उपलब्धता के लिए रक्त का उचित नैदानिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक रक्त घटक पृथककरण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

(vi) सरकार रक्ताधान सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य रक्ताधान परिषदों की स्वायत निकायों के रूप में स्थापना करेगी। इन परिषदों को दिए गए अंशदानों को कर मुक्ति की सुविधा दी गई है। ये परिषदें देश में रक्ताधान सेवाओं के संवर्धन और लोगों के लिए सुरक्षित रक्त की सुनिश्चितता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। रक्त बैंकों में विशिष्टता प्राप्त चिकित्सा और परा–चिकित्सा कार्मिक तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा मेडिकल कालेजों में स्थित रक्त बैंकों का दर्जा बढ़ाने और उनका नाम रक्ताधान चिकितसा विभाग में रखा जाना अपेक्षित है।

5.10.2. रक्त बैंक सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ यह आशा की जाती है कि रक्त बैंकों के आधुनिक और प्रभावी नेटवक्र के माध्यम से रक्त और रक्त घटकों की मांग अच्छी तरह पूरी हो जायेगी, इस प्रकार रक्त के माध्यम से एच. आई. वी. संक्रमण का जोखिम न्यूनतम हो जायेगा।

5.11. अनुसंधान और विकास

5.11.1. देश में एच. आई. वी./एड्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रयत्न काफी सीमित रहे हैं। शताब्दी के अंत तक एक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना के साथ–साथ सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन तथा सहयोग देने की आवश्यकता समझती है :–

(i) सरकार भारत में व्याप्त एच. आई. वी. वायरस के स्ट्रेनों के अनुकूल वैक्सीनों के विकास के लिए विकसित देशों के वैज्ञानिक समूहों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। देश में वैक्सीन की जांच के लिए नयाचार विकसित करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान में एच. आई. वी. वैक्सीन में अनुसंधान और विकास को एक महंगे कार्यकलाप के रूप में माना जाता है लेकिन इससे जुड़ी समस्याओं की अधिकता के कारण यह प्रयत्न लागत सार्थक है।

(ii) अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में अनेक एंटी–रिट्रोवायरल औषधों के विकास ने एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों की एक विशाल संख्या को और अधिक दीर्घायु होने तथा रोग से संभाव्य मुक्ति की आशा भी जगाई है। फिर भी ये औषधें विकसित देशों के स्तरों पर भी अत्याधिक महंगी हैं। इन्हें वहन कर सकने वालों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार इन औषधों की खुले बाजार में पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु निशुल्क आयात करने की अनुमति देने की एक योजना को अपना रही है। सहयोगात्मक व्यवस्थाएं पाने हेतु निजी क्षेत्र में औषध उद्योग को प्रोत्साहन देकर इन औषधों के विनिर्माण को देशी बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। मां से बच्चे को प्रसवकालीन संक्रमण के बचाव में ए. जेड. टी. जैसे एंटी–रिट्रोवायरलों की क्षमता ने माताओं से बच्चों को संक्रमित होने से बचाने की आशा भी जगाई है। फिर भी, प्रसवपूर्ण अवस्था में उपचार के लिए अधिकारिक तौर पर शुरुआत किए जा सकने से पहले प्रत्याशित माताओं पर इन औषधों के प्रयोग पर मार्गदर्शी अध्ययन किए जाने हैं। सरकार गर्भवती महिलाओं सहित एच. आई. वी. संक्रमित लोगों में क्लिनिकल परिक्षणों के लिए एंटी–रिट्रोवायरलों की क्षमता पर मार्गदर्शी अध्ययन प्रायोजित करती रहेंगी।

5.11.2. सरकार एच. आई. वी. से संबंधित उपकरण जैसे परिक्षण किटों के देशीकरण को भी बढ़ावा देगी जिससे सेवा की लागत पर्याप्त सीमा तक कम होगी।

5.12. उपचार की देशी पद्धति

5.12.1. वैसे परिदृश्य में जहां एंटी–रिट्रोवायरल औषधें अत्यंत महंगी हैं, होम्योपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध जैसी उपचार की देशी पद्धतियों को जांचने की तत्काल आवश्यकता है। इन पद्धतियों की कुछ औषधों में रोगी के शरीर में वायरल भार कम करने की क्षमता है जो संक्रमित व्यक्तियों के दीर्घ तथा अधिक स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है। सरकार ने उपचार की होम्योपैथी और सिद्ध पद्धतियों में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की हैं और इनके उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। यह औषधों के विकास हेतु देशी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में अनुसंधान को प्रायोजित करने की एक योजना चलाएगी जो यदि संक्रमण से पूर्ण स्वस्थ न भी कर पाए तो भी एंटी–रिट्रोवायरल के प्रयोजन को पूरा कर सकती है।

5.12.2. साथ ही साथ जादुई जड़ी–बूटी से एच. आई. वी./एड्स से उपचार की खोज करने का दावा करने वाले धोखेबाज लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश में किसी औषध या उपचार की किसी पद्धति को उपचार की पद्धति या औषध के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जो आयुर्वेद परिषद, यूनानी परिषद् या होम्योपैथी परिषद् जैसे व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए गए परीक्षणों पर खरी नहीं उतरती। एच. आई. वी. से प्रभावित लोगों की पीड़ा का फायदा उठाने तथा उनसे अत्याधिक धनराशि ठगने वाले धोखेबाज लोगों के मामलों से कड़ाई से निपटने हेतु ड्रग एंड मैजिक रिमेडिज एक्ट में संशोधन आवश्यक है। नीम हकीमी में लगे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा ऐसे उपचार के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है।

5.13. द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.13.1. सरकार यू. एन. पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विकसित दुनिया में विभिन्न देशों के द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा दिए गए सक्रिय सहयोग को संतोष के साथ नोट करती है। विगत 5 वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के एक प्रमुख भाग का वित्त पोषण किया है। इसने भविष्य में सक्रिय सहयोग की इस नीति को जारी रखने में भी अपनी रुचि दिखलाई हैं। वे सभी संगठन जो संयुक्त राष्ट्र एड्स थीम ग्रुप की संघटक इकाइयां हैं, भारत में कुछ समय से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों में कार्य करती रही हैं। इन संस्थानों को जनसंख्या के आर्थिक रूप से उत्पादक और सामाजिक रूप से शोषित वर्गों के मध्य एच. आई. वी./एड्स की बढ़ती व्यापकता के संदर्भ में अपने कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। यू. एन. एड्स के रूप में जाने जाने वाले एच. आई. वी./एड्स पर "दा ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन्स कार्यक्रम" को इस कार्यक्रम के लिए आर्थिक के साथ–साथ तकनीकी विशेषज्ञता दोनों प्रदान करने के संदर्भ में एक बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र आधारित 6 संगठनों से बने संयुक्त राष्ट्र एड्स थीम ग्रुप को एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध करने तथा क्रियान्वित करने में सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच सहयोग प्रदान करने वाले एजेंसी के रूप में कार्य करने में एक अत्यंत प्रभावी भूमिका निभानी है। सरकार की नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि प्रयासों के उत्पादन रहित दुराव से बचने हेतु स्रोतों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हों।

5.13.2. अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों के साथ विकसित किए गए द्विपक्षीय सहयोग को विशेष इंटरवेंशन कार्यक्रमों को चलाने हेतु आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इन देशों से प्राप्त तकनीकी तथा प्रबंधकीय निवेश का अधिकतम उपयोग किया जा सके। सरकार अपनी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण योजनाओं में इन देशों के साथ–साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र के पड़ोसी देशों के साथ आपसी सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ावा देगी। औषध प्रयोग, श्रमिक प्रव्रजन, महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक स्तर तथा सामाजिक विकलांग व्यक्तियों जैसे रुचि के क्षेत्र जो कि पड़ोसी देशों में उभयनिष्ठ हैं, पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक उभयनिष्ठ आधार हो सकते हैं। सरकार एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए वैक्सीनों, औषधों और उपकरणों के विकास में सक्रिय तकनीकी सहयोग प्राप्त करेगी तथा इस उद्देश्य की ओर द्विपक्षीय सहयोग मांगेगी।

6. निष्कर्ष

ठीक जैसे एच. आई. वी. संक्रमण उच्च खतरे वाली जनसंख्या की सीमाओं को लांघकर जनसाधारण में पहुंच गया है वैसे ही बचाव तथा परिचर्या कार्यक्रम भी एक क्रांतिक अवस्था में पहुंच गए हैं। भारत सरकार एच. आई. वी./एड्स को इसके प्रारंभिक चरण में ही रोकने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है, इससे पहले कि यह एक प्रलयवादी महामारी का रूप ले ले। भारत सरकार एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण को महज एक जनस्वास्थ्य मुद्दे के रूप में नहीं देखती बल्कि गहन सामाजिक आर्थिक मुद्दे के रूप में देखती है जो जनसंख्या के सभी वर्गों को उनके क्षेत्रीय आर्थिक या सामाजिक हैसियत लिहाज किए बिना प्रभावित करती है। सरकारी और सामाजिक स्तर पर अधिक स्वामित्व, सहभागिता, हिस्सेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। भारत सरकार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य संसाधनों की प्रतिबद्धता द्वारा मुख्य मुद्दों को सुलझाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराती है। एक संगठित नीति तथा इससे निकली कार्य योजना को अपनाकर सरकार अगले पांच वर्षों के अंदर सामान्य जनसंख्या में महामारी को नियंत्रित करने तथा इसके विस्तार को धीमा करने की आशा रखती हैं। सरकार आशा करती है कि सरकारी तथा गैर–सरकारी सैक्टरों की सभी भाग ले रही एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियां भारत में एच. आई. वी./एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के अपने प्रयासों में इस राष्ट्रीय नीति के अनुरूप नीतियां तथा कार्यक्रमों को अपनाएगी।

[हिन्दी]

मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण

2563. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री रामटहल चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मेडिकल और दन्त चिकित्सा कॉलेजों सहित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु प्रावधान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित मामला विचाराधीन है।

उर्वरक उत्पादन

2564. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान देश की प्रत्येक फैक्टरी ने उर्वरक का कुल कितना उत्पादन किया;

(ख) राज्य–वार कुल कितना उर्वरक वितरण हुआ;

(ग) क्या उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को हानि तो नहीं हुई; और

(घ) किसानों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) देश में गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक कारखाने द्वारा उत्पादित यूरिया की कुल मात्रा के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) गत छः महीनों में प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डी. ए. पी. तथा एम. ओ. पी. के राज्य वार प्रेषण संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसके लिए राज्यवार आबंटन किए जाते हैं। खरीफ 98 और चालू रबी मौसम के दौरान देश के किसी भाग से यूरिया की कमी की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। अनियंत्रित उर्वरक होने के कारण डी. ए. पी. और एम. ओ. पी. की उपलब्धता कृषि एवं सहकारिता विभाग की रियायत योजना के मापदण्डों के भीतर प्रचालित मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा विनियमित की जाती हैं। डी. ए. पी. और एम. ओ. पी. के आयात असरणीबद्ध हैं।

खरीफ, 1998 के दौरान देश में किसी राज्य से डी. ए. पी. की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि डाई अमोनियम फॉस्फेट (डी. ए. पी.) के संबंध में राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में रबी मौसम के दौरान स्थानीकृत कमियां इस समय महसूस की जा रही हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ है कि गेहूं बोये जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि के कारण सर्वाधिक मांग में वृद्धि हुई है।

एम. ओ. पी. की रियायत दरों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उसके आयात पर प्रभाव पड़ा जिससे खरीफ के दौरान एम. ओ. पी. की कमी हुई। तथापि, रबी 1998–99 के दौरान कोई कमी आने की आशा नहीं है क्योंकि इस मौसम के दौरान आयात के 15 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।

विवरण–I

गत छः महीने के दौरान उर्वरकों का एकक–वार उत्पादन

(000" मी. टन.)

संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पादन मात्रा	जून–नवम्बर, 98	
			एन	पी
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र				
आवंटन एकक				
एन. एफ. एल. :				
नांगल–I	सी. ए. एन.	123.4	30.9	0.0
नांगल–II	यूरिया	196.3	90.3	0.0
भटिंडा	यूरिया	270.1	124.2	0.0
पानीपत	यूरिया	280.6	129.1	0.0
विजयपुर	यूरिया	406.6	187.0	0.0
विजयपुर विस्तार	यूरिया	463.8	213.3	0.0
योग (एन. एफ. एल.) :		1740.8	774.9	0.0
कैक्ट				
उद्योग मण्डल	ए/एस	103.2	21.7	0.0
	20 : 20	80.8	16.2	16.2
कोचीन–I	यूरिया	112.1	51.6	0.0
कोचीन–II	20 : 20	296.1	59.2	59.2
	डी. ए. पी.	0.0	0.0	0.0
कुल (एफ. ए. सी. टी.)		592.2	148.6	75.4
आर. सी. एफ.				
ट्राम्बे	यूरिया	0.0	0.0	0.0
	15 : 15 : 15	198.2	29.7	29.7
ट्राम्बे–II	20.7 : 20.7	126.6	26.2	26.2
ट्राम्बे–I	यूरिया	169.7	78.1	0.0
थाल	यूरिया	825.3	379.6	0.0
कुल (आर. सी. एफ.)		1319.8	513.6	55.9
एम. एफ. एल. : चेन्नई	यूरिया (बिक्री)	109.9	50.6	0.0
	17 : 17 : 17	283.8	48.2	48.2

1	2	3	4	5
	डी. ए. पी.	21.8	3.9	10.0
	19 : 19 : 19	1.1	0.2	0.2
	14 : 28 : 14	14.9	2.1	4.2
कुल (एम. एफ. एल.) :		431.5	105.0	62.7
सेल : राउरकेला	सी. ए. एन.	50.9	12.7	0.0
एन. एल. सी. : नवेली	यूरिया	24.1	11.1	0.0
		0.0		
पी. पी. एल. : पारादीप	डी. ए. पी.	432.6	77.9	199.0
	12 : 32 : 16	3.1	0.4	1.0
	10 : 26 : 26	0.0	0.0	0.0
कुल (पी. पी. एल.)		435.7	78.2	200.0
उप–उत्पाद	ए/एस	58.6	12.3	0.0
एस. एस. पी.	एस. एस. पी.	12.3	0.0	2.0
पी. पी. सी. एल. : अमझोर	एस. एस. पी.	49.2	0.0	7.9
पी. पी. सी. एल. : सलादीपुरा	एस. एस. पी.	21.6	0.0	3.5
पी. पी. सी. एल. : खेतड़ी	एस. एस. पी.	5.8	0.0	0.9
कुल (अर्थक्षम) :		4742.5	1656.5	408.2
हानि वाले एकक				
एफ. सी. आई. :				
सिन्दरी आद्यु	यूरिया	110.9	51.0	0.0
गोरखपुर	यूरिया	0.0	0.0	0.0
रामागुण्डम	यूरिया	17.0	7.8	0.0
तालचर	यूरिया	39.8	18.3	0.0
कुल (एफ. सी. आई.) :		167.7	77.1	0.0
एच. एफ. सी. :				
नामरूप–I	ए/एस	0.0	0.0	0.0
नामरूप–II	यूरिया	0.0	0.0	0.0
नामरूप–III	यूरिया	51.9	23.9	0.0
दुर्गापुर	यूरिया	0.0	0.0	0.0
बरौनी	यूरिया	9.9	4.6	0.0
कुल (एच. एफ. सी.) :		61.8	28.4	0.0

1	2	3	4	5
कुल (हानि वाले)		229.5	105.6	0.0
कुल (निजी क्षेत्र)		4972.0	1762.1	408.2
सहकारी क्षेत्र				
इफको :				
काण्डला	10 : 26 : 26	89.5	9.0	23.3
	12 :32 : 16	91.8	11.0	29.4
	डी. ए. पी.	407.0	73.3	187.2
कलोल	यूरिया (बिक्री)	256.2	117.9	0.0
फुलपूर	यूरिया	298.7	137.4	0.0
फुलपूर विस्तार	यूरिया	399.9	184.0	0.0
आंवला	यूरिया	409.7	188.5	0.0
आंवला विस्तार	यूरिया	433.5	199.4	0.0
कुल (इफको) :		2386.3	920.3	239.9
कृभको : हाजीरा	यूरिया	783.0	360.2	0.0
कुल (सहकारी क्षेत्र) :		3169.3	1280.5	239.9
कुल (निजी + सहकारी) :		8141.3	3042.5	648.0
निजी क्षेत्र				
जी. एस. एफ. सी. : वदोधरा	यूरिया	156.7	72.1	0.0
	ए/एस	129.9	27.3	0.0
	डी. ए. पी.	88.8	16.0	40.8
योग :		375.4	115.3	40.8
	डीएपी	15.0	2.7	6.9
सी. एफ. सी. : विजम	28:28	98.3	27.5	27.5
	14:35:14	32.2	4.5	11.3
	16:20	7.3	1.2	1.5
	20:20	34.4	6.9	6.9
	योग :	187.2	42.8	54.0
एस. एफ. सी. : कोटा	यूरिया	210.6	96.9	0.0
	यूरिया	369.5	170.0	0.0
	यूरिया (सेल)	162.7	74.8	0.0

1	2	3	4	5
	19 : 19 : 19	38.2	7.3	7.3
	28 : 28	3.2	0.9	0.9
	20 : 20	7.7	1.5	1.5
	डी. ए. पी.	65.8	11.8	30.3
	योग :	277.6	96.4	40.0
एस. पी. आई. सी. : टुटीकोरोन	यूरिया	265.9	122.3	0.0
	डी. ए. पी.	301.9	54.3	138.9
	योग :	567.8	176.7	138.9
एम. सी. एफ. : मंगलौर	यूरिया	178.5	82.1	0.0
	डी. ए. पी.	93.5	16.8	43.0
	योग :	272.0	98.9	43.0
जी. एन. एफ. सी. : भराईच	यूरिया	346.5	159.6	0.0
	सी. ए. एन.	81.9	20.5	0.0
	20 : 20	74.0	14.6	14.8
	योग :	502.4	194.7	14.8
इ. आई. डी. : पेरी : ईनोर	16 : 20	104.3	16.7	20.9
ओ. एफ. सी. एल. : तलीजा	23 : 23	77.5	17.8	17.8
टी. ए. सी. : टुटीकोरीन	ए./सी.	26.9	6.7	0.0
पी. एन. एफ. : नांगल	ए./सी.	0.0	0.0	0.0
एच. एल. एल. : हलदीया	डी. ए. पी.	127.2	22.9	58.5
जी. एस. एफ. सी. : सीका	डी. ए. पी.	224.1	40.3	103.1
जी. एफ. सी. : काकीनाड़ा	डी. ए. पी.	310.8	55.9	143.0
	20 : 20	17.3	3.5	3.5
योग :		328.1	59.4	146.4
एन. एफ. सी. एल. : काकीनाड़ा	यूरिया	325.6	149.8	0.0
एन. एफ. सी. एल. : काकीनाड़ा एक्सपेन	यूरिया	244.6	112.8	0.0
आई. जी. सी. एल. : जगदीशपुर	यूरिया	522.5	240.4	0.0
सी. एफ. सी. एल. : गडेपन	यूरिया	502.8	231.3	0.0
आई. सी. एल. : बबरोला	यूरिया	426.5	196.2	0.0
ओ. सी. एफ. : साहाजानपुर	यूरिया	486.0	223.6	0.0
उप–उत्पाद	ए./एस.	8.5	1.3	0.0

1	2	3	4	5
एस. एस. पी. यूनिट	एस. एस. पी.	1365.0	0.0	218.4
योग (निजी क्षेत्र)		7532.1	2311.0	896.6
योग (सार्व : सहाकारी : निजी)		15673.4	5353.4	1544.7
	यूरिया	9867.4	4539.0	0.0
	ए./एस.	300.2	63.0	0.0
	सी. ए. एन.	256.2	64.1	0.0
	ए./सी.	26.9	6.7	0.0
	डी. ए. पी.	2088.5	375.9	960.7
	एस. एस. पी.	1453.9	0.0	232.6
	20 : 20	510.3	102.1	102.1
	15 : 15 : 15	198.2	29.7	29.7
	20.7 : 20.7	126.6	26.2	26.2
	17 : 17 : 17	283.8	48.2	48.2
	10 : 26 : 26	89.5	9.0	23.3
	12 : 32 : 16	94.9	11.4	30.4
	14 : 35 : 14	32.2	4.5	11.3
	14 : 28 : 14	14.9	2.1	4.2
	19 : 19 : 19	39.3	7.5	7.5
	28 : 28	101.5	28.4	28.4
	23 : 23	77.5	17.8	17.8
	16 : 20	111.6	17.9	22.3
	योग :	15673.4	5353.5	1544.7

विवरण–II

गत छः माह में यूरिया, डी. ए. पी. और एम. ओ. पी. के राज्य–वार प्रेषण

(000 मी. टन अंकों में)

क्रम सं.	राज्य	यूरिया	डी. ए. पी.	एम. ओ. पी.
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	941.85	399.92	75.99
2.	कर्नाटक	570.37	181.07	69.91

1	2	3	4	5
3.	केरल	72.26	6.01	30.83
4.	तमिलनाडु	380.64	144.41	184.26
5.	अण्डमान एण्ड निकोबार	0.41	–	–
6.	लक्षद्वीप	–	–	–
7.	पाण्डिचेरी	9.21	3.43	2.70
8.	गुजरात	706.66	299.47	44.48
9.	मध्यप्रदेश	650.72	286.65	21.91
10.	महाराष्ट्र	937.25	236.26	73.41
11.	राजस्थान	542.43	203.28	3.80
12.	दादरा एण्ड नागर हवेली	0.72	–	–
13.	गोवा	2.14	0.32	1.77
14.	दमन एण्ड दीव	0.16	–	–
15.	हरियाणा	652.22	270.54	2.31
16.	हिमाचल प्रदेश	28.32	–	2.33
17.	जम्मू एण्ड कश्मीर	38.40	11.57	1.51
18.	पंजाब	1042.23	386.64	23.07
19.	उत्तर प्रदेश	2339.63	626.23	106.67
20.	चण्डीगढ़	0.41	–	–
21.	दिल्ली	18.97	1.98	0.60
22.	बिहार	722.83	231.12	51.46
23.	उड़ीसा	220.47	50.75	29.18
24.	प. बंगाल	394.31	216.04	84.08
25.	आसाम	52.29	6.98	6.57
26.	मणीपुर	20.27	–	0.34
27.	मेघालय	2.75	–	0.20
28.	नागालैण्ड	0.36	–	–
29.	सिक्किम	0.55	2.33	–
30.	त्रिपुरा	10.65	–	0.15
31.	अरुणाचल प्रदेश	0.42	–	0.22
32.	मिजोरम	0.44	–	–
	योग :	10360.34	3565.00	817.75

[अनुवाद]

रव्वा तेल क्षेत्र

2565. श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री के. येरननायडू :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में रव्वा तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) तेल क्षेत्रों से पूर्ण उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री **(श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) अगस्त–नवम्बर, 1998 के दौरान एस. पी. एम. के खराब होने के कारण क्षेत्र से उत्पादन में व्यवधान आया था।

(ग) उत्पादन 28.11.98 से पुनः आरम्भ हो गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु डीलरशिप

2566. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

श्री जयसिंहजी चौहान :

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कहां–कहां कितने डीजल/पैट्रोल पंप कार्यरत हैं।

(ख) क्या पश्चिमी जोन विशेषकर गुजरात में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(घ) उक्त डीलरशिप कब तक कहां–कहां आबंटित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.10.1998 को गुजरात में 1078 खुदरा बिक्री डीलरशिपें कार्यरत थीं।

(ख) से (घ) पश्चिम क्षेत्र में, जिसमें गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा तथा मध्य प्रदेशा शामिल है, चयन के लिए 1395 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा एस. के. ओ./एल. डी. ओ. डीलरशिपें लम्बित हैं। तेल कंपनियों ने इनमें से अधिकांश स्थानों का पहले ही विज्ञापन दे दिया है और शेष स्थानों का भी चरणबद्ध ढंग से विज्ञापन दिया जाएगा। डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए मध्य प्रदेश के लिए चार तथा गुजरात के लिए एक डीलर चयन बोर्ड की स्थापना पहले ही कर दी गई है। सामान्यतः विज्ञापन की तारीख से करीब एक–दो वर्ष के अंदर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू हो जाती है।

"फन एण्ड फूड विलेज" को बिना लाइसेंस चलाया जाना

2567. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापसहेड़ा, दिल्ली में "फन एण्ड फूड विलेज" लाइसेंसिंग प्राधिकारी से बगैर कोई लाइसेंस प्राप्त किए चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली में बिना लाइसेंस के चल रहे इस प्रकार के अन्य संस्थानों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली में बिना लाइसेंस के इस प्रकार का कोई संस्थान नहीं चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन

2568. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केवल गुप्त मतदान से चुने गए व्यवसाय संघों को ही मान्यता देने के लिए व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) श्रमिक संघ अधिनियम में सामाजिक सहभागियों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर संशोधन किए जाते हैं। वर्तमान में उद्योग में अनुशासन संहिता यह अपेक्षा करती है कि प्रबंधन 1958 के भारतीय श्रम सम्मेलन के 16वें सत्र में श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्मित मानदंडों के अनुसार श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करे।

[अनुवाद]

वक्फ में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति

2569. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के विरुद्ध एक गैर–मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) यह सच है कि पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में एक गैर–मुस्लिम की नियुक्ति की गई है। चूंकि वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के अधिक्रमण के दौरान बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य एक व्यक्ति द्वारा (प्रशासक के रूप में सरकार द्वारा पदनामित) यह उल्लेख किए बिना करनी होती है कि वह व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए, इसलिए बोर्ड के प्रशासक के रूप में एक गैर–मुस्लिम की नियुक्ति करना इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं है तथापि, यह नियुक्ति केवल एक कामचलाऊ व्यवस्था है तथा पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में एक मुस्लिम की नियुक्ति करने के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया गया है।

तपेदिक केन्द्र में तपेदिक स्वास्थ्य सेवी/

सेविका प्रशिक्षण के लिए सीटें

2570. श्री अशोक प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू शिक्षा/सत्र के दौरान प्रतिवर्ष तपेदिक केन्द्र में तपेदिक स्वास्थ्य सेवी/सेविका प्रशिक्षण के लिए कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सीटों को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों से संबंधित कुल कितने उम्मीदवारों को उक्त पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए सीटों का कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान क्षयरोग केन्द्र नई दिल्ली में क्षयरोग स्वास्थ्य विजिटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या 20 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षयरोग स्वास्थ्य विजिटर पाठ्यक्रम में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1995–96	शून्य	शून्य	शून्य
1996–97	1	शून्य	1
1997–98	1	1	शून्य

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वोहरा समिति की रिपोर्ट

2571. श्री विजय गोयल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राजनीतिज्ञों के माफिया के साथ संबंधों की जांच हेतु गठित वोहरा समिति की रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के संबंधों का पर्दाफाश करने हेतु कोई नई समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) वोहरा समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न आसूचना एजेंसियों से सूचना/आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए तथा शिनाख्त शुदा संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की ताकि राजनीतिज्ञों, नौकरशाह और व्यापारियों के साथ अपराधियों का गठजोड़ समाप्त हो जाये। तदनुसार 2.8.95 को गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा.), निदेशक (आ. ब्यूरो.) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गई। मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इसके अध्यक्ष का पद संभालने के साथ गृह सचिव, सचिव (राजस्व) सचिव (रा.), निदेशक (आ. ब्यूरो), निदेशक (केन्द्रीय जांच बयूरो) को सदस्य के रूप में लेकर 5.1.96 को इस नोडल ग्रुप का पुनर्गठन किया गया।

बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में जनवरी, 1998 में इस नोडल ग्रुप का पुनर्गठन कर गृह सचिव को अध्यक्ष, सदस्य (जांच पड़ताल), सी. बी. डी. टी., महानिदेशक (राजस्व आसूचना), निदेशक (प्रवर्तन) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य बनाया गया। सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण), सचिव (राजस्व), सचिव (रा.) और निदेशक (आ. ब्यूरो) को सरकार द्वारा नोडल ग्रुप के विशेष आमंत्रित व्यक्ति बनाया गया। नोडल ग्रुप की बैठक हर माह होती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कैंसर रोधी दवाई पर अनुसंधान

2572. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कैंसर रोधी दवाई के रूप में टैक्सोल पर कोई अनुसंधान या अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने टाक्सोल पर किसी भी अध्ययन का समर्थन नहीं किया है।

सूरजमुखी के फूल का उत्पादन

2573. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री अनूप लाल यादव :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सूरजमुखी के उत्पादन के बारे में 14 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4017 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में सूरजमुखी के फूल का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या नैफेड को राज्य से सूरजमुखी फूल के स्टाक को लेने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौसन प्रत्येक वर्ष नैफेड द्वारा कितनी खरीद हुई ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान सूरजमुखी का कुल उत्पादन निम्न प्रकार से है :—

(हजार टन में)

वर्ष	उत्पादन
1994–95	4.7
1995–96	4.6
1996–97	5.0

(ख) और (ग) सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) पर सूरजमुखी सहित तिलहनों की खरीद करने के लिए नैफेड एक नोडल एजेंसी है। बिहार में चूंकि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हुई हैं इसलिए नैफेड के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में प्राप्ति का कार्य नहीं किया जा सका।

ईसाइयों की जनसंख्या

2574. श्री वैको : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत क्या है;

(ख) कितनी ईसाई ननों तथा महिलाओं पर हमले तथा उनके साथ बलात्कार किए गए; और

(ग) इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में ईसाइयों की जनसंख्या 0.65% है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश (झबुआ जिले) में चार (4) ननों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।

(ग) भारत के संविधान के तहत "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों का पंजीकरण, जांच–पड़ताल करना और पता लगाना तथा अपराधों को रोकना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

यद्यपि, अपराध की रोकथाम करना और उसका पता लगाने का काम अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का है, फिर भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान–प्रदान करने के अलावा उनकी पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए उन्हें मदद देती आ रही है।

अल्पसंख्यकों पर हमले की हाल की घटनाओं के बाद संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि वे जिला कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों/शोषण की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाये और दोषी व्यक्तियों को पहचानने और सजा देने के लिए तत्काल और प्रभावकारी कार्रवाई शुरू की जाये। सरकार का यह स्पष्ट विचार है कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जब भी और जिस भी रूप में हिंसात्मक कार्रवाई हो तो उससे सख्ती से निपटा जाये तथा ऐसा करने वालों को अनुकरणीय दण्ड दिया जाये।

बेरोजगारी की समस्याएं

2575. श्री एन. डेनिस :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बेरोजगारी से निपटने के लिए उपायों के रूप में शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर जोर देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों द्वारा प्रकाशित "विश्व रोजगार रिपोर्ट 1998–99" में दिए गए अभिमतों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) चालू वर्ष और नौवीं योजनावधि के दौरान देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान और कौशल के उन्नयन का उत्पादकता एवं रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कामगारों की उत्पादकता एवं नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ग) नौवीं योजना नीति में श्रम सघन, सरल, लागत प्रभावी तथा बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में सुगमता से अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उत्पादकता पर विशेष बल देते हुए रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन के लिए नीति

2576. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोई नवीनतम नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के क्रियान्वयन के माध्यम से उर्वरकों के लक्षित उत्पादन को प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (ग) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा कोई नई नीति तैयार नहीं की गई है। वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान इन पोषकों के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि इस प्रकार है :–

पोषक	वर्ष 1997–98		वर्ष 1998–99	
लाख मी. टन में	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन (अनुमानित)
नाइट्रोजन	96.11	100.85	106.82	104.26
फॉस्फेट	28.60	29.76	30.26	29.97

[अनुवाद]

नए केन्द्रीय दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन

2577. श्री संदीपन थोरात : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ एल. पी. जी. डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोशियेशन ने नए केन्द्रीय दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गैस वितरकों की वास्तविक शिकायतों के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) विदर्भ एल. पी. जी. वितरक संघ ने 12 मई, 1998 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों को रद्द करने की मांग करते हुए मुम्बई (नागपुर शाखा) में उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अन्तरिम रोक आदेश मंजूर करते हुए दिनांक 15.10.1998 को एक एकपक्षीय आदेश पारित किया। यह मामला फिलहाल न्यायाधीन है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों ने संशोधित विपणन अनुशासन दिशा–निर्देश, 1998 के क्रियान्वयन को रोक दिया है और वे एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरों की न्यायोचित शिकायतों के निवारण के लिए उक्त दिशा–निर्देशों का पुनरीक्षण भी कर रही हैं।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

2578. श्री रवि सीताराम नायक :

श्री वैको :

श्री पी. शंकरन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मानसिक रूप से विकलांग कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया,

(ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इनके लिए कार्यान्वित की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में स्थान-वार कितने कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

मेडिकल छात्रों से ली जाने वाली "कैपिटेशन फीस"

2579. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में मेडिकल शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है और देश भर के मेडिकल कालेज छात्रों से बहुत अधिक "कैपिटेशन फीस" वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सही और मेहनती छात्रों को धनाभाव के कारण मेडिकल कालेजों में दाखिला नहीं मिल पाता है; और

(घ) यदि हां, तो देश भर में विभिन्न मेडिकल कालेजों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) मेडिकल कालेजों के वाणिज्यिकरण को रोकने और प्राइवेट मेडिकल कालेजों को केपिटेशन फीस लेने से रोकने के लिए उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम राज्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्राइवेट मेडिकल कालेजों में दाखिलों को विनियमित करने की एक स्कीम तैयार की थी और इन मेडिकल कालेजों द्वारा ली जाने वाली फीस का विशिष्ट ढांचा भी तय किया था। स्कीम के अनुसार सभी प्राइवेट मेडिकल कालेजों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत मेरिट सीटें होंगी, 35 प्रतिशत भुगतान सीटें हैं और शेष 15 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीयों के लिए निर्धारित की गई हैं। प्रथम दो श्रेणियों अर्थात् मेरिट और भुगतान सीटों के लिए दाखिला या तो प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्धारित मेरिट के आधार पर या अर्हक परीक्षा में निर्धारित मेरिट के आधार पर संबंधित राज्यों में सक्षम प्राधिकरी द्वारा किया जाना है क्योंकि दाखिला पाने के लिए मेरिट एकमात्र मानदंड है इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई स्कीम से कठिन परिश्रम करने वाले छात्र लाभान्वित हुए हैं। जहां तक फीस ढांचे का संबंध है उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993-94 से 1996-97 तक नियत किया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1997-98 से प्राइवेट मेडिकल कालेजों में मेरिट और भुगतान सीटों के लिए फीस की ऊपरी सीमा नियत की है।

हाइड्रोकार्बन के भंडार

2580. श्री टी. आर. बालू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट के साथ-साथ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आस-पास हाइड्रोकार्बन के भण्डारों का पता लगाने के लिए बंगाल की खाड़ी में सीसमिक सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोकार्बन के भण्डारों के संबंध में एकत्र किए गए आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में अब तक खुदाई के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या तेल की खोज के लिए लाइसेंस देने की नई नीति के अन्तर्गत निवेश के लिए कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी आगे आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी हां। 1996-97 के दौरान ओ. एन. जी. सी. ने भूकम्पीय सर्वेक्षण किए और विजाग, यानम के क्षेत्र और पूर्वी तट के साथ-साथ के. जी. अपतट में कृष्णा नदी के मोहाने में 3383 लाइन कि. मी. के द्विआयामी भूकम्पीय आंकड़े अर्जित किए। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी. जी. एच.) ने भी पूर्वी अपतट और बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार के गहरे जल वाले क्षेत्रों में कुल 11035 लाइन कि. मी. के द्विआयामी भूकम्पीय आंकड़े और गुरुत्व-चुम्बकीय आंकड़े अर्जित किए।

(ग) ओ. एन. जी. सी. द्वारा अर्जित भूकम्पीय आंकड़ों का निर्वचन किया जा रहा है। पहले से प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर वेधन के लिए एक स्थान की पहचान की गई है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा अर्जित आंकड़ों का संसाधन, निर्वचन और समेकन आसपास के कम गहरे जल वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा अर्जित पहले के कुछ आंकड़ों के साथ किया गया है। अनेक बड़ी रचनाओं और नए भूवैज्ञानिक मैदानों का मानचित्र तैयार किया गया है। परिणामस्वरूप नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन. ई. एल. पी.) के प्रथम दौर के अन्तर्गत बारह गहरे जल वाले ब्लाकों को दिए जाने हेतु नियत किया गया है।

(घ) और (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का प्रचालन अभी किया जाना है तथापि 23 विदेशी और घरेलू तेल कंपनियों द्वारा गहरे जल के आंकड़ों को देखा गया है। सात कंपनियों ने इन आंकड़ों की खरीद की है।

रसोई गैस की डीलरशिप

2581. श्रीमती मिनाती सेन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, विशेषकर जलपाई गुड़ी जिले में रसोई गैस की कोई डीलरशिप दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। 1996–98 की एल. पी. जी. विपणन योजना के अंतर्गत असम के लिए 38 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। 4 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 1996–98 की विपणन योजना के अंतर्गत जिला जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल के लिए सम्मिलित की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम का बेस डिपो

2582. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कितने बेस डिपो हैं;

(ख) क्या राज्य में खाद्यान्नों की मांग पूरी करने के लिए ये डिपो पर्याप्त हैं;

(ग) राज्य के किन जिलों में इन बेस डिपो को अब तक स्थापित नहीं किया गया है;

(घ) क्या राज्य में और अधिक बेस डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल–वार ब्यौरा क्या है;

(च) किन–किन बेस डिपो में खाद्यान्नों की आपूर्ति साथ–साथ नहीं की जा रही है; और

(छ) इन खाद्यान्नों की आपूर्ति वहां से कब तक शुरू हो जाएगी ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के भंडारण और आपूर्ति के लिए 61 नामित निर्गम केन्द्र हैं। इन 61 भंडारण/निर्गम केन्द्रों में से 39 केन्द्र गरीबी की रेखा से ऊपर और गरीबी की रेखा से नीचे दोनों आबादी के लिए खाद्यान्न जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि 22 केन्द्र गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के अधीन ही खाद्यान्न जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

(ख) जीहां।

(ग) भिंड, शिवपुरी, राजगढ़, रायसेन, पन्ना, मंदसौर, शाजापुर, सिहोर, कोरिया, उमाना, नीमच, क्वारधा, जंजगीर, कोरबा, दांतेवाड़ा, बादवानी और हरदा जिलों में भारतीय खाद्य निगम का कोई डिपो नहीं है।

(घ) और (ङ) अर्जुनी के धामत्री में, भारतीय खाद्य निगम ने 10000 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कर लिया है और परिचालन कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। कटनी और कापा में क्रमशः 20000 टन और 25000 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(च) और (छ) इस समय 22 निर्गम केन्द्र हैं जहां से केवल गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

इस प्रकार की जाने वाली आपूर्ति में बदलाव रेल शीर्षों की कमी की बाधाओं और खाद्यान्नों की सड़क ढुलाई लागत, जो लगभग 60 लाख रुपये प्रति मास है संबंधी बाधाओं पर काबू पाने की शर्त के अध्यधीन है।

विवरण

केवल गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्न जारी करने के लिए निर्गम केन्द्रों की सूची		यदि गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी वाले केन्द्रों से स्टाक जारी किया जाता है तो गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए योजना पर वहन होने वाला अतिरिक्त खर्च
1		2
1.	शिवपुरकलां	4523
2.	धामनोड	172179
3.	खरगौन	217951
4.	अलीराजपुर	240321
5.	धमतारी	14972
6.	सिद्धि	160804
7.	बालाघाट	653328
8.	मांडला	2207409
9.	दिनदौरी	
10.	साहापुर,	

1		2
11.	सिओनी	669934
12.	लखनाडोने	513520
13.	छिंदवाड़ा	137208
14.	कानकेर	178949
15.	नारायणपुर	11273
16.	बीजापुर	24696
17.	सुकमा	16662
18.	कटघोरा	14778
19.	कार्गीरोड़	11734
20.	जशपुर नगर	20559
21.	रामानुजगंज	19300
22.	नजकपुर	3373

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत मिशनरी

2583. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने मिशनरी कार्यरत हैं और इनमें से कितने मिशनरी विदेशी हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह फैलाने के लिए ये मिशनरी जिम्मेदार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन मिशनरियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वक्फ की सम्पत्ति

2584. श्री आर. एस. गवई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वक्फ की सम्पत्तियों को बाजार दर से भी कम दर पर निजी व्यक्तियों को पट्टे पर देने के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि पंजाब वक्फ बोर्ड की कुछ वक्फ सम्पत्तियों को बाजार दर से कम दर पर निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दिया गया है। अन्य बोर्डों और/अथवा राज्य सरकारों के इसी तरह के मामले अब तक सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

(ख) सरकार के पास इस संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं तथा संबंधित राज्य सरकारों/राज्यों वक्फ बोर्डों से मंगाए गए हैं और उनसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) प्रचलित दरों के समतुल्य पट्टे की राशि बढ़ाने की दृष्टि से सरकार की सलाह पर पंजाब वक्फ बोर्ड में पट्टे की प्रणाली की पुनरीक्षा की जा रही है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2585. कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्री मोती लाल वोरा :

कुमारी किम गंगटे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए कोई परामर्शदात्री समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996–97 और 1997–98 के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और उनमें से राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों की सिफारिश की गई;

(घ) उनमें से 75 वर्ष से अधिक वृद्धों के कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सभी आवेदन पत्रों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान रद्द किए गए आवेदनों की संख्या क्रमशः 34,048 और 29,669 है। इनमें से अधिकांश पुनरीक्षण के मामले थे जिन्हें पहले भी एक या अधिक बार रद्द किया जा चुका था।

वर्ष 1996–97 में 2713 मामलों तथा 1997–98 में 2810 मामलों में राज्य सरकार से रिपोर्टें प्राप्त हुईं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा संस्तुत मामलों के संबंध में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। इसी तरह, आवेदकों की आयु के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) सभी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाते हैं। किसी भी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत कोई भी नवीन आवेदन लंबित नहीं पडा है।

भविष्य निधि पेंशन योजना

2586. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि पेंशन योजना के लिए सरकार के 1.16 प्रतिशत का अंशदान बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस अंशदान को बहाल करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य निधि पेंशन भोगियों को 4 प्रतिशत अंतरिम राहत देने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम 1952 के संगत उपबंधों के अनुरूप भविष्य निधि पेंशनिक फायदे में संशोधन करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) लाभभोगियों को 16.11.1996 से भुगतान में पेंशन पर 4% वृद्धि को संस्वीकृत किया जा चुका है।

(छ) से (झ) कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनीय लाभों का पुनरीक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए, योजना के तहत लाभों को बीमांक रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर पुनरीक्षित किया जाता है।

[हिन्दी]

उर्वरक नीति

2587. श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उर्वरक नीति में बार-बार परिवर्तन करने से उर्वरक क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा 24.7.91 को जारी किये गये औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए लाइसेंस की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1991-92 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान 22.48 लाख मी. टन नाइट्रोजन (एन) तथा 2 लाख मी. टन फॉस्फेट (पी) की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वाली परियोजनाएं चालू की गई थीं। इसके अलावा, लगभग 4120 करोड़ रु. के निवेश वाली 6 प्रमुख उर्वरक परियोजनाएं देश में कार्यान्वयनाधीन हैं। ये परियोजनाएं चालू हो जाने पर 9.75 लाख मी. टन यूरिया, 2307 लाख मी. टन डी. ए. पी. और 8.90 लाख मी. टन मिश्रित उर्वरकों की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता उपलब्ध करेगी।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :-

(i) सामान्यतः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ii) नए संयंत्र स्थापित करने/विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मालों का निःशुल्क आयात।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के अंतर्गत की गई हों।

(iv) उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का निःशुल्क आयात।

(v) पौध पोषकों के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिये नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत।

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा का स्तर

2588. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यावसायियों ने इस स्थिति पर कोई विचार व्यक्त किये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिभावान शिक्षक चिकित्सा कालेजों को छोड़कर विदेशों में बेहतर व्यावसायिक अवसरों की तलाश में जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो चिकित्सा शिक्षा के मामले में इस चिन्ताजनक स्थिति को नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा के मानक बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है,परिषद ने चिकित्सा शिक्षा के मानक बनाए रखने के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेज के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षा, अध्यापक पात्रता मानदंड आदि पर विनियम बनाए हैं। यह परिषद विभिन्न समयावधियों में मेडिकल कालेजों के निरीक्षण करती है। इसके अलावा मानकों को बनाए रखने और मेडिकल कालेजों की अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही मेडिकल कालेजों की स्थापना करने, दाखिला क्षमता बढ़ाने अथवा नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रावधान करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में 1993 में संशोधन किया गया था। ऐसे सभी कालेजों के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा तब तक वार्षिक निरीक्षण किए जाने हैं जब तक इन कालेजों द्वारा प्रदत्त अर्हता को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती।

(ग) और (घ) देश से बाहर बेहतर व्यावसायिक अवसर ढूंढ़ने के लिए मेडिकल कालेजों को छोड़ने वाले अध्यापकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि बेहतर अवसरों के लिए विदेशों में अध्यापकों के मामूली निष्क्रमण से मेडिकल कालेजों में अध्यापन पर व्यापक असर नहीं पड़ा है।

चीनी विकास कोष

2589. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों ने चीनी विकास कोष से कम ब्याज वाले ऋण लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ऋणों के लिए गारंटी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य गारंटी प्रदत्त इन ऋणों को वापस लौटाने में इनमें से कुछ चीनी मिलें असफल रही हैं;

(च) यदि हां, तो राज्यवार ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है और उन पर बकाया ऋण की धनराशि कितनी–कितनी है;

(छ) क्या कुछ सरकारों द्वारा ऐसी गारंटी वापस ले ली गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इन ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) (i) गन्ना विकास और (ii) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। जिन मिलों को वर्ष–वार ऐसे ऋण दिए गए हैं उनका ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की गारंटी पर केवल सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए (अल्पावधि ऋण के अलावा) ऋण दिया जाता है। राज्य सरकारों की गारंटी पर दिए गए ऋण का ब्यौरा विवरण–II में दर्शाया गया है।

(ङ) और (च) सरकारी गारंटी पर स्वीकृत ऋण की अदायगी न करने वाली सहकारी क्षेत्र की चीनी इकाइयों की स्थिति और प्रत्येक इकाई पर बकाया ऋण का ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

(छ) और (ज) किसी राज्य सरकार ने अब तक ऐसी गारंटी रद्द नहीं की है।

(झ) बकाया देय राशि का शीघ्र निपटान करने से संबंधित मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ निरंतर उठाया जा रहा है। ऐसी इकाइयों को चीनी विकास निधि से उस समय तक कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वे बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देती हैं।

विवरण–I

चीनी विकास निधि से चीनी इकाइयों को मंजूर किया गया ऋण

वर्ष	गन्ना विकास (मिलों की सं.)	आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापन (मिलों की सं.)
1	2	3
1985–86	–	2
1986–87	37	5
1987–88	64	8
1988–89	63	24
1989–90	82	25
1990–91	21	18
1991–92	21	29
1992–93	17	15
1993–94	22	11

1	2	3
1994–95	6	6
1995–96	–	10
1996–97	13	10
1997–98	128	19
1998–99 (30.9.98 तक)	116	5
जोड़	590	187

विवरण–II

सरकारी गारण्टी पर सहकारी क्षेत्र की चीनी इकाइयों को मंजूर किया गया गन्ना विकास ऋण

1	2
आंध्र प्रदेश	23
असम	02
गुजरात	06
हरियाणा	13
कर्नाटक	13
मध्य प्रदेश	03
पांडिचेरी	01
पंजाब	13
तमिलनाडु	15
महाराष्ट्र	108
उत्तर प्रदेश	36
गोवा	01
जोड़	234

विवरण–III

30.6.98 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि की बकाया राशि

चीनी विकास निधि

क्रम संख्या	यूनिट/इकाई का नाम	वितरित राशि (लाख रुपये में)	30.6.98 को स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि की बकाया राशि (रुपये में)
1	2	3	4
असम			
1.	मै. असम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि. बार–बमनवांव, जिला जोरहाट	47.43	51,85,080.00
2.	मै. नौगांव को. शुगर मिल्स लि., कामपुर, जिला–नौगांव	56.88	66,94,533.00
महाराष्ट्र			
1.	मै. शिरपुर शेतकारी एस. एस. के. लि., शिवाजीनगर, दहीवाड़, जिला–धुलें	79.38	26,90,401.00

1	2	3	4
2.	मै. गिरना एस. एस. के. लि., बैनसहेद हिरेय नगर, जिला—नासिक	46.76	48,59,454.00
3.	मै. बालांगांना एस. एस. के. लि., चालीसगांव, जिला जलगांव	79.20	59,02,294.00
4.	मै. श्रीराम एस. एस. के. लि., बाबीरावजी, जिला नागपुर	45.01	61,21,360.00
5.	मै. सिदेश्वर एस. एस. के. लि., जिला औरंगाबाद	134.93	30,85,244.00
6.	मै. विश्वास एस. एस. के. लि., जिला सांगली	89.46	1,060.00
7.	मै. श्री सोमेश्वर एस. एस. के. लि., जिला औरंगाबाद	58.50	16,98,064.00
8.	मै. मांजरा शेतकारी एस. एस. के. लि., जिला लातूर	92.79	4,82,979.00
9.	मै. परवारा एस. एस. के. लि., परवारा नगर, जिला अहमदनगर	319.49	1,07,66,854.00
10.	मै. श्रीगजानन एस. एस. के. लि., सोनाजीनगर, जिला बीड	69.30	73,79,582.00
11.	मै. विनायक एस. एस. के. लि., पारसोडा, औरंगाबाद	83.88	1,13,42,115.00
12.	मै. गोदावरी दुधना एस. एस. के. लि., देवनन्द्रा, जिला पारभानी	70.74	52,76,607.00
13.	श्री संत एस. एस. के. लि., पलटन, औरंगाबाद	31.50	23,47,749.00
14.	मै. श्रीराम एस. एस. के. लि., पलटन, जिला सतारा	90.09	80,50,757.00
15.	मै. श्री दयानेश्वर एस. एस. के. लि., दयानेश्वर, जिला अहमदनगर	193.11	5,72,400.00
16.	मै. शेलाकरी एस. एस. के. लि., किल्लारी, जिला लातुर	72.15	41,25,867.00
17.	मै. अम्बाजोगाई एस. एस. के. लि., पो. आ. अम्बासाखर, जिला बीड	61.83	65,86,178.00
18.	मै. श्री पंजारखन एस. एस. के. लि., भदना, जिला धुले	55.16	47,80,051.00
19.	मै. कोपारगांव एस. एस. के. लि., गौतमनगर, कोपलेवाडी, जिला अहमदनगर	130.45	7,21,860.00

1	2	3	4
20.	मै. अशोक एस. एस. के. लि., अशोकनगर, कोरेगांव जिला अहमदनगर	76.87	74,190.00
21.	मै. श्री सतपुड़ा तापी परिसर एस. एस. के. लि., पुरुषोत्तमनगर जिला--धुलिया	101.99	8,16,750.00
22.	मै. नासिक एस. एस. के. लि., पालसे संत, जिला नासिक	60.62	60,47,625.00
23.	मै. काडा एस. एस. के. लि., काडा, जिला बीड	37.95	45,55,056.00
24.	मै. क्षत्रपति राजाराम एस. एस. के. लि., कासोदा, जिला कोल्हापुर	70.06	31,20,341.00
25.	मै. वाणगंगा एस. एस. के. लि., देवहड़ा, तुमसर, जिला भाण्डारा	36.09	46,91,700.00
26.	मै. द संजय एस. एस. के. लि., विजयनगर, धुले	62.10	80,73,000.00
27.	मै. शेतकारी एस. एस. के. लि., देवगांव, धमनगांव, जिला अमरावती	68.35	79,81,899.00
28.	मै. पनगंगा एस. एस. के. लि., अटपडी, जिला सांगली	12.85	4,16,129.00
29.	मै. श्री बालाजी एस. एस. के. लि., मासलपान, अकोले	60.46	63,87,763.00
30.	मै. श्री छत्रपति साहु एस. एस. के. लि., कागल,	101.83	338.00
31.	मै. वसंतराव दादा पाटिल एस. एस. के. लि., विथेवाडी, जिला नासिक	59.45	27,82,237.00
32.	मै. तुलजाभवानी एस. एस. के. लि., तुलजापुर, जिला ओसमानाबाद	156.39	1,54,88,694.00
33.	मै. जालना एस. एस. के. लि., सामनगर, जिला जालना	82.57	51,83,268.00
34.	मै. यशवन्त एस. एस. के. लि., खानापुर, नागवाडी, जिला सांगली	42.104	17,72,696.00
35.	मै. सहकार महर्षि शंकर राव मोहिते पाटिल एस. एस. के. लि., शंकरनगर, सोलापुर	159.09	5,59,890.00
36.	मै. गंगापुर एस. एस. के. लि., रघुनाथनगर, गंगापुर, जिला औरंगाबाद	48.96	24,13,987.00

1	2	3	4
37.	मै. शंकर एस. एस. के. लि., वागलवाडा जिला	53.17	47,36,728.00
38.	मै. भागवती एस. एस. के. लि., तुलसीनगर, बारसी, जिला सोलापुर	74.34	37,74,927.00
39.	मै. पारनीर तालुका एस. एस. के. लि., देवी भोयारे, पारनीर, जिला अहमदनगर	219.46	1,49,23,280.00
40.	मै. कोपरगांव एस. एस. के. लि., कोपरगांव, जिला अहमदनगर	269.94	1,54,23,050.00
41.	मै. पदमश्री डॉ. विठल राव पाटिल एस. एस. के. लि., परवानानगर, जिला अहमदनगर	80.68	41,95,360.00
42.	मै. समर्थ एस. एस. के. लि., अंकुशनगर, अम्बाड, जिला जालना	128.34	93,66,064.00
43.	मै. शंकर एस. एस. के. लि., सदाशिवनगर, जिला सोलापुर	136.58	38,80,207.00
44.	मै. श्री सतपुड़ा तापि परिसर एस. एस. के. लि., पुरषोत्तमनगर, शाहदा, धुले	267.66	1,22,36,106.00
45.	मै. जयकिशन एस. एस. के. लि., बोडेगांव दरवाह, जिला यवातमल	107.95	90,40,813.00
46.	मै. पारनीर तालुका एस. एस. के. लि., देवी भोयारे तालुका, जिला अहमदनगर	219.46	1,49,23,280.00
47.	मै. करमवीर काकासाहेब वागला एस. एस. के. लि., नासिक	101.84	67,74,383.00
आन्ध्र प्रदेश			
1.	मै. पालेचोले को. शुगर्स लि., पुल्लापाली	64.35	69,09,075.00
2.	मै. नानापानेनी वेंकटराव को–ऑप. शुगर्स लि., जोनीपानी, गुन्टुर	30.33	23,38,884.00
3.	मै. नांदयाल को–ऑप. शुगर्स लि., पो. आ. पूनापुरम, नांदयाल	70.28	68,43,438.00
4.	मै. श्री हनुमान को–ऑप. शुगर्स लि., हनुमान जंक्शन, जिला कृष्णा	72.00	3,31,783.00
5.	मै. चित्तूर को–ऑप. शुगर्स लि., चित्तूर	199.86	59,253.00

1	2	3	4
6.	मै. पिलेयर को–ऑप. शुगर्स लि., राजेश्वरपुरम, जिला खम्मम	97.41	96,22,079.00
7.	मै. श्री वेंकटेश्वर को–ऑप. शुगर्स लि., तिरुपति, जिला चित्तूर	66.07	65,07,305.00
8.	मै. द कोवुर को–ऑप. शुगर फैक्ट्री लि., नेल्लोर	55.76	22,44,580.00
9.	मै. श्री विजयरामा गजापती को–ऑप. शुगर लि., भीमसिंघी, जिला विजीयनाग्राम	97.64	25,95,700.00
10.	मै. नागार्जुना को–ऑप. शुगर्स लि., जिला गुन्टुर	22.47	19,32,420.00
11.	मै. चोदावरम को–ऑप. शुगर्स लि., गोपादा, विशाखापतनम	58.07	387.00
12.	मै. अनाकपाल्ले को–ऑप. शुगर्स लि., पो. आ. थुम्मापाला, अनाकपाल्ले, विशाखापतनम	66.07	65,07,305.00
उत्तर प्रदेश			
1.	मै. द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सिलहर, शाहजहांपुर	26.26	42,975.00
2.	मै. रामला सहकारी चीनी मिल्स लि., रामला जिला मेरठ	80.32	530.00
3.	मै. द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सितारगंज, जिला नैनीताल	91.44	1,17,140.00
4.	मै. बाजपुर को–ऑप. शुगर फैक्ट्री लि., बाजपुर, जिला नैनीताल	83.31	4,236.00
5.	मै. द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., उरनपुर, जिला पीलीभीत	128.97	30,19,863.00
6.	मै. द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सथिओन, जिला आजमगढ़	108.41	24,67,885.00
7.	मै. बिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., विलासपुर जिला पीलीभीत	155.41	26,12,415.00
8.	मै. द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. सुल्तानपुर	143.42	23,39,350.00
9.	मै. द बागपत को–ऑप. शुगर्स लि., बागपत, जिला मेरठ	120.24	10,83,029.00

1	2	3	4
10.	मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, पोवायन, जिला शाहजहांपुर	138.29	12,82,372.00
11.	मै॰ द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, अनुपशहर, जिला बुलन्दशहर	84.74	4,26,158.00
12.	मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद	67.71	7,11,203.00
13.	द किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, घोसी, जिला आजमगढ़	134.95	18,40,986.00
14.	मै॰ रुद्रा बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, बिलासपुर, रामपुर	80.66	63,085.00
15.	मै॰ किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, तिलहर, जिला शाहजहांपुर	24.17	2,50,113.00
पंजाब			
1.	मै॰ फैजल्का को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, फैजल्का, जिला फिरोजपुर	237.34	2,51,39,701.00
2.	मै॰ द मोरिन्डा को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, मोरिन्डा, जिला रोपड़	307.29	49,08,313.00
3.	मै॰ द जनता को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, भोगपुर, जिला जालन्धर	185.79	2,41,21,800.00
4.	मै॰ पटियाला को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, राखरा, जिला पटियाला	113.57	32,57,184.00
5.	मै॰ सतलुज कोपरेटिव शुगर लि॰, नाकेदर, जिला जालन्धर	144.73	1,255.00
6.	मै॰ तरण–तारन को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, तरण–तारन, जिला जालन्धर	171.65	1,50,83,424.00
7.	मै॰ दोएबा को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, नवां शहर, जिला जालन्धर	36.44	5,23,809.00
8.	मै॰ द अजनाला को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, भला पिंड, जिला अमृतसर	84.76	36,36,141.00
9.	मै॰ फरीदकोट को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, फरीदकोट	159.03	1,32,69,496.00
10.	मै॰ जागरांव को–ऑप॰ शुगर मिल्स लि॰, जागरांव	113.54	97,64,440.00

1	2	3	4
11.	मै. बाटला को–ऑप. शुगर मिल्स लि., बाटला, जिला गुरदासपुर	83.85	90,46,070.00
12.	मै. बुद्धालाडा को–ऑप. शुगर मिल्स लि., बुद्धालाडा, भटिंडा	133.65	1,14,93,900.00
गुजरात			
1.	मै. चारोतर सहकारी खंड उद्योग नाबडकु लि., तहसील पेटलाड, जिला हेडा	12.60	4,42,252.00
कर्नाटक			
1.	मै. काम्पील को–ऑप. शुगर फैक्ट्री, काम्पील, जिला बेल्लारी	47.99	65,26,640.00
2.	मै. श्रीरामा एस. एस. के. लि., चुनचानकारटे, जिला मैसूर	40.63	53,09,093.00
3.	मै. बिदर एस. एस. के. लि., बिदर, पो. आ. हालीखेद, बिदर	41.02	49,30,611.00
4.	मै. श्री दूधगंगा कृष्णा एस. एस. के. नियमित, नराबी बेलगांव जिला	156.38	1,44,138.00
5.	मै. घटप्रभा एस. एस. के. नियमित गोकक, जिला बेलगांव	89.01	9,97,023.00
6.	मै. श्री हलसिद्धनाथ एस. एस. के. लि., निपानी, जिला बेलगांव	96.52	8,68,982.00
7.	मै. भद्रा एस. एस. के. नियमित, देवानगेरे, जिला चित्रदुर्ग	164.38	14,35,578.00
तमिलनाडु			
1.	मै. अम्बुर को–ऑप. शुगर मिल्स लि., विडापुडुपेट, जिला उत्तरी आरकोट	154.55	65,638.00
2.	मै. अमरावती को–ऑप. शुगर मिल्स लि., कृष्णापुरम	101.1	7,20,005.00
3.	मै. धर्मपुरी को–ऑप. शुगर मिल्स लि., पालकोड, जिला धर्मपुरी	181.60	3,00,683.00
4.	मै. द सलेम को–ऑप. शुगर मिल्स लि., मोहनूर, सलेम	272.96	13,73,347.00

1	2	3	4
5.	मै. वेल्लूर को–ऑप. शुगर मिल्स लि., अम्मुडीं, जिला उत्तरी आरकोट	263.46	4,83,986.00
6.	मै. मदुरांत्कम को–ऑप. शुगर मिल्स लि., पेडाल्लम, जिला चेंगालपेटु	230.63	83,62.888.00
7.	मै. चेय्यर को–ऑप. शुगर मिल्स लि., अन्नाबोनुर, तिरुवंनामल्लाई संबुबारएरु	195.73	56,327.00
8.	मै. एम. आर. कृष्णामूर्ति को–ऑप. शुगर मिल्स लि., शेतियातिपोणि, जिला दक्षिण आरकोट	141.45	41,72,775.00
हरियाणा			
1.	मै. पानीपत कां–ऑप. शुगर मिल्स लि., पानीपत	182.65	1,74,76,340.00
2.	मै. भुना को–ऑप. शुगर मिल्स लि., भुना	69.00	78,24,443.00
3.	मै. मेहम को–ऑप. शुगर मिल्स लि., मेहम, रोहतक	38.61	20,92,976.00
4.	मै. कैथल को–ऑप. शुगर मिल्स लि., कैथल, जिला कैथल	86.30	46,62,095.00
5.	मै. हरियाणा को–ऑप. शुगर मिल्स लि., रोहतक	269.91	32,44,834.00
गोवा			
1.	संजीवनी सहकारी शाखर कारखाना लि., दयानन्दनगर, पोस्ट तिस्का, गोवा	23.72	5,93,202.00

[हिन्दी]

जनजातियों की पहचान

2590. श्री अरविन्द काम्बले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र–वार स्थानीय जनजातियों की संख्या का पता लगाने के लिए अब तक कोई विस्तृत आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कच्छ मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में बंजारा समुदाय और अन्य जनजातियों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में ऐसी जनजातियों की पहचान की गयी है;

(घ) क्या पिछले एक दशक के दौरान इन जनजातियों की संख्या में कोई परिवर्तन आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना राज्य सरकारों तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय से एकत्र की जा रही है तथा उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उपभोक्ता सूचना केन्द्र

2591. श्री श्रीराम चौहान : क्या खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम के तहत किसी ख्यातिप्राप्त उपभोक्ता संगठन द्वारा एक उपभोक्ता सूचना केन्द्र चलाया जाएगा, जो एक पुस्तकालय, एक मार्गदर्शक केन्द्र, एक संसाधन केन्द्र तथा एक परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के पास उपलब्ध उपभोक्ता से संबंधित सभी सूचना इस केन्द्र को मुहैया कराई जाएगी।

(ख) उपभोक्ता सूचना केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा, निर्धारित नहीं की गई है। यह उन ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, जो केन्द्र स्थापित करने का काम अपने हाथ में लेने के लिए पात्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

चावल का उत्पादन

2592. श्री दिन्शा पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई चावल उत्पादक राज्यों में गैर मौसमी बरसात होने के कारण चावल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किस हद तक हानि हुई;

(ग) क्या सरकार को घरेलू बाजार में चावल की कमी होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) बेमौसमी वर्षा के कारण पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में धान की कुछ खड़ी फसल और मंडी में पडे हुए धान के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है।

अभी से चावल के उत्पादन में गिरावट और धान की फसल की हानि का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

(ग) और (घ) सरकार के पास उपलबधों चावल के स्टाक की स्थिति संतोषप्रद है। देश में चावल की कमी की आशंका का कोई कारण नहीं है।

सरकार देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा करती है और जब कभी आवश्यक समझती है, खाद्यान्नों का आयात करने के विकल्प का सहारा लेती है और बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुली बिक्री के अधीन केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं रिलीज करती है।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

2593. श्री दिन्शा पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के एक दल ने हाल में यह कहा था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के मामले में राजनीतिक इच्छा की कमी सरकार की असफलता का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लागू किये गये हैं और वे कहां तक कारगर सिद्ध हुए हैं;

(ग) क्या उपरोक्त दल ने अधिकतर राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में असफल रहने पर चिंता व्यक्त की थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे राज्यों को इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने तथा इस गंभीर समस्या से निपटने हेतु और अधिक राजनीतिक इच्छा प्रदर्शित करने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और जनसंख्या नियंत्रण संबंधी चालू कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (छ) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, भारत ने 1994 में काहिरा में आयोजित जनसंख्या और विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाए गए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन करने हेतु अनेक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन परामर्शों में प्रतिभागियों ने महिलाओं की निम्न स्थिति, महिला साक्षरता का कम स्तर, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक अधिकारिता के लिए राजनीतिक वचनबद्धता की अपर्याप्तता आदि को जनसंख्या कार्यक्रमों से संबंधित बताया। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने और कवरेज को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाये हैं। काहिरा सम्मेलन की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए इसने प्रजनक एवं शिशु कार्यक्रम शुरू किया है। सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से उच्चतम स्तर से गर्भ निरोधक लक्ष्यों को स्थापित करने की पद्धति की जगह विकेन्द्रीकृत योजना को अपनाया गया है। कार्यक्रम के वित्त पोषण को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। निम्न कार्यनिष्पादन करने वाले राज्यों के कार्यनिष्पादन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम जन्म दर को 1992 में 29.2 से कम करके 1997 में 27.2 और शिशु मृत्युदर को 1992 में 79 से कम करके 1997 में 71 तक ला देने में सक्षम रहा है।

तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सहायता

2594. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तपेदिक के उन्मूलन के लिए प्रत्येक राज्य के नगर निगम को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निगमों ने इस संबंध में घटिया प्रदर्शन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश से इस रोग का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों के 446 जिला क्षय रोग केंद्रों और शहरी क्षेत्रों के 330 वक्ष निदानालयों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां भी निगम वक्ष निदानालय चलाता है, वहां उन्हें क्षय रोग रोधी औषधें सीधे अथवा संबंधित जिला क्षय रोग केंद्रों के जरिए वस्तुगत सहायता के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। निधियां किसी नगर निगम को प्रदान नहीं की जातीं। फिर भी, संशोधित कार्यनीति के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार से जिला क्षयरोग सोसायटियों को जिनमें से कुछ नगर निगम क्षेत्र में भी काम करती है, सीधे निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) क्षय रोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को देश में 1962 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला क्षय रोग केंद्र एवं वक्ष निदानालय समुदाय को नैदानिक और उपचार सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। उपचार की अवधि संक्षिप्त करने के लिए अल्पकालिक रसायन चिकित्सा 292 जिला क्षय रोग केंद्रों में प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार लाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का विकास किया गया जिसका उद्देश्य पता लगाए गए सभी नए थूक पॉजिटिव वाले रोगियों में 85% रोगहर दर को प्राप्त करना है। 20 मिलियन की जनसंख्या को कवर कर रहे 15 राज्यों के 20 परियोजना स्थलों में इस कार्यनीति को प्रायोगिक तौर पर आजमाया गया। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की तकनीकी एवं शल्य चिकित्सीय व्यवहार्यता के साबित होने के बाद 271.21 मिलियन की जनसंख्या को कवर कर रहे 102 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से 5 वर्षों की अवधि के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, बायनोक्यूलर माइक्रोस्कोपों और दूसरे निवेशों को अतिशीघ्र प्रारंभिक मदद के रूप में मुहैया करा के 203 अल्पकालिक रसायन चिकित्सा वाले जिलों को मजबूत किया जाएगा ताकि संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम सुविधाजनक बनाया जा सके।

गैर सरकारी संगठनों में परिवार कल्याण कार्यकर्ता

2595. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से परिवार कल्याण के क्षेत्र में विशेषकर महाराष्ट्र में चल रहे गैर–सरकारी संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन असमानताओं का ब्यौरा क्या है जो गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों में परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं के वेतनों और अन्य संबंधित लाभों के संबंध में बताई गई हैं; और

(घ) गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत इन कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन अभ्यावेदनों में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया है कि गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तें राज्य सरकार के पदाधिकारियों के समान होनी चाहिए।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नियुक्त किए गए स्टाफ संबंधित गैर सरकारी संगठनों की सेवा शर्तों द्वारा अधिशासित होते हैं। अतः गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत ऐसा स्टाफ सरकारी सेवकों के बराबर नहीं माना जा सकता और वे सरकारी सेवकों के सेवा लाभों के पात्र नहीं हैं।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग के अस्पताल

2596. श्री ए. सी. जोस :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री अजीत जोगी :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में सेवारत कुष्ठ अस्पतालों/केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में कुष्ठ रोग के उपचार में लगे स्वयं सेवी संगठनों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक कुष्ठ अस्पतालों/केन्द्रों और स्वयं सेवी संगठनों को सरकार द्वारा

वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन अस्पतालों को कोई विदेशी सहायता भी प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस रोग के उन्मूलन तथा इन अस्पतालों को और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) देश में कुष्ठ उपचार प्रदान करने वाले कुष्ठ अस्पतालों/केन्द्रों और स्वैच्छिक संगठनों की संख्या संलग्न विवरण—I में दी गई है।

(ग) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन्हें दी गई केंद्रीय नकद सहायता में से राज्य सरकारी अस्पतालों/केन्द्रों को सहायता दी जाती है। सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार कार्यकलापों में लगे और राज्य सरकार द्वारा संस्तुत स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा सीधे सहायता अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई है उनकी सूची संलग्न विवरण—II में दी गई है।

(घ) और (ङ) केवल स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित कुछ कुष्ठ अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों से सीधे सहायता प्राप्त कर रहे हैं जो एफ. सी. आर. ए. नियमों द्वारा अधिशासित होते हैं।

(च) और (छ) जी, हां। कार्यक्रम की प्रगति/कमियों का पता लगाने के लिए कार्यक्रम की प्रगति की समय–समय पर राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 2000 तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगति और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/क्रियाकलापों का पता लगाने के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम की मध्यावधि समीक्षा की गई। जहां कुष्ठ कार्यक्रम की प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर संतोषप्रद पाई गई वहां कुछ राज्यों में प्रगति एक जैसी नहीं थी। इसलिए मध्यावधि समीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित उपाय सुझाए गए :–

- सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने हेतु गहन अभियान उपाय।
- छुपे हुए रोगियों का पता लगाने के लिए परिधीय सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को लगाना।
- कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और अनुरक्षण बेहतर बनाने के लिए अंशकालिक सुपरवाइजर और पूर्णकालिक एन. एल. ई. पी. परामर्शदाता की सहभागिता
- जिला कुष्ठ सोसायटियों के माध्यम से रिक्त संविदा स्टाफ की नियुक्ति
- विकलांगता, अल्सर परिचर्या सेवाओं में सुधार

उपर्युक्त सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 25 राज्यों/संघ राज्यों में गहन अभियान शुरू कर दिए गए हैं और शेष राज्यों के लिए मौजूदा वर्ष के दौरान योजना बनाई गई है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण—I

देश में कार्य करने वाले कुष्ठ उन्मूलन केंद्र

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल.सी.यू. एम.सी.यू.	यू.एल.सी.	एस.टी.ई.	जी.एल.ए.	टी.एच.डब्ल्यू.	एस.एस.ए.यू.	वी.ओ.	एम.एल.टी.यू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	94	91	164	31	53	3	45	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	31	–	1	–	3	8
3.	असम	9	16	250	6	5	1	6	22
4.	बिहार	89	71	1044	22	29	3	22	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गोआ	1	2	31	1	1	–	–	1
6.	गुजरात	21	21	369	7	9	2	17	3
7.	हरियाणा	–	3	2	–	–	1	1	14
8.	हिमाचल प्रदेश	6	1	15	5	1	1	1	15
9.	जम्मू व कश्मीर	8	2	37	–	2	–	1	14
10.	कर्नाटक	41	50	673	20	22	3	22	14
11.	केरल	20	45	254	8	5	3	11	10
12.	मध्य प्रदेश	54	72	530	23	14	5	7	40
13.	महाराष्ट्र	42	258	970	24	23	1	27	21
14.	मणिपुर	4	1	17	4	1	–	2	9
15.	मेघालय	2	1	16	–	2	–	1	7
16.	मिजोरम	2	1	7	2	1	1	–	3
17.	नागालैण्ड	2	2	30	3	2	–	–	6
18.	उड़ीसा	55	16	140	10	11	1	17	–
19.	पंजाब	0	17	–	1	1	1	1	17
20.	राजस्थान	5	5	8	4	4	–	7	39
21.	सिक्किम	2	6	13	1	1	–	1	2
22.	तमिलनाडु	102	82	26	22	52	7	31	–
23.	त्रिपुरा	3	4	20	1	1	1	1	3
24.	उत्तर प्रदेश	122	60	1023	65	17	1	48	44
25.	पश्चिम बंगाल	91	71	35	15	30	4	14	3
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	3	10	1	1	1	–	1
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	1
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–	2	–	–	–	–	1
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	3
30.	दिल्ली	–	3	–	–	–	–	3	2
31.	लक्ष द्वीप	–	–	3	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1	3	24	2	1	–	1o	1
	कुल	778	907	5,744	278	290	40	290	350

एल. सी. यू. एम. सी. यू. कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/आशोधित नियंत्रण यूनिट

यू. एल. सी.	शहरी कुष्ठ केंद्र
एस. ई. टी.	सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केंद्र
डी. एल. यू.	जिला कुष्ठ यूनिट
टी. एच. डब्ल्यू.	अस्थायी अस्पताल भर्ती वार्ड
एस. एस. ए. यू.	नमूना सर्वेक्षण सह–निर्धारण यूनिट
वी. ओ.	स्वैच्छिक संगठन
एम. एल. टी. यू.	चलता फिरता कुष्ठ निवारण एकक

विवरण–II

उन स्वैच्छिक संगठनों की सूची जिन्हें 1995–96 से 1997–98 के दौरान सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार सहायता अनुदान जारी किया गया

क्रम संख्या	संगठनों के नाम	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	लेप्रोसी मिशन अस्पताल, चेल्लुरु, विजयनगरम	3,94,248/–	–	2,50,460/–
2.	ग्राम नव निर्माण समिति, हैदराबाद	3,87,875/–	–	–
3.	हिंद कुष्ठ निवारण संघ, करीमनगर	4,93,011/–	90,068/– (95-96) 3,18,481/– (96–97)	3,90,921/–
4.	गुड समरितान इवंगिकल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, सतीवेडु	65,944/–	1,04,010/– (94-95)	–
5.	ग्रेटनाल्टस,' गुंटूरगुड	3,14,076/–	–	–
6.	ग्राम नव निर्माण समिति–II, हैदराबाद	–	2,95,185/– (94–95)	–
बिहार				
1.	सिंहभूम नवजीवन निकेतन, घाटसिला	4,61,119/–	–	–
2.	स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट, जमशेदपुर	2,87,400/–	90,996/– (95–96) 2,38,657/– (96–97)	3,18,210/–
3.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर (ग्रामीण केन्द्र)	4,17,612/–	–	1,01,663/–
4.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर (शहरी केन्द्र)	2,25,000/–	–	1,96,243/–
5.	ग्राम निर्माण मंडल कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया, नवादा	3,71,980/– (95–96) 3,68,530/– (96–97)	–	–

1	2	3	4	5
असम				
1.	श्रीमंत शंकर मिशन, असम	48,445/– (93–94) 43,531/– (94–95)	–	
कर्नाटक				
1.	गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन (टी॰ नरसीपुर), मैसूर	3,15,170/–	44,415/– (93–94) 2,37,239/– (94–95)	2,54,406/–
2.	शांथा जीवा ज्योति, बैंगलोर	1,25,737/–	41,913/– (95–96) 1,49,407/– (96–97)	1,87,260/–
केरल				
1.	दमीन इंस्टिट्यूट थ्रिशूर	5,97,681/–	1,32,980/– (95–96) 3,35,497/– (96–97)	3,83,027/–
2.	पूयर लेप्रोसी अस्पताल केन्द्र, शेर्टाल्ली	3,85,806/–	1,05,628/– (95–96) 2,02,537/– (96–97)	2,77,715/–
3.	सेंट फ्रांसिस लेप्रोसी केन्द्र, पट्टानकाड	2,15,550/–	91,643/– (95–96) 1,89,982/– (96–97)	2,53,330/–
महाराष्ट्र				
1.	कुष्ठ रोग निवारण समिति, पनवेल, रायगढ़	33,622/–	2,81,638/– (94–95) 2,58,323/– (95–96)	–

1	2	3	4	5
2.	अहमदनगर जिला लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन, अहमदनगर	1,64,300/–	1,52,967/– (93–94) 1,71,230/– (94–95) 1,99,143/– (95–96) 1,59,172/– (96–97)	0,43,312/–
3.	वडाला लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट, अहमदनगर	56,125/–	3,00,186/– (94–95) 2,86,277/– (95–96) 2,50,717/– (96–97)	–
4.	गुरुदेव कुष्ठ सेवा मंदिर, अमरावती	98,605/–	–	–
5.	रिजर्डशन लेप्रोसी अस्पताल, मिरज	1,87,388/–	–	2,19,901/–
6.	डॉ॰ बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल ट्रस्ट, पुणे	69,180/–	1,45,269/– (93–94)	3,93,086/–
7.	महारोगी सेवा समिति, दत्तापुर	–	62,557/– (92–93) 63,704/– (93–94) 75,217/– (94–95)	–
8.	रामदेव बाबा सेवा लेप्रोसी केन्द्र, यावतमल		13,6,69/– (94–95) 54,910/– (95–96)	1,23,012/–
9.	अश्विन मेडिकल फाउंडेशन, पुणे	–	–	3,03,262/–

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
1.	कुंबकोणम हिंदू मिशन अस्पताल, (कुबकोणम केन्द्र)	7,23,541/–	83,620/– (95–96) 2,26,777/– (96–97)	0,75,593/–
2.	कुबकोणम हिंदू मिशन अस्पताल, (ननीलान केन्द्र)	6,31,981/–	69,533/– (95–96)	2,32,410/–
3.	कुंबकोणम हिंदू मिशन अस्पताल, (पापनसम केन्द्र)	7,18521/–	–	2,79,690/–
4.	हिंदू मिशन अस्पताल, तांब्रम, मद्रास	4,06,279/–	41,203/– (95–96) 1,25,632/– (96–97)	0,32,299/–
5.	क्रिश्चियन फेलोशिप लेप्रोसी अस्पताल	–	54,493/– (92–93) 2,50,909/– (93–94)	2,75,000/– (94–95) 2,75,000/– (95–96)
6.	दा लेप्रोसी मिशन अस्पताल, वडालाथोरासलपुर		86,876/– (90–91) 1,66,796/– (92–93) 1,73,261/– (93–94)	3,46,542/–
7.	दयापुरम लेप्रोसी अस्पताल, मानमदुरई	–	–	3,68,875/–
8.	स्वीडिश मिशन अस्पताल, त्रिपुट्टुर	–	–	2,56,850/– (94–95) 2,58,590/– (95–96)

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
1.	पूर्वांचल सेवा संस्थान, देवरिया	–	–	0,36,095/–
2.	स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री कुष्ठ सेवा आश्रम, आजमगढ़	–	–	2,07,472/–
पंश्चिम बंगाल				
1.	कलकत्ता अर्बन सर्विज (24 नार्थ परगना)	1,01,738/–	1,34,992/– (94-95)	–
2.	कलकत्ता अर्बन सर्विस (म्यूनिसिपल यूनिट)	11,842/–	1,52,760/– (94–95)	–
3.	ग्रामीण सर्बतमक कल्याण केन्द्र (खड़गपुर केन्द्र)	5,83,820/–	–	3,71,277/–
4.	ग्रामीण सर्बतमक कल्याण केन्द्र (कलकत्ता यूनिट)	2,86,479/–	–	1,90,319/–
5.	ग्रामीण सर्बतमक कल्याण केन्द्र (कलकत्ता अर्बन)	3,85,345/–		
6.	महाकुमा कुष्ठ निवारणी समिति (मिदनापुर अर्बन)	69,956/–	93,377/– (94–95) 79,087/– (96–97)	–
7.	महाकुमा कुष्ठ निवारणी समिति (कलकत्ता यूनिट)	2,38,235/–	29,834/– (95–96)	2,10,237/–
8.	महाकुमा कुष्ठ निवारणी समिति (सदर रूरल)	88,521/–	–	–
9.	गार्डन रीच कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम	2,63,910/– 0,63,143/–	63,713/– (95–96) 1,89,427/– (96–97)	
10.	भाटपारा लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम	2,38,050/–	61,763/– (95–96) 1,95,457/– (96–97)	0,65,153/–

1	2	3	4	5
11.	गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, बलरामपुर केन्द्र	2,10,572/–	1,26,072/– (95–96) 2,60,077/– (96–97)	0,44,995/–
12.	हिंद कुष्ठ निवारण संघ (पश्चिम बंगया शाखा)	1,89,805/–	34,398/– (95–96) 1,12,942/– (96–97)	1,29,515/–
13.	ग्रेटर कलकत्ता लेप्रोसी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन स्कीम (बेहाला केन्द्र)	–	1,71,410/– (95–96) 2,02,915/– (95-96)	–
14.	ग्रेटर कलकत्ता लेप्रोसी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन स्कीम (खिदीपुर केन्द्र)	–	1,64,962/– (96–97)	
15.	ग्रेटर कलकत्ता लेप्रोसी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन स्कीम (खिदरीपुर केन्द्र)	–	–	0,54,988/–
16.	झारग्राम लेप्रोसी प्रोजेक्ट, झारग्राम	–	3,01,110/– (95–96)	2,51,070/–
17.	बांकुरा लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, बांकुरा	–	–	3,21,140/–

[अनुवाद]

विदेशी संस्थाओं से वित्तीय सहायता

2597. श्री के. पी. नायडू :

श्री चमन लाल गुप्त :

श्रीमती कमल रानी :

श्री अशोक प्रधान :

श्री रवि सीताराम नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही संस्थाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किन–किन देशों से सहायता प्राप्त हो रही है और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संगठनों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इनमें से कुछ संगठनों द्वारा इस सहायता के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इन वर्षों के लिए ये ब्यौरे "स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" पर वार्षिक रिपोर्ट में निहित हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तथापि, विदेशी अभिदाय के उपयोग के बारे में ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर संकलित रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत

जिला एसोसिएशनों को पूर्व अनुमति दी गयी है/पंजीकरण किया गया है उन्हें प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय और उसके उपयोग के बारे में सूचना केन्द्र सरकार को भेजनी होती है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हो। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार करो यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह इस प्रकार की एसोसिएशनों के बही–खातों या रिकार्ड का निरीक्षण लेखा–परीक्षा कर सकती हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान। इस प्रकार की शिकायतें समय–समय पर मिलती रहती हैं।

(घ) से (च) इस प्रकार की शिकायतें जब कभी भी मिलती हैं तो उसकी विभागीय या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है और जांच के परिणामों के आधार पर संबंधित एसोसिएशनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। इसमें एसोसिएशन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने वालों को श्रेणी में रखना, इसे विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित करना, इसके बैंक खातों को जब्त करना और इस पर न्यायालय में मुकदमा चलाना शामिल है।

[हिन्दी]

आई. पी. एस. के विरुद्ध सी. बी. आई. जांच

2598. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य–वार भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जिसके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों एंव सतर्कता जांच चल रही है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 आई. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध जांच ब्यूरों की जांच चल रही है और 123 आई. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच की जा रही है। राज्य–कैडर–वार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

आई. पी. एस. अधिकारियों की सूची–राज्य–काडर–वार जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों/सतर्कता जांच चल रही है।

क्र.स.	संवर्ग	केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जा रही जांच	सरकार द्वारा की जा रही सतर्कता जांच–पड़ताल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	7
2.	असम–मेघालय	शून्य	10
3.	ए. जी. एम. यू.	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	9
5.	गुजरात	शून्य	10
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	1
7.	हरियाणा	शून्य	6
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
9.	केरल	शून्य	11
10.	कनार्टक	शून्य	5
11.	मणिपुर–त्रिपुरा	1	3
12.	मध्य प्रदेश	1	5
13.	महाराष्ट्र	शून्य	7
14.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य
15.	उडीसा	1	9

1	2	3	4
16.	पंजाब	2	4
17.	राजस्थान	शून्य	4
18.	सिक्किम	1	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य	17
20.	उत्तर प्रदेश	2	10
21.	पश्चिम बंगाल	शून्य	5
	कुल	8	123

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काडर समीक्षा

2599. श्री उपेन्द्र नाथ नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काडर समीक्षा को राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया;

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काडर समीक्षा को कब कार्यान्वित किया गया;

(ग) क्या इसे कर्मचारियों को परिचालित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) संस्थान में संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट समूह 'क' के कुछ पदों सहित समूह 'ख', 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के मामले में 1.4.1984 को तथा शेष समूह 'क' गैर–संकाय पदों के मामले में 1.3.1992 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लागू की गई थी।

(ग) और (घ) संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के दौरान श्रेणियों तथा संवर्गों के यौक्तिकरण क लिए स्टाफ को विभिन्न श्रेणियों, मान्यता प्राप्त यूनियनों तथा ऐसोसिएशनों और विभागाध्यक्षों से परामर्श किया गय था।

गैस कनैक्शन बुक कराने हेतु पंजीकरण शुल्क

2600. श्री जार्ज ईडन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस बुक करने हेतु पंजीकरण शुल्क के अभाव में अब गैस एजेंसियां अपनाई गई प्रणाली के साथ इस तरह खिलवाड़ करती हैं कि जिन लोगों ने 15 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया था उन्हें गैस कनेक्शन मिलना बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने और इस संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह अनिवार्य है कि एलपीजी कनेक्शन चाहने वाले भावी ग्राहकों के पंजीकरण के लिए एक प्रतीक्षा सूची रजिस्टर बनाएं। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, गैस कनेक्शन बुक करने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। पंजीकरण शुल्क लिए जाने के लिए विकल्प की जांच करने पर पाया गया कि यह व्यवहार्य नहीं है।

नए एलपीजी कनेक्शन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दिए गए आबंटन में से डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा रखी गई प्रतीक्षा सूची में केवल वरिष्ठता के आधार पर ही जारी किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा रखी जाने वाली प्रतीक्षा सूची की समय–समय पर क्षेत्र अधिकारियों द्वारा तिमाही निरीक्षण/वार्षिक लेखा–परीक्षा करते समय जांच की जाती है।

तेल कंपनियां अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की कार्य–प्रणाली की व्यापक नियमित/अचानक जांच व निरीक्षण करती है तथा शिकायतों की भी पड़ताल करती हैं। कदाचारी जिसमें बिना बारी के एलपीजी कनेक्शन जारी करना शामिल है में लिप्त पाए जाने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ संशोधित एलपीजी विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

अप्रैल, 1997 में, सरकार ने निर्णय लिया था कि 1.1.1991 से पूर्व पंजीकृत सभी व्यक्तियों की मांग पर एलपीजी कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से सितम्बर, 1997 तक जारी कर दिये जाएंगे तथा 1.1.1991 से पूर्व की सम्पूर्ण लम्बित प्रतीक्षा सूची तेल उद्योग द्वारा निपटा दी गई है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को 'इंडेटेड' दवाइयों के विकल्प की आपूर्ति

2601. श्री कीर्तिवर्धन सिंह :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयों को 24 घंटे के अंदर प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औषधालय विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाइयों का विकल्प स्वीकार करते हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं; और

(ङ) 'इंडेटेड' दवाइयां निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिजमलाई) :

(क) सामान्यता विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाओं सहित इडेंट की गई दवाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को 24 घंटे के अंदर या अगले कार्य दिवस पर दे दी जाती हैं। आपात स्थिति में लाभार्थियों को बिना कोई भुगतान किए प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से सीधे दवाइयां प्राप्त करने की अनुमति वाली एक 'प्राधिकार पर्ची' दी जाती है।

(ख) उपरोक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयों के विकल्पों (सब्स्टीट्यूट) को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ङ) लिखी गई दवाइयां समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ऊपर 'क' पर दिए अनुसार है।

सीमा शुल्क कर्मचारियों/ट्रेवल एजेंटों द्वारा विदेशियों के साथ धोखाधड़ी

2602. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और अन्य स्थानों पर सीमाशुल्क कर्मचारियों/ट्रेवल एजेंटों द्वारा अनेक विदेशियों के साथ धोखाधड़ी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क कर्मचारियों और ट्रेवल एजेंटों द्वारा कितने भारतीय यात्रियों के साथ धोखाधड़ी की गई;

(घ) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विदेशियों/पर्यटकों की सहायता करने के नाम से अनेक ट्रेवल–काउंटर कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उन सीमा शुल्क कर्मचारियों और ट्रेवल एजेंटों से निर्दोष विदेशियों/पर्यटकों/भारतीय यात्रियों को बचाने के लिए कोई प्रबंध किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अपराध के लिए कितने सीमाशुल्क कर्मचारियों और ट्रेवल एजेंटों को गिरफ्तार या निलंबित किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (30.11.98 तक) इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी/भारतीय यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करने का कोई मामला दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं किया गया है, तथापि उसी अवधि के दौरान ऐसे मामलों की संख्या जिनमें ट्रेवल एजेंटों पर यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, नीचे दी गई है :

	1996	1997	1998 (30.11.98 तक)
विदेशी यात्री	5	1	2
भारतीय यात्री	73	73	72

देश में अन्य स्थानों पर धोखाधड़ी के शिकार हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना, दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) हवाई–अड्डे पर इस समय 6 ट्रेवल काउंटर कार्य कर रहे हैं, जिनका प्रबंध क्रमशः इंडिया टूरिस्ट विकास निगम, दिल्ली पर्यटन, पंजाब पर्यटन, नितिन–जैन टैक्सी–काउंटर/सर्विस, भूतपूर्व सैनिक एयरलिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. और रैंटी कार सर्विस द्वारा किया जाता है।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान। इन बेईमान तत्त्वों के विदेशी/भारतीय यात्रियों को बचाने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे पर उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(क) हवाई–अड्डे पर, सुपरवाईज़री अधिकारियों के नामों और टेलीफोन नं. वाले बोर्ड लगाए गए हैं, जिनसे यात्री संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

(ख) हवाई–अड्डे पर मुफ्त टेलीफोन को सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(ग) सीमा शुल्क और दिल्ली पुलिस के सतर्कता कर्मचारी संदिग्ध तत्त्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं।

(घ) पार्किंग पर और पूर्व–भुगतान बूथ के नजदीक, दलाल–विरोधी कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

(ङ) ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस, पूर्व–भुगतान बूथों पर लगातार निगरानी रखते हैं और टैक्सियों की विश्वसनीयता प्रमाणपत्रों की जांच करते हैं;

(च), ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिक व्यस्ततम ट्रैफिक समय के दौरान संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से गश्त लगाते हैं; और

(छ) होटल और गेस्ट–हाऊसों द्वारा नियमों के उल्लंघन की जांच को गहन करने के लिए जिला पुलिस को सतर्क किया गया है;

(ज) पिछले तीन वर्षों (30.11.98 तक) के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें धोखाधड़ी के अपराध में किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी को गिरफ्तार किया गया हो, तथापि इसी अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए ट्रेवल एजेंटों की संख्या नीचे दी गई हैं :–

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1996	90
1997	82
1998 (30.11.98 तक)	101

युद्ध-विराम क्षेत्र में मणिपुर की सीमा को शामिल करना

2603. श्री था. चौबा सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन.एस.ई.एन.) (एम.) के बीच चल रही वार्ता युद्ध–विराम क्षेत्र में मणिपुर की क्षेत्रीय सीमा को शामिल करने संबंधी मुद्दे को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मणिपुर सरकार की सहमति से किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) वर्तमान युद्ध–विराम भारत सरकार और एक संगठन के रूप में, एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है।

बालिकाओं में साक्षरता

2604. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं में साक्षरता को बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना अभी तक अपने विभिन्न घटकों के संबंध में सरकार का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करने और उस मंत्रालय/विभाग के बारे में निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया में है जिसे इसका कार्यान्वयन शुरू करना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य उन जिलों के पिछड़े समुदायों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े समुदायों तथा अल्पसंख्यकों की महिलाओं में साक्षरता दर को बेहतर बनाना है जिनमें इनकी साक्षरता दर 10% से कम है।

ओमान तेल शोधक परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

2605. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीना स्थित भारत–ओमान तेल शोधक परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस परियोजना की लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) भारत ओमान रिफाइनरी परियोजना को अपने रिफाइनरी ब्लाक के लिए क्रूड आयात एस पी एम सुविधा के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। क्रूड पाइपलाइन बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

5277 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली यह परियोजना सरकार द्वारा दिसम्बर, 1995 में अनुमोदित की गई थी।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

2606. श्री अमन कुमार नागरा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी और अर्ध–सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तीन से चार वर्षों की अवधि तक मस्टर रोल पर रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी प्रथा को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य पदार्थों में एल्युमिनियम का घुलना

2607. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाने से जल तथा खाद्य पदार्थों में एल्युमिनियम की मात्रा आ जाती है जिससे मस्तिष्क संबंधी रोग तथा अल्जेमिर रोग से पीड़ित रोगियों की समस्याओं में वृद्धि होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारत में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि दाल सांभर, हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थ, जो स्वभाव से अम्लीय होते हैं, जब अल्युमिनियम के बर्तनों में पकाए जाते हैं, तो उनमें अल्युमिनियम की मात्रा जा सकती है जबकि चावल, चपाती, दही आदि जैसे अन्य खाद्यों में अल्युमिनियम की मात्रा नहीं आती। ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं जिनसे यह पता चला हो कि अल्युमिनियम, जो बर्तनों में से घुलकर निकल जाता है, से मस्तिष्क संबंधी रोग तथा अल्जेमिर रोग से पीड़ित रोगियों की समस्याओं में वृद्धि होती हो।

रोहिणी, दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के आयुर्वेद औषधालय

2608. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के रोहिणी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. की आयुर्वेद औषधालय के उपलब्ध न होने के कारण अत्याधिक असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस औषधालय को कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) रोहिणी स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के लाभार्थियों को आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करने के लिए देवनगर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेद औषधालय जो एक पूर्ण औषधालय है, के साथ करने हेतु जोड़ दिया गया है।

(ख) और (ग) कर्मचारियों एवं संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में रोहिणी में आयुर्वेद, औषधालय खोलना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए व्यावसायिक केन्द्र

2607. श्री प्रभात चन्द्र तिवारी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलागों के लिए कुल कितने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) विकलांग लोगों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों से संबंधित व्यावसायिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन केन्द्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक विकलांगों की आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना श्रम मंत्रालय से एकत्र की जा रही है।

पान मसाला पर प्रतिबंध

2610. श्री चिन्मयानंद स्वामी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अगस्त, 1998 को 'द हिन्दू' में 'मिनिस्ट्रीज डिवाइडेड ओवर बैन आन पान मसाला' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या डी.जी.एच.एस. ने राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को गुटका के इस्तेमाल के विरुद्ध व्यापक शिक्षा और जन जागरण अभियान आरम्भ करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के कुछ मंत्रालयों द्वारा पान मसाले पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या–क्या प्रमुख आपत्तियां व्यक्त की गई हैं तथा इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख), (ङ) और (च) मई, 1998 में तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्तरमंत्रालयी बैठक में विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों द्वारा भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चबाये जाने वाले तम्बाकू/गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में मजदूरों एवं तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों, उद्योग एवं निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इस समस्या से निपटने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाने के उद्देश्य से सरकार को पूरे मामले की जानकारी है।

(ग) जी, हां।

(घ) चबाये जाने वाले तम्बाकू/गुटखा पान मसाले की खपत को हतोत्साहित करने हेतु स्कूलों/कॉलेजों में वीडियो फिल्में चलाने के साथ-साथ विज्ञापनों, व्याख्यानों प्रदर्शनियों एवं होर्डिंग्स के माध्यम से जन जागरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए जानकार बनाया गया है। तम्बाकू पर एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे देश में तम्बाकू के उपयोग में कमी आने की आशा है।

[अनुवाद]

जेल सुधार

2611. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेल सुधार लाने के संबंध में 'मानवाधिकार और जेल प्रबंधन' के बारे में एक परियोजना शुरू की है;

(ख) क्या यह परियोजना विदेशी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ब्रिटिश काउन्सिल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मानव अधिकार और जल : धन से संबंधित परियोजना पर ब्रिटिश परिषद के साथ सहयोग कर रही है। परियोजनाओं के अन्य भागीदार पुलिस अनुसंधान और विकास ूरो, पैनल रिफॉर्म एण्ड जस्टिस एसोसिएशन-'प्राजा' (एक भारतीय एन ी.ओ.) और जेल अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, किंग कॉलेज, लंद विश्वविद्यालय, यू.के. है।

(ख) से ग) जबकि कुल ब्रिटिश परिषद द्वारा परियोजना पर कुल 85,000 ॉड खर्च किए जाने का प्रस्ताव है, भारत के भीतर यात्रा की लागत औ प्रशिक्षण ग्रुप और 320 भागीदारों का निर्वाह भत्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार योग और पुलिस अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा वहन किए जाने कं म्भावना है।

इस परि जना के जनवरी, 1999 से आगे क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना ।

मणिपुर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

2612. कुमारी किम गंगटे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर राज्य में नागा उग्रवादियों द्वारा बार-बार रास्ता रोकने के कारण आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले जाने में अत्याधिक बाधा पहुंची है। और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) मणिपुर में विभिन्न नागा संगठनों द्वारा रास्ता रोकने के कारण आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में कभी-कभी रुकावट हुई है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53 में अवरोध होने के कारण 23 मई, 1998 से 24 जून, 1998 तक की अवधि के दौरान 3 दिसम्बर, 1998 से यूनाइटेड नागा काउंसिल द्वारा आयोजित 50 घंटे के बंद के दौरान मणिपुर राज्य को आवश्यक वस्तुओं का संचलन करने में भारी रुकावट हुई थी। मणिपुर सरकार मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागालैंड सरकार और भारत सरकार के समन्वय से उचित आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

डेंगू महामारी

2613. श्री मोइनुल हसन अहमद :

श्री अजय मुखोपाध्याय:

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के आदेश में दिल्ली सरकार तथा केन्द्र सरकार को 1996 की डेंगू महामारी के लिए दोषी ठहराया है जिसमें इस महानगर के सैकड़ों लोग मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त निरोधक प्रयास नहीं करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों की गंभीर गलतियों पर क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसने अनेक सिफारिशें की थीं ने अन्य बातों के साथ–साथ वह निर्देश दिया था कि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद तथा केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित डेंगू एक्शन कार्यक्रम की प्रभावकारिता की जांच करने तथा कार्यक्रम को अर्थपूर्ण, कारगर, व्यापक तथा पर्याप्त बनाने के लिए निश्चित उपाय सुझाने के लिए एक उच्च–स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए। न्यायालय ने अनेक अभिकरणों की ओर से स्थिति का मुकाबला करने की तैयारी में कमी पर भी टिप्पणियां की थीं और सरकार को राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम तैयार करने तथा अचानक महामारी फैलने की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए स्वंय सेवकों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने के लिए निर्देश दिया था।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव के अधीन 1996 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें की हैं तथा 20.11.98 को हुई पिछली बैठक में यह पाया गया कि उपाय अर्थपूर्ण तथा पर्याप्त थे।

राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। तथापि किसी नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है क्योंकि मलेरिया जैसे वैक्टर से होने वाले रोग संबंधी कार्यक्रमों को 50:50 की भागीदारी के आधार पर धन दिया जाता है और राज्यों को छिड़काव कार्यों तथा स्टाफ की लागतों के लिए धन देने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ता है। इस बीच सभी राज्य सरकारों को रोगियों के उपचार के लिए विस्तृत तकनीकी सलाह तथा नैदानिक दिशा–निर्देशों का लाभ दिया गया है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए अनेक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्रीगत तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तार में समीक्षा की गई है।

सुरक्षा बलों द्वारा की गई मुठभेड़ें

2614. श्री समर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में विद्रोह को दबाने के लिए अतिरिक्त बल को भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रिपुरा में अशान्त क्षेत्र अधिनियम लागू होने के पश्चात सुरक्षा बलों की कितनी मुठभेड़ें हुई;

(घ) कितने उग्रवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए और कितने शस्त्र और गोलाबारूद पकड़े गए तथा कितने सुरक्षा अधिकारियों की जानें गईं;

(ङ) भारत–बंगलादेश सीमा से 3 किलोमीटर क्षेत्र में कितनी मुठभेड़े हुईं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। त्रिपुरा सरकार राज्य में विद्रोह पर काबू पाने के लिए सेना और केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों की अतिरिक्त यूनिटें तैनात करने का अनुरोध करती आ रही है।

(ग) और (घ) मार्च, 1997 और 1998 (नवम्बर तक) के बीच घटी घटनाओं, पकड़े/मारे गए उग्रवादियों की संख्या, जब्त किए गए हथियार और गोला–बारूद तथा मारे गए सुरक्षा कार्मिकों से संबंधी उपलब्ध सूचना, निम्न प्रकार है :–

मुठभेड़ों की संख्या	64
गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	345
मारे गए उग्रवादी	31
जब्त किए गए शस्त्र	234
जब्त किया गया गोला–बारूद	238
मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	75

(ङ) 11 मुठभेड़, भारत–बंगलादेश सीमा से तीन किलोमीटर के अंदर हुई।

सेना पर व्यय

2615. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने यह मांग की है कि आंतरिक सुरक्षा या विद्रोह के दौरान सेना की तैनाती पर व्यय गृह मंत्रालय के बजट से किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अनुरोध पर सेना की तैनाती की जाने पर मंत्रालय, सेना पर कोई व्यय नहीं करता है;

(ग) यदि हां, तो उसके मंत्रालय के बजट में सेना के लिए पर्याप्त न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार गृह मंत्रालय के बजट में सेना के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने के लिए विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बंगलादेश को पशुओं की तस्करी

2616. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार से बंगलादेश को पशुओं की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पशुओं की सीमा पार तस्करी रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है–सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, सघन गश्त, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ–साथ निगरानी, बुर्ज खड़े करना, सीमा सड़कों/बाड़ का निर्माण और रात्रि में देखने में सहायक साधनों की पूर्ति, सीमा के भूमि और नदी तटीय क्षेत्र दोनों में निगरानी और गश्त के लिए दूरबीनें इत्यादि। मामला बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा भ्रष्ट और गैर कानूनी गतिविधियां

2617. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा केन्द्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल के महानिदेशक की भ्रष्ट और गैर–कानूनी गतिविधियों की जानकारी सरकार के ध्यान में लाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के विरुद्ध अनेक गंभीर आरोपों की जांच करने के लिए कहा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा की गई जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जानी वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने पाया कि कथित कदाचार के विरुद्ध जांच चल रही है, उसे समुचित समय में पूरा किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) आरम्भिक जांच के निष्कर्षों पर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

एन. एस. सी. एन. (के.) की गतिविधियां

2618. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. एस. सी. एन. (के.) अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चंगलांग में सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इन दो जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और एन. एस. सी. एन. (के.) के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस संबंध में रिपोर्ट है कि एन. एस. सी. एन. (के) अरुणाचल प्रदेश के तिरप और छांगलांग जिलों के भागों में सक्रिय है।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश के तिरप और छांगलांग जिलों के लिए सरकार द्वारा किसी अलग पैकेज पर विचार नहीं किया जा रहा है। नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैण्ड के मुईवाह गुट के साथ भारत सरकार का एक युद्ध–विराम समझौता हुआ है तथा राजनैतिक स्तर की वार्ताएं शुरू हो गई हैं। एन. एस. सी. एन. (के) समेत अन्य विद्रोही ग्रुपों ने वार्ता करने संबंधी सरकार की पेशकश का जबाव नहीं दिया है।

खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री

2619. श्री राजनारायण पासी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी गेहूं तथा चावल की मात्रा बेची गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पत्तनों को कितनी मात्रा में गेहूं ले जाया गया तथा विदेश को कितनी मात्रा में वास्तविक पोतवहन किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) विभिन्न पत्तनों में देश के अंदर बिक्री हेतु कितनी गेहूं की मात्रा ले जाई गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्यात में हानि उठाई गई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त अवधि के दौरान गेहूं चावल तथा चीनी की संभलाई प्रभार में वृद्धि हुई है;

(छ) यदि हां, तो इस प्रभार में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) गत चार वर्षों के दौरान वर्ष–वार तथा समूह–वार

भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ पैसों की हेरा–फेरी तथा अनियमितताओं से संबंधित सतर्कता के कितने मामले रिपोर्ट किए गए?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना घरेलू और निर्यात के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेचे गए गेहूं और चावल के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन बेची गई मात्रा (घरेलू और निर्यात)	
	गेंहूं	चावल
1995–96	64.19	21.26
1996–97	43.68	3.04
1997–98	00.30	0.10

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों का कोई सीधे निर्यात नहीं किया है। तथापि, निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के प्रयोजनार्थ सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के विभिन्न खरीदारों को खुले बाजार में बिक्री योजना (निर्यात) के अधीन गेहूं और चावल की निम्नलिखित मात्रा बेची है:–

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	खुले बाजार में बिक्री योजना (निर्यात के अधीन) बेची गई मात्रा	
	गेहूं	चावल
1995–96	0.81	14.90
1996–97	4.30	0.50
1997–98	–	–

(ग) से (ङ) चूंकि भारतीय खाद्य निगम ने सीधे कोई निर्यात नहीं किया है इसलिए विपथन/हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू और निर्यात) के अधीन चावल और गेहूं की बिक्री भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की गई थी और निर्यात हेतु हैंडलिंग पर यदि कोई खर्च होता है तो वह खरीदारों द्वारा वहन किया जाता है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में खाद्यान्नों की हैंडलिंग के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए प्रभार निम्नानुसार हैं:–

दर/क्विंटल

वर्ष	गेहूं	चावल	चीनी
1995–96	112.60	127.34	215.07
1996–97 (अनंतिम)	115.06	158.29	215.49
1997–98	175.62	189.50	225.42
(संशोधित अनुमान)			

निगम ने हैंडलिंग की लागत कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) निगम भंडारण लागत कम करने के लिए 75 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, हालांकि अनाज की वसूली मौसमी है।

(ii) भाड़े का खर्च कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा वसूली और संचलन का अनुपात 1:1.35 के मानदण्ड पर रखा जा रहा है।

(iii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में कमी में गिरावट लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) डेमरेज प्रभारों की घटनाओं में कमी करने के लिए उपाए किए जा रहे हैं।

(v) केन्द्रीय निर्गम मूल्य से ऊंचे मूल्यों पर खुले बाजार में स्टाक रिलीज करना।

(vi) निगम अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर परिणामी प्रवेश स्तर (रिजलटेंट एण्ट्री लेवल) के पदों की भर्ती पर रोक लगाकर प्रशासनिक लागत को नियंत्रित कर रहा है और अपने कर्मचारियों की संख्या में सलाना लगभग 800 व्यक्तियों की कमी कर रहा है यद्यपि कार्यभार में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार स्थापना लागत में हुई वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान और वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के कारण हुई है।

(ज) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान निधियों के दुर्विनियोग और की गई अनियमितताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट किए गए सतर्कता मामलों की समूहवार/श्रेणीवार संख्या बताने वाला विवरण

वर्ष	अर्थशेष बकाया		निधियों के दुर्विनियोग और की गई अनियमितताओं के लिए भारतीय खाद्य में शुरू किए गए मामलों की संख्या		जोड़		वर्ष के दौरान तय किए गए मामले		वर्ष के अंदर इतिशेष बकाया		अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों के समूहवार/श्रेणीवार ब्यौरे श्रेणी/समूहवार			
	प्रमुख	लघु	प्रमुख	लघु	प्रमुख	लघु	प्रमुख	लघु	प्रमुख	लघु	I	II	III	IV
1995	418	127	292	349	710	476	296	351	414	125	20	168	321	30
1996	414	125	304	573	718	698	312	532	406	166	36	253	269	14
1997	406	166	388	413	794	609	248	425	546	184	37	390	276	27

[हिन्दी]

पुलिस वायरलैस संगठन

2620. श्री आदित्यनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस वायरलैस संगठन के विभिन्न कार्यालयों में कुल कितने टेलीप्रिंटर हैं;

(ख) उनमें से हिन्दी और अंग्रेजी के अलग-अलग कितने टेलीप्रिंटर हैं;

(ग) हिन्दी भाषी क्षेत्रों को देवनागरी में वायरलैस संदेश सबसे पहले किस वर्ष भेजने पर विचार किया गया;

(घ) इस समय पुलिस वायरलैस संगठनों में देवनागरी लिपि की सुविधा वाले कितने टेलीप्रिंटर स्थापित हैं; और

(ङ) देवनागरी लिपि के पर्याप्त संख्या में टेलीप्रिंटर स्थापित न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :- (क) से (ङ) विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) के विभिन्न कार्यालयों में 139 इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर स्थापित किए गए हैं। इनमें से 23 इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) के हैं। शेष इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर अंग्रेजी के हैं।

हिंदी भाषी क्षेत्रों को बेतार सन्देश देवनागरी लिपि में भेजने के प्रश्न पर विचार किया गया था और इसे 1996 में आयोजित अखिल भारत पुलिस रेडियो अधिकारी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। द्विभाषी टेलीप्रिन्टर, आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य पुलिस संगठनों के विभिन्न कार्यालयों में टेलीप्रिन्टर से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू न करना

2621. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कारगर ढंग से नहीं कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में शिकायत प्राप्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि, अध्यक्षों/सदस्यों के पदों पर रिक्तियों के कारण राज्य प्रतितोष मंचों के कार्य न करने की कुछ घटनाएं केन्द्र सरकार के ध्यान में आई हैं। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारों को समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह देती है।

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

2622. श्री सुरेश कुरूप :

श्री गुरूदास कामत :

श्रीमती रानी नरह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1995 से 1998 (30.11.1998 तक) तक की अवधि के दौरान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच हेतु कुल 6 मामले दर्ज किए गए।

(ख) उपर्युक्त मामलों में से तीन मामलों में जांच पूरी कर ली गई है तथा शेष तीन मामलों की जांच अभी भी की जा रही है। जिन तीन मामलों में जांच पूरी कर ली गई है उनमें से एक मामले में न्यायालय में आरोप–पत्र दायर कर दिया गया है, जबकि एक अन्य मामले में, विभाग द्वारा उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की सिफारिशें की गई हैं। तीसरे मामले को साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में संशोधन करने संबंधी मुद्दे को सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक की विनिर्मित के साथ मिला दिया गया है, जो कि सरकार के विचाराधीन है।

धान के भंडारण की कमी

2623. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में धान की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम को इसकी भंडारण क्षमता में कमी के कारण इनके भंडारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य में उचित भंडारण क्षमता स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अधीन धान की वसूली करता है। धान की वसूली के लिए अभी तक 124 धान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। तथापि, 9.12.1998 तक धान की आमद नहीं हुई है क्योंकि राज्य में धान के चल रहे बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में वसूल किए गए धान को सामान्यतया कैप (कवर और प्लिंथ) भंडारण में रखा जाता है।

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाएं

2624. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार को सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) कुल आवंटित धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) अप्रयुक्त धनराशि का किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार सरकार को निर्मुक्त राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	(रुपए लाख में)
1995–96	1248.80
1996–97	7205.89
1997–98	3923.98

(ख) निर्मुक्त धनराशि के उपयोग के बारे में पूरे ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।

(ग) पहले वर्षों में न उपयोग में लाई गई शेष राशि को बाद के वर्षों में निर्मुक्त धनराशि की निर्मुक्ति के लिए समायोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

गन्ने पर कर में छूट

2625. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी की सहकारी संस्थाओं को गन्ना उत्पादकों को दिए जाने वाले मूल्य पर आयकर देने के लिए कहा जा रहा है जो गन्ने के वैधानिक मूल्य से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उच्चतम न्यायालय ने 1973 में सरकार द्वारा काराधान की मांग को खारिज कर दिया था;

(ग) क्या सरकार का आयकर अधिनियम की धारा 80–पी के अधीन कृषि उत्पादों को छूट देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में कुछ गन्ना सहकारी सोसाइटियों के आयकर आकलनों में गन्ना किसानों और सदस्यों को सांविधिक न्यूनतम मूल्य से ज्यादा मूल्य दिए जाने के कारण की गई कटौती के दावों को अस्वीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) अपने सदस्यों के कृषि उत्पादों का विपणन करने में लगी सहकारी सोसाइटी की आय को पहले ही आयकर अधिनियम की धारा 80–पी के अधीन कराधान योग्य आय की गणना करते समय कटौती करने की छूट दी गई है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

2626. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार के स्वयं सेवी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये संगठन इस निधि का उपयुक्त ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस निधि के उपयुक्त प्रयोग के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) बिहार के स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई 1,60,65,469 रुपए की धनराशि का विवरण संलग्न है

(ख) और (ग) यह मंत्रालय समय–समय पर क्षेत्रीय स्तर के गैर सरकारी संगतनों से काम करवाता है जिसका मूल्यांकन स्वतंत्र संगठनों द्वारा किया जाता है। अब तक किए गए इन मूल्यांकनों से पता चलता है कि अधिकांश गैर–सरकारी संगठनों का कार्य सामान्यतया संतोषप्रद रहा है।

(घ) प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन के लेखों का चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अंकेक्षण किया जाता है और समुपयोजन प्रमाण–पत्र केवल अंकेक्षित लेखों के आधार पर ही जारी किए जाते हैं।

(ङ) नौवीं योजना के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकार ने गैर–सरकारी संगठन योजना का पूर्ण रूप से सुधार किया है। और मूल्यांकन पद्धति शुरू की है जिसमें सभी प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों के कार्य–करण का पूर्व मूल्यांकन एवं मध्यावधि मूल्यांकन शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	जारी की गई धनराशि
1	2	3
बिहार	**1995-96**	
1.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार	1,05,435
2.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, सारण बिहार	2,06,175
3.	चेतना विकास परिषद, समस्तीपुर, बिहार	77,085
4.	पायनियर सोसायटी फार ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,48,680
5.	चिल्ड्रेन वैलफेयर एसोसिएशन आफ़ इण्डिया, पटना, बिहार	62,280

1	2	3
6.	पटेल महिला विकास सेवा संस्थान, पटना, बिहार	46,585
7.	नगर युवा विकास संघ, सीतामढ़ी, बिहार	1,09,230
8.	श्रीमती मनोरमा महिला मंडल, वैशाली, बिहार	1,03,388
9.	पहल, भोजपुर, बिहार	38,542
10.	जन जागरण ब्यूरो, वैशाली, बिहार	80,885
11.	नूतन विकास विहार, समस्तीपुर, बिहार	1,49,530
12.	डॉ॰ घोष नर्सिंग होम, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,17,150
13.	सूर्या, वैशाली, बिहार	46,585
14.	ज्योति सेवा सदन, चम्पारण, बिहार	80,585
15.	सुविधा इन्टरनेशनल, वैशाली, बिहार	1,09,230
16.	प्रगति फाउंडेशन, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,83,875
17.	वैशाली कला कुंज, वैशाली, बिहार	1,49,530
18.	आदर्श महिला शिल्प कला केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार	2,18,175
19.	ग्रविश विहार, वैशाली, बिहार	46,485
20.	महिला हरिजन पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,05,435
21.	जनता विकास संस्थान, रांची, बिहार	80,885
22.	आत्मा सेवा संस्थान, वैशाली, बिहार	46,585
23.	लोक चेतना फाउंडेशन, वैशाली, बिहार	46,885
24.	जयनेंद्र फाउंडेशन, वैशाली, बिहार	80,885
25.	हेलोइंग इण्डिया, वैशाली, बिहार	46,585
26.	कला विहार, वैशाली, बिहार	80,885
27.	लार्ड बुद्ध मिशन, वैशाली, बिहार	2,18,175
28.	चन्द्रिका सर्विस सदन, वैशाली, बिहार	46,585
29.	चाइल्ड इण्डिया, पटना, बिहार	80,885
30.	चेतना विकास परिषद, समस्तीपुर, बिहार	85,650
31.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार	2,64,250
32.	चन्द सेवा फाउंडेशन, वैशाली, बिहार	46,585
33.	दलित चेतना परिषद्, वैशाली, बिहार	46,585
34.	सर्वांगिक विकास समिति, जहानाबाद, बिहार	46,585
35.	भारतीय जन मंत्र, वैशाली, बिहार	2,18,175

1	2	3
36.	कस्तूरबा मानव विकास, दरभंगा, बिहार	46,585
37.	मध्यम, पटना, बिहार	80,885
38.	जन चेतना फाउंडेशन, मधेपुर, बिहार	80,885
39.	दीप शिखा सेवा संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार	1,15,230
40.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बिहार	2,29,750
41.	बेरोजगार संघ, वेस्ट चम्पारण, बिहार	46,585
42.	विशाल कला निकेतन, सारण, बिहार	80,885
43.	अभिनन्दन, मुजफ्फरपुर, बिहार (स्वास्थ्य मेला)	2,80,730
44.	पहल, भोजपुर, बिहार	3,74,310
45.	शहीद महेश्वर स्मारक संस्था, बिहार	3,74,310
46.	डॉ॰ शंकर दयाल सिंह, बिहार	2,80,730
47.	समग्र विकास समिति, मुंगेर, बिहार	2,16,750
48.	शहीद महेश्वर स्मारक संस्थान, सरण, बिहार	2,16,250
		60,44,935
	1996-97	
1.	नूतन विकास विहार, समस्तीपुर, बिहार	1,41,530
2.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, वैशाली, बिहार	44,585
3.	लार्ड बुद्ध मिशन वैशाली, बिहार	2,18,175
4.	चाइल्ड इण्डिया, पटना, बिहार	30,885
5.	जनता विकास संस्थान, रांची, बिहार	80,885
6.	भारतीय जन मंच, वैशाली, बिहार	2,18,170
7.	मगध रिहेबिलीटेशन एंड वेलफेयर, सोसायटी, छपरा, बिहार	80,885
8.	आल इंडिया संथाल वेलफेयर एंड कल्चरल सोसायटी, नई दिल्ली (परियोजना क्षेत्र साहेबगंज, बिहार)	80,885
9.	बिजरौली सेवा संघ, वैशाली, बिहार	46,585
10.	दिव्य कला निकेतन, वैशाली, बिहार	80,885
11.	शकुन्तला प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र, वैशाली, बिहार	80,885
12.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बिहार	4,13,550
13.	जनहित विकास समिति नवादा, बिहार	2,06,175
14.	मनोरमा महिला सेवा संस्थान, वैशाली	1,49,530
15.	शास्वत सेवा संस्थान, बेगुसराय, बिहार	64,135

1	2	3
16.	भास्कर, पटना, बिहार	46,585
17.	चन्द्रशेखर युवा केन्द्र, पटना, बिहार	1,03,387
18.	देवनन्दन सेवा सदन, वैशाली, बिहार	1,15,230
19.	अभिनय प्रशिक्षण संस्थान, वैशाली, बिहार	1,03,387
20.	लोक रंग, पटना, बिहार	80,885
21.	आदर्श महिला शिल्प कला केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार	2,06,175
22.	जन जागरण ब्यूरो, वैशाली, बिहार	76,885
23.	सुविधा इन्टरनेशनल, वेस्ट चम्पारण बिहार	1,09,230
24.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार	2,34,885
25.	समाधान, मधुबनी, बिहार	46,585
26.	हरिबंश नारायण सिंह आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन सह शैक्षणिक अध्ययन संस्थान, समस्तीपुर	2,18,175
27.	पटेल महिला विकास सेवा संस्थान, पटना सिटी, बिहार	42,785
28.	डॉ॰ घोष नर्सिंग होम कम अर्बन फेमिली वेलफेयर सेन्टर, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,05,435
29.	ग्रविस विहार (ग्राम विकास समिति, बिहार) वैशाली, बिहार	44,585
30.	शाहपुर विकास समिति, सारण, बिहार	80,885
31.	सूर्या, पटना, बिहार	44,585
32.	अनंत विकास एवं सामाजिक कल्याण संस्थान	80,885
33.	सोसल एडवांसमेंट फोर नेशनल केयर एंड इकोनामिक ट्रीटमेंट, दरभंगा, बिहार	1,15,230
34.	नव जीवन विकास संस्थान, मधुबनी, बिहार	80,885
35.	डॉ॰ देव सेवाश्रम, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,91,880
36.	शहीद महेश्वर स्मारक संस्थान, सारण, बिहार	2,80,730
37.	ग्रामीण विकास पर्यावरण सुरक्षा वनीकरण अनुसंधान संगठन, पटना, बिहार	2,06,775
38.	शाहपुर विकास समिति, सारण, बिहार	80,885
39.	चेतना विकास परिषद, समस्तीपुर, बिहार	76,685
40.	पाटलीपुत्र विकास परिषद, अररिया, बिहार	1,49,530
41.	दीपशिखा सेवा संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार	1,09,230
42.	बज्जीकंचल विकास संस्थान, वैशाली, बिहार	38,443
43.	कस्तूरबा मानव विकास, दरभंगा, बिहार	44,585
44.	अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना, बिहार	2,18,175

1	2	3
45.	महिला हरिजन पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,05,235
46.	दीपशिखा सेवा संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार	1,09,230
47.	पाटलीपुत्र विकास परिषद, अररिया, बिहार	1,49,530
		56,85,287
	1997-98	
1.	डॉ. देव सेवाश्रम, मुजफ्फरपुर, बिहार	3,83,760
2.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बिहार	2,06,775
3.	शास्वत सेवा संस्थान, बेगुसराय, बिहार	62,135
4.	अल्पसंख्यक महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना, बिहार	2,06,175
5.	हरिजन सेवक संघ, मधेपुरा, बिहार	46,585
6.	बेरोजगार संघ, वेस्ट चम्पारण, विहार	44,585
7.	साइन्टिफिक एजुकेशनल प्रोमोशन एंड मेडिकल एंड फाउंडेशन, पटना, बिहार	
8.	विद्यापति सामाजिक एवं शिक्षण विकास संस्थान, मधुबनी, बिहार	2,16,750
9.	प्रगति फाउंडेशन, मुजफ्फरपुर, बिहार	1,73,875
10.	जैनेन्द्र फाउंडेशन, वैशाली, बिहार	76,885
11.	लोक रंग, पटना, बिहार	76,885
12.	पुस्तकालय सेवा संस्थान, छपरा, बिहार	2,06,175
13.	जन चेतना फाउंडेशन, मधेपुरा, बिहार	76,885
14.	बज्जीकंचल विकास, वैशाली, बिहार	38,442
15.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर, बिहार	1,91,880
16.	कला विहार, वैशाली, बिहार	76,885
17.	दिव्य कला निकेतन, वैशाली, बिहार	76,885
18.	वैशाली कला कुंज वैशाली, बिहार	1,41,530
19.	लोक चेतना फाउंडेशन, वैशाली, बिहार	44,585
20.	देवनन्दन सेवा सदन, वैशाली, बिहार	1,09,230
21.	हेल्पिंग इण्डिया, वैशाली, बिहार	44,585
22.	मनोरमा महिला सेवा संस्थान, वैशाली, बिहार	1,41,530
23.	ज्योती सेवा सदन, ईस्ट चम्पारण, बिहार	76,885
24.	हरिजन आदिवासी सेवा संस्थान, बिहार	44,585
25.	भारतीय जय मंच, वैशाली, बिहार	2,06,175
26.	लार्ड बुद्ध मिशन, बिहार	2,06,175

1	2	3
27.	जनता विकास संस्थान, बिहार	76,885
28.	शकुन्तला महिला, बाल एवं सेवा केन्द्र	76,885
29.	आत्मा सेवा संस्थान, बिहार	44,585
30.	बहुजन हिताय अमर ज्योती, वे॰ चम्पारण, बिहार	46,585
31.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, बिहार	1,91,880
32.	ग्रामीण समग्र सेवा संस्थान, मधुबनी, बिहार	46,585
		43,35,247

[अनुवाद]

तेल की खोज

2627. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को संयुक्त रूप से इराक में ट्यूब ऑयल फील्ड्स का विकास करने का ठेका मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इराक पर अमरीकी प्रतिबंधों के कारण इस संयुक्त उद्यम के कार्यान्वयन में कोई बाधा आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस गतिरोध के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ विदेश लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भारतीय परिसंघ ने ट्यूबा क्षेत्र का तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया है और तेल मंत्रालय, इराक को जुलाई, 1998 में आरंभिक वाणिज्यिक बोली आगे के विचार–विमर्श और वार्ता के लिए भेजी है।

गजलीटांड जांच

2628. श्री बसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी॰ सी॰ सी॰ एल॰) में गजलीटांड जांच बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं। जांच न्यायालय ने 29.6.98 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में स्वास्थ्य पद्धति का विकास

2629. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में स्वास्थ्य पद्धति के विकास/सुधार हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता से सेकेण्डरी स्वास्थ्य प्रणाली का दर्जा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस परियोजना के अन्तर्गत विचार किए जाने हेतु राज्यों का चयन अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ प्राथमिक तथा सेकेण्डरी स्तरों पर चिकित्सा परिचर्या की उपयुक्त सुविधाओं की कमी, राज्य में जानपदिक रोग की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी सुधार शुरू करने की राज्य सरकार की वचनवद्धता तथा कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति जनसंख्या सहित राज्य का सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन शामिल है।

तदनुसार, इस समय कम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों को विचार करने में प्राथमिकता दी जा रही है। अगली परियोजनाओं, जो पहले ही जांच की प्रक्रिया में हैं, को बातचीत के लिए उपयुक्त पाए जाने का पता लगाने के बाद ही प्रस्ताव किया जा सकता है।

विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के जरिए राज्य परियोजनाओं का विकास किया जाता है और पूर्व अनुभव से पता चला है कि इन परियोजनाओं के फलीभूत होने में कहीं 12 से 24 माह का समय लगता है जो राज्य द्वारा परियोजना के डिजाइन तथा उसे तैयार करने के समय पर निर्भर करता है।

पोलियो का टीका

2630. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में पोलियो टीकाकरण में तेजी लाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पोलियो के सबसे अधिक मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995–96 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य पोलियो का उन्मूलन करना है। यह कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से वार्षिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है और 1998–99 के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण का पहला दौर 6.12.98 को पूरा कर लिया। राज्यों को उन सभी क्षेत्रों, जहां से 1998 के दौरान पोलियो के पुष्ट रोगियों की सूचना दी गई थी, में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम घर–घर जाकर टीके लगाकर तेज करने का परामर्श दिया गया है ताकि शत–प्रतिशत कवरेज की जा सके। इस वर्ष पल्स पोलियो टीकाकरण का दूसरा दौर 17.1.99 को आयोजित किया जाएगा।

(ख) 1998 के दौरान (नवम्बर, 1998 तक) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचित किए गए पोलियो के रोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सूचित किए गए पोलियो के रोगी, 1998

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	7
4	बिहार	172
5.	गोवा	4
6.	गुजरात	141
7.	हरियाणा	51
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1
10.	कनार्टक	101
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	112
13.	महाराष्ट्र	122
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	77
19.	पंजाब	8
20.	राजस्थान	94
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	94
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	667
25.	पश्चिम बंगाल	52
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा एवं नगर हवेली	1
29.	दमण एवं दीव	1
30.	दिल्ली	36
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	2
	योग	1905*

*3 नवम्बर, 1998 तक के आंकड़े।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों और मंत्रियों का विदेश में उपचार

2631. श्री सुशील चंद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा संसद सदस्यों और मंत्रियों की देश में उपचार के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का संसद सदस्य–वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : संलग्न विवरण में सूचना दी गई है।

विवरण

विदेशों में गए संसद सदस्यों और मंत्रियों पर हुए व्यय का विवरण

क्र. सं.	नाम व पदनाम	किया गया व्यय
1	2	3
1.	श्री पी. उपेन्द्र संसद सदस्य	5,36,181.00 रुपए
2.	श्री ए. के. पांजा कोयला राज्य मंत्री	47,94,263.00 रुपए
3.	श्री सी. के. जाफर शरीफ रेल मंत्री	4,74,860.00 रुपए 54,885.80 यू. के. पाऊंड
4.	श्री एम. एम. हाशिम संसद सदस्य (राज्य सभा)	1,01,513.00 रुपए
5.	श्री कांशी राम संसद सदस्य	9,90,653.00 रुपए
6.	श्री सुखराम राज्य मंत्री	26,99,471.00 रुपए
7.	श्री अंकुश राव आर. टोपे संसद सदस्य (लोकसभा)	18,950.19 यू. के. पाउंड 2,14,082.00 रुपए
8.	श्री राम निवास मिर्धा संसद सदस्य (लोकसभा)	15,88,241.00 रुपए
9.	श्री कैलाश नारायण सारंग संसद सदस्य (राज्यसभा)	13,55,906.00 रुपए
10.	श्री तेज नारायण राव भोंसले संसद सदस्य	6,32,399.00 रुपए

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान

"शून्य"

[अनुवाद]

तस्करी

2632. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वागा-अटारी रेल चेकपोस्ट के रास्ते पाकिस्तान से भारी मात्रा में सामान की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सी. बी. आई. से इसकी जांच के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो सी. बी. आई. के अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, डी. आर. आई. रीजनल यूनिट, अमृतसर के अधिकारियों द्वारा 20.6.1998 को अटारी रेलवे स्टेशन पर 69,98,060 रुपए मूल्य की वस्तुओं की एक खेप जब्त की गई थी। यह खेप पाकिस्तान से, समझौता एक्सप्रैस से, 18.6.1998 को पहुंची थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस बिक्री केन्द्र पेट्रोल पम्प

2633. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य-वार रसोई गैस बिक्री केन्द्र और पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन बिक्री केन्द्रों/पेट्रोल पम्पों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने के संबंध में कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है। तथापि, 1702 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें एवं 435 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें 1996-98 की अनुमोदित एल. पी. जी. तथा खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजनाओं में सम्मिलित की गई है।

(ख) जी नहीं। 01 अक्टूबर, 1998 को समग्र देश में 16981 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 5560 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 2289 खुदरा बिक्री केन्द्र और 680 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा राजस्थान में 996 खुदरा बिक्री केन्द्र और 226 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचलन में थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लिए 87 खुदरा बिक्री केन्द्र और 351 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा राजस्थान के लिए 29 खुदरा बिक्री केन्द्र और

94 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 1996–98 की अनुमोदित विपणन योजना में सम्मिलित की गई हैं।

[अनुवाद]

सी. जी. एच. एस. और आई. एस. एम. एंड एच. में अंतर

2634. डॉ. सरोजा वी. : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में और दिल्ली से बाहर स्थित के. स. स्वा. योजना औषधालयों के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पूर्ण के. स. स्वा. योजना औषधालय की बजाय दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी इकाइयां खोलने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा कार्य अध्ययन के पश्चात् के. स. स्वा. योजना की इकाइयों को औषधालय में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपयुक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय का स्टाफ निरीक्षण एकक इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन एलोपैथिक औषधालयों का ही कार्य अध्ययन कर रहा है। इसके बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथिक एककों का ऐसा ही एक अध्ययन किया जाएगा। इस तरह किसी एकक को पूर्ण औषधालय के रूप में बदलना कार्यभार/लाभार्थी रोगियों की संख्या के मानदंडों को पूरा किए जाने पर निर्भर करता है।

जम्मू और कश्मीर में छद्म युद्ध

2635. श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा जम्मू और कश्मीर में छद्म युद्ध करने हेतु प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस समय जम्मू और कश्मीर में पांच प्रमुख तथा कई छोटे उग्रवादी दल कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन छुपे हुए उग्रवादियों से निपटने हेतु कौन से कठोर कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान की आई. एस. एस. आई. जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद बनाए रखने के लिए बहुत अधिक धन खर्च कर रही है। पाकिस्तान की आई. एस. आई. राज्य में भाड़े के सैनिक भेज रही है, उन्हें तथा स्थानीय उग्रवादियों को अत्याधुनिक हथियार व संचार उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च कर रहा है। विभिन्न गुप्त चैनलों से भी धन भेजा जा रहा है।

(ग) और (घ) जम्मू व कश्मीर में इस समय करीब बारह उग्रवादी संगठन हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं :–

1. हिजबुल मुजाहिदीन
2. हरकत–उल–मुजाहिदीन
3. लश्कर–ए–तोईबा
4. अल–वर्ग
5. तहरीक–उल–मुजाहिदीन
6. अल–जेहाद
7. जे. एंड के. लिबरेशन फ्रंट
8. अल–उमर–मुजाहिदीन
9. हिजबुल्लाह
10. दर्कतरान–ए–मिलात
11. जे. एंड के. इस्लामिक फ्रंट
12. हिजबुल–मोमीन

(ङ) जम्मू व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निबटने के उद्देश्य से सरकार ने बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना, भीतरी प्रदेश में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को नाकाम करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना तथा सीमा पर रहने वाली जनता के साथ सम्पर्क बढ़ाना शामिल है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा

2636. श्री नरेश पुगलीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली उपचार एवं अस्पताल में भर्ती की चिकित्सा सुविधा को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं,

(ग) इस निर्णय से पूर्व केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार से सेवानिवृत्त हुए लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा/अस्पताल में दाखिल होने सम्बन्धी उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वरिष्ठ नागरिकों को वही चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कवर्ड क्षेत्रों में सामान्य प्रयोजन और विशिष्टीकृत उपचार दोनों प्राप्त करने के लिए सेवारत कर्मचारी लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के अतिरिक्त सभी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/रेलवे/कर्मचारी राज्य बीमा/म्यूनिसिपल अस्पतालों में दी जाती हैं।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

2637. श्री सुनील खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड विशेष रूप से बोकारो और दुर्गापुर एकक, के कामगारों को चार माह से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. विशेष रूप से बोकारो और दुर्गापुर इकाइयों के कामगारों को पिछले 3–4 माह से उनके वेतनों की अदायगी नहीं की गई है। ऐसा कम्पनी की खराब वित्तीय स्थिति, चालू वर्ष के दौरान इस्पात संयंत्रों से कार्य आदेशों की कमी के कारण हुआ है।

(ग) इस्पात विभाग, एक अल्पावधि उपाय के रूप में, और अधिक कार्य आदेशों को प्राप्त करने में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. को सहायता प्रदान करता रहा है। एक वित्तीय पुनर्संरचना–सह–वित्तीय सहायता पैकेज पर भी विचार किया जा रहा है।

भारतीय रेड क्रास सोसायटी

2638. श्री चमन लाल गुप्त : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेडक्रास सोसायटी जम्मू एवं कश्मीर को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र को अलग–अलग प्रदत्त राहत/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू की भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के कारण जम्मू क्षेत्र के लिए अधिक हिस्से की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिवाल्वर के लाइसेंस

2639. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री माधवराव पाटील :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति गैर–कानूनी ढंग से अन्य राज्यों से रिवाल्वर के लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गैर–कानूनी ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को लाइसेंस देने के मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा कराया गया विद्रोह

2640. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों से बरामद हुए शस्त्रों से भारत में विद्रोह फैलाने में पाकिस्तान का हाथ होना सुनिश्चित हो गया है जैसा कि जुलाई, 1998 में संसदीय सौध में लगी प्रदर्शनी में दिखाया गया था;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन देशों के थे; और

(ग) उस स्थिति का समाधान किस तरह किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उग्रवादियों से जब्त किए गए हथियारों, जब्त किए गए हथियारों में पाकिस्तानी मूल के हथियार होने जैसे अनेक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि भारत में विद्रोही गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ है।

(ख) जब्त हथियारों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित उग्रवाद से निपटने को उच्च प्राथमिकता दी गई है और स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंध को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना प्रतिकारी कार्रवाईयों से भीतरी भागों में उग्रवाद का मुकाबला करना, अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है।

विवरण

उग्रवादियों से जब्त विदेशी हथियार की किस्म

क्रम सं.	हथियारों के प्रकार	मूल	क्षमता
1	2	3	4
1.	ए. के. 47/56 राईफल	चीन/रूस	7.62 मी. मी.
2.	राईफल ड्रगनाव स्नीफर	रूस	7.62 मी. मी.
3.	यू. एम. जी. (यूनिवर्सल मशीन गन)	चीन	7.62 मी. मी.
4.	बी. एम. जी. (ग्रीन मशीन गन)	अज्ञात	7.62 मी. मी.
5.	आर. पी. जी.-7	रूस	लाऊन्चर-40 मी. मी. प्रोजेक्टाईल-85 मी. मी.
6.	गन पिका	चीन	7.62 मी. मी.
7.	एस. बी. बी. एल. गन	अज्ञात	–
8.	एल. एम. जी. (लाईट मशीन गन)	अज्ञात	–
9.	जी. एम. जी. (जनरल परपज् मशीन गन)	अज्ञात	–
10.	राकेट लाऊन्चर	अज्ञात	–
11.	पिस्तौल	पाक	7.62 मी. मी.
12.	पिस्तौल स्वचालित	चीन	9 एम. एम.
13.	पिस्तौल यूनीक	फ्रांस	9 एम. एम.
14.	पिस्तौल पोकेट	स्पेन	.22
15.	पिस्तौल माउजर	जर्मन	7.65 मी. मी.
16.	पिस्तौल .22	स्पेन	.22 मी. मी.
17.	पिस्तौल 12 बोर कट्टा	पाक	12 मी. मी.
18.	पिस्तौल रिवाल्वर	पाक	.38 मी. मी.

1	2	3	4
19.	पिस्तौल एम–20	अज्ञात	–
20.	रिवाल्वर .32	अज्ञात	.32 मी. मी.
21.	ग्रेनेड लाऊन्चर	अज्ञात	–
22.	एस. एल. आर (सैल्फ लोडिंग राईफल)	अज्ञात	–
23.	मिसाईल चीनी एच. एन–5 (सरफेस टू एयर मिसाईल)	चीन	रूसी ए. ए. एम.–7 का विकसित रूप
24.	ग्रेनेड 40 एम. एम.	अज्ञात	–

[हिन्दी]

विस्थापित व्यक्ति

2641. श्री रामशक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों की समस्याओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, इन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) 1947 में देश के विभाजन के बाद भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से 47.40 लाख विस्थापित व्यक्ति प्रवास कर गए। मुआवजे/पुनर्वास अनुदानों के भुगतान के लिए 5,07,133 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी आवेदन पत्रों का निपटान हो चुका है।

तथापि, यह उल्लेख भी किया जाता है कि देश के विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के 2768 परिवार जम्मू क्षेत्र में बस गए थे। ये विस्थापित व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुसार, वे जम्मू एवं कश्मीर राज्य के स्थायी नागरिक नहीं हैं। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट याचिका भी दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यह राज्य विधानमंडल का कार्य है कि वह जम्मू एवं कश्मीर के संविधान में कोई संशोधन किए बिना इन लोगों को राहत देने के लिए राज्य नियमों में उपयुक्त संशोधन करें। केन्द्र सरकार का यह मत है कि यह ज्यादा उचित होगा यदि राज्य के नियमों में संशोधन करने का मामला जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधान सभा पर छोड़ दिया जाए।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय परिषद

2642. श्री तारिक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 माह के दौरान अंतर्राज्यीय परिषद की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या परिषद की बैठकें निर्धारित परम्परा के अनुसार आयोजित नहीं हो रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) गत छः माह के दौरान अन्तर–राज्य परिषद की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। परिषद का पुनर्गठन हाल ही में, अर्थात 28.10.1998 को किया गया है। 1990 में इसके गठन के बाद से इस परिषद ने अब तक चार बैठकें आयोजित की हैं। ये बैठके 10.10.1990, 15.10. 1996, 17.7.1997 और 28.11.1997 को आयोजित की गई हैं।

डनलप इंडिया लिमिटेड

2643. श्री विट्ठल तुपे :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप इंडिया लिमिटेड फरवरी, 1998 से बंद हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी के प्रबन्धन ने अपने कर्मचारियों को बकाया वेतन, बोनस तथा पेंशन का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने कर्मचारियों के बकाया के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) डनलप

इण्डिया के प्रबन्धकों ने दिनांक 7.2.98 को नोटिस के द्वारा शाहगंज, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल स्थित कारखाने में तत्काल प्रभाव से कार्य को स्थगित करने की घोषणा की थी। शाहगंज इकाई ने कम्पनी के अपने कर्मचारियो को अक्टूबर, 97 के देयों का भुगतान कर दिया है जबकि कलकत्ता स्थित मुख्यालय के कर्मचारियों को अप्रैल, 98 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। पिछले गणना वर्ष के लिए बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। प्रबन्धकों को कानूनी बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए कहा गया है तथा यह सूचना प्राप्त हुई है कि शाहगंज (पश्चिम बंगाल) स्थित कारखाने में कार्यरत दो संघों में से एक संघ ने अपनी अर्जित मजदूरी का भुगतान करवाने के लिए प्रबन्धकों को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में पहले ही आवेदन कर दिया है।

[हिन्दी]

तिलहनों का आयात

2644. श्री ब्रज मोहन राम :

डॉ. रवि मल्लू :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री दत्ता मेघे :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **खाद्य** और **उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में तिलहन का आयात किया गया;

(ख) वर्तमान समय में तिलहन की कितनी मांग है;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए तेल की **बजाय तिलहन** का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में तिलहन आयात किए जाने की संभावना है; और

(ड.) तिलहन के आयात से कीमतों में कहां तक कमी आने तथा देश में खाद्य तेलों की कमी कहां तक दूर होने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान तिलहन के तेल का आयात नहीं हुआ।

(ख) खाद्य तेलों के संबंध में वर्ष 1998.99 के लिए तिलहनों की कुल मांग की परिकलन 82 लाख टन आकलित किया गया।

(ग) भारत सरकार ने वनस्पति तेल के अलावा, खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ खास तिलहनों जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी और सफेद सरसों को आयात करने की अनुमति दी है।

(घ) सोयाबीन को "स्पलिट/क्रैक्ड फार्म" में आयात करने की अनुमति है। सूरजमुखी और सफेद सरसों को आयात करने की अनुमति संगरोध (क्वारेन्टीन) अपेक्षाओं के अध्यधीन दी जाती है। तिलहनों के आयात पर 45 प्रतिशत शुल्क लागू है। शुल्क के इस स्तर पर तिलहनों का आयात नहीं के बराबर देखा गया।

(ड.) मौजूदा हालातों में आशा के विपरीत यदि बड़ी मात्रा में तिलहनों का आयात करने पर विचार किया जाता है तो इसका प्रभाव, यदि कोई हो, आशा के विपरीत होगा।

[अनुवाद]

दालों का आयात

2645. श्री के. एस. राव : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन–किन किस्मों की दाल का कितनी–कितनी मात्रा में किन–किन देशों से आयात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार दालों की गुणवत्ता को बनाए रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जलचरों का संरक्षण

2646. वैद्य विष्णु दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलचरों के संरक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर में डल झील सहित दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन धनराशियों का उपयोग जम्मू क्षेत्र में जलचरों के संरक्षण तथा विकास के लिए भी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में वेटलैंड और झील संरक्षण और प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार को 1997–98 तक निम्नलिखित राशि रिलीज की गई है :–

बल्लूर झील	92.154 लाख रु.
तसोमोरारी	34.00 लाख रु.
टिसगोलट्सो	7.00 लाख रु.
डल झील	2500 लाख रु.

इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना 1998–99 में डल झील के लिए 25 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

जम्मू और कश्मीर में झीलों और वेटलैंड के बारे में अनुसंधान कार्यों के लिए अभी तक दिया गया धन निम्न प्रकार से है:–

i)	बल्लूर झील	6.34 लाख रु.
ii)	मानासर झील	4.45 लाख रु.
iii)	डल और नागिन झीले	2.49 लाख रु.
iv)	शिवालिक झीले	2.63 लाख रु.
v)	सुनीसर और घराना वेटलेंड होकारसर वेटलैंड	2.17 लाख रु.

बाल गृह

2647. श्री ए. सी. जोस : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल गृह के सभी निवासियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टाटा समाज विज्ञान संस्थान से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन असहाय बच्चों के व्यापक विकास के लिए बाल गृहों में "अडोप्ट ए होम स्कीम" लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि मंत्रालय की किशोर सामाजिक कुसंमजन निवारण तथा नियंत्रण योजना के अधीन विभिन्न किस्म के किशोर गृहों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

गैस आधारित बिजलीघर

2648. श्री नरेन्द्र बुडानिया :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के गैस आधारित बिजलीघरों की गैस की राज्यवार दैनिक मांग क्या है,

(ख) क्या आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिजलीघरों की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में मौजूदा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कुल आबंटन 27.97 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) है। तथापि विद्युत संयंत्रों की मांग दिन प्रतिदिन के आधार पर बढ़ती–घटती रहती है।

(ख) से (घ) क्षेत्र से क्षेत्र गैस की उपलब्धता और व्यक्तिगत विद्युत संयंत्रों की वास्तविक दिन प्रति दिन की मांग के आधार पर गैस की आपूर्ति 23.34 एम एम एस सी एम डी के औसत से की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता में कमी के बावजूद, प्राथमिकता विद्युत क्षेत्र के लिए गैस आपूर्तियों को दी जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर छापे

2649. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998.99 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर सरकार ने छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जब्त की गई खाद्य वस्तुओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम में ऐसी अनियमितताएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निवारक उपाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम और सरकार के गुण नियंत्रण/सतर्कता और अन्य स्कंध (विंग्स) द्वारा अचानक/नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से संबंधित जांच योग्य स्वरूप की शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के

औषधालयों में तैनात विशेषज्ञ

2650. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालयों में विशेषज्ञ तैनात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय में विशेषज्ञों की तैनाती हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) नोडल औषधालयों में 2 से तीन औषधालय जोड़कर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

दिल्ली से बाहर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) विशेषज्ञों की कमी के कारण सभी औषधालयों में विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करना कठिन है।

विवरण

केन्द्रीय स. स्वा. योजना के अन्तर्गत अनेक नोडल स्थानों पर विशेषज्ञों द्वारा किए गए दौरों का रोस्टर

क्र. सं.	विशेषज्ञ नोडल केन्द्र का नाम	संबंध किए गए अतिरिक्त औषधालय	चिकित्सा	सर्जीकल	नेत्र	कान नाक गला	चर्म	दन्त	मनोविकार	बाल रोग	स्त्री रोग	आयु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	नानकपुरा	आर. के पुरम–5	शनि.	–	–	–	बुद्ध	–	–	–	–	–
2.	मोतीबाग	नानकपुरा	बुद्ध	सोम.	बीर.	शुक्र.	शनि.	–	मंगल अति. औष	–	–	–
3.	आर. के. पुरम–II	आर. के. पुरम–1 आर. के. पुरम–3 आर. के. पुरम–6 मुनिरका	वीर बुद्ध	–	–	–	सोम.	–	–	–	–	–
4.	आर के पुरम–4	आर. के. पुरम–3 आर. के. पुरम–5	–	–	–	–	बुद्ध	–	–	–	–	–
5.	नेताजी नगर		शनि.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	सरोजनी नगर–1		शुक्र.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	सरोजनी नगर–2		सोम.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	सरोजनी नगर	नेताजी नगर	शनि.	–	सोम.	–	–	–	शुक्र.	–	–	–
	(मार्किट)	सरोजनी नगर–2										
		(चि. को छोड़कर)										
		नारौजी नगर										
9.	एण्ड्रूज गंज	सादिक नगर	शुक्र.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	आर. के. पुरम–3	आर. के. पुरम–1	मंगल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		आर. के. पुरम–2	बुद्ध	–	सो.	शुक्र.	–	–	–	–	–	–
		आर. के. पुरम–5	केवल नेत्र									
		आर.के.पुरम–4										
11.	लाजपत नगर	जंगपुरा	मंगल.	–	वीर.	–	शुक्र.	–	–	–	–	–
12.	श्रीनिवासपुरी		वीर.									
	(मेडिकल को छोड़कर)											
13.	कस्तूरबा नगर	कस्तूरबा नगर–2	मं.	शु.	वी.	बुद्ध.	मं.	प्रतिदिन	मंग.	सो.	सो.	–
	(पौलीक्लिनिक)											
		लोदी रोड–2	श.	–	श.	–	शुक्र.	–	–	बुद्ध.	मं.	
			वी.							श.	बुद्ध एवं	
											शुक्र	
14.	कालकाजी–1	कालकाजी–2	मं.	–	–	–	वी.	–	–	–	–	
		मालवीय नगर										
		सादिक नगर										
15.	श्रीनिवास पुरी	–	सो.	–	–	–	वीर.	–	–	–	–	–
15 ए.	लक्ष्मीबाई नगर		बुद्ध.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	एम. बी. रोड	पुष्प बिहार सै–4	वीर		(सै. 4 के रोगियों के लिए)							
			मं		(सै. 1 के रोगियों के लिए)							
17.	तिलक नगर	हरि नगर	सो.									
		तिलक नगर	मं.									
		जनकपुरी–2	शनि.	–	–	–	वीर.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		हरि नगर										
		जनकपुरी–2										
		तिलक नगर										
18.	नारायणा	इन्द्रपुरी	शुक्र.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	न्यू राजेन्द्र नगर		सो.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	राजौरी गार्डन		मं.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			बुद्ध.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	दिल्ली कैंट	पालम कालोनी	मं.	–	–	–	वी.	–	–	–	–शनिवार	
22.	पश्चिम बिहार	सुन्दर बिहार	बुद्ध	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	अशोक बिहार	शकूर बस्ती	मंग. एवं									
		त्री नगर	वीर.	–	–	–	शुक्र.	–	–	–	–	–
24.	नागल राया		मंग.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	लक्ष्मीनगर		वीर.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	मयूर बिहार		सो.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	दरिया गंज	चांदनी चौक	सो.	–	–	–	मंग.	–	–	–	–	–
			एवं बुद्ध.									
28.	शाहदरा	विवेक बिहार	मं. एवं. श.	–	–	–	मंग.	–	–	–	–	–
29.	वैलेसरजी रोड़	टेलीग्राफ लेन	सो.	–	–	–	शनि.	–	–	–	–	–
		कंस्टीट्यूशन हाउस										
		पंडारा रोड										
30.	राजपुर रोड़	राजपुर रोड										
		तिमारपुर				प्रतिदिन (मंगल और शुक्रवार को छोड़कर)						
		पुल बंगश				(राजपुर रोड पुलिस अस्पताल में तैनात मेडिकल विशेषज्ञ)						
		सब्जी मंडी										
		किंग्जवे कैम्प	–	–	मंग.							
		राजपुर रोड					मंग.					
		तिमार पुर										
		पुल बंगश										
		सब्जी मंडी										
		तदैव (किंग्जवे कैप, राजपुर रोड़, तिमारपुर, पुल बंगश, सब्जी मंडी)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	किंग्जवे कैम्प	तिमार पुर	मंगल एवं			वीर. प्रतिदिन						
		सब्जी मंडी	शुक्र									
		अशोक बिहार										
		त्रिनगर										
		पुल बंगश										
		राजपुर रोड										
		यमुना विहार										
32.	नौएडा		बुद्ध									
33.	गाजियाबाद		सोम									
			शुक्रवार									

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

2651. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री कारोबार तथा अर्जित लाभ कितना रहा ?

रसायन और उवर्रक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन क्षमता उपयोगिता बिक्री कारोबार और अर्जित लाभ के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

क्रम सं.	वित्त वर्ष	वास्तविक उत्पादन (नाइट्रोजन में)	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)	बिक्री कारोबार	कर पश्चात् कुल लाभ (रु./करोड़)
1.	1995–96	11.39	109.97	1516.37	54.06
2.	1996–97	10.12	97.61	1435.45	11.20
3.	1997–98	15.60	113.87	2221.60	189.01

पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

2652. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 से अब तक महाराष्ट्र में विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत कितने पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गईं और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) राज्य में किन–किन स्थानों पर पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) नई एजेंसियों के आबंटन के लिए स्थानों के चयन का मूल आधार क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1994–95 से महाराष्ट्र में विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अनुकम्पा आधार पर चार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और दो खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आबंटित किए गए। विवेकाधीन कोटा 1996 में समाप्त कर दिया गया था।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर खुदरा

बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थानों की व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता के आधार पर खोली जाती है। तदनुसार उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर महाराष्ट्र के लिए 1996–98 की विपणन योजना में 34 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 89 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई है।

[हिन्दी]

मंत्रियों की परिसम्पत्तियां

2653. डॉ. सुशील इंदौरा :

डॉ. चिन्ता मोहन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों की परिसम्पत्तियों के बारे में ब्यौरा प्रकाशित करने में विलम्ब हुआ है जिन्होंने अपनी परिसम्पत्तियां पहले ही घोषित कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परिसम्पत्तियों के बारे में शेष ब्यौरा कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) इस संबंध में ब्यौरे शीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्रमिक न्यायालयों में लम्बित मामले

2654. श्री दिलीप संघाणी :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के श्रमिक न्यायालयों/उच्च न्यायालय में श्रमिक विवादों संबंधी लम्बित मामलों का जिले–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में लम्बित मामलों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) क्या लम्बित मामलों में वृद्धि का कारण पीठासीन न्यायाधीशों के रिक्त पदों का अब तक न भरा जाना है; और

(घ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने और लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) दिनांक 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में श्रम न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामलों की जिलावार संख्या इस प्रकार है :–

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1.	अहमदाबाद	32095
2.	गांधीनगर	113
3.	खेडा	5867
4.	साबरकांथा	1580
5.	बनसकांथा	2282
6.	मेहसाणा	5865
7.	राजकोट	9095
8.	भावनगर	5874
9.	सुरेन्द्र नगर	4645
10.	अमरेली	1250
11.	जूनागढ़	4824
12.	जामनगर	6893
13.	कच्छ	1921
14.	बडोदरा	11128
15.	पंचमहल	3893
16.	भरूच	5374
17.	सूरत	12575
18.	डांग	–
19.	वलसाड़	6507
	कुल	121851

30.6.1998 की स्थिति के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय में श्रम विवादों से संबंधित 7044 मामले लम्बित हैं।

1988 और 1997 के बीच लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पीठासीन अधिकारियों के 41 पद हैं जिनमें से पीठासीन अधिकारियों के 13 पद रिक्त हैं। गुजरात सरकार द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 नए श्रम न्यायालय संस्वीकृत किए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1997–98 के लिए अमरेली में एक श्रम न्यायालय संस्वीकृत किया गया है।

बंधुआ बाल श्रमिकों की पहचान

2655. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने कुछ भारतीय उत्पादों के आयात पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इनका बच्चों द्वारा निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं;

(घ) क्या सरकार ने बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में अन्य जोखिमपूर्ण व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए हाल ही में कोई अधिसूचना जारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पहचान किए जाने या पुनर्वास के लिए आयु या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। श्रम मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी करता रहा है जिनमें बंधित बच्चों सहित बंधित श्रमिकों की पहचान की प्रक्रिया और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। तथापि, बंधित बाल श्रमिकों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट निर्देश/दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), 1986 की अनुसूची में एक और व्यवसाय और 36 प्रक्रियाएं शामिल करने के लिए 23 जुलाई, 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें क्रमशः व्यवसायों की कुल संख्या 8 और प्रक्रियाओं की कुल संख्या 54 हो गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की फेलोशिप

2656. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री प्रमथेस मुखर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1998 के "दि स्टेट्समैन" में "पॉलिटिकल लिंक्स डिसायड डब्ल्यु. एच. ओ. फेलोशिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की फ्लोशिप के प्रशिक्षण हेतु सरकारी चिकित्सकों को विदेशों में भेजने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन की फेलोशिप पर विदेश भेजे गए सरकारी चिकित्सकों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में इस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में इस तथ्य का भी पता लगाया है कि चिकित्सकों ने किस हद तक विदेश में विभिन्न व्याख्यान में हिस्सा लिया तथा सफलता प्राप्त की; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी डॉक्टरों को भेजने के लिए निर्धारित मानदंड यह है कि-(क) अभ्यर्थी का अनुभव पांच वर्ष से कम न हो; (ख) अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से कम हो; (ग) अभ्यर्थी ने पिछले पांच वर्ष के दौरान अध्येयता वृत्ति का लाभ न लिया हो/अनुसूचित-जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला आवेदकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैलोशिप द्विवर्षीय आधार पर दी जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फैलोशिप पर पिछले दो वर्षों अर्थात् 1994-95 तथा 1996-97 के दौरान विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :

अवधि	संख्या
1994-1995	334
1996-1997	318

फैलोशिप पर होने वाला व्यय डब्ल्यू. एच. ओ. कंटरी बजट से वहन किया जाता है। अतः इस मद पर सरकारी बजट से कोई पैसा नहीं दिया गया है।

(घ) और (ड.) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्येयता को अध्ययन पूरा होने के दो माह की अवधि के भीतर विश्व स्वास्थ्य संगठन को अध्ययन समाप्त होने (टर्मिनेशन ऑफ स्टडी) की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। द्विवार्षिक 1990-91, 1992-93 तथा 1994-95 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैलोशिप कार्यक्रम के मूल्यांकन से पता चला है कि अधिकतर मामलों में अध्येयतावृत्तियां लाभदायक रहीं तथा अर्जित ज्ञान तथा कौशलों से संगत क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लिमिटेड का पुनरुद्धार

2657. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्नाकुलम में उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, उद्योगमंडलम ने वर्तमान संकट पर काबू पाने के लिए इसके पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफएसीटी) ने अन्य बातों के साथ-साथ अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजनां के लिए एक वर्ष के लिए ऋण स्थगन के साथ सरकारी ऋणों पर तीन से चार वर्षों की अवधि के लिए ब्याज राहत प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, उन्होंने मूलधन के पुनर्भुगतान समय को पुनः निर्धारित करने के लिए कहा है। फैक्ट के अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कैप्रोलेक्टम पर आधारभूत सीमा शुल्क बढ़ाने के लिए अलग से अनुरोध भी किया गया था। इस तर्क संगत नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान वेजेटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड

2658. श्री रिजवान जहीर खां : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजेटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अपना पैकिंग कार्य कमीशन के आधार पर एक लाइसेंसधारी कम्पनी को दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान वेजेटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पामोलीन की पैकिंग का कार्य हाथ में लिया है। हाल ही में हुई दिल्ली में खाद्य तेलों की कमी के कारण दिल्ली सरकार के अनुरोध पर उपभोक्ता पैकटों की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु हिन्दुस्तान वेजेटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने आयातित पामोलीन को "वर्क-बेसिस" पर उपभोक्ता पैक्स में पैकिंग करने के लिए निजी पैकेजर से समझौता किया है।

(ग) चूंकि यह व्यवस्था दिल्ली सरकार, जिनकी ओर से तेल की पैकिंग का कार्य किया जा रहा है, की सहमति पर की गई थी, अतः ऐसे समझौते में स्वयंमेव (इपसो फैक्टो) शामिल किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीजल की गुणवत्ता

2659. श्री के. पी. मोहन :

श्री एम. राजैया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों द्वारा तैयार डीजल अन्य देशों के तेल शोधकों द्वारा तैयार की जा रही डीजल से अशुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो डीजल की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय रिफाइनरियों द्वारा तैयार किया गया एच एस डी, बी आई एस विनिर्देशों के अनुसार होता है।

(ख) डीजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम निम्नवत हैं :

(1) डीजल में गंधक को 1.0 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत भार तक कम करने से संबंधित परियोजनाएं विभिन्न रिफाइनरियों में कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में हैं।

(2) सीटेन संख्या 42 के वर्तमान विनिर्देश को 48 तक बढ़ाने की भी योजना है।

[हिन्दी]

झंडेवालान मंदिर में नारियल बम

2660. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल बम रख कर राजधानी में झंडेवालान मंदिर को उड़ाने का प्रयास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस षडयंत्र में शामिल लोगों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 30 सितम्बर, 1998 को बद्री भगत झंडेवालान मंदिर के कमरों में से एक में एक हथगोला बरामद किया गया था, जिसे बम निपटान दस्ते द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया।

(ख) इस मामले में अब तक की गई जांच–पड़ताल से इसमें संलिप्त व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का खोला जाना

2661. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्रीमती रानी नरह :

श्री यू. वी. कृष्णमराजू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन स्थानों पर वर्तमान समय में राज्य–वार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के एलोपैथिक/होम्योपैथिक/यूनानी औषधालय चल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक औषधालय में कितने लाभार्थी निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ये औषधालय लाभार्थियों की आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को असम तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार और विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(छ) आगामी दो वर्षों के दौरान किन–किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) के. स. स्वा. योजना के औषधालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर के. स. स्वा. योजना को कोई नया औषधालय खोलने के लिए कम से कम 2500 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की आवश्यकता होती है।

(ग) से (ङ) के. स. स्वा. योजना के औषधालयों की अपर्याप्तपता को ध्यान में रखते हुए सरकार महाराष्ट्र में पोवई और आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा सहित राज्यों से के. स. स्वा. योजना के नए औषधालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त करती रही है। जोंही कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट, जिसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है, प्राप्त हो जाएगी और सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाएगा, वैसे ही के. स. स्वा. योजना के नए औषधालय खोलने के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी।

(च) के. स. स्वा. योजना के नए औषधालय खोलने/चल रही के. स. स्वा. योजना की स्कीमों के लिए 50.00 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

(छ) कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात अगले दो वर्षों के दौरान चंडीगढ़, भोपाल, शिलौंग, विजयवाड़ा, विशाखापट्नम, वाराणसी और जोधपुर इत्यादि में के. स. स्वा. योजना औषधालय खोले जाने की संभावना है।

विवरण

प्रणालीवार मौजूदा औषधालय (31.3.1998 को)

क्र.सं.	शहर का नाम	चालू करने की तारीख	एलो.	आयु.	होमि.	यूनानी	सिद्ध	योग	योग	बहु क्लिनिक	के.स. स्वा.यो. प्रयो.	दंत चि.	कार्डों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अहमदाबाद	अप्रैल 1979	5*	1	1				7	–	1	1	08805	38634
2.	इलाहाबाद	मार्च 1969	7	1	1				9	1	1	1	31100	171483
3.	बंगलौर	फरवरी 1976	10	2	1	1**			14	1	2	1	54492	211538
4.	मुम्बई	नवम्बर 1963	28	2	4				34	2	17		2107941	433917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	कलकत्ता	अगस्त 1972	17	1	2	1			21	1	4	0	43924	151929
6.	दिल्ली	जुलाई 1954	87	13	13	4	1	3	121	4	31	3	353323	1595459
7.	हैदराबाद	फरवरी 1976	14*	2	2	2			20	2	2	1	72338	308543
8.	जबलपुर	अक्टूबर 1991	3						3		1**	0	13638	68342
9.	जयपुर	जुलाई 1978	5	1	1				7	1	2	1	22539	107693
10.	कानपुर	जुलाई 1972	9	1	2				12	1	3	1	26308	115988
11.	लखनऊ	मार्च 1979	6	1	1	1			9	1	1	1	15916	85750
12.	चेन्नई	मार्च 1975	14	1	1		1		17	2	2	1	38588	160755
13.	मेरठ	जुलाई 1971	6	1	1				8	0	1	1	10481	51501
14.	नागपुर	अक्टूबर 1973	10*	2	1				13	1	0	1	34682	156711
15.	पुणे	जुलाई 1978	7	1	2				10	1	1	1	37915	134261
16.	पटना	नवम्बर 1976	5*	1	1				7	1	2	1	26969	122591
17.	गोवाहटी	अप्रैल 1995	3$						3				6335	29484
18.	त्रिवेन्द्रम	अप्रैल 1995	3$						3				4226	14600
19.	रांची	अक्टूबर 1992	1#						1				2705	11258
20.	भुवनेश्वर	अगस्त 1988	1#						1				2137	9476
		कुल	241	31	34	9	2	3	320	19	71	17	914362	3979922

* एक उप औषधालय समेत केवल महालेखाकार के कर्मचारियों के लिए

* * मंजूर कर दिया गया है लेकिन इसने अभी कार्यकरण शुरू नहीं किया है।

* दो–उप औषधालय शामिल हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राज सहायता

2662. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री चेतन चौहान :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर आर्थिक सहायता को खत्म करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस प्रति इकाई कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है और आर्थिक सहायता को समाप्त करने संबंधी दीर्घावधि योजना क्या है और उसके निहितार्थ क्या है; और

(ग) आर्थिक सहायता के भारी बोझ को समाप्त करने के लिए गत एक वर्ष के दौरान लागू नीतिगत परिवर्तन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय ले लिया था कि एल पी जी (घरेलू) और एस के ओ (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) पर राजसहायता 2000–01 और

2001–02 तक चरणों में कम करके आयात समता मूल्य के क्रमशः 15 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत के स्तर पर ला दी जाएगी। वर्ष 2002 के पश्चात राजसहायता, राजकोषीय बजट को अंतरित कर दी जाएगी।

1997–98 के दौरान एस के ओ (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और एल पी जी (पैक्ड घरेलू) पर अनुमानित राजसहायता निम्नानुसार थी :

		राजसहायता
एस के ओ (सा. वि. प्र.)	रु./करोड़	5820
	रु./लीटर	4.62
एल पी जी (पैक्ड घरेलू)	रु. करोड़	1660
	रु./सिलेंडर	55.33

चरणबद्ध सुधार कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सुधारों का चरणबद्ध कार्यक्रम

विवरण	मॉडल
अंतरण चरण	4 वर्ष
1	2
वर्ष-1 (1998-1999)	
(i) कॉस्ट प्लस फार्मूला समाप्त करना और क्रूड उत्पादकों को वास्तविक आयात के पोत पर्यन्त भाड़ा कीमत के भारित औसत के रूप में भुगतान।	75 प्रतिशत
(ii) अंतरण अवधि के दौरान नियंत्रित रखे जाने वाले उत्पाद	एमएस, एचएसडी केरोसिन, एटीएफ और एल पी जी।
(iii) रिफाइनरियों के लिए रिटेंशन मार्जिन संधारणा और नियंत्रित उत्पादों के लिए रिफाइनरी गेट कीमतों की वापसी।	वर्तमान रिफाइनरियों को समाजोजित आयात समतुल्य कीमतें तथा नई रिफाइनरियों को टेरिफ समायोजित आयात समतुल्य कीमतें।
(iv) डीकंट्रोल किए जाने वाले उत्पाद	नेप्था, एफओ, एलएसएचएस, बिटुमिन पेराफिन वैक्स।
(v) एक्जिम नीति	क्रूड (स्लाप क्रूड और क्रूड कंडन्सेड) एनजीएल, एटीएफ, एम एस और एचएसडी को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात का डीकेनालाइजेशन।
(vi) क्रूड की उपलब्धता	क्रूड की उपलब्धता का उदारीकरण और संयुक्त तथा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के अंतर्गत आयात की अनुमति।
(vii) सीमाशुल्क	चरणबद्ध तरीके से युक्तीकरण
(viii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
केरोसीन	वर्तमान भंडारण प्वाइंट का 30 प्रतिशत।
एलपीजी	पास की जाने वाली सब्सिडी का 33 प्रतिशत।
(ix) भाड़ा और अन्य अंडररिकवरिज	33 प्रतिशत समान रूप से पास किया जाएगा।

1	2
10. कच्चे तेल का नौवहन	कच्चे तेल के लिए कॉस्ट प्लस फार्मूला को वापस लेना और संबंध बाजार दरों की ओर जाना।
वर्ष-2 (1999-2000)	
(i) पोतपर्यन्त भाड़े भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान।	77.5 प्रतिशत
(ii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
कैरोसिन।	एक वर्ष के अंत तक संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 30 प्रतिशत।
एलपीजी	33 प्रतिशत की और सबसिडी पास की जाए।
(iii) भाड़ा और अन्य अंडररिकवरिज	33 प्रतिशत सामान रूप से पास किया जाएगा।
(iv) शुल्कों का युक्तीकरण	जारी रखा जाए।
वर्ष-3 (2000-01)	
1. पोतपर्यन्त भाड़ा कीमत की भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों का भुगतान।	80 प्रतिशत
(ii) एटीएफ	आयातों और कीमत निर्धारण डीरेगुलेशन।
(iii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	वर्ष के आरंभ में संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 20 प्रतिशत।
केरोसिन	आयात समानता में 15 प्रतिशत सब्सिडी स्तर पहुंचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन
एलपीजी	
(iv) भाड़ा और अन्य अंडर–रिकवरिज	बकाया सब्सिडी को समान रूप से पास किया जाए।
वर्ष-4 (2001-2002)	
पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य में भारित औसत के प्रतिशत के रूप में क्रूड उत्पादकों को भुगतान	82.5 प्रतिशत
केरोसीन की कीमतों में वृद्धि	आयात समानता के 33.33 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुंचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन।
2002 से आगे	पूर्ण विनियंत्रण सरकार के राजकोषीय बजट में एस के ओ (पी डी एस) और एल पी जी की सब्सिडी का अंतरण।

[हिन्दी]

तेल की खरीद और बिक्री

2663. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रतिमाह जूट बैचिंग तेल के नाम पर तेल टैंकर आपूर्ति कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली आ रहे तेल टैंकरों की संख्या कितनी है, यह कब से आ रहे हैं और क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन सभी प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा खरीदा व बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो यह किस प्रयोजन के लिए खरीदा जाता है;

(घ) क्या सरकार ने ओ जी एल के अंतर्गत इस तेल के आयात की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इसकी गुणवत्ता और इस आयातित तेल के समुचित उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने बताया है कि दिल्ली में जूट बैचिंग तेल (जे बी ओ) का उनका कोई ग्राहक नहीं है और इसलिए दिल्ली में उनके द्वारा जूट बैचिंग तेल की कोई आपूर्ति नहीं की गई।

(घ) और (ङ) जूट बैचिंग तेल एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है। जूट बैचिंग तेल का आयात ओ जी एल के तहत है। देश में आयातित जूट बैचिंग तेल को बी आई एस/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करना होता है, तथा सरकार की आयात नीति के अनुसार उनका निरीक्षण/गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करना होता है।

[अनुवाद]

असम में इंडियन आयल कार्पोरेशन के डिपो में आग लगना

2664. श्री सी. डी. गामीत :

श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 अगस्त, 1998 को असम के नौगांव जिले के थेकेरीगुरी में इंडियन आयल कार्पोरेशन के एक डिपो में भीषण आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) दिनांक 11 अगस्त, 1998 को असम राज्य में नगांव जिलान्तर्गत थेकरीगुड़ी स्थित इंडियन आयल कार्पोरेशन डिपो में भारी विस्फोट हुआ, जिससे आग लगी तथा फैल गई और इसने सभी सात भंडार टैंकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में इन सात टैंकों तथा निर्माणाधीन 4 टैंकों को क्षति के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग 11.941 किलो लीटर मात्रा नष्ट हो गई। इस संबंध में कुल हानि लगभग 13 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(ग) से (ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा विभागीय जांच–पड़ताल की गई थी। राज्य सरकार/पुलिस ने भी जांच–पड़ताल की है। इस आंतरिक जांच पड़ताल इत्यादि से प्रारंभिक संकेत यह है कि इस आग के संबंध में सर्वाधिक संभावित कारण बदमाशों द्वारा रखा गया विस्फोटक यन्त्र है। राज्य सरकार के साथ परामर्श से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्थानों पर सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं और चौबीस घंटे सख्त निगरानी रखी जाती है।

शिशु मृत्यु दर

2665. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों का पता लगाया है जहां शिशु मृत्यु दर बढ़ती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य–वार स्थिति क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शिशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि को रोकने के लिए क्या नीति अपनाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) नमूना पंजीयन पद्धति द्वारा यथा अनुमानित वर्ष 1993–1994 तथा 1995 में भारत तथा प्रमुख राज्यों की शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में 1993 की तुलना में 1995 में शिशु मृत्यु दर में मामूली वृद्धि सूचित की गई है।

(घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए वैक्सीन से रोके जा सकने वाले 6 रोगों से प्रतिरक्षण, अतिसार रोग तथा तीव्र श्वसनी संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु दर को नियंत्रण करने, नवजात

शिशुओं की अनिवार्य परिचर्या तथा विटामिन–ए की कमी तथा आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता से बचाव और उपचार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण

अनुमानित शिशु मृत्यु (0.4 वर्ष) दर

क्र. सं.	भारत और प्रमुख राज्य	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
	भारत*	23.7	23.9	24.2
1.	आंध्र प्रदेश	7.1	7.0	9.1
2.	असम	29.7	24.7	24.7
3.	बिहार	15.3	24.9	28.3
4.	गुजरात	20.7	22.2	19.9
5.	हरियाणा	20.3	22.3	22.7
6.	हिमाचल प्रदेश	16.1	16.0	17.2
7.	कनार्टक	20.0	18.6	18.2
8.	केरल	3.4	3.4	4.3
9.	मध्य प्रदेश	36.9	34.8	33.0
10.	महाराष्ट्र	14.1	14.4	14.9
11.	उड़ीसा	33.7	31.6	32.2
12.	पंजाब	16.1	15.7	14.9
13.	राजस्थान	26.2	27.4	29.3
14.	तमिलनाडु	13.6	13.4	14.5
15.	उत्तर प्रदेश	32.9	33.0	30.8
16.	पश्चिम बंगाल	17.0	19.8	18.6

*जम्मू व कश्मीर और मिजोरम को छोड़कर

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली

इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्थापना

2666. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को "इंडिया रिजर्व बटालियनों" की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी; और

(ग) राज्य–वार कितने "रिजर्व बटालियन" स्थापित किए जा चुके हैं तथा केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्थापित/मंजूर की गई इंडिया रिजर्व बटालियनों और स्थापित किए जाने के संबंध में लंबित अनुरोधों के ब्यौरों की सूची

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अब तक स्वीकृत की गई बटालियनों की संख्या	लंबित अनुरोध (बटालियनों की संख्या)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	–
2.	असम	4	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	–
4.	हिमाचल प्रदेश	1	1
5.	हरियाणा	–	2
6.	जम्मू और कश्मीर	4	3
7.	मिजोरम	1	1

1	2	3	4
8.	मणिपुर	2	1
9.	मेघालय	1	1
10.	उड़ीसा	–	2
11.	पंजाब	5	5
12.	राजस्थान	2	–
13.	सिक्किम	1	–
14.	त्रिपुरा	2	–
15.	तमिलनाडु	2	–
16.	उत्तर प्रदेश	–	3
17.	बिहार	2	–
18.	नागालैंड	1	1
19.	लक्षद्वीप	1	–
		35	20

दिल्ली में गेहूं/चावल का कोटा

2667. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 1998 से दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं का कोटा बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों के लिए ऐसे आबंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) पहली जून, 1997 से लागू लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का खाद्यान्नों (गेहूं/चावल) का मासिक कोटा 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रति परिवार की दर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान पर आधारित है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मासिक आबंटन के अलावा दिल्ली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुरोध/जरूरतों और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन भी किया जाता है।

नवम्बर 1998 के लिए दिल्ली को गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू मूल्यों पर 30,000 टन गेहूं और 10,000 टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। नवम्बर, 1998 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मासिक आबंटन के अलावा किए गए अतिरिक्त आबंटनों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नवम्बर, 98 के लिए अतिरिक्त आबंटन

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		10.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.540	
3.	असम	15.000	10.000
4.	बिहार		20.000
5.	दिल्ली	10.000	30.000
6.	गोवा	2.500	1.000
7.	गुजरात	0.000	

1	2	3	4
8.	हरियाणा		5.000
9.	हिमाचल प्रदेश	7.000	4.410
10.	जम्मू व कश्मीर	15.000	21.540
11.	कर्नाटक	25.000	20.000
12.	केरल	40.000	15.000
13.	मध्य प्रदेश	5.000	0.000
14.	महाराष्ट्र	20.000	30.000
15.	मणिपुर	7.000	0.990
16.	मेघालय	6.338	1.460
17.	मिजोरम	3.083	0.950
18.	नागालैंड	1.000	1.000
19.	उड़ीसा	25.500	40.000
20.	पंजाब		
21.	राजस्थान	3.890	25.000
22.	सिक्किम	4.000	0.790
23.	तमिलनाडु	45.000	30.000
24.	त्रिपुरा	4.770	0.520
25.	उत्तर प्रदेश	15.000	40.000
26.	पश्चिम बंगाल	20.000	0.900
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप		
28.	चंडीगढ़	0.110	0.670
29.	दादरा व नगर हवेली	0.250	0.170
30.	दमन और दीव	0.470	0.150
31.	लक्षद्वीप		
32.	पांडिचेरी	2.060	0.730
	जोड़	280.511	310.280

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

2668 श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्री टी. आर. बालू :

श्री अजीत जोगी :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कामगारों/खान कामगारों के सांविधिक बकाया/न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में प्रत्येक मंत्रालय के सचिवों की बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के क्या परिणाम रहे; और

(ग) कामगारों की बकाया राशि/न्यूनतम मजदूरी के शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के बकाया सांविधिक देयों के परिसमापन के लिए कार्य नीति पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 7.8.98 को एक अन्तः मंत्रालयीय बैठक बुलाई गई थी। खान विभाग के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के श्रमिकों के बकाया सांविधिक देयों के परिसमापन के लिए एक कार्य नीति टिप्पणी, श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है।

जहां तक देश में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का संबंध है, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी केवल खानों, रेलवे, तेल क्षेत्रों तथा वायु परिवहन सेवाओं में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन की है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रवर्तन तन्त्र, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1936 तथा श्रमिकों के अन्य सांविधिक देयों के भुगतान से संबंधित अन्य अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में चूकों पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा

2669. श्री राजवंशी महतो :

प्रो. अजीत कुमार मेहता :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

श्री संदीपान थोरात :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए अनेक विशेष दल भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दलों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन दलों के निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार का रवैया इन दलों के प्रति सहयोगात्मक था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) अपराधों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी अवधि में कितने अपराध हुए तथा चालू वर्ष के दौरान इस तरह की गतिविधियों के कारण मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(छ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों में हिंसा की रोकथाम के लिए कौन-कौन से ठोस उपाय किए गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) केन्द्रीय दल, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल में भेजे गए थे। इन दलों की रिपोर्टें मिल गई हैं तथा ये इन राज्य में व्याप्त कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में हैं।

(घ) और (ङ) कुछ राजनैतिक दलों, विशेषतः पश्चिम बंगाल के राजनैतिक दलों द्वारा राज्यों में केन्द्रीय दलों को भेजने की संवैधानिकता के बारे में विचार व्यक्त किए गए थे।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995,1996 और 1997 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की संख्या क्रमशः 16,95,696, 17,09,576 और 17,18,304 थी। उक्त अवधि के दौरान हत्या और घायल/गंभीर रूप से घायल होने के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	घायल/गंभीर रूप से घायल
1995	37,464	2,03,812
1996	37,671	2,23,977
1997	37,565	1,99,344

पुलिस राज्य का विषय है। वर्ष 1998 के संपूर्ण आंकड़े राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिकांश राज्यों/भारत सरकार के विभागों ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है तथा उन्हें यथोचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, श्री जे. एफ. रिबैरो की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग, विधि आयोग इत्यादि की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने तथा लंबित पड़ी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उपाय सुझाने के बारे में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

(ज) "पुलिस" चूंकि राज्य का विषय है, अतः हिंसा समेत अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार उनके साथ आसूचना का आदान-प्रदान भी करती है तथा समय-समय पर उन्हें सलाह भी भेजती है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कर्मचारियों की मांग

2670. श्री सत्य पाल जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के विभिन्न कर्मचारियों से इस मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है कि जिन कर्मचारियों का चंडीगढ़ प्रशासन से चंडीगढ़ नगर निगम में स्थानांतरण कर दिया गया है, उन्हें नगर निगम के कर्मचारी न मानकर प्रशासन का स्थायी कर्मचारी माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। चंडीगढ़ नगर निगम को स्थानान्तरित कर्मचारियों ने मांग की है कि उनका स्टेट्स सरकारी कर्मचारियों के रूप में बने रहने दिया जाए।

(ग) और (घ) चंडीगढ़ नगर निगम को स्थानान्तरित चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को, इस शर्त पर कि भविष्य में बनने वाली रिक्तियां निगम द्वारा स्वयं भरी जाएंगी, प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना प्रतिनियुक्ति पर माने जाने का निर्णय लिया गया है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

2671. श्री अर्जुन सेठी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया है ताकि विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वस्तुतः संशोधनों से पूर्व अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विकलांग छात्रों के लिए लागू थी, जो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए थे। तथापि, 1.4.1998 से यथा संशोधित योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के अतिरिक्त अन्य छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता

पाठयक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रु. प्रति माह)
वर्ग क, ख, ग	150
वर्ग घ	125
वर्ग ङ	100

(ख) विकलांग छात्रों के लिए 100 रु. प्रति माह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा छात्र होस्टल में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर में है।

(ग) निम्न अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रूप से विकलांग दिवा छात्रों के लिए 100 रु. प्रति माह का अनुरक्षक भत्ता।

(घ) शैक्षिक संस्थान के होस्टल में रहने वाले गम्भीर रूप से अस्थि विकलांग छात्र, जिनको सहायक की सहायता की जरूरत हो, को सहायता प्रदान करने की इच्छा करने वाले होस्टल के किसी कर्मचारी को स्वीकार्य 100 रु. प्रति माह का विशेष वेतन।

(ङ) मानसिक रूप से मंद तथा मानसिक रूप से बीमार छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 150 रु. प्रति माह का भत्ता।

(ख) से (घ) के प्रावधान ऐसे कुष्ठ रोग मुक्त छात्रों के लिए भी लागू होंगे।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकलांग छात्र अन्य योजनाओं से ऐसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं जो इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा।

योजना के अंतर्गत समूह क से ङ के तहत पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

समूह	पाठ्यक्रम संक्षेप में
"क"	चिकित्सा (बी. ए. एम. एंड एस आदि सहित), अभियांत्रिकी, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी आदि में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम।
"ख"	चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि में डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम। याणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रशासन नर्सिंग/फार्मेसी आदि में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम,विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, व्यावसायिक तथा तकनीकी विषयों में अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
"ग"	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी आदि में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, कृषि, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी, डेयरी विकास आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अध्यापन प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कला एवं वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
"घ"	स्नातक स्तर (दूसरे वर्ष तथा आगे) तक सामान्य पाठ्यक्रम।
"ङ"	10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12, इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों में एक वर्ष।

अक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति संबंधी जानकारी

2672. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अक्यूपंक्चर से चिकित्सा पद्धति के बारे में 3 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में जानकारी अब तक प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी आवश्यक जानकारी कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) उपचार की एक पद्धति के रूप में आक्युपंक्चर को मान्यता देने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों, जिनमें आक्युपंक्चर शामिल है, से संबंधित मुद्दों की जांच विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी।

राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नेटवर्क

2673. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पुलिस बल और अन्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने हेतु एक राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण इस बारे में उचित तरीके निकालना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा उन्नत हथियारों के प्रापण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के संबंध में भी सहायता दी जाती है। इसके अलावा, इण्डिया रिजर्व बटालियनों का गठन करने के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा जहां भी आवश्यकता होती है तो राज्य पुलिस को मदद करने के लिए केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों को तैनाती भी की जाती है। विभिन्न राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने तथा विभिन्न राज्यों में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी जानकारी के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए भी कार्रवाई की जाती है।

कानून और व्यवस्था संबंधी समेकित नीति

2674. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ विशेषकर आपराधिक गतिविधियों में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, मिलकर कानून और व्यवस्था संबंधी एक समेकित नीति तैयार किए जाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) संविधान के अंतर्गत "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त तरीके निकालना और ठोस कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने और राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोगी सूचना के प्रवाह में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा आसूचना का आदान–प्रदान निरन्तर राज्य सरकारों के साथ किया जाता है ताकि वे समय रहते उचित उपाय कर सकें। देश की आंतरिक सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ पुनरीक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके, प्रबन्धों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ीकरण के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

एन. पी. के. की कमी

2675. श्री माधव राव पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एन. पी. के. उर्वरकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुपए के अवमूल्यन के कारण एन. पी. के. के आयात में कठिनाई आ रही है,

(घ) यदि हां, तो क्या किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में एन. पी. के. उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) एन. पी. के. उर्वरक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है तथा इनकी उपलब्धता भारत सरकार की रियायत स्कीम के मानदण्डों के अन्तर्गत प्रचलित बाजार शक्तियों पर निर्भर करती हैं। रबी 1998–99 के दौरान कुछ राज्यों में डाई अमोनिया फास्फेट (डीएपी) 12:32:16 तथा 10:26:26 ग्रेड के मिश्रित उर्वरकों की स्थानीय कमी अनुभव की गई है।

(ग) एन. पी. के. उर्वरक में से मुख्यतः डीएपी का आयात किया जाता है। देश में एन. पी. के. उर्वरकों के अन्य ग्रेडों की पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। डालर की अपेक्षा रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण आयातित डीएपी की लागत में वृद्धि हुई है किन्तु इसके आयातों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है।

(घ) और (ङ) डीएपी के सम्बन्ध में सरकार ने इसे राज्यों में समय पर पहुंचाने तथा स्थानीय कमी की समस्या का निवारण करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) बन्दरगाहों पर डीएपी पोतों को लंगरगाही में प्राथमिकता दी गई है।

(ii) संयंत्रों तथा बन्दरगाहों, दोनों से रेल द्वारा डीएपी के संचालन को प्राथमिकता दी गई है।

(iii) इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) के माध्यम से जोर्डन से लगभग 55,000 मी. टन डीएपी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

एनपीके ग्रेड उर्वरक अर्थात् 12:32:16 तथा 10:26:26 का उत्पादन मुख्यतः इफको द्वारा किया जाता है, जिसे अपना उत्पादन ईष्टतम करने तथा इन राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2676. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के पश्चात बेरोजगारी पर प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में और अधिक रोजगार पैदा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में रोजगार की स्थिति पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए अब तक किए गए किसी अध्ययन के बारे में श्रम मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में संगठित क्षेत्र रोजगार कुल रोजगार के 8 से 9 प्रतिशत के आसपास है तथा इसका केवल एक तिहाई निजी क्षेत्र में है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का, जो मुख्यतः संगठित क्षेत्र में प्रचालित हैं, कुल रोजगार की स्थिति में पर्याप्त योगदान नहीं हो पाया है।

(घ) नौवीं योजना की कार्यनीति में ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने पर बल दिया गया है, जो श्रम बल पर आधारित कम लागत वाली, बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सहज अनुकूलनीय तथा उत्पादकता पर विशेष बल के साथ-साथ रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने वाले हों।

उद्योगों में श्रम कानूनों का उल्लंघन

2677. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितने उद्योग श्रम कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेत्रहीन महिलाओं की स्थिति

2678. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1998 में नेत्रहीन महिलाओं की स्थिति पर विश्व समिति का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि नेत्रहीन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु क्या विशिष्ट योजनाएं प्रस्तावित हैं; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (छ) सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

महिला श्रमिक

2679. श्री बाला साहिब विखे पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विषेश रूप से महाराष्ट्र में महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र के जोखिम भरे उद्योगों में नियोजित महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन जोखिम भरे उद्योगों में लगातार, काम करने से उनके प्रजनन अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो जोखिम भरे उद्योगों में महिला श्रमिकों को नियोजित करने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में महिला श्रमिकों सहित कुल महिला श्रम बल 8,97,67,563 है। महाराष्ट्र में ऐसे कर्मकारों की संख्या 1,26,17,454 है।

(ग) और (घ) जोखिमकारी उद्योगों/क्षेत्रों में महिला कर्मकारों की कामकाजी दशाओं के बारे में विभिन्न सांविधियों में विशेष संरक्षी प्रावधान, प्रतिषेध विनियामक हैं। इसमें कारखाना अधिनियम 1948 और उसके तहत बनाए गए मॉडल नियम शामिल हैं जो खतरनाक

प्रक्रियाओं/प्रचालनों में महिला कर्मकारों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है और खान अधिनियम, 1952 जो जमीन के नीचे महिला कर्मचारों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। इस बात का आकलन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया गया है कि क्या महिला कर्मकार, जोखिमकारी उद्योगों में नियोजित होने के फलस्वरूप अपनी प्रजनन क्षमता खो रही हैं।

[हिन्दी]

लाटरियों पर प्रतिबंध

2680. श्री विजय गोयल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में बैठक कब तक आयोजित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में सभी तरह की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) इस मामले को 27 नवम्बर, 1998 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष रखा गया था। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने उनके राजस्व के पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। आम सहमति इस बात पर थी कि लाटरियों पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उर्वरकों पर राज सहायता समाप्त करना

2681. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता को समाप्त करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त गेहूं की आपूर्ति

2682. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री मोहन सिंह :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त गेहूं की आपूर्ति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उचित मूल्य की दुकानों को अब तक ख़राब गेहूं की कितनी आपूर्ति की गई;

(घ) वर्ष 1997–98 के दौरान विभिन्न राज्यों से इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल अच्छी गुणवत्ता, कीट जन्तुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के पूर्णतया अनुरूप गेहूं की आपूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में 1997–98 के दौरान किसी राज्य से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जाने वाले गेहूं सहित खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(1) राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु गोदामों से स्टाक का उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की जांच करने की अनुमति दी जाती है।

(2) जारी किए जाने वाले लाट से खाद्यान्नों के टाइप, मुहरबंद नमूने उपभोक्ताओं के लाभार्थ उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित दर दुकानों की सरकारी एजेंसियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है।

भारत और चीन के बीच तेल की खोज के बारे में समझौता

2683. डॉ. रवि मल्लू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने संसाधन समृद्ध क्षेत्र में तेल की खोज के लिए दीर्घकालीन साझेदारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू किया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) अपस्ट्रीम व डाऊनस्ट्रीम क्षेत्रों में पेट्रोलियम अवसरों की संयुक्त समीक्षा करने के लिए ओ एन जी सी विदेश लि. तथा चीन राष्ट्रीय तेल व गैस अन्वेषण व विकास निगम (सी एन ओ डी सी) के बीच 14.10.97 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

चीन में पेट्रोलियम अन्वेषण पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, दक्षिण चीनी समुद्र के क्यूगदोनगनयू बेसिन के ब्लॉक 62/15 में शेवरॉन से एक स्वतंत्र फार्म आऊट अवसर का हाल ही में विश्लेषण किया गया और वह अनाकर्षक पाया गया।

समझौता ज्ञापन की वैधता अक्टूबर, 1998 में समाप्त हो गई।

[हिन्दी]

लीबिया से यूरिया का आयात

2684. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दीर्घकालिक संविदा के आधार पर लीबिया से यूरिया के आयात का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों द्वारा किसी, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1997–98 के दौरान कितना यूरिया आयात हुआ;

(घ) लीबिया ने कीमतें क्या रखीं; और

(ङ) यूरिया आयात हेतु कौन से अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (ङ) सरकारी खाते में यूरिया का आयात एमएमटीसी लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) नामित सारणीबद्ध एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। लीबिया अथवा किसी अन्य देश से आयात हेतु कोई दीर्घावधिक समझौता नहीं है। सरणीबद्ध एजेन्सियां विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर खरीद करती हैं।

1997–98 में एमएमटीसी ने नेशनल आयल कार्पोरेशन लीबिया से 145 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन एफओबी पर 0.81 लाख मी. टन की खरीद की थी जिसने निविदा पर भाव बताया था।

[अनुवाद]

अंक्लेश्वर में गांधार तेल और गैस क्षेत्र

2685. श्री संदीपन थोरात : क्या पेट्रोलियम और प्र कृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंक्लेश्वर स्थिति गांधार तेल और गैस क्षेत्र के चरण–II के विकास संबंधी निर्माण में इस्पात ओ एन जी सी के लिए एक प्रमुख समस्या तथा विलंब उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अनुमानतः उत्पादन की हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ठेके के परिपालन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्यवाही और प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) मैसर्स लायड स्टील द्वारा ग्रुप गेदरिंग स्टेशन नामतया जी जी एस–6 के निमार्ण में विलंब के कारण गांधार विकास परियोजना के चरण–II को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(ख) इसके विषय में वास्तविक हानि तथा उसकी मात्रा के संबंध में [illegible] कोलन से व्यवधान, अस्थायी/आकस्मिकता सुविधाओं के जरिए तेल एवं गैस का उत्पादन इष्टतम स्तर से कम कुछ सीमा तक कायम रखा गया है।

(ग) जी जी एस–6 संविदा से संबंधित कार्य संविदाकार मैसर्स लायड स्टील द्वारा अनवरत रूप से अल्प संसाधन जुटाने के कारण विलंबित हुआ।

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए संविदाकारों के साथ नियमित प्रबंधन पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस कार्य को समय से पूरा करने के लिए संविदाकारों को नियमित रूप से प्रेरित किया जाता है।

सुपर बाजार का कार्यकरण

2686. श्री रवि सीताराम नायक : क्या खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजारों को योजनाबद्ध तरीके से सामान की खरीद करने के साथ–साथ उन्हें अपने कार्यकरण में सुधार लाने और समेकित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन लाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनकी कम बिक्री होने के कारण खरीद बंद कर दी गई है; और

(च) इन वस्तुओं को सुपर बाजार में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है और दैनिक क्रियाकलापों माल की अधिप्राप्ति सहित व्यापारिक नीति के संबंध में निर्णय करने के लिए इसका अपना निदेशक मण्डल है। भारत सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, सरकार सुपर बाजार के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करती है तथा उसमें सुधार लाने हेतु सुझाव देती है।

(ग) और (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे अधिप्राप्त की प्रणाली, विपणन नीति आदि में अपनी व्यापारिक अपेक्षाओं और बाजार की स्थिति के अनुरूप समय-समय पर बदलाव लाते रहते हैं।

(ङ) और (च) सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने किराना, प्रसाधन, घरेलू, स्टेशनरी आदि से संबंधित सभी विभागों में धीमी गति से बिकने वाली सभी मदों की अधिप्राप्ति अब बंद कर दी है। धीमी गति से बिकने वाली मदों की केवल ग्राहकों से पक्का आदेश प्राप्त होने पर ही अधिप्राप्ति की जाती है।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र का निर्माण

2687. श्रीमती कमल रानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र के निर्माण के लिए कुछ भूखंड आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आबंटन वर्ष के दौरान इसके भवन निर्माण की अनुमानित लागत कितनी थी और अब अनुमानित लागत कितनी हो गई है; और

(च) इस निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी आर सी), दिल्ली के भवन निर्माण हेतु कड़कड़डुमा (दिल्ली) में 4.272 एकड़ भूमि का आबंटन किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यद्यपि चारदीवारी का निर्माण पहले ही कर लिया गया है किन्तु पहले डी डी ए से अनापत्ति प्रमाण पत्र/विस्तार हेतु अनुमति के अभाव में तत्पश्चात पर्याप्त निधियों के अभाव में भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दर्शाई गई वर्तमान अनुमानित लागत लगभग 7,89,60,000 रुपए है। जैसा कि आबंटन वर्ष के दौरान कोई अनुमान आंका नहीं गया था, अतः किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है।

(च) श्रम मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली शहरी कला आयोग को अनुमोदन हेतु भेजने के लिए ड्राइंग को अंतिम रूप दे रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से परियोजना को 20 माह के अन्दर पूरा करने के लिए कहा गया है।

अर्द्ध-सैनिक बलों में तमिलनाडु का कोटा

2688. श्री टी. आर. बालू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तमिलनाडु के लिए अर्द्ध सैनिक बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय आरक्षी बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल में रोजगार सूची में कितना कोटा आबंटित किया गया है;

(ख) क्या इन बलों में रोजगार के अवसरों हेतु तमिलनाडु के लिए निर्धारित कोटे को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या संबंधित विभाग ने इस कोटे को भरने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) एन. एस. जी. चूंकि शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति आधारित बल है अतः भर्ती में कोटा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है। अन्य केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में कांस्टेबल/राईफलमैन के पदों की भर्ती में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिक्तियां आबंटित की जाती हैं। जब कभी भी किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में कमी आती है तो

अधिक रिक्तियां आबंटित करके उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने वर्ष 1998 में तमिलनाडु के लिए 500 रिक्तियां आबंटित की हैं। जनवरी, 1999 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तमिलनाडु से 1884 कांस्टेबलों की भर्ती किए जाने की योजना है। भा. ति. सी. पु. ने भी नवम्बर, 98 में तमिलनाडु के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया था।

इंसिनेरेटर्स का प्रयोग

2689. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पताल में इंसिनेरेटरों के प्रयोग की निगरानी की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इंसिनेरेटरों के अनुचित ढंग से प्रयोग से जोखिमपूर्ण तत्व वातावरण में फैल जाएगा; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के अस्पतालों में स्थापित इन्सिनरेटरों के कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग की है। बोर्ड ने पाया कि अस्पतालों द्वारा पहले से स्थापित इन्सिनरेटर निर्धारित विशिष्टताएं पूरी नहीं कर रहे और अब कुछ इन्सिनरेटरों को जैव–चिकित्सीय अवशिष्ट नियम 1998 (संचालन तथा प्रबंधन) के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार संशोधित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पताल जैव–चिकित्सीय कचरे का निपटान करने के लिए उपयुक्त इन्सिनरेटर, स्थापित करें, इन्सिनरेटरों के लिए निर्धारित विशिष्टताएं तथा मानक, जिन्हें इन्सिनरेटरों को पूरा करना होता है, को जैव–चिकित्सीय अवशिष्ट (संचालन तथा प्रबंधन) नियम 1998 के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं।

अर्द्ध-सैन्य बलों में रिक्त पद

2690. श्री आर. एस. गवई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों में आज तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आज की तारीख तक, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के रिक्त पड़े पदों की संख्या निम्न प्रकार है :–

अनुसूचित जाति	–	1323
अनुसूचित जनजाति	–	763
अन्य पिछड़ी जातियां	–	3522

(ख) अर्द्ध सैनिक बलों में रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी भी रिक्तियां संचित हो जाती हैं तो इन वर्गों से रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां

2691. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्णतः स्वायत्तशासी जनसंख्या आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कानून के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु को बढ़ाने और मौजूदा "दो बच्चों के परिवार के मान–दण्ड" के स्थान पर "एक बच्चे के परिवार के मानदण्ड" को भी बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) महिलाओं तथा पुरुषों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मातृ-शिशु हेतु स्वास्थ्य योजनाएं

2692. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नौंवी पंचवर्षीय योजना में मातृ–शिशु स्वास्थ्य के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए युवा महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए लक्षित एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी सहायता प्रदान की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन दो वर्ष की अवधि (द्विवार्षिकी) के लिए धनराशि आबंटित करता है जबकि भारत सरकार की वर्तमान नौंवी योजना अवधि 5 वर्ष की है। कैलण्डर वर्ष 1998–1999 (वर्तमान द्विवार्षिकी) के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता प्राप्त परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए आबंटित धनराशि निम्नलिखित है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आबंटन (धनराशि अमरीकी डालर में)
1.	इण्ड डी एच एस 001–प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना	930,000
2.	इण्ड आर पी एच 041–परिवार नियोजन सेवाएं एवं गुणवत्ता आश्वासन	620,000
3.	इण्ड एच आर एच 002–प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या एवं प्रजनन बाल स्वास्थ्य	735,000
4.	इण्ड वी आई डी 002–प्रतिरक्षण	15,000

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां भारत सरकार के वर्तमान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिन्न भाग हैं।

वर्तमान नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के तहत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटित राशि 5112.53 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम में मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के एकीकरण की बात है। इसमें निम्नलिखित गतिविधियों का प्रावधान है; नामतः, प्रसवपूर्ण परिचर्या, प्रसवोपरान्त परिचर्या, गर्भवती महिलाओं का टेट्नस टॉक्साइड से प्रतिरक्षण, सभी गर्भवती महिलाओं को सम्पूरक आयरन फॉलिक गोलियां, संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा, आपाती प्रसूति सेवाओं को सुदृढ़ करना, जननमार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमण संबंधी सेवाएं, वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाले छः रोगों से बच्चों का प्रतिरक्षण, अतिसार एवं तीव्र श्वसनीय संक्रमण से होने वाली मृत्यु को कम करना और आयरन की कमी के कारण रक्ताल्पता एवं विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता के विरुद्ध बचाव।

प्याज की कमी/प्याज का क्षतिग्रस्त होना

2693. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्याज की कमी होने और इसकी फसल के क्षतिग्रस्त होने की पूर्व सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तात्कालिक कमी का पता लगाकर सामयिक कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास फसल के पूर्वानुमान की कोई पद्धति है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में समुचित पद्धति को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार को प्याज की कमी और उसकी फसल को नुकसान होने के बारे में कोई अग्रिम सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) वर्ष 1998 की रबी और खरीफ की प्याज की फसलों को प्रतिकूल जलवायु जन्य परिस्थितियों के कारण क्षति पहुंची है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्याज के आयात को शून्य प्रतिशत शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है।

(घ) से (च) सरकार ने कृषि मंत्रालय में एक राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया है जो विभिन्न कृषिजन्य फसलों से संबंधित पूर्वानुमान लगाने और संबंधित सूचना के प्रसार के लिए अन्तरिक्ष विभाग की उपग्रह आधारित दूर संवेदी क्षमताओं और सभी जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित कम्प्यूटर नेटवर्क का पूरा उपयोग करेगा।

नागरिक सुरक्षा संगठन

2694. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक सुरक्षा संगठन को 60 के दशक में गृह युद्ध के कारण गठित किया गया था तथा अब यह इस समय की परिस्थितियों में अनावश्यक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने तथा इस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं का किस प्रकार से उपभोग करने का है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को उनके वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें निर्वाह भत्ते का भुगतान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) नागरिक सुरक्षा एक स्वयंसेवी संगठन है और इसे देश की रक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में संगठित किया गया है। विभिन्न राज्यों में इसकी गतिविधियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुश्मन के हमले की स्थिति में नागरिकों को न केवल अपने आपको अपितु महत्वपूर्ण संस्थानों के बचाव के लिए आवश्यक नागरिक सुरक्षा उपायों की भी जानकारी हो। इसके अतिरिक्त, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण इस प्रकार का है कि उनकी सेवाओं का प्रयोग प्राकृतिक और अन्य आपदाओं में किया जा सकता है। इस प्रकार की आपदाओं के दौरान उनका प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारें प्राधिकृत हैं।

(ग) और (घ) जबकि नागरिक सुरक्षा कार्य को देखने वाला स्थायी स्टाफ संबंधित राज्य सरकारों के पे–रोल पर है, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को उनके प्रशिक्षण–काल के दौरान प्रशिक्षण भत्ता और जब कभी उन्हें विभिन्न ड्यूटियां निभाने के लिए बुलाया जाता है तो ड्यूटी भत्ता दिया जाता है।

दिल्ली पुलिस में भर्ती

2695. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किए गए टंकण एवं आशुलिपिकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या इन नियुक्तियों के दौरान केन्द्र सरकार के राज भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को ध्यान में रखा गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई सरकार की नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारिगों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) वर्ष 1996 से 1998 (4.12.98 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस में 11 अंग्रेजी और 3 हिन्दी सहायक उप–निरीक्षकों (आशुलिपिकों) की भर्ती की गई। दिल्ली पुलिस में "टंकक" का कोई पद नहीं है तथा इस कार्य को हैड–कांस्टेबल (अनुसचिवीय) द्वारा किया जाता है। वर्ष 1996 से वर्ष 1998 (4.12.98) तक की अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस में अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले 203 और हिन्दी टाइपिंग जानने वाले 36 हैड–कांस्टेबलों (अनुसचिवीय) की भर्ती की गई।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मुंबई में अपराध

2696. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कोई रिपार्ट मांगी है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने विदेशों में स्थित माफिया डानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) 1996, 1997 और 1998 (अक्टूबर तक) के दौरान मुंबई में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों से संबंधित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	घटनांए
1996	32,503
1997	32,654 (अनंतिम)
1998 (अक्तूबर तक)	24,621 (अनंतिम)

भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः अपराधों की जांच करने एवं पता लगाने के साथ–साथ अपराधों की रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, केंन्द्र सरकार, राज्य सरकार को उनकी पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान–प्रदान भी करती है और समय–समय पर उन्हें सलाह भेजती है। लोक महत्व से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगना एक सतत प्रक्रिया है।

जन स्वास्थ्य गाइड योजना

2697. श्री महेश्वर सिंह :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य गाइड योजना की पुनरीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो कार्यान्वित की गई सिफारिशों की संख्या कितनी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा इस मंत्रालय के 15 जुलाई, 1997 के आदेश सं. पी. 17019/2/93–आर. एच. एस. में दिया गया है जिसकी एक प्रति विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(छ) संलग्न विवरण – II में इस समिति की सिफारिशें दी गई हैं।

(ङ) और (च) इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। सरकार इस समिति की सिफारिशो पर यथाशीघ्र निर्णय लेगी।

विवरण–I

सं. पी. 17019/2/93–आर. एच. एस.

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(परिवार कल्याण विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 25 जुलाई, 1997

आदेश

विषय : ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के उपयोगिता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से निम्नलिखित समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है :–

1. श्री पी. के. उमाशंकर, मद्रास — अध्यक्ष
   पूर्व–निदेशक,
   भारतीय जन प्रशासन संस्थान
2. डॉ. (श्रीमती) आर. बवेजा, — सदस्य
   प्रशासक एवं चिकित्सा अधीक्षक,
   कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद
3. डॉ. अजय मेहता — सदस्य
   सेवा मन्दिर, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर
4. उप–सचिव (ग्रा. स्वा. सेवा) — सदस्य सचिव
   स्वा. एवं प. कं. मंत्रालय

इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :–

(क) यह समिति विभिन्न राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करेगी और सरकार को इस बारे में परामर्श देगी कि इस योजना का मूल उद्देश्य किस सीमा तक पूरा किया गया है।

(ख) यह समिति देश में उपलब्ध संस्थागत प्रबंधों के संदर्भ में एक समूह के रूप में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की क्षमताओं का मूल्यांकन करेगी और इस बारे में परामर्श देगी कि क्या उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यदि हां, तो यह समिति ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की क्षमता में सुधार करने के लिए विशिष्ट उपाय भी सुझा सकती है।

(ग) यह समिति विभिन्न राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को उपलब्ध मानदेय और अन्य सुविधाओं की जांच करेगी और उपर्यक्त (ख) में इसकी सिफारिशों के संदर्भ में मानदेय और अन्य सुविधाओं के उपयुक्त स्तर का परामर्श दे सकती है।

2. इस समिति को ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा किए गए कार्य के अनुभव के बारे में राज्य सरकारों से फीडबैक प्राप्त करना चाहिए और यह ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा किए गए कार्य का प्रथमतः मूल्यांकन करने के लिए कुछेक राज्यों का दौरा कर सकती है। सदस्य सचिव इस समिति के कार्य को सुविधामय बनाने और इसके संचार तंत्र और सहायता के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

इस समिति से अपनी रिपोर्ट छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की आशा है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर/–

(डॉ. रवीन्द्र कौर)

अवर सचिव, भारत सरकार

कृपया देखें : तात्कालिक उप सचिव (ग्रा. स्वा. सेवा) के स्थानान्तरण के पश्चात् डॉ. वी. के. मनचन्दा, सहायक उपायुक्त (सी. एच.) को इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में यह नामित किया गया था।

विवरण-II

7. इस समिति की सिफारिशें

7.1. इस समिति के विचारार्थ विषयों के संदर्भ में इस समिति से सरकार को यह परामर्श देने के लिए कहा गया है कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के मूल उद्देश्य किस सीमा तक पूरे किए गए हैं और क्या इस योजना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को बढ़ावा देने में और अधिक लाभदायक बनया जा सकता है। इस समिति से ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की क्षमता में सुधार करने और इसके साथ-साथ मानदेय और अन्य सुविधाओं के उपयुक्त स्तर के बारे में परामर्श देने के लिए भी उपाय सुझाने के लिए कहा गया है।

7.2 इस समिति ने इस विषय पर सभी संबंधित और संगत दस्तावेजों और मूल्यांकन रिपोर्टों का अध्ययन किया है। इसके पास राज्यों का दौरा करने और इस योजना के कार्यान्वयन का प्रथम प्रभाव प्राप्त करने का भी लाभ प्राप्त था।

7.3 यह इस समिति का सुविचारित मत है कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना का मूल उद्देश्य अधिकतर पूरा नहीं हुआ है। समग्र स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के संबंध में समुदाय और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सम्पर्क प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है। यह समिति इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त करती है कि अधिकतर राज्य सरकारें जो इस योजना को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं, वे इस योजना के प्रति अपना विश्वास खो चुकी हैं। इस समिति का यह भी सुविचारित मत है कि इस मौजूदा योजना को क्रियाशील बनाना और इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए लाभदायक बनाना संस्थागत प्रबंध अथवा उपयुक्त संशोधित प्रयासों से संभव नहीं हो सकता है। इन विचारों के प्रकाश में यह समिति महसूस करती है कि इस योजना से सम्बद्ध मानदेय और अन्य सुविधाओं के संबंध में कोई सिफारिश करना लाभदायक नहीं होगा। इस समिति का यह मत है कि अधिकतर राज्य अपने-अपने राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की मौजूदगी की उपेक्षा करने लगे हैं और वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करने में काफी हद तक असफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंचायती राज संस्थान, जिन्हें ये सेवाएं चुनिन्दा राज्यों में स्थानान्तरित की गई थीं, भी किसी महत्वपूर्ण ढंग से उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सके हैं।

समिति महसूस करती हैं कि यद्यपि योजना मूलभूत रूप से ठोस है तथापि उपयुक्त आवधिक प्रयासों के माध्यम से योजना के कार्यकरण का कारगर ढंग से आयोजन करने की अक्षमता वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तथापि यह योजना अब ऐसी अवस्था में है जब समिति की राय में इसका जीर्णोद्धार अथवा पुनरोद्धार करना सम्भव नहीं होगा।

7.4 अन्त में समिति अत्याधिक खेद के साथ इस बात की सिफारिश करती है कि इस योजना को यथाशीघ्र बंद और समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

7.5 समिति यह विचार व्यक्त करते हुए इस बात से अवगत है कि ऐसे अलग-अलग स्वैच्छिक स्वास्थ्य गाइड रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में अत्याधिक योगदान दिया है। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों तथा राज्य सरकारों द्वारा इस बात की सराहना की गई है। राज्य के अधिकारियों ने यह बात विशेष रूप से महसूस की है कि कुछ महिला ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को इस कार्यक्रम में अत्याधिक सहयोग रहा है। तथापि, ऐसे योगदान बहुत कम रहे हैं और ये अपने परिणामों में ज्यादा व्यक्ति-परक रहे हैं।

7.6 इस योजना को बंद करने तथा समाप्त करने की सिफारिश करते समय समिति यह नोट करती है कि योजना को जारी रखने अथवा इसे समाप्त करने और ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों का विघटन करने के संबंध में स्वयं अन्तिम निर्णय लेने की बात राज्यों पर ही छोड़ देनी चाहिए। यदि भारत सरकार समिति की सिफारिश स्वीकार कर लेती है तो वे इस उद्देश्य के लिए निधियों का आबंटन बंद करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को इस दिशा में समुचित सलाह दे सकते हैं। समिति इस बात से अवगत है कि एक अथवा दो राज्य सरकारों का विचार है कि यह योजना लाभदायक है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के आदेशों में इस संबंध में न्यायालयों के आदेशों को ध्यान में रखा जा सकता है। इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि राज्य अपनी तरफ से इस योजना को जारी रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। समिति यह भी सिफारिश करेगी कि चूंकि यह योजना लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से चल रही है इसलिए भारत सरकार के लिए यह उपयुक्त है कि राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों के साथ परामर्श करके ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों की सेवाएं समाप्त करने के समय सेवार्थ ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को उनके द्वारा की गई सेवाओं को मानते हुए वित्तीय पुरस्कारों तथा प्रमाण पत्रों के रूप में उन्हें उपयुक्त मान्यताएं प्रदान करें।

7.7 समिति इस तथ्य से प्रभावित थी कि राज्यों तथा राज्य अभिकरणों से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य अवसरंचना के साथ लोगों को जोड़ने के लिए लिंक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता व्यापक रूप से महसूस की गई। बहुत से गैर-सरकारी संगठनों ने लिंक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य अवसंरचना तथा लोगों के मध्य सम्प्रेषण की व्यवस्था करते हुए लिंक कार्यकर्ता की अवधारणा अभी भी वैध है।

7.8 समिति स्वीकार करती है कि देश में स्वास्थ्य अवरंचना में पिछले 20-30 वर्षों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। शहरी क्षेत्रों ने पर्याप्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय अवसंरचना, जिसमें चिकित्सीय सुविधाएं भी शामिल हैं, का विकास किया है। इसी प्रकार अर्ध-शहरी क्षेत्रों, बड़े शहरों तथा नगरों ने सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास भी देखा है। अनेक सरकारी गैर-सरकारी संगठन निजी और निगमित संस्थान तथा चिकित्सा कालेज उभरे हैं जो स्वास्थ्य और चिकित्सा अवसरंचना

सुविधाओं दोनों की व्यवस्था करते हैं लेकिन इन क्षेत्रों में भी गंदी बस्तियों घटों तथा अन्य क्षेत्रों जैसे कुछ पाकेट्स हैं जहां वंचित, लोग रहते हैं, जहां ये सुविधाएं अभी तक नहीं हैं। केन्द्र, राज्य और गैर–सरकारी संगठन लिंक कार्यकर्ता प्रणालियों के नए रूपों को तैयार कर रहे हैं जिनके माध्यम से सुविधाएं लोगों के इन वंचित वर्गों के पास पहुंचाई जा रही हैं।

7.9 ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि हुई है और कई गुना वृद्धि हुई है लेकिन अभी भी ऐसे स्थान आदिवासी इलाके, पहुंचवाह्य क्षेत्र तथा क्षेत्र हैं जहां निर्धन वर्गों के लोग रहते हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। राज्य अनेक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके द्वारा इन लोगों का स्वास्थ्य और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ सम्पर्क जोड़ा जाता है। राज्य यह भी मानते हैं कि नई योजनाएं जिला विशिष्ट न होकर स्थानीय विशिष्ट होंगी और स्थिति की आवश्यकताओं के साथ अनुकूलता को सुनिश्चित करने कें लिए उन्हें अपने घटकों में लचीलेपन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। समिति इस बात की सिफारिश करेगी कि केन्द्र तथा राज्यों को ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा यह भी विचार है कि व्यापक रूप से पंचायतों गैर–सरकारी संगठनों, मेडिकल कालेजों, मेडिकल संस्थानों को ऐसी योजनाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों के वंचित वर्गों को अपनी सुविधाएं तथा सेवाएं पहुंचा सकें, वंचित वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और इन सेवाओं के प्रबंधन के संबंध में उत्तरदायित्व वहन करने के लिए लोगों को भी तैयार कर सकें। समिति ने इस संबंध में ऐसे मामलों में मानदेय के भुगतान पर विचार न करने लेकिन स्वयं अर्जन करने वाले कार्यों के रूपों का विकास करने, जिनकी मानीटरिंग तथा नियंत्रण लोगों द्वारा किया जाएगा, के लिए कुछ राज्य सरकारों की चिन्ता को नोट किया। समिति ने यह भी नोट किया कि राज्य इन कार्यकर्ताओं की अनवरत शिक्षा तथा लोगों के विकास के लिए सीमित स्वास्थ्य के संदर्भ की अपेक्षा विकास के व्यापक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए कार्यक्रम अपना रहे हैं। समिति सिफारिश करेगी कि लोगों तथा स्वास्थ्य अवसंरचना के बीच सम्पर्क विकसित करने के लिए प्रयासों के संबंध में यह सही दृष्टिकोण हो सकता है। हम सिफारिश करेंगे कि राज्यों को कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जो स्थानविशिष्ट, समुदाय विशिष्ट होने चाहिए तथा उनमें अधिक लचीलापन होना चाहिए और ऐसे राज्यों के लिए समर्थन के रूप में आपसी–परामर्श के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। प्रशिक्षण निवेशों तथा अनवरत शिक्षा तथा अवसंरचनात्मक तथा पश्च सहायता दोनों के संबंध में ऐसे कार्यक्रमों का उपयुक्त रूप से समर्थन किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों की सहायता कार्यक्रम तथा परियोजना विशिष्ट हो सकती है और सहभागी समूहों की भागीदारी तथा दावों की क्रिया का विकास करने के लिए केन्द्र–राज्य–समुदाय की भागीदारी तय की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को ऐसे प्रयासों के लिए बढ़ावा वित्तीय सहायता तथा प्रोत्साहन करने में नेतृत्व वहन करने की क्रिया को जारी रखने की आवश्यकता होगी।

राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग

2698. डॉ. प्रभा ठाकुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के उपयोग के कारण देश में तनाव हिंसा और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में गृह युद्ध की बलवती संभावना नहीं है; और

(ग) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के दुप्रयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विशिष्ट व्यक्तियों और साधारण व्यक्तियों की हत्या

2699. श्री मित्रसेन यादव

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 माह के दौरान दिल्ली और अन्य महानगरों में डकैतियों के मामलों सहित साधारण व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या के कुल कितने मामले हुए हैं;

(ख) "हत्याओं" और डकैतियों" की घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गत छः माह (जून से नवम्बर, 1998) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हत्या और डकैती के मामलों की संख्या क्रमशः 326 और 40 है। मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई महानगरों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली में अपराध नियंत्रण और व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ–साथ 6.00 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न के बीच गश्त बढ़ाना, ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना, बेहतर अधिसूचना संचयन, बदनाम स्थानों और अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारना, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना और अपराधियों के बारे में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस

अधिकारियों को शामिल करते हुए एक क्षेत्रीय समन्वय ग्रुप का गठन करना शामिल है।

"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अपराधों को दर्ज करना, अपराधों की जांच–पड़ताल करना, पता लगाना और रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। अतः कानून और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर उठाए गए कदमों से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के विरुद्ध शिकायतें

2700. श्री दादा बाबूराव परांजपे :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतें किस बारे में थीं और उनका औषधालय–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एलिजमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इन मामलों की जांच की गई है और सतर्कता प्रकोष्ठ के सुपुर्द करने, अचानक निरीक्षण करने, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए चेतावनी देने आदि जैसी उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

क्र.	औषधालय का नाम	1996					1997					1998				
		उत्पीड़न/दुराचरण	औषधी के बारे में	असन्तोषजनक सेवा	प्रतिपूर्ति	विविध	उत्पीड़न/दुराचरण	औषधी के बारे में	असन्तोषजनक सेवा	प्रतिपूर्ति	विविध	उत्पीड़न/दुराचरण	औषधी के बारे में	असन्तोषजनक सेवा	प्रतिपूर्ति	विविध
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	गोल मार्किट								1					1		
2.	पंडारा रोड							1								
3.	दिल्ली कैंट						1									
4.	मिन्टो रोड												1			
5.	पहाड़गंज			1				1				1		1		
6.	सब्जी मण्डी							1	1							
7.	तिमार पुर		1	1				1					1			
8.	चांदनी चौक			1												
9.	लोधी रोड–I										1					
10.	लोधी रोड–II						1									
11.	लाजपत नगर		1				1									
12.	किदवई नगर		3				1	1						1		
13.	सरोजिनी नगर–I															
14.	सरोजिनी नगर–II			2												1
15.	लक्ष्मीबाई नगर	1	1				1		1			2	1			
16.	मोती बाग											1	1			

		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
17.	करोल बाग	1										1				
18.	पूसा रोड	1					2				1					
19.	देव नगर	1	1			1										
20.	पटेल नगर–I						1									
21.	नेताजी नगर	1														
22.	पुल बंगश												1			
23.	चाणक्यपुरी	1				1										
24.	कस्तूरबा नगर–I	1												1		
25.	केन्द्रीय सचिवालय															
26.	तिलक नगर	1	2		1		1	1	1		1	1				1
27.	प्रेसिडेंट एस्टेट										1					
28.	दरियागंज	1	1													
29.	नानक पुरा															
30.	नौरोजी नगर						2									
31.	नॉर्थ एवेन्यू						1	1						1		
32.	साउथ एवेन्यू											1				
33.	कांस्टीट्यूशन हाउस	2		1												
34.	टेलीग्राफ लेन		1													
35.	सरोजिनी नगर मार्केट					1										1
36.	मोती बाग															
37.	श्रीनिवासपुरी*												1			
38.	पटेल नगर–II											1				
39.	एण्ड्रूज गंज	1					3	1				1				1
40.	जंग पुरा							1								
41.	मालवीय नगर		1									2				1
42.	कालका जी							2				2	4			3
43.	आर. के. पुरम	1				1							3			
44.	वेलेजली रोड															
45.	न्यू राजेन्द्र नगर										1					
46.	आर. के. पुरम			1			1	1								
47.	हौज खास		1	2		3	2	1					2			
48.	माया पुरी (हरि नगर)		2										1			

		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
49.	शाहदरा	1	2	2			1	1					3			
50.	आर. के. पुरम–III											1				
51.	चित्र गुप्त रोड						1		1				1			
52.	आर. के. पुरम–IV						1		1		1	1		1		
53.	रजौरी गार्डन	3	1	1							1		2			
54.	शकूर बस्ती	1				1					1	1	3			1
55.	इन्द्र पुरी		1					1			1	1	1			
56.	नरायणा															
57.	जी. के. जी.					1	1	3					1	1		
57.	आर. के. पुरम–V	1	1				1	1	1				1	1		
58.	नांगल राय					1										
59.	राजपुर रोड़						1									
60.	किंग्सवे कैंप	3	1				1	1			2	1				
61.	जनक पुरी		1								1		2			1
62.	अशोक विहार						1	1	1							
63	सादिक नगर	2							2			1				
64.	त्री नगर				1											2
65.	महरौली, बदरपुर											1	1			
66.	पालम कालोनी															
67.	लक्ष्मी नगर	2	1	1			2	1	1		1		1			1
68.	गाजियाबाद	1	2	2			3			1	6					
69.	आर. के. पुरम–VI								2				1			
70.	फरीदाबाद		1					1			1			1		
71.	मुनीरका					1						1				
72.	कस्तूरबा नगर–II											1				1
73.	गुड़गांव												1			
74.	जनकपुरी–II		1					1				1				
75.	कालकाजी–II	1									2			1		1
76.	गोल मार्केट–II	3	2			2	1				3		1			
77.	मयूर विहार	2	1			1		2				3	1			
78.	दक्षिण पुरी		1	1							2					

		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
79.	विवेक विहार		2					1			1					
80.	पश्चिम विहार	1	1			2		2			1		1			
81.	पीतम पुरा	1					1						1	1		
82.	सुन्दर विहार															
83.	प्रगति विहार	1														
84.	यमुना विहार			1		1		4			2	1	2	1		1
85.	नोएडा	1				1	1	1		1	1					2
86.	रोहिणी		1									1	2			
87.	दिलशाद गार्डन													2		
	फर्स्ट एड पोस्ट															
1.	एफ.ए.पी. निर्माण विहार													1		
2.	एफ. ए. पी. पार्लियामेंट														1	
	एनक्सी															
	यूनानी औषधालय															
1.	सरोजिनी नगर						1								1	
2.	दरियागंज															
3.	नारायणा							1					1			
4.	साऊथ एवेन्यू	1	1													
	आयुर्वेदिक औषधालय															
1.	गोल मार्किट							1								
2.	किदवई नगर		1	1								1				
3.	आर. के. पुरम	1														
4.	नॉर्थ एवेन्यू															
5.	देव नगर	1					1					1				
6.	नांगल राय													1		
7.	जंग पुरा															
8.	दिल्ली कैंट												1			
9.	गुड़गांव															
10.	किंग्जवे कैंप															
11.	लक्ष्मी नगर		1													
12.	एम. बी. रोड						1	1								
13.	पश्चिम विहार															

	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
होम्यो. औषधालय															
1. देव नगर	1														
2. गोल मार्किट															
3. आर. के. पुरम	1														
4. दरियागंज															
5. रजौरी गार्डन															
6. शाहदरा		1													
7. कस्तूर्बा नगर															
8. तिलक नगर															
9. कालकाजी															
10. तिमारपुर															
11. साउथ एवेन्यू															
12. आर. के. पुरम–III															
13. एम. बी. रोड़										1					

अपराध दण्ड संहिता में संशोधन

2701. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपराध दण्ड संहिता में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वादी सभी संदर्भों में सरकारी अभियोजक के समकक्ष अभियोजक नियुक्त कर सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की वर्तमान धारा 302, मेजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति अथवा वकील द्वारा अभियोजन पक्ष रखने की अनुमति देने का अधिकार देती है।

पिपावाव परियोजना के लिए ताप्ती गैस क्षेत्र

2702. श्री हरिन पाठक :

श्री मगन्ती बाबू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में ताप्ती गैस क्षेत्रों से कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या निकट भविष्य में ताप्ती क्षेत्र से गैस उत्पादन के बढ़ने की कोई संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा ओ एन जी सी के साथ रिलायंस की कौन सी गैस परियोजनाएं शुरू की जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ताप्ती गैस क्षेत्र से फिलहाल करीब 5 मिलियन घन मीटर प्रति दिन की दर से गैस उत्पादन हो रहा है।

(ख) और (ग) भौगोलिक तथा भूभौतिकीय आंकड़ों के प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर, भंडारों में वृद्धि की संभावना है, किन्तु सही स्थिति का पता तभी लगेगा जब आंकड़ों का निर्वचन तथा उस पर कार्रवाई पूरी हो जाएगी।

उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अंतर्गत ओ एन जी सी, एनरान तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा इस क्षेत्र का विकास व उत्पादन किया जा रहा है।

उड़ीसा और इसके साथ लगे राज्यों के बीच सीमा-विवाद

2703. श्री गिरिधर गमांग : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और इसके साथ लगे राज्यों के बीच सीमा विवाद का मामला निपटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह विवाद कब से लम्बित पड़ा था;

(ग) केन्द्र सरकार ने विवादित गांवों के लोगों की भलाई के लिए इस विवाद को सुलझाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) विकसित गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1996 के शुरू में उड़ीसा राज्य का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ 89 गांवों के संबंध में विवाद था। 11 गांवों के बारे में विवाद हल कर लिए गए हैं। लंबित विवादों के ब्यौरे, राज्य–वार नीचे दिए गए हैं :–

राज्य का नाम जिसके साथ विवाद लंबित है अर्न्तग्रस्त गांवों की संख्या

आन्ध्र प्रदेश	63
बिहार	7
मध्य प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	5

(ग) उड़ीसा सरकार ने इस अवस्था में केन्द्रीय हस्तक्षेप की मांग नहीं की है। इस समय संबंधित राज्यों के बीच अधिकारी स्तर पर बातचीत चल रही है कुछ मामले न्यायाधीन भी हैं।

(घ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि सीमा विवाद के बावजूद, विवादित गांवों के लोगों के हित के लिए सभी प्रकार के सामाजिक–आर्थिक विकास उपाय किए जा रहे हैं।

असामयिक मृत्यु दर

2704. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई प्रत्याशित आयु के बावजूद इस वर्ष 50 वर्ष से पहले असामयिक मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में असामयिक मृत्यु दर किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति में भारत में आयु विशिष्ट मृत्यु दर का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 1995 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 50 वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु का प्रतिशत वर्ष 1995 में तुलनात्मक दृष्टि से लगभग 1994 जैसा ही रहा है।

(ख) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जहां तक कुल मृत्युओं में से असामयिक मृत्युओं के अनुपात का संबंध है, वर्ष 1997 में भारत में असामयिक मृत्यु दर 48 प्रतिशत है जो बंग्लादेश (60 प्रतिशत) और पाकिस्तान (64 प्रतिशत) से कम है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति की सहायता से ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में सेवा केन्द्रों के विशाल नेटवर्क के जरिए रोगरोधी और उपचर्या सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 1997 में शुरू किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों विशेषकर माताओं एवं बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य है।

माइक्रो परियोजनाएं

2705. श्री विक्रम केशरी देव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में जनजातियों के विकास के लिए कितनी छोटी–परियोजनाएं कार्यरत हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के प्रारंभ से कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यकलापों में कितनी गैर–सरकारी संस्थाएं शामिल हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) उड़ीसा में 12 अभिज्ञात आदिम जनजाति समूहों के लिए इस समय 17 माइक्रो परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना से लेकर आदिवासी विकास हेतु इस मंत्रालय से उड़ीसा राज्य सरकार को निर्मुक्त कुल विशेष केन्द्रीय सहायता 358.72 करोड़ रु. है। इस राशि में से राज्य सरकार माइक्रो परियोजना क्षेत्रों में आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए आंशिक रूप से निधियों की व्यवस्था करती है।

(ग) माइक्रो परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए सड़कों का निर्माण, विद्युतीकरण आदि, तथा आदिम जनजाति समूहों में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग शामिल हैं। माइक्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गैर–सरकारी संगठन शामिल नहीं हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष

2706. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान उत्तर प्रदेश में गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता प्राप्त करने वाली गैर–सरकारी तथा सामाजिक कल्याण संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए आगरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को कितनी सहायता प्रदान की गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) सूचना विवरण–II के रूप में संलग्न है।

विवरण — I

उत्तर प्रदेश में 1998–99 के दौरान (30.11.98 तक) अपनी योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की सूची।

क. मुख्य योजना आय सृजक कार्यों को हाथ में लेने के लिए गरीब महिलाओं के लिए योजनाओं के अधीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम तथा पता	सहायता प्रदान किए जाने वाले लाभग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	2	3	4	5
1.	पहल गोला बैराज रोड, काठगोदाम–263126 नैनीताल उत्तर प्रदेश	60	2.00	–
2.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, (एनपीएसएस) 504/21–डी कृष्णा भवन, टैगोर मार्ग, डालीगंज लखनऊ (उ. प्र.)	300	10.00	5.00
3.	ज्ञान भारतीय महिला एंड बाल विकास परिषद, गोपाल गंज, रथ रोड, जलौन जिला (उ. प्र.)	30	0.80	–
ख. ऋण प्रोन्नत योजना				
4.	आल इंडिया वीमेन्स कानफ्रेंस, 3/1351, न्यू भगत सिंह कालोनी बजोरिया रोड, सहारनपुर (उ. प्र.)	70	2.00	–
5.	जनजाति विकास समिति, रेलवे स्टेशन रोड, पूर्व मोहल्ला रोबर्ट संघ–231216 सोनभद्रा (उ. प्र.)	100	2.00	–
6.	उन्नयन संस्थान, 251 तेकुर चुनार मिर्जापुर–231304 (उ. प्र.)	25	0.50	0.50

1	2	3	4	5
ग. आवर्ती निधि				
7.	श्रमिक भारती, 392, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर–208024	2000	20.00*	20.00
8.	अवध लोक सेवा आश्रम, जवाहर मार्ग चौराहा, रायबरेली (उ. प्र.)	2000	20.00	10.00

*पूर्ववर्ती वर्ष 1997–98 के दौरान स्वीकृत, पिछले वर्ष 10.00 लाख रुपए निर्मुक्त तथा इस वर्ष 1998–99 के दौरान अन्य 10.00 लाख रुपए निर्मुक्त

घ. **एसएचजी विकास योजना** :- इस योजना के अंतर्गत 500 महिला सदस्यों सहित 25 महिला स्व सहायता समूह को बनाने एवं स्थिर करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को एक लाख रुपए का मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

		बनाए जाने वाले स्वसहायता समूहों की संख्या		
9.	महिला कल्याण समिति, खजुरिया, पो. आ. बरियारपुर देवरिया, उ. प्र.	25	1.00	0.50
10.	मानव कल्याण एवं विकास समिति एच. ओ. इ.–1/16, कैलाश पुरी, मथुरा रोड, आगरा (उत्तर प्रदेश)	25	1.00	1.00
11.	तेवारिया सेवा आश्रम, गांग तेवरिया खुर्द, पो. आ. खुर्मा, इलाहाबाद (उ. प्र.)	25	1.00	–
12.	ग्रामीण विकास संस्थान, लक्ष्मीपुर, पो. आ. हाटा, जनपद पदरौना–3	25	1.00	1.00
13.	आल इंडिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, 3/1351, न्यू भगत सिंह कालोनी, बजोरिया रोड, सहारनपुर	25	1.00	–
14.	बाल महिला एवं ग्राम विकास सेवा समिति, 58/300/आइ बी/1, अयोध्या किंग, मेन रोड, अर्जुन नगर, आगरा	25	1.00	1.00
15.	राष्ट्रीय उत्थान समिति, ग्राम दिव्या विहार, पो. आ. नेहरू ग्राम, देहरादून	25	1.00	–
16.	ग्राम नियोजन आश्रम, छरे, अलीगढ़–202130	25	1.00	–
17.	ओम सेवा संस्थान, राज स्ट्रीट चन्दोसी मुरादाबाद–202412	25	1.00*	0.50

1	2	3	4	5
18.	एक्शन फार वूमेन्स एंड रूरल विकास 454 "वाई" ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर–208011	25	1.00*	1.00
19.	नवचेतन, ए–1345/10, इंदिरा नगर लखनऊ–226016	25	1.00*	1.00
20.	मानव सेवा संस्थान (सेवा), एलआईजी–1,198, विकास नगर, पो. आ. जुकले बेनी, माधवा, वाया एफसीआई. गोरखपुर–273007	25	1.00*	1.00
21.	महिला चेतना समिति, एन–6/2, बी–83, इंदिरा नगर चैताईपुर, पो. सुन्दरपुर वाराणसी	25	1.00*	1.00

*पिछले वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत

(ङ) **विपणन समर्थन योजना** :-इस योजना के अंतर्गत महिला लाभग्राहियों, एसएचजी के उत्पादों में विपणन में सहायता के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

22.	पीपुल्स सोसायटी आफ सोसयो–इक्नॉमिक्स डेवलपमेंट (पीएसएसईडी) 266/162, सरलाकुंज नई बस्ती, लखनऊ	–	2.00	2.00

विवरण—II

जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में 1998–99 के दौरान (30.11.98 तक) राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की सूची।

एसएचजी विकास योजना :- इस योजना के अंतर्गत 500 महिला सदस्यों सहित 25 महिला स्व सहायता समूह को बनाने एवं स्थिर करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को एक लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम तथा पता	बनाए जाने वाले एस एच सी की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1.	बाल महिला एवं ग्राम विकास सेवा समिति, 58/300/1–बी/1 अयोध्याकिंग, मेन रौड, अर्जुन नगर, आगरा	25	1.00	1.00
2.	मानव कल्याण एवं विकास समिति एच. ओ. ई–1/16, कैलाशपुरी, मथुरा रोड, आगरा	25	1.00	1.00

पिछड़े वर्गों को मियादी ऋण सहायता

2707. श्री के. येरननायडू :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम ने एन. बी. सी. एफ. डी. सी. से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की अनुमोदित योजनाओं में भूमि योजना के प्रयोजनार्थ मियादी ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग निगम ने आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में निजाम सुगर फैक्टरी से कृषि भूमि खरीदने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से ऋण के लिए एक प्रस्ताव किया था।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम व्यापक किस्म के आय सृजक क्रियाकलापों में सहायता प्रदान कर सकता है, तथापि, यह अवसंरचना विकास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था नहीं करता है। चूंकि भूमि की खरीद संबंधी कार्य राष्ट्रीय निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम के प्रस्ताव को 26 नवम्बर, 1996 को राज्य निगम को वापिस लौटा दिया गया था।

एस. के. ओ./के. डी. ओ. डीलर

2708. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न स्थानों पर कितने एस. के. ओ./के. डी. ओ. डीलर कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन एजेंसियों को कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल, लाइट डीजल और पेट्रोल का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त डीलरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, कम आपूर्ति और मिलावट के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) नए एस. के. ओ/के. डी. ओ. डीलरशिप के लिए गुजरात से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और 1999 व 2000 के लिए गुजरात में नया डीलरशिप के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्तमान में गुजरात राज्य में 674 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें प्रचालन में हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के लिए मिट्टी तेल की आवंटित मात्रा नीचे निर्दिष्ट है :

1995–96	–	806280 एम. टी.
1996–97	–	826562 एम. टी.
1997–98	–	849378 एम. टी.

पेट्रोल एवं डीजल एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों को आबंटित नहीं किए जाते हैं। तथापि, खुदरा बिक्री केन्द्रों से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ) एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के विरुद्ध समय–समय पर कुछ एक शिकायतें प्राप्त होती हैं। कदाचार के प्रमाणित मामलों में गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) गुजरात राज्य में आठ एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें अनुमोदित विपणन योजनाओं से आरंभ होने के लिए लंबित हैं।

(च) गुजरात राज्य में एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें स्थापित करने के संबंध में कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की वास्तविक शुरुआत विज्ञापित स्थानों की संख्या, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, डीलर चयन बोर्डों द्वारा किए गए साक्षात्कारों की संख्या, इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। डीलरों का चयन करने के संबंध में गुजरात राज्य के लिए एक डीलर चयन बोर्ड पहले ही गठित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय दण्ड संहिता

2709. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपराधियों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत के प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किया गया है और न कि भारतीय दण्ड संहिता में। दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 437) के अग्रिम जमानत संबंधी उपबंधों के अंतर्गत न्यायालय किसी विशेष मामले में तथ्यों के मद्देनजर निदेश दे सकता है। बालचन्द

जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस (ए आई आर 1977 एस सी 366) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत शक्ति असाधारण स्वरूप की है और इसका प्रयोग यदा-कदा और विशिष्ट मामलों में ही किया जाए।

राज्य सभा में दिनांक 9.5.1994 को प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में इस प्रकार से संशोधन करने का प्रावधान किया गया है जिससे कि न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, आरोप के स्वरूप और उसकी गंभीरता, आवेदक के पूर्ववृत्तों और आवेदनकर्ता द्वारा न्याय से बचने की संभावना पर विचार-विमर्श करने के बाद ही अग्रिम जमानत प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संशोधन में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय, सरकारी वकील और पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस जारी कर सकते हैं। यदि अग्रिम जमानत के लिए सरकारी वकील द्वारा आवेदन किया गया हो और यदि न्यायालय न्याय के हित में आवेदनकर्ता की मौजूदगी आवश्यक समझते हों तो अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की मांग करने वाले आवेदक की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

2710. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो विभिन्न अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में कमी किए जाने के विचार का कड़ा विरोध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन मुद्दों पर मतभेद है; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कागज की खरीद

2711. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार/एनसीसीएफ/केन्द्रीय भंडार "हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड" को छोड़कर अन्य स्रोतों से कागज खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संस्थाओं को उक्त खरीद सीधे हिन्दुस्तान पेपर कापोरेशन लिमिटेड से करने या उनके दिल्ली में प्राधिकृत वितरकों से करने हेतु निदेश देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सुपर बाजार दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा केन्द्रीय भण्डार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वे हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. से इतर स्रोतों से अपनी आवश्यकता का कागज खरीद रहे हैं, क्योंकि वे संगठन सरकारी विभागों को उनकी रुचि, विशिष्टियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार कागज सप्लाई करते हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि हालांकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के कागज की आपूर्ति के लिए मै. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. को अनुमोदित किया है, लेकिन उनके द्वारा पेश की गई आपूर्ति की शर्तों को सुपर बाजार ने उपयुक्त नहीं पाया और इसलिए सुपर बाजार उनसे कोई कागज नहीं खरीद सका।

(ग) इन तीनों सहकारी संगठनों को यदि क्रेता विभागों से विशिष्ट आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं तथा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. इन संगठनों की क्रय नीतियों का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है तो इनको मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. अथवा दिल्ली में उनके अधिकृत वितरकों से कागज खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है।

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

2712. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में राजभाषा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बावजूद भी राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन में असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन और इसके समुचित कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक राजभाषा आयोग गठित करने पर विचार कर रही है और इस संबंध में गठित किए जाने वाले आयोग की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियां अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों के कार्य क्षेत्र में राजभाषा नीति कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करती है तथा सरकारी

कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए उपाय सुझाती है। राजभाषा हिन्दी की तिमाही प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा करने हेतु तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाने हेतु विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी गठित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न श्रेणियों के हिन्दी पदों का सृजन किया गया है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

(ख) संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के आधार पर किया जाता है। इसी के अनुरूप सभी मंत्रालय/विभाग राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम के प्रावधानों का अनुपालन करवा रहे हैं और धीरे–धीरे सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सहित अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार–प्रसार में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देती है। इस समय महाराष्ट्र में 9 ऐसी स्वैच्छिक–संस्थाएं कार्यरत हैं।

———

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 पर चर्चा करेंगे–माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

''संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत''

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : महोदय, मई 11 और 13 के परीक्षणों के बाद सरकार ने समय–समय पर सदन को विश्वास में लिया है और माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहा है। यह सदन में 27 से 29 मई, 8 जून और 3–4 अगस्त को दिए गए वक्तव्यों तथा विचार–विमर्श के जरिए किया गया। फिर भी मैं अपनी नीति की कुछ विशेषताओं को दोहराना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर इस बात को दोहराता हूं कि भारत की सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता अडिग है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारत का लगातार यह मानना रहा है कि नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व से न केवल हमारी बल्कि सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी होगी। इसी कारण इस दिशा में पिछले पचास वर्षों के दौरान अनेक पहल की गईं, ऐसे कदम उठाए गए जिनसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक तथा दृढ़ उपायों को प्रोत्साहन मिले। खेद है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर वे देश जिनकी सुरक्षा नाभिकीय शस्त्रों अथवा नाभिकीय छत्र पर आधारित है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः तीन दशक पहले अपने नाभिकीय विकल्प को खुला रखना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बन गई जो शीतयुद्ध के बाद की अवधि में भी भारत के लिए उतना ही जरूरी है। इस प्रकार मई, 1998 में प्रयोग में लाया गया विकल्प लगभग 25 वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय के क्रम में था, जिसके दौरान भारत ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा से सम्बद्ध विशिष्ट जटिलताओं को देखते हुए एक अनुकरणीय नाभिकीय संयम का प्रदर्शन किया। मैं इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक के बाद एक आने वाली सभी सरकारों ने इस विकल्प को बनाए रखा, अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया तथा ऐसे उपाय किए जो शास्त्रीकरण के जरिए इस विकल्प की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।

भारत की क्षेत्रीय अखण्डता तथा सम्प्रभुता को किसी बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग के भय से सुरक्षा के उद्देश्य से जिस प्रकार हमारी परम्परागत रक्षा क्षमता को इस्तेमाल में लाया जाता रहा है उसी प्रकार हमारी नाभिकीय निवारण स्थिति भी इसी तर्क के अनुसरण में है। न्यूनतम नाभिकीय निवारक को बनाए रखने के अपने इरादे की हमने घोषणा की है जो विश्वसनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की चिन्ताओं का समाधान निकालने के हमारे सार्वभौम तथा संवर्धित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए और हमारी नाभिकीय क्षमता के आत्मरक्षा के स्वरूप के बारे में सभी देशों को पुनः आश्वस्त करने के उद्देश्य से हमने प्रमुख वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की हैं। केवल भारत ही एक ऐसा नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी नाभिकीय शस्त्रों को धीरे–धीरे तथा उत्तरोत्तर रूप से उन्मूलन के लिए बातचीत करने का आह्वान किया है।

सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर मित्र देशों के साथ परामर्श की हमारी एक सुव्यवस्थित परम्परा भी है। आने वाली सभी सरकारों ने हमारे विदेश संबंधों में खुले, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा है। यह हमारी राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने मई, 1998 से पहले भी अमरीका के साथ विस्तृत तथा व्यापक आधारिक बातचीत जारी रखी। इसमें निरस्त्रीकरण और अप्रसार तथा बृहत नीतिगत मसलों पर बातचीत शामिल है।

मई 11 और 13 के नाभिकीय परीक्षणों के बाद कुछ हल्कों ने आशंकाएं व्यक्त कीं। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देते हुए गहन बातचीत करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह को इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने अमरीकी वार्ताकार के रूप में विदेश राज्यमंत्री स्ट्रोब टालबोट को नामित किया।

यह बातचीत उन व्यापक प्रस्तावों के आधार पर की गई, जिसे मई के परीक्षणों के बाद भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेश किया। सदन को स्मरण होगा कि इन प्रस्तावों में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों पर स्वैच्छिक रोक लगाना, हमारी यह इच्छा कि इस वचनबद्धता को विधिक रूप प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ाना, हथियारों के प्रयोजन के लिए विखंडनीय सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक संधि पर बातचीत में शामिल होने का निर्णय लेना, और संवेदनशील सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रणों की मौजूदा प्रणाली को और अधिक कठोर बनाने का निश्चय करना है।

वाशिंगटन की 11 जून, 1998 की बैठक के बाद श्री जसवंत सिंह और श्री टालबोट के बीच छः दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों पक्षों ने विचारों की भिन्नता को कम करने तथा साझा आधार तैयार करने के लिए उपयोगी बातचीत की। विचारों के ये आदान–प्रदान उत्तरदायित्व, स्पष्टवादिता तथा एक–दूसरे की चिंताओं और विचारों को ईमानदारी से समझने के प्रयास के रूप में हुए हैं। सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें शामिल मसले दोनों देशों के अनिवार्य हित के हैं। इन बातचीतों में हमने दृढ़ता से अपनी सुरक्षा चिन्ताओं तथा न्यूनतम, विश्वसनीय, नाभिकीय निवारक कायम करने की आवश्यकता को रखा। मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि बातचीत इस आधार पर आरम्भ हुई। हमारी सुरक्षा चिन्ताओं और आवश्यकताओं पर अब कुछ सहमति है।

बातचीत निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार से सम्बद्ध मसलों पर केन्दित रही। इस बात पर सहमति है कि क्षेत्रीय मसलों को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। माननीय सदस्य इस बात से भली–भांति अवगत हैं कि इन मामलों में भारत की चिन्ताएं दक्षिण एशिया क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में हैं।

छः दौर की बातचीत के बाद अब बातचीत निम्नलिखित चार मसलों तक सीमित रह गई है :–

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि : भारत अपने स्वैच्छिक स्थगन को एक कानूनी दायित्व में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बातचीतों में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि यह संधि सितम्बर, 1999 से प्रभावी होनी चाहिए, के प्रत्युत्तर में 24 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में मैंने यह बात विस्तार से दोहरायी जो कि मैंने संसद में कहा था कि **''भारत अब अपने प्रमुख वार्ताकारों के साथ कई मसलों पर बातचीत कर रहा है जिसमें व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी शामिल है। हम इन वार्ताओं को एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रवर्तन सितम्बर, 1999 से आगे न टले। हमें उम्मीद है कि अन्य देश जैसा कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद XIV में बताया गया है, बिना किसी शर्त के इस संधि का अनुपालन करेंगे''।**

हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बातचीत के सफल निष्कर्ष के लिए हमारे वार्ताकारों द्वारा सकारात्मक वातावरण तैयार करना जरूरी है।

मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के आकलन में यह दृष्टिकोण हमारे उन उपायों को करने में आड़े नहीं आएगा जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए भविष्य में आवश्यक समझे जाएंगे। यह न तो हमारे अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को जारी रखने में बाधक है और न ही इससे आने वाले वर्षों में हमारे नाभिकीय निवारक की सुरक्षा तथा प्रभावशीलता के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा है।

विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि : जेनेवा में निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन में विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि वार्ता में भाग लेने की हमने अपनी इच्छा व्यक्त की है। अन्य बहुत से देशों की तरह हमारा भी यह मानना है कि इन वार्ताओं का उद्देश्य वह भेदभाव रहित संधि करना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1993 के सर्वसम्मति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार शस्त्र प्रयोजनों के लिए भविष्य में विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन को समाप्त कर देगी। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। हम इस प्रकार की संधि शीघ्र करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

हमें यह सुझाव दिया गया है कि हम विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा पर विचार करें। हमने बता दिया है कि इस स्तर पर ऐसे उपाय करना सम्भव नहीं है। हम विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि से सम्बद्ध बातचीत में तय किसी बहुपक्षीय पहल पर निश्चित तौर पर गम्भीरता से ध्यान देंगे।

निर्यात नियंत्रण : इस क्षेत्र में चर्चा में प्रगति हुई है। दोनों पक्षों से विशेषज्ञ अधिकारी स्तर की एक बैठक 9–10 नवम्बर को नई दिल्ली में हुई। हमारी अतिरिक्त क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न जिम्मेदारी राज्य होने के नाते, और जैसा कि पहले घोषित किया गया है, हम इस संबंध में अपने नियमों को और कठोर बनाने के सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं। हमने यह भी बताया है कि भारत के संवेदनशील प्रौद्योगिकियों पर प्रभावी नियंत्रण के दोषमुक्त रिकार्ड को देखते हुए भारत को दोहरे प्रयोग और उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग की बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। विशेषज्ञ स्तर की इस बैठक को इस क्षेत्र में सहयोग जारी रखने की संभावनाओं के लिए भारत और अमरीका दोनों ने लाभदायक माना है।

रक्षा संबंधी स्थिति : जैसा कि निःसंदेह, हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि रक्षा स्थिति से सम्बद्ध मामले सर्वोपरि हैं और उन पर बातचीत नहीं की जा सकती। वास्तव में हमारी बातचीत इस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है कि भारत नाभिकीय निवारण के लिए अपने सुरक्षा के मूल्यांकन के आधार पर अपनी अपेक्षाओं को स्वयं निर्धारित करेगा। अमरीका और अन्य वार्ताकार हमारी स्थितियों और हमारी नीतियों को बेहतर समझने के इच्छुक हैं।

हमने **''पहले प्रयोग न करने''** और नाभिकीय शस्त्र रहित राज्यों के विरुद्ध **''बिल्कुल प्रयोग न करने''** की नीति की औपचारिक घोषणा की है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि, न्यूनतम नाभिकीय निवारण सहित पहले प्रयोग न करने की नीति का तात्पर्य नाभिकीय शस्त्रों का इस प्रकार प्रयोग करना है कि जिससे अपना बचाव और उचित जबाव देने की क्षमता सुनिश्चित हो। हम किसी भी देश के साथ शस्त्र दौड़ में भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयोग कम से कम विश्वसनीय निवारक होगा, जो इस समय और भविष्य में भी भारत की सुरक्षा, जन समुदाय के एक छठवें हिस्से की सुरक्षा की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अपने सहयोगी निकायों, जिसकी स्थापना की घोषणा की जा चुकी है, की सहायता से इन आवधारणाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

हमने कुछ निर्यात नियंत्रण प्रणाली के प्रावधान के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं, जो स्पष्ट रूप से अप्रसार उद्देश्यों को बढ़ावा देना चाहती हैं लेकिन उसका अनुप्रयोग पक्षपातपूर्ण है। भारत का प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम एक स्वदेशी कार्यक्रम है जो लगभग 15 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की हमारे सुरक्षा वातावरण विशेषकर हमारे क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र अभिग्रहण और तैनाती को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा की जाती है। हमने घोषणा की है कि अग्नि का नया रूप जिसकी रेंज अधिक है, विकसित किया जा रहा है। ऐसी संवर्धित रेंज वाली अग्नि का उड़ान परीक्षण पूर्णतः मान्य अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि हमारा निर्णय निवारक के विस्तार को कायम करना है, जो कि न्यूनतम और विश्वसनीय है, फिर भी मैं, इस सदन को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार भारत की अनुसंधान और विकास क्षमताओं के विकास पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी गतिविधियां किसी भी देश की रक्षात्मक तैयारी का अभिन्न हिस्सा हैं और आने वाले समय में नए संकट का सामना करने के लिए जरूरी है। यह सरकार ऐसे उस हर सुझाव का स्पष्ट रूप से विरोध करती रही है जो घुसपैठ या प्रभुसत्ता के उल्लंघन के द्वारा भारत की प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है।

इसके साथ ही साथ हम सभी नाभिकीय शस्त्रों के सम्पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में पहल जारी रखेंगे। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमने **''नाभिकीय खतरे को घटाने''** से संबंधित एक संकल्प के द्वारा पहल की है, जो एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य नाभिकीय बंदूक का घोड़ा दबाने से होने वाले शीत युद्ध की कगार पर बैठे देशों को पीछे लाना है। यदि ऐसे पहल अन्य नाभिकीय शस्त्र के पक्षकार राज्यों द्वारा बहुपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं तो वे, वास्तव में तदनुसार हमारी स्थिति को प्रतिलक्षित करेंगे।

संयुक्त राज्य और अन्य देशों के साथ इस विचार–विमर्श के दौरान मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सम्पर्क बनाए रखा। विभिन्न देशों द्वारा की गई उद्घोषणाओं और घोषणाओं पर हमने समय–समय पर वक्तव्य जारी किया है। संसद में इन वक्तव्यों और सरकारी प्रवक्ता के बयानों से हमारी स्थिति स्पष्ट है जिससे माननीय सदस्य पूर्णतः अवगत हैं। संसद की स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति की बैठकों में इन मुद्दों पर भी काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इन विचार–विमर्शों में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से हमें संयुक्त राज्य और अन्य देशों के साथ चर्चा के दौराना बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला है।

यह वार्ता संयुक्त राज्य के साथ अगली बैठक, जो नई दिल्ली में जनवरी के उतरार्द्ध में आयोजित की जाएगी, जारी रहेगी।

हालांकि इन वार्ताओं का हल निकालने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु दोनों देश चाहते हैं कि शेष मुद्दों पर शीघ्र ही स्थायी समझबूझ तक पहुंचा जाए। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी जो दोनों देश चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह और श्री स्ट्रोब टालबोट की बातचीत के साथ–साथ हमने फ्रांस और रूस के साथ विचारों का व्यापक आदान–प्रदान किया। श्री जसवंत सिंह के स्तर पर यू. के. और चीन के साथ तथा जर्मनी और जापान के साथ–साथ अन्य नाभिकीय शस्त्र रहित राज्यों के साथ सरकारी स्तर पर भी बातचीत हुई। मैं राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ नियमित रूप से पत्र व्यवहार करता रहा हूं। हमारे पत्राचार में न केवल हमारे प्रतिनिधियों के बीच विचार–विमर्श के मुद्दों पर ही चर्चा की गई बल्कि भारत–अमरीका के संबंधों के व्यापक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। मेरा विचार है कि भारत–अमरीका के भावी संबंध विचाराधीन चारों मुद्दों से कहीं अधिक बड़ा है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी मुझसे यह कहा है कि उनकी इच्छा भारत के साथ व्यापक आधार पर संबंध स्थापित करने की है, जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के लिए हितकर होगा। मैंने भी उनके प्रति इन्हीं भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया है। वस्तुतः संयुक्त राज्य के साथ हमारी वर्तमान वार्ता उसी लक्ष्य को लेकर चल रही है। मुझे विश्वास है कि यह सदन इसकी पूर्ण सफलता की कामना करेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ छः चरणों में की गई बातचीत के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या सितम्बर, 1999 के बाद सी.टी.बी.टी. के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए सहायक वातावरण बनाया जाएगा? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, छः चरणों में बातचीत की गई है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, इस पर डिस्कशन हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपको इस तरह से समस्याएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह जानना चाहेंगे कि इन बैठकों में क्या–क्या कहा गया है ...*(व्यवधान)* सभा को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बाद में हम सी. टी. बी. टी. पर चर्चा करेंगे

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, विपक्ष के नेता ने सी. टी. बी. टी. के संबंध में प्रश्न पूछा है ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा (दक्षिण मुंबई) : महोदय, प्रश्न पूछने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक–एक प्रश्न का अलग–अलग उत्तर देना, उससे अच्छा यह है कि एक समवेत चर्चा हो जाए और आप भी अपनी पूरी बात कहें और हमें भी पूरी बात कहने का मौका दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैंने पूर्व सूचना दी है . ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, सांस्कृतिक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा–पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद यह मुद्दा उठाइए।

अपराह्न 12.20 बजे

सभा–पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सोपचार और अन्य विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1998

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) मंत्रियों के संबलमों और भतों से (संबंधित) अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्रियों (भते, चिकित्सोपचार और अन्य विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1998 जो प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ.सं. 10/32/98. एम एण्ड जी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1849/98]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अर्न्तगत सीमा सुरक्षा बल [एयर विंग अराजपत्रित (योधक) समूह "ग" पद] संशोधन नियम, 1998 जो 24 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1850/98]

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड रासायनी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रासायनी का वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रासायनी का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण–महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1851/98]

(ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1852/98]

(2) (एक) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1853/98]

(3) (एक) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1854/98]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 जो 17 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 584 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धि–पत्र 26 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 702 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 1998 जो 30 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 1855/98]

(5) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1996–97 और 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1856/98]

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1998

/हिन्दी/

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1998 जो 19 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 185 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1857/98]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 जो 12 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 614 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 जो 28 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 534 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1858/98]

/अनुवाद/

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 1859/98]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1860/98]

(2) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 क की उपधारा (4) के अन्तर्गत सिविल अधिकार अधिनियम, 1955 के वर्ष 1994 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1861/98]

कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ग्वालियर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडीसिन्स फार्मास्यूटीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1862/98]

(3) (एक) कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ग्वालियर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ग्वालियर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1863/98]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित अधिसूचना

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1508, जो 1 अगस्त 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1864/98]

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1865/98]

अपराह्न 12.22 बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

तीसरा प्रतिवेदन

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय संबंधी प्राक्कलन समिति (आर्थिक कार्य विभाग–बैंकिंग डिवीजन)–सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक–अशोध्य ऋण का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.22½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसद सदस्यों द्वारा रसोई गैस/टेलीफोन का बिना बारी के आबंटन की अनुमति दिया जाना

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों द्वारा गैस/टेलीफोन कनेक्शनों को बिना बारी आबंटित किए जाने के सम्बन्ध में सदन में मामला उठा था। मैंने कहा था कि केरल हाई कोर्ट में 10 तारीख को इनजंक्शन ऑर्डर के बाद जो फैसला हुआ, मैं उसे यहां पढ़ना चाहता हूं।

जैसा कि आप और माननीय सदस्यगण जानते हैं कि केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष आए एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा संसद सदस्यों द्वारा गैस/टेलीफोन कनेक्शनों के बिना बारी आबंटित किए जाने पर रोक लगाई गई थी।

भारत सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय से इस रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया था।

भारत सरकार के अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, एरनाकुलम के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 1998 को दिए गए अपने निर्णय द्वारा इस रोक को हटा लिया है। तथापि, न्यायालय ने संसद सदस्यों द्वारा गैस/टेलीफोन कनेक्शनों के बिना बारी आबंटन किए जाने के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं ...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। जो फैसला हुआ है, मैं उसे बता रहा हूं।

1. उपभोक्ता जिसे यह सुविधा दी जाए वह संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो।
2. गैस/टेलीफोन कनेक्शन घरेलू उपयोग के लिए दिया जाए न कि कमर्शियल उपयोग के लिए।
3. सुविधा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गैस/टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने वाली तारीख को संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए।
4. सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम व्यापक रूप से प्रकाशित किए जाएं।

निर्णय की प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश निरस्त कर दिया है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणा की तिथि से इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को एक करोड़ रुपए से बढ़ा कर दो करोड़ रुपए किए जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी यहां जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, यह शून्य-काल नहीं है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री पी. शिवशंकर का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपए किए जाने के सम्बन्ध में अपनी बात कही थी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री इस पर वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को नाराज किए बिना मैं इस मामले की नाजुकता के मुद्दे को उठाना चाहूंगा। गैस और टेलीफोन कनैक्शन के मुद्दे पर सदस्यों द्वारा आपके कक्ष में निर्णय लिया गया था। हमने एक विशेष प्रक्रिया अपनाई है ओर इस पर चर्चा की है। हमने कुछ शर्तें भी रखी थीं। उन सभी मार्ग निर्देशों को पूर्णतः स्पष्ट किया गया था।

यह बहुत अच्छा होता यदि उच्च न्यायालय ने सभा की उस कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप न किया होता जिसमें सभा किसी विशिष्ट मामले के संबंध में निर्णय लेती है। शायद सरकार इस बात को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाने में असफल रही है कि इस मुद्दे पर स्वयं सदन की एक समिति द्वारा चर्चा की जा चुकी है और यह कि जिस तरह से संसद की किसी समिति में मामलों पर चर्चा की जाती है, वह किसी भी न्यायालय द्वारा संविधान की धारा 22 के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही करने योग्य नहीं होते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि सरकार यह बात उच्च न्यायालय के ध्यान में लाने में असफल रही है कि इस मामले पर उनके द्वारा विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए था। यदि यह बात उच्च न्यायालय के ध्यान में लाई जाती तो मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर कभी विचार न किया होता। साधारणतः, जिन मामलों के विस्तार में हम जाते हैं, जिनके दिशा-निर्देशों पर हम चर्चा करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उनमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस पहलू को उच्च-न्यायालय के ध्यान में न लाने के संबंध में सरकार असफल रही है जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें रख दी थीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य-काल' नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : पिछले सत्र में यह बात उठाई गई थी कि सांसदों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, उसको बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने पटना में घोषणा की थी कि इसको बढ़ाया जाएगा। ...*(व्यवधान)* इसको कब करने जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, यह शून्य–काल नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : मेरी बात पूरी नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो अवर में बोलिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, माननीय शिवशंकर जी ने जो मुद्दा उठाया है, उसके पहले भी इस विषय पर सदन में माननीय चंद्रशेखर जी ने और काफी सदस्यों ने अपनी राय उसी प्रकार से प्रकट की थी। उसके बाद आपके चैम्बर में फिर मीटिंग हुई और आपने ही आदेश दिया था कि 10 तारीख चूंकि हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है, उसका फैसला कुछ भी होगा, हम निर्णय करेंगे, लेकिन 10 तारीख देख लें। 10 तारीख को चूंकि इनजंक्शन खत्म हो गया, वैसे हम हाई कोर्ट की नॉलेज में ये सारी चीजें लाए हैं लेकिन अभी एक हिस्सा था उसका जो स्थगन आदेश था, उसको रद्द करवाना था, वह रद्द करवा दिया। अब अगर उसके ऊपर बहस होगी, केस चलेगा तो उस पर हम सारे तथ्य रखेंगे। पहले भी रखे हैं और अब भी रखेंगे।

अपराह्न 12.29 बजे

[अनुवाद]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) — 1998-99

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं वर्ष 1998-99 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1868/98]

अपराह्न 12.30 बजे

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। श्री यशवंत सिन्हा जी प्रस्ताव करेंगे कि बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं जो .....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30½ बजे

(इस समय, श्री सुनील खां, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया अपने स्थानों पर जाइए। मैं आप सभी को एक–एक करके बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है? कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए। मुझे 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं सदस्यों के नाम एक–एक करके बुलाऊंगा। परन्तु पहले अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए और फिर अपनी बात कहें। आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, परन्तु कृपया पहले अपने स्थानों पर जाइए फिर अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं।

श्री पी. सी थामस :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने नोटिस दिए हैं। कृपया प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए। आपको

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 15.12.98 में प्रकाशित

प्रक्रिया का पता होना चाहिए। मुझे कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मै। उन माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

श्री के. एस. राव :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सदस्यों से अपने स्थान पर वापस जाने के लिए कहें।

श्री बसु देव आचार्य :

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सदस्यों से अपने–अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं नाम पुकारता हूं।

श्री तरित बरन तोपदार

श्री मोइनुल हसन

श्री रूपचन्द पाल

श्री अजय चक्रवर्ती

श्री अनिल बसु

श्री वी. वी. राघवन

श्रीमती गीता मुखर्जी

डॉ. असीम बाला

श्री हन्नान मोल्लाह

श्री मोहन सिंह

प्रो. अजीत कुमार मेहता

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं को बुलाकर इस मामले पर अपने कक्ष में चर्चा करूंगा। कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं को बुलाकर इस मामले पर अपने कक्ष में चर्चा करूंगा। कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइए। मैं इस पर चर्चा करने के लिए नेताओं को अपने कक्ष में बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं। मैं आपके नेताओं को अपने कक्ष में बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समावेत होने लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.32 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)*

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं नोटिस दे चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकररूंगा जिन्होंने सूचनाएं दी हैं तब तक आप अपना मामला उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैंने 10 बजे से पहले नोटिस दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिन्होंने सूचनाएं दी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रूप चंद पाल : महोदय, बहुत कम समय में हम अपनी बात कहेंगे एक–दो मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री रूप चन्द पाल : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : हमने सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक की थी। उनमें इस मसले पर सहमति बनी है। अब मैं माननीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हम लोगों की आपत्ति उनके पहले है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, कृपया।

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : नहीं। पुरःस्थापित किए जाने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री खुराना जी, आप बैठक के बारे में कुछ कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनिए। यह क्या है? अब श्री खुराना जी।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हमने समय पर नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा। अब श्री खुराना जी कृपया आप बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इंट्रोडक्शन पर ही तो आपत्ति है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया स्थिति को समझिए।

(व्यवधान)

श्री एन. एम. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय पुरःस्थापित करने से पहले सभापति महोदय को हमारी बात सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों का नाम पुकारूंगा जिन्होंने सूचनाएं दी हैं। कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम सभी ने सूचनाएं दी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां। मैं आप सभी को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं पहले निवेदन कर दूं, सरकार को कोई एतराज नहीं है कि इस बिल को, जो अभी पेश होने जा रहा है, स्टेडिंग कमेटी या ज्वाइंट कमेटी...*(व्यवधान)* पहले मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* अभी जो मीटिंग हुई, उसमें आप सबने कहा कि ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाए। मैंने दूसरे हाउस में बात की। उनका कहना है कि सभी नेता सुबह आग्रह कर रहे थे कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। बाद में दोनों बैठ जाएंगे। स्पीकर साहब और चेयरमैन जो चाहे करें। यदि ज्वाइंट कमेटी को कहेंगे तो उसे भेज देंगे और यदि स्टैंडिंग कमेटी को कहेंगे तो हम उसे भेज देंगे। सरकार को दोनों कमेटियों में से किसी एक को भेजने में कोई ऐतराज नहीं है। आप जो तय करेंगे, हमको मंजूर है। स्पीकर साहब और चेयरमैन जो तय करें, हमें मंजूर है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री जी बोलें। अब माननीय सदस्य सदन की अनुमति लें। सदन की अनुमति विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मांगी जाए और फिर आप अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले हम अपनी बात कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले माननीय सदस्य को सदन की अनुमति लेनी होगी। कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुमति लेनी होती है। कृपया बात समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को सदन की अनुमति लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : नियम 72 में है, रूल देखा जाए न। पहले हम लोगों को सुन लें, तब मूव करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आपका नाम सूची में है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे नियम पढ़ने दीजिए।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लेंगे।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रवर्तन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रवर्तन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं। इस विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक विधायी रूप से सक्षम नहीं है। इस विधेयक के द्वारा सरकार देश को बेचना चाहती है। हमारे देश में बीमा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के रूप में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। सरकार वित्तीय क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों को लाना चाहती है। यह विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी राष्ट्रों के समक्ष हमारे वित्तीय क्षेत्र का पूर्ण समर्पण होगा। इससे हमारी आर्थिक सम्प्रभुता भी खतरे में पड़ जाएगी। इस आधार पर मैं इस विधेयक की पुरःस्थापना का प्रबल विरोध करता हूं। यह संविधान के विरुद्ध है। इस विधेयक के द्वारा सरकार देश की आर्थिक सम्प्रभुता को दांव पर लगा रही है। यह असंवैधानिक और राष्ट्रविरोधी कदम है। यह विधेयक विधायी रूप से सक्षम नहीं है। मैं विधेयक की पुरःस्थापना का प्रबल विरोध करता हूं।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मुद्दों पर आपत्ति है, जिसके नाते भारत सरकार इस सदन के भीतर इस तरह का विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकती। भारत का संविधान इस तरह का काम करने की इजाजत भारत सरकार को नहीं देता। मैं डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की धारा 39 (सी), जिसके अनुसार :

"आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो"

इससे कंसेंट्रेशन ऑफ वैल्थ बढ़ेगी, विदेशी लोग आएंगे, विदेशी कम्पनियां आएंगी और हमारे देश में जो समता का समाज बनाने का हमारे देश के संविधान ने सरकार को आदेश दिया है, उसके विरुद्ध आचरण होगा।

दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की धारा 51 (ए) (सी) के अनुसार :

[अनुवाद]

"भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।".

[हिन्दी]

यह भारत की सार्वभौमिकता के खिलाफ है और इसीलिए इस देश के निर्माताओं ने जो कम्पनियां बीमे के क्षेत्र में आम जनता को लूट कर रही थीं, उस लूट से बचाने के लिए बीमा कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत सरकार स्वदेशी कम्पनीज को छूट दिए बिना, उसका जो अंतिम चरण है, विदेशी कम्पनीज को सीधे भारत में बुला रही है, जिससे भारत की स्वाधीनता, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर विदेशी पूंजीपतियों का प्रभुत्व बढ़े और हमारी सार्वभौमिकता प्रभावित हो। इस तरह का विधेयक इस सदन की अपनी क्षमता और अपने अधिकार से बाहर है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से विरत हो और सदन इसको पेश करने की इजाजत न दे।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मुझे आपत्ति है और यह किसी अन्य बात से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैंने पुरःस्थापना के समय ही बीमा विनियामक प्राधिकरण (विधेयक) का विरोध करने के लिए सूचना दी है। यदि पुरःस्थापना के समय ही कोई विधेयक का विरोध करता है तो संवैधानिक समीचीनता का प्रश्न उत्पन्न होता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संप्रभुता सम्पन्न है। यदि इस विधेयक को पारित होने दिया जाता है तो यह हमारी सम्प्रभुता को खतरा होगा क्योंकि अमरीकी और अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे उद्योग जगत में प्रवेश कर जाएंगी। इससे हमें सहायता नहीं मिलेगी अपितु हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी और इसीलिए पुरःस्थापना के समय ही मैं विधेयक का विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हम इंशोरेंश रेगुलेटरी अथोरिटी बिल का प्रतिवाद करते हैं और इंट्रोडक्शन की स्टेज पर ही विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि यह विधेयक देश की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और देश की आर्थिक नीति के लिए प्रतिगामी कदम है। पहले जीवन बीमा का निजीकरण था। हम लोगों ने उसका राष्ट्रीयकरण किया, अब फिर उसको पीछे की तरफ सरकार ले जा रही है और उसका निजीकरण करना चाहती है। इस विधेयक से सरकार देश में विदेशी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को न्यौता दे रही है। यह विधेयक गरीबों के खिलाफ है, उनका इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। इससे देश को नुकसान होने वाला है और हम इस तरह के नुकसान सहने की स्थिति में नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए कि हम विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारे कांग्रेसी साथी कहते हैं कि इसको पेश होने दें और यह स्थाई समिति में जाना चाहिए, लेकिन हम तीसरी ताकत वाले इसका शुरू में ही विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह प्रतिगामी कदम है, यह विधेयक नहीं आना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। नियम 72 के विपरीत कार्य हो रहा है, कल भी यही हुआ, हम लोग लिखकर देते हैं, लेकिन सुना नहीं जाता।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मेरी आपत्ति पूरी तरह से किसी अन्य बात पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके लिए कोई सूचना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने सूचना दी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह विधेयक विधायी रूप से अक्षम है और जहां तक जीवन बीमा अधिनियम, 1956 और सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 को संशोधित करने की बात है, इसमें संवैधानिक अक्षमताएं हैं।

एक उपबंध किया जा रहा है कि इस विधेयक के प्रवर्तन के द्वारा निगम, 1938 के बीमा अधिनियम, जिसे 1956 में और फिर 1972 में संशोधित किया गया था, के उपबन्धों के अनुसरण में बीमा कारोबार करेगा। जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम को विशेष विधायी विधियों द्वारा गठित किया गया था। ये अधिनियम बीमा अधिनियम, 1938 के खण्ड 7 में संशोधन के लिए बनाए गए प्रयोजनों को क्षति पहुंचाएगा जो कि वर्तमान विधेयक में प्रस्तावित किए जा रहे हैं। महोदय, बीमा कम्पनी का अर्थ होगा "कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी" और 26 प्रतिशत की निर्धारित इक्विटी विदेशी कम्पनियों के पास हो सकती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपको विधेयक का विरोध करने के कारणों को बताना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह निर्धारित किया गया है कि 26 प्रतिशत की इक्विटी विदेशी कम्पनियों द्वारा या इसकी आनुषंगिक कम्पनी या इसके नामा निर्देशी के पास रखी जा सकेगी इसके अतिरिक्त 14 प्रतिशत तक की सीमा तक इक्विटी विदेशी संस्थागत् निवेशक अनिवासी भारतीय और विदेशी निकायों या निगमित निकायों द्वारा रखी जा सकेगी। महोदय, यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर यह डिबेट शुरू हो गई है। मैं चाहता हूं कि सबको छूट मिलनी चाहिए। *...(व्यवधान)* बिल बाद में पेश हो। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यदि इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया तो इससे राष्ट्र के हितों पर आंच आएगी। यह हमारे देश की सम्प्रभुता के विरोध में है क्योंकि दबाव पड़ रहा है *...(व्यवधान)*। यह

दबाव अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा डाला जा रहा है। महोदय, पिछली बार जब विधेयक लाया गया था तब सत्ता पक्ष के कई लोगों ने इसका विरोध किया था ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं नियम 72 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं नहीं जानता कि इस समय क्या हुआ है। एक वर्ष के भीतर ही वे अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और अब वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। यह हमारे देश की आर्थिक सम्प्रभुता के विरोध में है ...*(व्यवधान)* वे हमारे देश की सम्प्रभुता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप रहे हैं।

महोदय, अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां घाटे में चल रही हैं ...*(व्यवधान)* पिछले 45 वर्षों में हम इस बात के साक्षी रहे हैं कि जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम सहित इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने हमारे देश के विकास के लिए निवेश किया है। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में आने दिया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उस नियम का भी उल्लेख कर रहा हूं जिसके अधीन मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसके बावजूद आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, जब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं तो फिर आप उन्हें अपनी बात पूरी करने कैसे दे सकते हैं? यह बड़े ताज्जुब की बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मुझे अभी और 16 व्यक्तियों को बोलने का अवसर देना है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, स्वदेशी के नाम पर वे देश को बेच रहे हैं। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव के सामने झुक रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं। हम इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसीलिए, आरम्भ में ही, इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने पर ही हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, आप नियमों के संरक्षक हैं। यदि आप नियमों की रक्षा नहीं करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ. प्र) : मुझे इस विवाद के बारे में कुछ भी कहना नहीं है। मैं इस सरकार और वित्त मंत्री से एक अनुरोध करता हूं। उन्हें कम–से–कम यह याद रखना चाहिए कि पिछली लोक सभा में उन्होंने इसका विरोध किया था। उनकी विश्वसनीयता पहले ही बहुत कम है। उन्हें इस विश्वसनीयता को और कम नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक मेरे मित्रों जैसे श्री बलराम जाखड़ और अन्यों की दया से जब तक वे सरकार में हैं तब तक राष्ट्र को इस सरकार का सम्मान करना है। यह सरकार गलतियां करती जा रही है जो देश के भविष्य के लिए घातक है। सरकार इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को समर्पण करती रही तो यह राष्ट्र के भविष्य को अन्धकारमय बनाने वाला कदम होगा। इसीलिए मैं सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इससे सरकार की विश्वसनीयता और कम होगी और उन्होंने राष्ट्र और पूरी दुनिया के समक्ष वादा किया है कि वे बीमा क्षेत्र में बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक पार्टी के एक सदस्य को सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस सम्बन्ध में सदस्यों ने अपनी ओर से सूचना दी है। सूचना देने वाले प्रत्येक सदस्य को विधेयक का विरोध करने की अनुमति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, यह प्रक्रिया नहीं है। मुझे उन सदस्यों को अवसर देना है जिन्होंने इस सम्बन्ध में सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : क्या सारे लोग, जिन्होंने नोटिस दिया है, वे ही बोले हैं। आप नियम बना दीजिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। एक तरफ आप बिना नोटिस वालों को सुनते हैं और फिर आप नोटिस की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : हमने पहले ही सूचना दी है। आप हमें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल बोलेंगे।

श्री रूपचंद पाल : जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि संसद की एक समिति के प्रतिनिधियों ने पहले ही इस मामले की जांच की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को ध्यान में रखिए कि एक प्रक्रिया है। मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बुला सकता हूं जिन्होंने बोलने की सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रातः 10 बजे से पहले सूचना दे देनी चाहिए। आपको पहले प्रक्रिया पता होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : अभी ऐसा समय नहीं आया है कि बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों से मुंह मोड़ा जाए। यह एक सर्वदलीय समिति की सिफारिश है जो कि संसद से की गई थी। अब वे उससे पीछे हट रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको बताना चाहिए कि आपकी आपत्ति क्या है और आपको पूरी स्थिति का बखान नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : यह संसद की सर्वसम्मति से पारित रिपोर्ट है। बीमा क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह सरकार के विधायी क्षमता के बाहर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह कहना चाहिए कि आप क्यों विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : यह सरकार की विधायी क्षमता के बाहर है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ जानते हुए आप इस मामले को उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : सरकार इस तरह से नहीं कर सकती है। यह कहा गया है कि यह बीमा अधिनियम, 1938 के दिशा निर्देश पर कार्य कर रही है। एल. आई. सी. आई कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी नहीं है। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत यह कैसे कार्य कर सकती है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, कृपया बात को समझिए कि आपको इस विधेयक का विरोध करने के कारण देने हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : यह गैर–कानूनी है, यह संविधान के अनुसार मान्य नहीं है क्योंकि एल. आई. सी. आई. कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। उनको बीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने के लिए कहा गया है। एल. आई. सी. आई. को बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता। यह एक गंभीर बात है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : एल. आई. सी. आई. के कर्मचारी 1.50 लाख करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। वह इस धनराशि को हमारे आधारभूत ढांचे में लगा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए कि आपने इसके लिए नोटिस नहीं दिया है। यह क्या है?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, यह मामला पूरे देश से सम्बन्धित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. अजित कुमार मेहता

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनि चौबे, बहुत हो गया। मैं आपके व्यवहार को देख रहा हूं। अभी आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, 1973 के पहले बीमा निजी क्षेत्र में था। ...*(व्यवधान)* निजी क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति न होने के कारण इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ...*(व्यवधान)* अब इसमें दूसरी कम्पनियों से अपेक्षाकृत प्रगति हो रही है। ...*(व्यवधान)* यह जो राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की बात सोची जा रही है वह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की याचिका समिति में, जिसकी चर्चा रूपचंद पाल जी ने की, इसमें पहले ही फैसला दिया है कि किसी भी तरह से बीमा क्षेत्र का निजीकरण नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात की तरफ विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, बीमा भारी पूंजी निवेश का क्षेत्र है और इसके कुछ सोशल ऑब्लीगेशंस भी हैं, यह निजी क्षेत्र में चला जाएगा लेकिन निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है तो यह सिर्फ लाभ अर्जित करेगा। उसमें विदेशी लोग भी सम्मिलित होंगे और उनको यहां के सोशल ऑब्लीगेशन से कोई मतलब नहीं होगा, जबकि बीमा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग सोशल ऑब्लीगेशन है, इस आधार पर हम इसका विरोध करते हैं।

महोदय, लोकसभा की पिछली याचिका समिति ने भी इस संबंध में अपना निर्णय दिया। ...*(व्यवधान)* श्रीमती सुषमा स्वराज उसकी अध्यक्ष थीं और मलहोत्रा समिति ने भी इसके विरोध में अपना

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मत व्यक्त किया, इसलिए इन आधारों पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं क्योंकि जैसा कि हमारे साथी श्री रूपचंद पाल ने पहले ही बताया है कि एल. आई. सी. आई. कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। लेकिन यहां इस विधेयक में इसे कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? विधेयक का नाम बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 है। लेकिन सरकार ने दो वर्तमान और पृथक अधिनियमों को संशोधित करने की मांग की है। महोदय, वह दो पृथक और वर्तमान अधिनियमों को संशोधित करने जा रहे हैं। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह एक संशोधित विधेयक है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि यह जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी नहीं किया है कि यह साधारण बीमा निगम (संशोधन) विधेयक है। उन्होंने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है। बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 दो वर्तमान अधिनियमों को किस तरह से संशोधित कर सकता है? यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण और मूल है और वे बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 द्वारा इन अधिनियमों को संशोधित करने जा रहे हैं। बीमा विनियामक प्राधिकरण विद्यमान है। यदि वह इस प्राधिकरण को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वे दो वर्तमान अधिनियमों को संशोधित नहीं कर सकते। वे इस विधेयक द्वारा ऐसा कर सकते हैं?

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : मैं दो या तीन कारणों से इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं। सबसे पहले तो यह कि उनके पास कानूनी अधिकार नहीं है जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा काफी हद तक यह सिद्ध किया गया है और जैसा कि पहले के वक्ताओं और अभी श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा उल्लेख किया गया है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि प्राधिकरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन हमें वर्तमान कानून का संशोधन और परिवर्तन करने के संबंध में आपत्ति है।

अपराह्न 2.00 बजे

सबसे पहले, मंत्री महोदय, आप इस तरह से कानून नहीं बदल सकते। यदि इसे बदला गया तो यह वास्तव में देश के हित, संप्रभुता और एकता को जोखिम में डाल देगा।

दूसरा, हम अपना पैसा विदेशों में नहीं जाने देंगे। एक खजांची अपनी चाबियां अन्य लोगों को नहीं दे सकता। लेकिन यह वही है जो कि अब हो रहा है। इसलिए, मेरा यह विचार है कि यह राष्ट्र के हित के विरुद्ध है। अतः इन दो मुख्य कारणों से मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं। खजांची बाहर किसी को चाबी नहीं देगा।

श्री मोइनुल हसन अहमद (मुर्शिदाबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के विरोध में खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि यह पूर्णतः राष्ट्रविरोधी है और इस समय यह गैर–कानूनी है। यह बहुराष्ट्रीय लोगों के समक्ष पूर्ण समर्पण है जो कि हमारे देश में आ रहे हैं और बीमा क्षेत्र की पूरी वर्तमान प्रणाली को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करना चाहूंगा।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं आरंभ में ही इस विधेयक का पूर्णतः विरोध कर रहा हूं। मेरे विचार में यह एक बहुत असंवैधानिक कार्य है और यह और कुछ नहीं लेकिन देश के हित में नहीं है। सरकार बीमा क्षेत्र, जीवन् बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को बर्बाद करना चाहती है जो कि अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। मेरे अन्य साथियों ने उन सभी कारणों का उल्लेख कर दिया है कि वह इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। अतः हम आरंभ में ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में आपत्ति है क्योंकि यह राष्ट्र के हित में नहीं है कि इसे पुरःस्थापित किया जाए। किसी ने यह कहते हुए वचन दिया है कि सरकार एम. एन. सी. एस. के लिए बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के रास्ते खोल देगी। सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और साम्राज्यवादियों के समक्ष समर्पण कर रही है। वाशिंगटन में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए और वहां दिए गए वचन को सम्मान देने के लिए इस विधेयक को पेश किया जा रहा है। अतः मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, यदि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो कृपया नागपुर से आए संदेश को सुनिए।

डॉ. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, मैं बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 के विरुद्ध हूं। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशानुसार उदारीकरण और सार्वभौमिकीकरण के बाद इस विधेयक को पेश किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश के औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों से संतुष्ट नहीं हैं। वह हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं। यह बहुत हानिकारक और आसंवैधानिक है। अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र इससे संतुष्ट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्य क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण चाहते हैं। पहले वह हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं और वह पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं क्योंकि इसे पुरःस्थापित करना इस विधेयक को पारित करने का सूचक है जो कि इस राष्ट्र के संयुक्त कोष से 1,30,000 करोड़ रु. छीन लेंगे जो कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने विकास के लिए रखे हैं।

दूसरा, हमारे अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि निजीकरण सहायक नहीं है और इसी कारण इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब, हम इस प्रक्रिया को फिर से उलटने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के उलटने से राष्ट्र हित को हानि पहुंचेगी।

तीसरा, जैसा कि श्री अजय मुखोपाध्याय ने कहा था, वह उलटे तरीके से विधेयक पारित करने की कोशिश कर रहे हैं।

वह बिना कुछ कहे और एक भिन्न नाम से दो अन्य अधिनियमों को संशोधित कर रहे हैं। यह एक तरह से लोगों को धोखा देने वाली बात है और पिछले दरवाजे से काम करने वाली बात है। इन सब कारणों से और सरकार जो रास्ता अपना रही है, उस कारण मैं इस विधेयक का आरम्भ में ही विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : नियम 72 के अन्तर्गत। इसमें कहा गया है–

> "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा:"

इस आधार पर यह विधेयक जिसे पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, इस सभा की वैधानिक क्षमता से परे है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : हालांकि कोई पूर्व–सूचना नहीं दी गई है, एक पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : यह नियम 72 के अनुसार है क्योंकि सभा में वैधानिक क्षमता को चुनौती दी गई है। यह नियमों के विरुद्ध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : मैं नियमानुसार यह निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : यह संविधान की प्रस्तावना के विरुद्ध भी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : यह विधान देश के कल्याण के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अब, माननीय मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हमें आधा मिनट बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। आप बाद में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी नियम का सहारा लेकर अपनी बात शुरू करना चाहता था जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया कि यदि यह सदन की लेजिस्लेटिव कंपीटेन्स के बाहर है, तब सदन में चर्चा होगी कि उस विधेयक का प्रारूप सदन में रखा जाए या नहीं। मैं सारे सदस्यों की बातों को ध्यान से सुन रहा था और मुझे यह कहते हुए खेद है कि कहीं से भी कोई इस प्रकार की तर्कसंगत बात नहीं कही गई जिससे यह साबित हो कि यह नियम 72 की परिधि में आता है और इस सदन की लेजिस्लेटिव कंपीटेन्स से बाहर है। यहां पर जो कहा गया कि यह सरकार देश के हितों की रक्षा नहीं करना चाहती है, देश के हितों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, हम देश का सौदा कर रहे हैं, मैं इसे अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मुझे लगता है कि कुछ खुदाई खिदमतगार जो स्वयं को देश का सबसे बड़ा पहरेदार मानते हैं, उनको दूसरों पर इस प्रकार के आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस सदन में हम सब उसी प्रकार चुनकर आए है, उसी जनता के द्वारा चुनकर आए हैं जैसा कोई दूसरा माननीय सदस्य आया है। ...*(व्यवधान)*

मैंने बहुत धैर्य के साथ आपकी बात सुनी है।

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : आपका स्वदेशी जागरण मंच कहां है?

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आपने मेनीफेस्टो में क्या कहा था? ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं कहना चाहता हूं कि हम चाहें या न चाहें, हम सबको उसी जनता के बीच में दोबारा जाना है।...*(व्यवधान)* इसलिए जो बात कही गई है मेरिट के ऊपर बातचीत करने की, मेरिट के ऊपर बातचीत करने का हमें उस समय मौका मिलेगा जब हम इस सदन में इस विधेयक पर विचार–विमर्श करेंगे। उस समय जो मेरिट की बातें उठाई गई हैं, उसका सरकार पूरी निष्ठापूर्वक उत्तर देगी। लेकिन मैं मानता हूं कि यहां पर कोई इस प्रकार की

बात नहीं कही गई है जिससे यह प्रतीत हो कि यह इस सदन की लेजिस्लेटिव कंपीटेन्स के बाहर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका हम आज कोई महत्व नहीं दे सकते हैं।

दूसरी बात हमारे एक बहुत सम्मानित नेता श्री चंद्रशेखर जी ने सरकार की क्रेडिबिलिटी के बारे में उठाई है। उन्होंने तथा कई और सदस्यों ने कहा कि आपने पिछले साल क्या किया था, इस साल आप क्या कर रहे हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा और मैंने पहले भी इस बात को सदन में रखा था कि सरकार में आने के बाद, सारे तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद, ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां पर कि उस पक्ष ने जो सरकार में आए, उन्होंने अपने ढंग से इसे रखने का प्रयास किया और मैं मानता हूं कि शायद यह दुनिया के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक अनूठा उदाहरण होगा कि जो लोग सरकार में थे, जो उस सरकार का समर्थन कर रहे थे, जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे और जो सरकार वह बिल लाई जिसको आज हम ला रहे हैं, वे आज इसका विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हमने विरोध किया था...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : यह जो परिवर्तन हुआ है, इनका मन बदला है, जो इनका दिल बदला है, उसमें मैं राजनीति के अलावा कुछ नहीं देख रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास में लेकर इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसे पिछली सरकार के द्वारा हमने कोई भी इस प्रकार की बात नहीं कही है ...*(व्यवधान)* हम सारी बातें सामने रखना चाहतें है। पिछली बार जब यही विधेयक सदन में आया था तो बार–बार यही पूछा गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : प्रो. कुरियन, मुझे बात समाप्त करने दीजिए।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह विधेयक नहीं है जो कि पिछली सरकार द्वारा पुरःस्थापित किया गया था।

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह विधेयक वही है जो कि भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया उन्हें उनकी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : प्रो. कुरियन, मैंने बहुत धैर्य से सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी है। कृपया दो मिनट के लिए मेरी बात को सुनने का सौजन्य दिखाइए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब उस समय सरकार आई. आर. ए. विधेयक इस सदन में लाई थी तो सदन में बार–बार यही सवाल उठाया गया था कि विदेश पूंजी निवेश के बारे में उस सरकार की नीति क्या है। बार–बार यही पूछा गया था और उस समय की सरकार के द्वारा कोई साफ उत्तर नहीं दिया गया कि विदेशी पूंजी निवेश के बारे में उनकी क्या मंशा है। मै इस बात का श्रेय जरूर लेना चाहूंगा कि हम लोग पूरी सफाई के साथ अपनी नीति को सदन के समक्ष रख रहे हैं। हम कोई बात छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बैक डोर से लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारी सारी बातें सदन के समक्ष हैं और जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी या ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी को जाता है तो दोनों सदनों को उस समय भी इस विचार करने का मौका मिलेगा। जब यह विधेयक यहां आयेगा तो उसके मैरिट्स और डीमैरिटस पर विचार करने का मौका आयेगा। लेकिन जो हमारी सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया गया है मैं उसका पुरजोर प्रतिवाद करता हूं। हम भी उसी निष्ठा, उसी राष्ट्रीय धर्म के तहत यहां काम कर रहे हैं, जिसके बारं में आपको गलतफहमी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने हिम्मत करके परमाणु परीक्षण किया, वह सरकार जो दुनिया की सारी ताकतों के खिलाफ आज पूरी ताकत के साथ खड़ी है, उस सरकार के बारे में यह कहना कि वह वाशिंगटन के प्रैशर के आगे झुक गई है, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि बीमा पालिसी–धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, संप्रवर्तन करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय एक तरह से तो वे ठीक हैं। हमें उनके नजरिए को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* समाजिक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)* एक लाख करोड़ रुपया सामाजिक क्षेत्र को दिया जा रहा है। इस विधेयक में वह सुरक्षोपाय नहीं दिया गया है। अतः यदि आप स्थायी समिति के लिए प्रस्ताव करें तो हम उस बारे में अपनी राय दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब इस पर विचार हुआ था, तो यह तय हुआ था कि यह विधेयक जाइंट कमेटी को जाएगा। जब राज्य सभा से पूछा गया, तो वहां सभी दलों के नेताओं, जिनमें आप (कांग्रेस) के नेता भी थे, सभी ने कहा कि स्टेंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। वे जाइंट कमेटी के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए हमने इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजने का प्रस्ताव किया है। यदि आप चाहते हैं, तो इसे जाइंट कमेटी को भेज दिया जाएगा। अगर जाइंट कमेटी को भेजना है, तो हमें राज्य सभा को पूछना पड़ेगा। यानी दूसरे हाउस से कंसल्ट करना पड़ेगा। वहां के चैयरमैन साहब से बात करके जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)* यह सरकार तैयार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह सरकार इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने को तैयार है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति इस सभा में नियमों का घोर उल्लंघन किए जाने के संबंध में है। मेरा दल विधेयक के पुरःस्थापन का समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन यह जिस प्रकार से किया गया है वह बिलकुल गलत है। यदि कोई सदस्य आपत्ति करता है और मत विभाजन के लिए कहता है तो आपको मत विभाजन की अनुमति देनी चाहिए। आपको नियमों को पढ़ना चाहिए। पिछली बार भी मैंने इस पुस्तिका से नियमों को उद्धृत किया था। नियमों को मान लिया गया था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, उस तरफ से माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं कि उन्होंने डिवीजन मांगा है। हम यहां मौजूद हैं, हमें मालूम है, उधर से किसी ने भी डिवीजन नहीं मांगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल) : महोदय, हम मत विभाजन चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं–नहीं उस समय किसी ने भी मत विभाजन के लिए नहीं कहा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस समय किसी ने भी मत विभाजन के लिए नहीं कहा था।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैं तो चाहता हूं कि नियमों को उचित प्रकार से लागू किया जाए। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप मत विभाजन के लिए कह रहे हैं लेकिन उस समय किसी ने भी मत विभाजन के लिए नहीं कहा था।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : मैंने मत विभाजन की मांग की थी ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मेरा निवेदन है कि सिद्धान्त में हम इस विधेयक को या तो संयुक्त समिति अथवा स्थायी समिति के पास भेजने को सहमत हैं। राज्य सभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् इस मामले के संबंध में मैं कल सभा के समक्ष उपस्थित होऊंगा ... *(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, यह उचित नहीं है। हम मत विभाजन चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.21 बजे

इस समय श्री एन. एन. कृष्णदास, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन सहमत है तो विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन सहमत है तो विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। अब विधेयक संयुक्त समिति को भेजा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न दलों/ग्रुपों के साथ हुई बैठक में सहमति हुई थी कि इसे संयुक्त समिति को भेजा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को ले रहे हैं । अब डॉ. बलराम जाखड़ निवेदन करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं। इस पर पहले ही निर्णय किया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मामला समाप्त हो गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए हम अगली मद पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा। अध्यक्ष पीठ ने निर्णय ले लिया है। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए कार्यवाही यहीं समाप्त होती है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.25 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

(लोकसभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*)

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महिला विधेयक को वापस करिए, यह देश का दुर्भाग्य होगा ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : सभापति महोदया...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 14–नियम 377 के अधीन मामले – पर विचार करेंगे।

श्री हरिन पाठक।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : सभापति महोदया, मैं खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का अवसर दिया था ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदया, वह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : सभापति महोदया, मैं उस समय खड़ा हुआ था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब शून्य काल समाप्त हो गया है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं महोदया।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदया, उस समय श्री बलराम जाखड़ का नाम पुकारा गया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सारा समय 'शून्य काल' नहीं हो सकता।

श्री बलराम जाखड़ : महोदया, मैं खड़ा हुआ था।

श्री राजेश पायलट : वह भी बहुत लम्बे पैरों पर ... *(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : हर कोई देख सकता है कि लम्बा व्यक्ति खड़ा हुआ है। ... *(व्यवधान)* वह भी एक टांग पर नहीं बल्कि दोनों टांगों पर खड़ा हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : वह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते थे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह उन्हें मौका देंगे। कृपया उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, ये कल अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : कल क्यों? मैं खड़ा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको सुनकर क्षोभ होता है ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदया, हमें भी बोलने का समय चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हर कोई अब अपने मुद्दे उठाना चाहता है। इसका कोई अन्त नहीं होगा। इसलिए आप कल अपना मामला उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : सभापति महोदया, कई चीजें ऐसी होती हैं, जो इंतजार नहीं करतीं जो देश की रक्षा के लिए भी हैं, आत्मिक रक्षा के लिए भी हैं और आत्मिक सम्मान के लिए भी हैं और इनके चलने की पद्धति होती है, जिसके बारे में मुझे बात करनी है

...(व्यवधान) मैंने नोटिस दिया हुआ है *...(व्यवधान)* मैं उस समय भी खड़ा हुआ था और मुझे बोलने के लिए अलाऊ भी किया गया था। मैं यह बात कहने जा रहा हूं कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अलाऊ तो बहुत लोग थे, आप कल बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : महोदया, मैं संसद सदस्यों का मामला उठाना चाहता हूं और यह लगभग 2 करोड़ रुपए के बारे में है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। सदस्यों को परेशानी उठानी पड़ रही है लेकिन आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : यह 2 करोड़ रुपए क्या होते हैं? मैं 10 लम्बे वर्षों तक अध्यक्ष पीठ पर रहा हूं जब भी कोई सदस्य खड़ा होता था उसे बोलने की अनुमति दी जाती थी। मेरा नाम पुकारा गया और मुझे बाधित किया गया था *...(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इनका नाम पुकारा, यह खड़े हुए और इन्होंने बोलना शुरू किया। उसी समय इनके बोलने में व्यवधान डाला गया और यह बोल न सके। यह खड़े हुए थे। इसलिए यह अब बोलना जारी रख सकते हैं। यही प्रक्रिया 10 वर्षों से इस सदन की रही है। कृपया उसी प्रक्रिया का अनुपालन कीजिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मेरी समस्या को समझना चाहिए। कई अन्य माननीय सदस्य हैं जो अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। इस प्रकार इसका कोई अन्त नहीं है मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपको कल अपना मुद्दा उठाने का अवसर प्रदान किया जाए।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : महोदया, आप बोलने के मेरे मौके और अधिकार देने से वंचित कर रहे हैं। मैं अपने अधिकार के रूप इसके लिए दावा कर रहा हूं *...(व्यवधान)* दो करोड़ रुपए कहीं नहीं दिए जाएंगे। वे आ जाएंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही हैं। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, परन्तु मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है जबकि उस समय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : अगर उन्हें अनुमति दी जाती है तो हर एक को अनुमति दी जानी चाहिए।*...(व्यवधान)* अगर आप कहते हैं कि 'शून्य काल' पूरा हो गया है तो किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी *...(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : महोदया, मैं विरोध के तौर पर बैठ रहा हूं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे वास्तव में बहुत खेद है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। यह बहुत संवेदनशील मामला है। *...(व्यवधान)* यह वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति का प्रश्न है। यह आज का मुख्य समाचार है। ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरी समस्या यह है कि इसका कोई अंत नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदया, आप क्या कर रही हैं? जो फार्मर स्पीकर रहे हैं, जिन्होंने दस वर्ष तक इस सदन का कुशलतापूर्वक संचालन किया है, आप उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रही हैं, यह ठीक नहीं है। वे इस सदन के बहुत सीनियर मैम्बर हैं और उन्हें बोलने का समय न देकर तो...*

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : सभापति महोदया, कृपया मेरी बात सुनिए* .....माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें समय दे दिया है। उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। आप उन्हें मना नहीं कर सकते।*...(व्यवधान)* उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप चुपचाप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : चूंकि मैं । हल्ला नहीं कर सकता

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृन्तांत से निकाल दिया गया।

इसलिए मैं इसका विरोध के रूप में निवेदन कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं यही कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदया, *माननीय बलराम जाखड़ जी को अध्यक्ष महोदय ने बोलने का समय दिया था और आप उन्हें समय न देकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। श्री हरिन पाठक।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है। कृपया इसे 'शून्य काल' न बनाएं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदया, कृपया मुझे बोलने दें।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री हरिन पाठक के भाषण के सिवा कुछ भी कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.10 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अहमदाबाद रेलवे डिवीजन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सरकार ने अहमदाबाद रेलवे मंडल बनाने का निर्णय लिया है। अहमदाबाद मंडल की घोषणा और इसका उद्घाटन सामारोह पहले ही हो चुका है। लेकिन इस रेलवे मंडल ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है।

अब रेलवे बोर्ड ने नए प्रस्तावित अहमदाबाद मंडल का क्षेत्राधिकार तय करना है। मैं सरकार का ध्यान मंत्रालय में लम्बे समय से लम्बित पड़े मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। जब भी रेल प्रशासन मांग करेगा, राज्य सरकार अपेक्षित भूमि देने को तैयार है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यथाशीघ्र अहमदाबाद रेलवे मंडल के क्षेत्राधिकार को अंतिम रूप से तय करे और इस संबंध में अधिसूचना जारी करे ताकि प्रस्तावित रेलवे मंडल तुरंत अपना कार्य शुरू कर सके।

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री बूटा सिंह : वे माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया मुझे कोई कार्रवाई करने पर मजबूर न करें।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : श्री जाखड़ माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहे हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)* हम इस तरह की अनुमति नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल जो हरिन पाठक जी कहते हैं वही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हद हो गई।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। आपको अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। आप हर समय हल्ला करते हैं। आप सभा की कार्रवाई नहीं होने देते।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : जी नहीं। ...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति महोदया, श्री बूटा सिंह जी, देश के गृह मंत्री रहे हैं और जिस तरह की भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदया, मैं बूटा सिंह जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : संसदीय कार्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ...*(व्यवधान)* यह धमकी देते हैं ...*(व्यवधान)*

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बसु देव आचार्य जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप कुछ तो मान मर्यादा रखिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी बूटा सिंह जी ने जो कहा है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, आप उसे अभी मत निकालिए। ...*(व्यवधान)* क्योंकि हमें भी उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग रोज–रोज हंगामा करके हाउस को चलने नहीं देते हैं। यह क्या तरीका है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : वह बैठ गए हैं। ...*(व्यवधान)* हमने उनकी बात मान ली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि) : उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वे ऐसा नहीं कर सकते।

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, आपको नियम मानने होंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या तरीका है। हर समय जीरो ऑवर चलता रहता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको अपनी भाषा के लिए शर्म आनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोलते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग सब इस तरह से हाउस चलाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं किसी की भी बात न तो समझ पा रही हूं और न ही सुन पा रही हूं। क्या आप ऐसे ही हाउस का काम चलाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली फातमी (दरभंगा) : यह पूरे देश का मामला है। ...*(व्यवधान)* वह धमकी दे रहे हैं, *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चुप रहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसु देव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि गृह मंत्री जी श्री दिलीप कुमार के घर के आगे शिव सैनिकों द्वारा तोड़–फोड़ के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। उस वक्तव्य का क्या हुआ?

[हिन्दी]

खुराना जी, आपने कहा कि गृह मंत्री जी बयान देंगे। ...*(व्यवधान)* आज बयान देंगे ...*(व्यवधान)* वह बयान कहां है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : हमें एक आश्वासन दिया गया था; हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वह बयान देने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप हाउस को तो आर्डर में आने दीजिए। ...*(व्यवधान)* हाउस का तो काम चलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग शांति से बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले नियम 377 खत्म होने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग पहले शांति से बैठ जाइए और नियम 377 खत्म होने दीजिए। उसके बाद ही कुछ होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप इस तरह से शोर मचाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप शांति से नियम 377 खत्म होने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या उसके बाद बयान होगा? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी तो मैंने रूलिंग दी है।

(व्यवधान)

(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर बाई पास के कार्य को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति जी, विगत 8 वर्षों से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 पर बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। पता नहीं क्या कारण है कि यह निर्माण कार्य मंथर गति से चल रहा है। सांसद स्थानीय विकास निधि से रेलवे विभाग को 20 लाख रुपए की धनराशि समतल पारण हेतु दी गई है । वर्तमान में यह समतल पारण यातायात के निकलने हेतु तैयार हो गया है। दिनांक 28 मई, 1998 को परिवहन मंत्रालय से सूचित किया गया था कि 30 नवम्बर, 1998 के पश्चात् यह मार्ग प्रारंभ किया जाएगा किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि विचलन मार्ग से रेलवे समतल पारण से बाईपास मार्ग तुरंत आरंभ किया जाए जिससे दुर्घटनाओं एवं यातायात के संकटों को उबारा जा सके।

(तीन) भारत हैवी इलैक्ट्रकल्स लिमिटेड में ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों को कम्पनी के स्थायी श्रमिकों के बराबर सुविधाएं देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम का प्रतिष्ठान भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि. में ठेकेदारी प्रथा लागू है लेकिन इस प्रथा में जो श्रमिक काम करते हैं, वे प्रतिष्ठान में कार्यरत स्थाई श्रमिकों के समान काम करते हैं जबकि उन्हें वेतन तथा सुविधाएं स्थाई श्रमिकों के बराबर नहीं दी जातीं और आज परिस्थित यह है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. का जो लाभांश है, उसमें सबसे अधिक योगदान ठेकेदार के श्रमिकों का है। इन श्रमिकों को काम करते हुए 10 से 15 वर्ष हो गए हैं।

अतः श्रम मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि वह उद्योग मंत्री महोदय से बात करके प्रतिष्ठान के ठेकेदारी प्रथा के श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के बराबर वेतन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा इनको मनमाने तरीके से न निकाला जा सके।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों में निर्धनता उन्मूलन के लिए विकासपरक कार्यकलापों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता

श्री खगपति प्रधानी (नवरंगपुर) : उड़ीसा के पूर्ववर्ती जिलों, कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट में गरीबी के कारण भुखमरी से कई मौतें होने तथा बच्चों के बेचे जाने के समाचार मिले हैं। इन क्षेत्रों में कई बार सरकारी जांच हुई और इस बात की पुष्टि हुई कि इन क्षेत्रों के निवासी बहुत गरीब हैं और यहां अक्सर सूखा पड़ता है तथा फसलें नष्ट हो जाती हैं। हमारे प्रिय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इन क्षेत्रों के गांव–गांव का दौरा किया था तथा यह विचार व्यक्त किया था कि इन जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तथापि यह प्रस्ताव दसवीं लोक सभा के दौरान ही ठोस रूप ले सका है और तभी से दिल्ली और उड़ीसा के अधिकारी उन जिलों में गए और अधिकारियों के साथ बैठकें की। मैं नहीं जानता कि संसद सदस्य और विधायकों जैसे स्थानीय प्रतिनिधि इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे।

मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में वहां के संसद सदस्यों और विधायकों को चर्चा में सम्मिलित किया जाए और पीड़ित लोगों के बचाव के लिए अविलम्ब तत्काल सहायता राशि आबंटित की जाए।

(पांच) कर्नाटक राज्य में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दो हजार करोड़ रुपए जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : गत दो माह के दौरान तूफान और भारी वर्षा के कारण देश के अनेक भागों, विशेष रूप से

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम राज्यों में भारी तबाही हुई है। केवल कर्नाटक में भी 300 से अधिक लोग मारे गए और हजारों मकान भीषण वर्षा में नष्ट हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में एक हजार से अधिक पशु मारे गए। कर्नाटक राज्य में कुल 2000 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें 1226 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। कर्नाटक के वर्षा प्रभावित जिलों में 12 सदस्यों की केन्द्रीय टीम दौरा कर चुकी है जिसने वहां कुल नुकसान का मूल्यांकन किया है।

भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप 50 करोड़ रुपए की अन्तरिम सहायता ही जारी की जा चुकी है।

अब, केन्द्र से कर्नाटक के प्रभावित जिलों में तुरंत सहायता भेजे जाने की आवश्यकता है।

इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से अनुरोध है कि राज्य सरकार को तुरंत 2000 करोड़ रुपए जारी करें और बिना किसी विलम्ब के कर्नाटक के वर्षा प्रभावित जिलों के लोगों की सहायता करें।

(छह) हज कमेटी का पुनर्गठन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदया, इस वर्ष की हज कमेटी का पुनर्गठन नहीं किया गया है और हज पर जाने की तारीख जल्दी आने वाली है। हज कमेटी को हाजियों की सूची बनानी पड़ती है। हज की जगह पर रहने का प्रबन्ध करना पड़ता है और उनको पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवानी पड़ती है। हज कमेटी के नहीं बनने से इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, खुदा ही जाने। पिछली दफा दो बार हादसे हो चुके हैं और सरकार इस काम में नाहक देरी किए जा रही है, जो खेदजनक है। इन सब के कारण हाजियों का खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको रहने के स्थान महंगे मिलेंगे और कम वक्त में काम करने से कई सुरक्षात्मक प्रश्न भी खड़े होंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार शीघ्र हज कमेटी का पुनर्गठन करे, जिससे हाजी लोग आराम और सुविधाजनक ढंग से यात्रा कर सकें।

(सात) बिहार राज्य में पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सभापति महोदया, बिहार देश में एक ऐसा प्रान्त है, जहां 20 वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि संविधान के 73वें संशोधन में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव होना अति आवश्यक है। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण कार्रवाई का सारा कार्य पंचायत सेवक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराया जाता है। लगता है कि गांधी जी का सपना बिहार में अधूरा रह जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बार-बार यह कहना कि मामला कोर्ट में लम्बित है, सही नहीं है। बल्कि सही यह है कि मामला अभी तक न तो सुप्रीम कोर्ट में स्थगित है और न ही उच्च न्यायालय द्वारा ही पंचायत चुनाव पर रोक लगाई गई है।

अंतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में अविलम्ब पंचायत चुनाव कराकर संविधान की रक्षा करें। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित करें।

(आठ) असम में नगरपालिका-कर्मचारियों को वेतन का नियमित भुगतान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नेपाल चन्द्र दास (करीमगंज) : महोदय, असम में नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को अपना वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा। उन्हें 6-7 महिनों के बाद किस्तों में वेतन मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें आजकल जैसे मुश्किल के दिनों में अपने परिवार की आजीविका चलाने में कठिनाई महसूस हो रही है। असम सरकार नगर पालिका कर्मचारियों का वेतन अदा करने के लिए अनुदान सहायता प्राप्त नहीं कर सकी। असम सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन अदा करने में भी कठिनाई महसूस कर रही है और राज्य में विकास कार्य भी रुके हुए हैं।

असम राज्य सरकार के कर्मचारी नियमित रूप और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन के लिए भी समय-समय पर आंदोलन और धरना कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करे और असम राज्य सरकार को विशेष अनुदान सहायता प्रदान करे ताकि नगरपालिका और राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय पर और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे संशोधित वेतन के समान वेतन दिए जा सकें। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह असम सरकार को निदेश दे कि नगर-पालिकाओं के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित किया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्री बाल ठाकरे कानून से ऊपर हैं। ...*(व्यवधान)* वह तोड़-फोड़ के कार्य में लग गए हैं ... *(व्यवधान)* हमें अपनी राय भी व्यक्त करनी है... *(व्यवधान)* श्री बाल ठाकरे द्वारा तोड़-फोड़ की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कानून से ऊपर हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग शांति बनाए रखें, सबको चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक बार में एक ही माननीय सदस्य बोलें। शांति रखेंगे तो सारा काम ठीक से होगा।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : कृपया चार-पांच सदस्यों की बात सुनें। उसके बाद माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे सकते हैं *...(व्यवधान)* मैं इस संबंध में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, मैंने सुन लिया है।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : आप सभी को दो या तीन मिनट दीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं बिलकुल सुन रही हूं, आपकी ही बात सुन रही हूं। बारी-बारी से अपनी बात कहें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि श्री बाल ठाकरे के सम्बन्ध में और श्री दिलीप कुमार पर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे। हम लोग जानना चाहते हैं कि स्टेटमेंट कब हो रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मुझे इस पर आपत्ति है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : मेरी बात भी सुन लें।

सभापति महोदय : शकुनी जी, आप शांति से बैठिए। एक मामला तो खत्म होने दें। नियम 377 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री जी उस पर रिएक्ट करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जितना आपका लिखित मैटर था, वही काफी है।

श्री शकुनी चौधरी : आप भी बिहार से हैं, आप इस पर सोचें। वहां अभी तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। *...(व्यवधान)* वह करा दें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं मंत्री जी को नहीं कह सकती कि वे रिएक्ट करें। नियम 377 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरी आपत्ति यह है कि कोई कोशिश नहीं की गई थी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* क्या वह कानून से ऊपर हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गृह मंत्री जी बोलना चाहते हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : कम से कम हमारी बात सुनिए। हमें कुछ कहने का अधिकार है। आप सभी की बात सुन रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमें अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): इस पर चर्चा हो गई है *...(व्यवधान)* मैंने कल आश्वासन दिया था कि वे बताएंगे; तो उनको बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : यह मामला कल उठ चुका है। गृह मंत्री जी रिएक्ट करना चाहते हैं, आप सुनिए तो सही। इसे नए सिरे से उठाने की कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : मैं केवल एक मिनट लूंगा। *...(व्यवधान)* आपको मेरी बात सुननी होगी। इस सभा में कल माननीय मंत्री ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैंने कल नहीं उठाया।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولہ): میں نے کل نہیں اٹھایا۔

सभापति महोदय : तो आज आपने नोटिस नहीं दिया है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : इस पर दिया है, जीरो ऑवर नहीं हुआ है ...*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولہ): اس پر یاد ہے، زیرو آور نہیں ہوا ہے۔(مداخلت)

सभापति महोदय : आप शांति से भी बोल सकते हैं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : इन लोगों ने नोटिस नहीं दिया है, फिर भी हाउस में बोलते रहते हैं ...*(व्यवधान)* ये कानून की बात करते हैं, बाल ठाकरे जी को कानून सिखा रहे हैं, पहले स्वयं कानून समझें। ये हाउस में कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि सदन में शांति बनाए रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नए विषय को उठाने की अनुमति नहीं है। अगर सुनना चाहते हैं तो गृह मंत्री कुछ कहना चाहते है; वह सुनें। नहीं सुनना चाहते तो आपकी इच्छा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप भी बैठिए। बूटा सिंह जी आप भी बैठिए।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : गृह मंत्री जी को श्री बाल ठाकरे के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। वह कानून से ऊपर नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : मैं बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। आप सब अपनी जगह पर बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी को कुछ बोलने की अनुमति नहीं है। अगर आप गृह मंत्री जी को नहीं सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : आप इस तरह से सदन नहीं चला सकते हैं। आपको हमारी बात सुननी होगी। आप इस सभा में चर्चा कैसे रोक सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आज डिसकशन का समय नहीं है।*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले आप बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। कृपया मुझ पर दबाव मत डालिए।

अपराह्न 4.31 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

"फायर" फिल्म के प्रदर्शन से संबंधित घटनाएं

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदया, एक तो विलम्ब हो रहा था इस कारण से और जब तक कॉपीज तैयार न हो, हिन्दी भाषांतर न हो तब तक थोड़ा संकोच था। ...*(व्यवधान)* अगर आपकी अनुमति हो तो बिना कॉपीज और बिना भाषांतर के दे दूं?

श्री बूटा सिंह (जालौर) : कल से कहा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप थोड़ा चुप रहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदया, इस सम्माननीय सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने, पिछले शनिवार को मुंबई में श्री दिलीप कुमार के घर पर किए गए प्रदर्शन के बारे में कल, 14 दिसम्बर, 1998 को, चिन्ता प्रकट की थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : इनका नाम यूसिफ खान है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सदस्यों की चिन्ता से सहमत हूं। इस घटना के बारे में सुनने के बाद मैंने प्रदर्शन के बारे में कड़े

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतान्त से निकाल दिया गया।

शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त की थी। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन गुण्डागर्दी या अभद्रता के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है।

माननीय सदस्यों को इस बात की पहले ही जानकारी है कि "फायर" फिल्म की स्क्रीनिंग के विरोध में मुंबई, दिल्ली, सूरत, जयपुर और नागपुर में प्रदर्शन हुए हैं। बताया जाता है कि जनता के कुछेक ग्रुप इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर मुख्यता इसलिए उत्तेजित थे क्योंकि इसका मूल विषय समलैंगिकता है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म की पुनः जांच करने के लिए इसे सेन्सर बोर्ड आफ फिल्म सार्टिफिकेशन आफ इंडिया को वापस भेजा है।

12 दिसम्बर, 1998 को श्री दिलीप कुमार के घर के सामने किए गए प्रदर्शन के बारे में, महाराष्ट्र सरकार से एक रिपोर्ट मंगाई थी। राज्य सरकार के अनुसार, 12 दिसम्बर, 1998 को करीब 12.15 बजे, पाली हिल, बान्द्रा स्थित श्री दिलीप कुमार के बंगले के सामने शिव सेना विधायक, श्री श्रीकान्त सरमालकर के नेतृत्व में शिव सेना के कुछ कार्यकर्ता एकत्र हो गए और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एक याचिका समेत उनके द्वारा "फायर" फिल्म को दिए गए समर्थन के विरोध में प्रदर्शन किए। उनमें से कुछ कार्यकर्ता बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने श्री दिलीप कुमार और श्रीमती शबाना आज़मी के खिलाफ कुछ अभद्र नारे भी लगाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. सोज़, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले समाप्त हो जाने दीजिए। आप शांति से सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर-दक्षिण) : यह कहा गया था कि श्री दिलीप कुमार नंगे लोगों के नेता बन गए हैं। यह टिप्पणी की गई थी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : जब टीचर्स हजारों नंगी मूर्तियां लेकर दिल्ली में आए थे। ...*(व्यवधान)* जब शिक्षकों ने दिल्ली में हजारों नंगी मूर्तियां निकाली थीं तब आपकी शर्म कहां गई थी? ...*(व्यवधान)* अब दिलीप कुमार और महात्मा गांधी बन गए। ...*(व्यवधान)* जब टीचर्स ने हजारों नंगी मूर्तियां निकाली थीं तब क्यों चुप बैठे रहे थे? ...*(व्यवधान)* तब इनकी संस्कृति कहां गई थी? ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : दिलीप कुमार कलाकार है, सरकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले स्टेटमेंट खत्म होने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सूचना मिलने पर खार पुलिस थाने का स्टाफ घटना–स्थल पर पहुंचा और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 के अधीन श्री सरमालकर, विधायक, सहित 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बाद में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले की जांच–पड़ताल की जा रही है। श्री दिलीप कुमार को 1991 के बाद से व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मिली है कि श्री दिलीप कुमार को 1991 से व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस घटना के बाद से उनकी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 7 दिसम्बर, 1998 को, सुश्री दीपा मेहता, "फायर" फिल्म की निदेशिका, सहित श्री दिलीप कुमार और अन्य ने उच्चतम न्यायालय में इस फिल्म की स्क्रीनिंग शान्तिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए कानूनी हस्तक्षेप करने हेतु एक याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा 14 दिसम्बर, 1998 को जारी अपने अन्तरिम आदेश में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को श्री दिलीप कुमार, सुश्री दीपा मेहता और याचिकाओं में अन्य प्रत्यर्थियों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

श्री रूपचंद पाल : महोदया, इसके बारे में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री के वक्तव्य का क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : सूचना राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, सभा नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदया, प्रदर्शन में कुछ गलती नहीं थी ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदया, एक व्यक्ति संविधानेत्तर अधिकारों का प्रयोग करके सांस्कृतिक ...*(व्यवधान)* और मंत्री जी उसको समर्थन दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपके शोर करने से कुछ नहीं होगा। यह कोई तरीका नहीं है कि जब भी बात शुरू हो तो शोर शुरू हो जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदया, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री को अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियमों में ऐसा कुछ नहीं है। श्री सरपोतदार, कृपया नियम 193 के अधीन मामले के संबंध में बात कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू (दक्षिण मद्रास) : महोदया, मुझे आज चर्चा आरम्भ करनी थी। आप कृपया पिछले रिकार्ड देखिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इनके बाद बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदया, माननीय गृह मंत्री जी ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में कुछ नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार जो बोल रहे हैं सिर्फ वही रिकार्ड में जाएगा।

**(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : सरकार दो अलग–अलग बातें नहीं कह सकती है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने जो चाहा था वह हो गया, मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सारा समय जीरो ऑवर चाहते हैं। आपने अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों पर डिसकशन करने के लिए नोटिस दिया हुआ है। आप खुद डिसकशन करना नहीं चाहते तो ठीक है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री अनिल बसु : महोद्रय, नियम 376 के अन्तर्गत।

महोदया, जब सरकार ने शिव सैनिकों द्वारा श्री दिलीप कुमार के घर के सामने की जा रही तोड़–फोड़ के संबंध में इस सभा के समक्ष गंभीरता से वक्तव्य देने का आश्वासन दिया था, वही सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री सरकार के सामूहिक जिम्मेदारी तथा संविधान के नियमों के उल्लंघन में खुले तौर पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

यह मंत्रिपरिषद को सामूहिक जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टी. आर. बालू : सभापति महोदया, मैं उस दिन बोल रहा था।

सभापति महोदय : श्री बालू, मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूं कि रिकार्ड के अनुसार आपने अपना भाषण आरम्भ नहीं किया था। श्री सरपोतदार के बाद आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री टी. आर. बालू : मुझे उस दिन बोलने का अवसर दिया गया था आर मैं बोल रहा था। लेकिन यदि आप श्री सरपोतदार को बोलने का अवसर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, अब आप बोलिए। आपको क्या बोलना नहीं है, आप शुरू कीजिए।

अपराह्न 4.41 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति जी, हमारे यहां "एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनोरिटीज" सब्जैक्ट पर बातचीत शुरू हुई। ...*(व्यवधान)* यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी इस सदन में एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनोरिटीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान जो बाते यहां उठाईं गईं वे सुनकर मुझे और भी हैरानी हुई। ...*(व्यवधान)* हमारे सामने आज यह सवाल है कि आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या हम यही बातें करते रहेंग? यहां पर जो बातें चर्चा

के दौरान उठाई गईं, उसमें कांस्टीट्यूशन के प्रावधान की बात बताई गई। हमारे कांस्टीट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार और अवसर है। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी हम यहां पर माइनोरिटीज के लिए कुछ अधिकार देने की बात करते हैं। जिन बातों को हम भूलना चाहते हैं उन्हीं को यहां दुबारा उठाया जाता है। यह सबसे बड़ी आपत्ति की बात है। मैंने उस दिन माननीय आरिफ मोहम्मद खां जी का भाषण सुना। उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें उठाईं और बातों ही बातों में इस देश की मैजोरिटी कम्युनिटी के खिलाफ सर्कास्टिक रिमार्क्स पास करने की कोशिश की। जब हम माइनोरिटीज पर एट्रोसिटीज की बात करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चार्ज लगाने से काम नहीं चलेगा। उनको अगर कोई आपत्ति है, वह बात बतानी चाहिए। किसी ने गणपति को पिलाया, यह उन्होंने अपनी बातों में कहा था। एक धर्म के ऊपर इस ढंग से उन्होंने हमला करने की कोशिश की। ...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : ये लोग बोल रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : शकील जी, मैं आपको जानता हूं। यह बात नहीं है कि आपको पहचानता नहीं हूं। आज देश की हालत देखिए। जब हजरत साहब का एक बाल कहीं गुम हो गया तो पूरे देश में हंगामा हुआ था? यदि कोई कहता है कि गणपति ने दूध पी लिया है तो उससे क्या किसी को कोई आपत्ति या तकलीफ है? ऐसा कह कर किसी के धर्म की आलोचना की जाती है। ऐसा कौन सा धर्म है जो ब्लाइंड फेथ से आगे बढ़ता है। यदि कोई ऐसी बात बताएगा तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. शकील अहमद, वह आपसे सहमत नहीं हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : अगर माइनॉरिटीज पर अत्याचार की बात की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसी बातें करते समय एक–दूसरे को टोकने का काम चल रहा है जो कि ठीक नहीं है। कश्मीर में कौन माइनॉरिटी में है? वहां पंडित माइनॉरिटी में हैं। 1991 के बाद करीबन 4 लाख पंडित जम्मू और दिल्ली में रह रहे हैं। उनके प्रति किसी के दिल में कोई सद्भावना नहीं है। ये पंडित देश के हर कोने में हैं क्योंकि वे कश्मीर में रह नहीं सकते। यह अत्याचार किस कारण हुआ ? ...*(व्यवधान)* मैं अहमद जी से इतना कहूंगा कि जब वह भाषण कर रहे थे तो मैंने कोई टोका–टाकी नहीं की। मैंने हरेक बात ध्यान से सुनी। जो बातें यहां कही गईं, उनका जवाब देने की आवश्यकता है। मुझे मजबूरन यहां बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा। नहीं तो मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं थी। जिस ढंग से हर बात को यहां कहा गया, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैंने कागज मंगवाए हैं। वे कागज आने पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था, मैं पढ़ कर बताऊंगा।

सभापति महोदय : आप शांति से डिसकशन चलने दीजिए। एक दूसरे की बात शांति से सुनिए। ऐसे में हाउस ठीक से चलेगा।

श्री मधुकर सतपोतदार : मैं किताब लेकर नहीं आया। मैंने सोचा था कि पहले एस. सी. और एस. टी. पर डिसकशन होगा और बाद में इस पर डिसकशन होगा। इस दौरान मैं सारे कागज ले आऊंगा लेकिन मैं ला नहीं पाया। यदि वे कागज आ जाते तो

[अनुवाद]

मैं प्रत्येक उस उद्धरण को उद्धरित करना चाहूंगा जो कि सम्माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिए हैं।

[हिन्दी]

बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानन्द ने क्या कहा था, यह बात यहां उठाई गई। आरिफ मोहम्मद खां की तरफ से हिन्दू धर्म सिखाने की कोशिश हुई वह यहां नहीं हैं। मैंने उनसे कहा था कि जब मैं अपनी बात यहां रखूंगा तो आप उपस्थित रहना। जो आपत्तिजनक बातें यहां कहनी नहीं चाहिए, वह उन्होंने कहीं। मैंने जो कुछ कहा है, आप उसे देखिए।

[अनुवाद]

"आप न्याय कीजिए क्या उन्होंने कोई गलती की है, वह माफी मांगने के लिए तैयार थे।

[हिन्दी]

मैंने बड़े अच्छे ढंग से हर चीज को देखा। मुझे एक बात का पता लगा। यह पुरानी बात है कि कैसे लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने ये बातें बताने के लिए गणपति की बात कही। इसलिए मुझे आपत्ति है। जो बातें जिस ढंग से आगे जानी चाहिए थी, उस ढंग से वे नहीं कही गईं और जो बातें यहां कहने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें यहां उठाया गया जो बड़ी आपत्तिजनक हैं।

इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा था कि जब मैं अपनी बात यहां कहूंगा तो वह उपस्थित रहेंगे। उन्होंने आर. एम. एस. और बजरंग दल की बात कही। यहां बहुत सारी बातें कही गईं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या आर. एस. एस. और बजरंग दल ने इस देश के खिलाफ कुछ काम किया? वे इस देश को बचाने वाले लोग हैं।

[अनुवाद]

हमें उन पर गर्व है। इस देश को जो सेवाएं वह प्रदान कर रहे हैं वह देश के हित में हैं, न कि देश के हितों के विरुद्ध हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपके नेता बोल रहे हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (पुणे) : पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था : "आर. एस. एस. दूसरी सैन्य शक्ति है जो कि इस देश को नियंत्रित कर रही है।"

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : यहां बाबरी मस्जिद के ढांचे की बात उठी थी। उसके बारे में डॉ. बाबासोहब अम्बेडकर ने जो लिखा था, मैं वही कहना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद को मैं मस्जिद नहीं कहता हूं, मैं उसको ढांचा कहता हूं, उसके बारे में उन्होंने यह कहा था–

[अनुवाद]

"कुछ अन्य मुस्लिम नेता कुछ अन्य तर्क देते हैं। वह कहते हैं, आज हिन्दू तीन स्थानों के लिए कह रहे हैं, कल वह तीन हजार स्थलों के लिए कहेंगे।" उन्हें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विश्व हिन्दू परिषद् हिन्दुओं के महान प्रतिनिधि हैं और हिन्दुओं का जिम्मेदार संगठन है और उन्होंने केवल तीन स्थलों के लिए कहा है और जो लोग हद से ज्यादा मांग कर रहे हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन विवाद को निपटाने का इरादा नहीं लगता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमारे देश में वंदेमातरम् की बात उठी थी, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि वंदेमातरम् कौन नहीं करता था। क्या डॉ. अबुल कलाम आजाद वंदेमातरम् नहीं करते थे? मेरा सवाल। ...*(व्यवधान)*

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : सभापति महोदय, इस तरह का भाषण नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान का पार्लियामेंट सेक्युलर पार्लियामेंट है। यह जो बोल रहे हैं वह देश की स्पिरिट और पुरानी ट्रैडीशंस के खिलाफ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

सभापति महोदय : श्री राय, कृपया दूसरों को परेशान नहीं करिए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदय, मैं जो भाषण कर रहा हूं वह जो चर्चा यहां हुई है, उसके मद्देनजर भाषण कर रहा हूं। मैं उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं और कोई बात नहीं उठाऊंगा। हर स्पीकर ने जो बातें यहां उठाई थीं, मैं उनके रेफरेन्स में ही बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जब आपका टर्न आयेगा, तब बोलियेगा।

श्री मधुकर सरपोतदार: जब वंदेमारम् का सवाल आता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में डॉ. अबुल कलाम आजाद, डॉ. रफी अहमद किदवई और अन्य सभी लोगों ने वंदेतारम् का नारा देकर ही देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश में यह चर्चा चल रही है कि वंदेतारम कहना ठीक है या नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह आजादी के लिए यह एक मंत्र था और आजादी के बाद भी इसे एक मंत्र मानना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री मधुकर सरपोतदार : इस देश के किसी भी नागरिक को यह नहीं कहना चाहिए कि वह वंदेतारम् नहीं कहेंगे।

मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि यहां उस दिन सलमान खान फिल्म एक्टर के बारे में बात निकली थी। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए यह आपत्ति क्यों है, क्योंकि दिन में करीबन 15 बार ये लोग नमाज पढ़ते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो उनका सिर मिट्टी को लगता है, जब मिट्टी में सिर लगता है तो वंदेमातरम् कहने में कैसी आपत्ति है, यह मेरा सवाल है, इन्हें उसका जवाब देना चाहिए। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी को भी धरती या भूमि के सामने झुकने में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इस देश में ऐसी घटनाएं न होने दीजिए। यह सही नहीं है। आपको दवाब नहीं डालना चाहिए। इस धर्मनिरपेक्ष भारत में आपत्ति का प्रश्न ही नहीं है। आप इस पर दवाब नहीं डाल सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : इसमें क्या गलत बात है? ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : जिस तरह से आप बात कह रहे हैं यह भड़काने वाली बात है। यह गलत है। ...*(व्यवधान)* वह प्रश्न नहीं उठाइए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आप अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्होंने उस दिन जवाब दिया था इसलिए मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला था कि मां के पैरों पर कोई सिर नहीं रखता है, लेकिन मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांत पाटील (हिंगोली) : आजादी की लड़ाई में आपने वंदेमारतम् क्यों नहीं कहा था, तब तो आप अंग्रेजों के साथ थे। अभी आप क्यों ढोंग कर रहे हो? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है। यह कहना बिलकुल गलत है कि सिर्फ आप लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ चुका हूं।

सभापति महोदया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आप जो बोल रहे थे, उसी पर आइए। आप अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, यह क्या हो रहा है, क्या यह अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचारों के विषय पर चर्चा हो रही है? यह क्या भाषण हो रहा है? महोदया, यह तो नियम में है कि यहां पर ऐसा कोई भाषण नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए। यह क्या बात है कि जब तक मैं खड़ी नहीं होती हूं, तब तक आप बैठते नहीं हैं, ऐसा क्यों?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप चुप नहीं होंगे। आप चुप बैठिए। जब आपकी बोलने की बारी आए, तब आप जवाब दीजिए। आप लोग शान्ति से सुनिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कवाड़े जी, आप बैठिए। कवाड़े जी, जब मैं खड़ी हूं, तो आपको बैठना चाहिए। कवाड़े जी क्या आप आसन की भी आज्ञा नहीं मानेंगे?

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : धन्यवाद मैडम।

सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे श्री पी. शिव शंकर जी यहां पर भाषण कर रहे थे। मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सरपोतदार जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोवोक मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदया, मैं भी आखिर डैमोक्रेटिक हूं। मैं क्यों न बोलूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : सभापति महोदया, जब उन्होंने श्री गणपति जी के बारे में बात करके हमें प्रोवोक किया, तो हमने आपको सुना, फिर आप हमें क्यों नहीं सुन रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदया, श्री शिव शंकर जी, इस सदन में बहुत सालों से हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस सदन के बारे में जानकारी नहीं है। आपका नाम माता–पिता ने पी. शिवशंकर रखा है और शिव हमारे भगवान हैं और हमें रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन आप हमें रास्ता न बताकर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जो इस देश से नफरत करते हैं, उन्हें चुन–चुन कर हमें सामने लाना चाहिए। आज हमें सबसे बड़ी शक्ति और सबसे अधिक ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस देश से प्यार करते हैं। आज हमें देश से प्यार करने वाले लोग चाहिए, फिर चाहे वे विश्व हिन्दू परिषद के हैं, बजरंग दल के हैं या फिर किसी भी दल के हों, हम उसका स्वागत करते हैं। यदि आप भी देश प्रेम करते हैं, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। मैंने यह भी देखा है कि नरसिंह राव जी, आजाद कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में सिर्फ आजाद कश्मीर के बारे में बात होगी, लेकिन उसके बाद, पता नहीं क्या हुआ कि हम आजाद कश्मीर के बारे में बात ही नहीं करते हैं। जब हमारे पंथ प्रधान वहां गए थे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि आजाद काश्मीर हमारा है और जब तक आजाद काश्मीर के बारे में बात नहीं होगी तब तक आगे बात नहीं करेंगे और हम आजाद कश्मीर सहित अपने देश की एक इंच भूमि भी दूसरे को नहीं देंगे। उनके इस वचन की रक्षा करना हमारा आप सबको धर्म है। वह इस सदन का, प्रस्ताव है। इस पार्लियामेंट ने पारित किया है। इस सदन द्वारा पारित प्रस्ताव की इज्जत करने का काम किसका है, मैं इस सदन से, आपसे पूछना चाहता हूं?

सभापति महोदया, रोज लोग मरते हैं, क्या कारण हैं कि जम्मू–कश्मीर में नार्थ इस्ट में रोज हमारे लोग मरते हैं। अभी आज सुबह ही बताया गया कि नार्थ इस्ट में औसतन 80 आदमी मरे हैं, ये। कौन लोग हैं, ये अपने ही आदमी हैं जिनको दूसरे देश के आतंकवादी गोलियों का निशाना बना रहे हैं और हम लोग अपने आदमियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज देश की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए यदि उन आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारना पड़े, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने देश के भोले–भाले नागरिकों को बिना कसूर गोलियों से भूनें उनके साथ किसी प्रकार का कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर के किसी सदस्य को कोई मार दे, तो क्या आप देखते रहेंगे? जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है वे हमारे देश के लोगों को मारते हैं और हम उनके बारे में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ यहां बात करते हैं और कुछ नहीं होता है।

अपराह्न 5.00 बजे

यह हमारे देश की सबसे बड़ी आपत्ति है।

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति जी, अभी श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, उसके बारे में भी आप कुछ बोलिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : सरकारिया कमीशन के बारे में कहूंगा। ...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद : सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में आपकी पार्टी के सब लोगों का नाम हैं। ...*(व्यवधान)* आप इनसे पूछिए कि इन्हें उसके बारे में कुछ कहना है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : डॉ. शकील अहमद जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सारे सदन में ऐलान करना चाहूंगा कि श्रीकृष्ण कमीशन के बारे में आपको जो जानकारी है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद : उसमें आपका और आपकी पार्टी के सब लोगों का नाम है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : उसके बारे में आपको जो जानकारी है, उससे कहीं ज्यादा जानकारी मुझे है। आप हाउस में उस पर बहस करने के लिए कहिए, मैं डिसकशन करने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री मधुकर सरपोतदार : सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है, वह मुझे मालूम है। उसे आप नहीं जानते हैं। मुंबई में क्या हुआ, आप नहीं जानते हैं। बिहार में क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूं। जो जानकारी नहीं है, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है।

अपराह्न 5.01 बजे

(श्री के. प्रधानी पीठासीन हुए)

सभापति जी, कल एट्रोसिटीज की बात निकली थी। एट्रोसिटीज क्या है? एक अभिनेता के घर के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, हमारी आपत्ति है, यही एट्रोसिटीज है। कौन–सा एट्रोसिटीज है। हमारे परिवार में क्या लेस्बियन कल्चर है? एक फिल्म में किसी ने अपने पति को छोड़ दिया और दो पत्नियां मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, दोनों ने सेक्सुयल रिलेशन रखा है, उसमें एक बूढ़ी मां है, मां कहती है कि हमें रामायण के बारे में बता दो, उसे ब्लू फिल्म दिखाई जाती है। ऐसी फिल्म हमारे देश में दिखाई जाती है, इसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए। हमको पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। ऐसी फिल्म से हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का लगा है इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार, कृपया अन्य सदस्यों को सम्बोधित करने की बजाय मुझे सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने गवर्नमेंट को ही बोला है। हमारी गवर्नमेंट है इसलिए मैंने गर्वनमेंट से कहा है। 21 अगस्त को इसका एप्लीकेशन गया, 22–23 अगस्त को शनिवार और रविवार था, 24 अगस्त को सुबह सर्टिफिकेट मिला। कैसे मिला, इसको तलाश करने की आवश्यकता है। हमारी गवर्नमेंट इसे जरूर तलाश करेगी। हमने पहले बोला है कि इन्हें इसकी जानकारी देने की आवश्यकता है। मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। इसकी देखभाल का काम इन लोगों का है।

सभापति जी, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त हुए आज 6 साल होने के बाद भी उस पर रोने वाले बहुत से लोग हैं। किसको मुसलमानों से या बाबरी से प्यार नहीं है? मुसलमानों का खाली वोट लेने के लिए हर बार बाबरी मस्जिद की बात निकलती है इसलिए यहां पर सब कूदकर वेल में आ जाते हैं यह कौन सा तरीका है? क्या आप दुबारा बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा करने वाले हैं, नहीं इनको मुसलमानों का वोट चाहिए इसलिए वे यहां पर झगड़ा खड़ा करते हैं। जो हो गया, हो चुका, उसको वापिस नहीं कर सकते। किसी भी हालत में नहीं कर सकते, यह जानकारी होने के बावजूद भी हम लोग जब यहां ऐसा मुद्दा उठाते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बारे में देखने और कदम उठाने की आवश्यकता है। बाबरी मस्जिद के लिए कोई भी कॉमन मुसलमान नहीं रोता बल्कि सभी राजनीति करने वाले लोग रोते हैं। हमारी कांस्टीटुएंसी में बहुत से मुसलमान रहते हैं। मैं उनके पास जाता हूं, उनके काम करता हूं और वे भी मेरे पास आते हैं लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान ने चाहे वह आदमी हो या औरत, किसी ने भी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई इसलिए हमने खाना नहीं खाया या हमको रात में नींद नहीं आती। ऐसा सिर्फ राजनीति करने वाले लोग कहते हैं जिनका वोट चला गया है। जिनको वोट चाहिए, वे भी चिल्लाते हैं। आज मुसलमान वोट कांग्रेस के पाले में चले गए, तो अभी समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाने लग जाएंगे। जब समाजवादी पार्टी के पास उनके वोट थे तो कांग्रेस वाले चिल्लाते थे। ...*(व्यवधान)* उसके लिए रोने से क्या फायदा है। वह वापिस नहीं आने वाली है। वह तोड़ दी गई है तो वापिस नहीं आने वाली है। ...*(व्यवधान)* हमने तोड़ा यह किसने बोला है। हम यह नहीं कहते कि हमने नहीं किया। किया तो किया, एक बार नहीं बार–बार हम बोलते हैं कि हो गया। ... *(व्यवधान)* अगर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं भी बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : सी. पी. आई. के बारे में मैं कहूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 22 सालों से आप वैस्ट बंगाल में राज कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या आपके वैस्ट बंगाल में एट्रोसिटीज माइनॉरिटीज के लिए नहीं है?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप दावे के साथ बोलिए। मैं आपको मिसाल देता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनल बसु : बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें सब हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : अभी यहां पर ममता बनर्जी नहीं हैं। अगर वह होतीं तो वह भी बता देतीं कि क्या एट्रोसिटीज है। आप एक आईडियोलॉजी लेकर राज करते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि आप राज करते हैं। एक जमाने में मैं भी आपके इस वर्ग में था तभी मुझे पता है कि कम्युनिस्ट कौन से ढंग से काम करते हैं। मैंने हाउस में भी इसके बारे में बोला था कि यदि कुछ सीखना है, कुछ सोशल या राजनीतिक काम करना है तो आप उनके पास पढ़ सकते हैं।

लेकिन उसके बाद जब उसे अमल में लाने का सवाल आया, मुझे तब पता लगा जब चीन ने हमारे ऊपर अतिक्रमण किया, वे एकदम बदल गए और कहने लगे कि चीन हमारा दोस्त है। ...*(व्यवधान)* यह बात उस समय की है। इसलिए मैंने इनकी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद भी मैं आर. एस. एस में था, ऐसा नहीं है कि मैं आर. एस. एस. में नहीं था लेकिन आर. एस. एस. में मुझे कभी ऐसी शिक्षा नहीं मिली। ऐसा अनुभव नहीं मिला कि देश के खिलाफ बात करो, देश के खिलाफ काम करो बल्कि ऐसी शिक्षा मिली कि देश का मान ऊंचा करो। उसके बाद मैं शिव सेना में आ गया और जब से शिव सेना में आया तब से एक शिव सैनिक की तरह, आज भी नेता होने के बावजूद कहता हूं कि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक की सबसे पहली ड्यूटी यह है कि लोगों की सेवा करो। मैं सेवा करता हूं और मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है। हम सेवा करने वाले हैं इसलिए चुनकर आते हैं। मुंबई शहर में आकर कान्टैस्ट करो, चिल्लाओ, आपको पता लगेगा कि चुनाव कैसे लड़ना पड़ता है। वहां पर बंगाली लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सभी कौम के लोग हैं। वे हमारा काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनकी सेवा करूंगा। इस देश में उस बात का विश्वास होना चाहिए। ऐट्रॉसिटी पर चर्चा करने के बावजूद जो हम साढ़े पांच सौ लोग यहां चुनकर आए हैं, यदि हम यह सोचेंगे कि अपनी कान्स्टीटुएंसी में हम किसी को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देंगे जिसमें ऐट्रॉसिटी आ जाती है--उस पर अमल क्यों नहीं करते? बातें बहुत करते हैं। हमें चाहिए डॉ. शकील अहमद जैसे व्यक्ति। मैं बोलता हूं क्योंकि उन्होंने हमारी कमेटी में काम किया, मेरे साथ आते हैं, मैंने उन्हें नजदीक से देखा है, ऐसी विचारधारा रखने वाला आदमी यदि हमारे साथ रहेगा तो हम लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं, यहां पर क्या बात करते हैं, वह छोड़ दो। ...*(व्यवधान)* बहुत सारे लोग हैं। कभी--कभी श्री बनातवाला से हमारी नहीं जमती, यह हकीकत है। लेकिन मैंने देखा है कि यही श्री बनातवाला जब कोई भी काम करते हैं तो अध्ययन करके करते हैं, लगातार आठ--आठ घंटा हाउस में बैठे रहते हैं, हर समय ऐसा प्वाइन्ट उठाते हैं। ... *(व्यवधान)* श्री बनातवाला से हमारी क्या दुश्मनी है। हमें मालूम है, हमारी दोस्ती क्या है, वह भी हम जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, उन्हें कितना समय दिया गया है?

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : ऐट्रोसिटी की बात चल रही है। ...*(व्यवधान)* श्री आरिफ मोहम्मद ने कितना समय लिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : राजनीति कैसे होती है, मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। हमारे श्री राम विलास पासवान ने उस दिन यहां खड़े होकर बात की थी। वे भी रेलवे मिनिस्टर थे, श्रीमती रामा बाई अम्बेडकर नगर, मुंबई में कुछ आपत्ति हुई। ये वहां चले गए और उन्हें बोला कि वे दादर का नाम चैत्यभूमि करेंगे। ऐलान कर दिया। अभी रीसैंटली जब गए तो उन्हीं लोगों से यह कहा कि यदि उसका नाम चैत्यभूमि करना है तो जब तक महाराष्ट्र शासन उसके बारे में प्रस्ताव मंजूर नहीं करता, हम नाम में बदलाव नहीं कर सकते। यदि इन्हें यह जानकारी थी तो उस समय जाकर आपने क्यों घोषणा की। इसी का नाम राजनीति है और मैं इसी राजनीति से नफरत करता हूं क्योंकि जो काम होने वाला नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, लोगों को गलत रास्ता दिखाना और बाद में ऐट्रॉसिटी, कुछ झगड़े हो जाएं, दंगे हो जाएं तो बोल देना और कुछ नहीं तथा हमारे देश की जो मैजोरिटी कम्युनिटी है, उस पर सीधा दोष का ठप्पा लगा देना कि इस देश के हिन्दू बहुत खराब हैं, ठीक नहीं। उस दिन श्री सत्यपाल जैन ने बात की कि हमारे पचासी फीसदी लोग हिन्दू हैं, आप सब लोग चुनकर आते हैं, उस पर आपत्ति जताई गई। यह मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं। मेरे पास फिगर्स भी हैं, चाहें तो कोई भी आकर देख सकते हैं। 1991 की सैन्सस के अनुसार हमारे देश में जो आबादी थी, उसके बारे में हमारे पास सब फिगर्स हैं। तब की जनसंख्या यदि इतनी है तो यह हकीकत है कि हमारे देश में मुसलमान लोग आ गए, हमारे देश में क्रिश्चियन लोग आ गए, हमारे देश में अन्य लोग आ गए, उनका स्वागत हुआ, यहां से किसी को भगाया नहीं गया। ...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद : आप कहां से आए हैं, यह बता दीजिए। ...*(व्यवधान)* चैयरमैन साहब, जरा इनसे पूछिए कि ये कहां से आए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब आपकी बारी आए तब आप बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : शकील जी, आप इतिहास मत बताना शुरू कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : हमारे देश में कितने मंदिर गिराए गए, मैं पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मेरे पास सब फिगर्स हैं। ...*(व्यवधान)*

हमारे देश के अन्दर कितने मंदिर गिराए गए, क्या कोई रोने के लिए यहां आया? पूरी दुनिया के अन्दर किस–किस देश में कितने मंदिर गिराए गए, यदि यह देखोगे तो आपको यह पता लगेगा। एक बाबरी का ढांचा गिराने के बाद हजारों मंदिर तोड़े गए, यदि कभी हमारा देश आपत्ति करता तो क्या होता। एक हिन्दू समाज ऐसा है कि सबको साथ में लेकर आगे जाते हैं। यह सब हिन्दू हैं, हमारे साथ हैं, देश के साथ हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, आप सदस्यों को भड़का रहे हैं। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यदि वह मुझे बीच में टोके नहीं तो मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं आपकी ओर देखूंगा। ..*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, कृपया इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दीजिए। यह हम सबके लिए शर्म की बात है। चर्चा का विषय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। लेकिन वह मन्दिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। उन्होंने, दरा बार मन्दिर और बाबरी मस्जिद का उल्लेख किया है। वह अल्पसंख्यकों के संबंध में बात ही नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि असंसदीय भाषा प्रयुक्त की गई है तो मैं उसे कार्यवाही से हटा दूंगा।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल) : क्या आप तो जानते हैं कि कार्यवाही वृतान्त में पहले ही क्या चला गया है। आपको आरंभ में ये आपत्ति उठानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : हाउस को हम लोगों को सुनना ही पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* माइनोरिटी की बात कैसे यहां पर उठाई गई, यह मेरी आपत्ति नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, यदि माइनोरिटी एट्रासिटीज के बारे में बात होती,

[अनुवाद]

तो मैंने उसका स्वागत किया होता। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के पश्चात् क्या हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं? क्या यह हमारे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है?

[हिन्दी]

यह मैं पूछना चाहता हूं? कांस्टीट्यूशन में क्या लिखा है, मैं यह बोल रहा हूं। कांस्टीट्यूशन में यह लिखा हुआ है, इस कांस्ट्रीट्यूशन की इज्जत रखने का काम हमारा है, हम सब मिलकर यदि उसको रखेंगे तो यह आपत्ति हमारे इस सभागृह के अन्दर माइनोरिटीज के बारे में करने का सवाल ही नहीं आता। माइनोरिटी, मैजोरिटी, सब लोग एक ही हैं, एक इंसान हैं और हर इंसान को हमारे देश का जो कांस्टीट्यूशन है,

[अनुवाद]

वह इस देश में विदेशियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है।

[हिन्दी]

यहां पर बंगलादेशी लोग आते हैं, उनको बाहर कर दिया तो नाचना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी लोग आते हैं, यदि उस बारे में बात करें तो सब लोग यहां पर कूदते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, मेरा एक ही कहना है कि एट्रासिटी कहां से आती है?

[अनुवाद]

अत्याचार तभी होते हैं जब किसी समुदाय विशेष अथवा किसी ग्रुप अथवा लोगों के किसी समाजिक स्वरूप पर जान बूझ कर सख्ती की जाती है। इसके बाद ही अत्याचार का प्रश्न आता है। वहां उस प्रकार का कुछ नहीं है। जो हो रहा है वह इस देश में दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं के कारण ही है।

[हिन्दी]

कोई जाकर किसी औरत के ऊपर बलात्कार कर देता है, करने वाले का नाम किसी को पता नहीं लगता है, औरत दलित है, मुसलमान है या हिन्दू है, यह कोई नहीं जानता है, फिर भी जब बलात्कार होता है। ...*(व्यवधान)*

[अनवाद]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप इसे उठा रहे हैं।

श्री मोतीलाल बोरा : महोदय, हम नियम 193 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। इन्होंने नियम 376 के अन्तर्गत इसे उठाया है। सम्भवतः शोर के कारण यह सुनाई नहीं दिया था। प्रश्न यह है कि सदन अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों पर चर्चा कर रहा है। माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं माना है कि अत्याचार हुए हैं लेकिन ....* शिव सेना से हमारे सहयोगी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, क्या यह माननीय सदस्य को...* के रूप में सम्बोधित कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : यह क्या हो रहा है ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं। आप बार–बार खड़े हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : महोदय क्या हम किसी को भी... कह कर बुला सकते हैं?

क्या वह कार्यवाही वृतांत में जाएगा? उस स्थिति में हर कोई दूसरे व्यक्ति को... कह कर बुलाना शुरू कर देगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय मैं डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर की पुस्तक से उद्धृत कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं इन व्यवधानों के कारणों से समय ले रहा हूं। मुझे इन व्यवधानों के कारण विषय से व्यर्थ में हटना पड़ा है। मैंने किसी भी सदस्य के भाषण में व्यवधान नहीं किया।

सभापति महोदय : आप विपक्ष को सम्बोधित कर के आफत मोल ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इतनी बार कहने से भी नहीं बैठते।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : डॉ. अम्बेडकर ने इस्लाम के सम्बन्ध में जो कहा था उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा।

"यह इस्लामपन का आधार है इसी के कारण भारत में प्रत्येक मुसलमान कहता है कि वह मुसलमान पहले है भारतीय बाद में है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बार–बार बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : हम महसूस करते हैं कि हम भारतीय पहले हैं। हम इस देश के निवासी हैं जहां हम पैदा हुए हैं और हमारा लालन–पालन इसी देश में हुआ है।

जब मैं हकीकत बोलता हूं तो उनको बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं क्या करूं।

श्री एन. के. रामचन्द्रन (किवलोन) : महोदय, इनका भाषण गैर जिम्मेदाराना है। यह कह रहे हैं "हम हिन्दू हैं और आप मुसलमान हैं।" यह सही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : यहां पर दिलीप कुमार की बात हो रही थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमांजम (बडागरा) : यह अत्यंत भड़काने वाला भाषण है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप पुस्तक मं केवल एक ही पंक्ति पड़ रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है। कृपया पूरा पैराग्राफ पढ़िए। यह पूरा पैराग्राफ है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने शान्ति से प्रत्येक वक्ता को सुना है। मैंने किसी को बाधा नहीं पहुंचाई। उन्होंने बेकार में हमारे धर्म के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। कृपया समाप्त कीजिए। श्री टी. आर. बालू अब आप बोलिए।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरी आपत्ति यह है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप समाप्त करें, मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए पुकार रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : कृपया कार्यवाही वृतान्त देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : माननीय सदस्य को जिस सूचना की अपेक्षा है वह मैं उसके साथ बांटने के लिए तैयार हूं। समाप्त करते हुए मैं। यही कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ बोल दूंगा तो आपका अपमान हो जाएगा, ऐसा मुझे डर लगता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको समाप्त करना पड़ेगा। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : इस प्रजातंत्र में हमें अत्याचारों के बारे में विचार करने के लिए ऐसे संकल्प नहीं लाने चाहिए। हम सभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं लोगों द्वारा चुने गए हैं। हर व्यक्ति, हर संसद सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह देखे कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अत्याचार की घटना न हो। यदि उसके ध्यान में ऐसे अत्याचार की घटनाएं आती हैं तो वे सीधे गृह मंत्री के पास जाएं और उन्हें कहें कि ऐसी घटना घटित हुई है और वह इस पर तुरन्त कार्यवाही करें। ऐसा रवैया होना चाहिए। यह करने के बजाय हम पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और पिछले 50 वर्षों से हम अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों और अन्य वर्गों जैसे विषयों पर बार-बार चर्चा कर रहे हैं। इस देश का निवासी होने के कारण हमें महान देशवासी की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस देश की समृद्धि, प्रगति और देश हित में हमें मिलकर कार्य करना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, शिव सेना के एक सदस्य अभी बोले हैं अतः अब मुस्लिम लीग के सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाए। कृपया मुझे बोलने के लिए बुलाइए।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री टी. आर. बालू : सभापति महोदय , डी एम के की ओर से माननीय आरिफ मोहम्मद खां द्वारा सदन में लाए गए 'अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार सम्बन्धी' विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। न केवल सदन और हमारे महान राष्ट्र ने बल्कि पूरे विश्व ने 10 दिसम्बर को "मानव अधिकार दिवस" के रूप में मनाया है और हमें गर्व है कि मानव अधिकार के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में हम भी शामिल हैं। लेकिन महोदय, क्या हम कड़ाई से घोषणा का पालन कर रहे हैं? यदि हम वास्तव में इसका पालन करते हैं तो अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों पर विचार करने की आवश्यकता क्या है? हां हम उपदेश देते हैं घोषणा करते हैं लेकिन हम उसको अपनाते नहीं हैं। महोदय, क्या हम शांति और चैन बनाए रखने में समर्थ हैं जो एक अथवा दो दशक पूर्व विद्यमान थी? यह दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रही है। सरकार के प्रति अल्पसंख्यकों का विश्वास कम होता जा रहा है। यह दिन-प्रतिदिन क्यों घटता जा रहा है? हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए।

आप जानते हैं कि संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर पैदायशी हिन्दू थे अपने जीवन के अन्तिम पड़ाव पर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? राजा राम मोहन राय पैदायशी हिन्दू थे। अपने जीवन के दौरान बौद्ध धर्म अपनाने की उन्हें आवश्यकता क्यों पड़ी? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक पैदायशी हिन्दू थे, सिख धर्म को उन्होंने क्यों अपनाया? सन्त महावीर पैदायशी हिन्दू थे, जैनी बनने की उन्हें आवश्यकता क्यों हुई? रामालिंग आदिगलर नामक तमिल सन्त पैदायशी हिन्दू थे, उन्हें समरस सुथ न्सनमार्क संगम नामक धर्म निर्पेक्ष समाज को अपनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि उच्च जाति कहलाए जाने वाले लोगों ने धर्म के नाम पर समाज को विभाजित किया और भेदभाव, असमानता और अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया। उच्च जाति के लोग सभी जगह फैले हुए थे जिन्हें **वर्णाश्रम माया सृष्टिम** नाम से पुकारा जाता है अर्थात जाति भगवान द्वारा सृजित की गई है।

महोदय, मैं स्व सम्मान आन्दोलन से सम्बद्ध हूं। मैं तर्कवादी आन्दोलन के साथ सम्बद्ध हूं जो आजकल सक्रिय रूप से डॉ. कालिगनार करुणानिधि द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा डॉ. कलैगनार करुणानिधि ने स्वयं इसे अपनाया है और वह इसका प्रचार कर रहे हैं।

हमें राज्यसभा के लिए पांच संसद सदस्यों को चुनना था। राज्यसभा के पांच सदस्यों में से उन्होंने श्री एम. ए. कादर को एक सदस्य के रूप में चुना। श्री कादर मुस्लिम हैं। श्री रहमान खान तमिलनाडु सरकार में केबिनट मन्त्रियों में से एक हैं। श्री एस. ए. एम. हुसैन डीएमके पार्टी के प्रचार खंड के संयुक्त सचिव हैं। श्री अब्दुल करीम कोयम्बटूर में कृषि विश्वविद्यालय कुलपति के पद पर आसीन हैं। श्री सैलियू मुदरै-कामराज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। सलेम थेनी और तूतिकोरिन जिलों में श्री निजामुद्दीन, श्री बशीर अहमद और श्री अलिक फिरोजखांन क्रमशं जिलाधीश के पदों पर तैनात हैं। साथ ही मुझे यह कहते हुए अत्यन्त गर्व हो रहा है कि डी. एम. के. सरकार ने राज्य में न केवल तमिल भाषी मुस्लिम समुदाय को अपितु उर्दू भाषी मुस्लिम समुदाय को भी पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया है और उन्हें सामाजिक न्याय देने का पूरा प्रयास किया है।

अब मैं अल्पसंख्यक पैनल के चैयरमैन के वक्तव्य पर आता हूं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. ताहिर महमूद ने कहा है:-

"यह भारी चिन्ता का विषय है कि कुछ ग्रुपों और व्यक्तियों द्वारा संविधान की मुख्य भावना को क्षति पहुंचाई जा रही है।"

यह वक्तव्य किसी और व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. ताहिर अहमद द्वारा दिया गया है।

पुनः मैं 26 नवम्बर 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है :–

"वी. जे. पी. और उनके सहयोगी संगठनों का नाम लिए बिना उनके कार्यकरण की शैली की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ' अल्पसंख्यकों को हानि पहुंचाने के लिए संविधान के समानता और न्याय संबंधी प्रावधान को निष्प्रभावी करने के लिए व्यक्तिगत धारणा और सामूहिक विचारधारा को पहले से अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक अनुमति दी जा रही है।"

यह विवरण डॉ. ताहिर महमूद द्वारा दिया गया है जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबधंक कमेटी के प्रैसीडेंट श्री तोहरा की प्रतिक्रिया क्या है? मैं 27 नवम्बर 1998 को इंडियन एक्सप्रेस को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है कि :

"शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रैसीडेंट गुरूचरण सिंह तोहरा ने आज कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

हिन्दू रूढ़िवादियों द्वारा ईसाई मिशनरियों पर धावा बोलने की घटनाओं के संदर्भ में उन्होंने आज सुबह प्रेस सम्मेलन में कहा कि अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थान इस देश के भीतर असुरक्षित हैं।"

इससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल के सहयोगी स्वयं को असुरक्षित पाते हैं।

उत्तर प्रदेश में अल्प योजना के कार्यान्वयन के समय जब वन्दे मातरम और सरस्वती वन्दना का गायन अनिवार्य कर दिया था तो इस्लामिक बोर्ड के चैयरमैन श्री अब्दुल हसन नक्वी ने वक्तव्य जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थाओं से मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को हटा लें। इसके परिणामस्वरूप, अगले ही दिन उनके घर की तलाशी ली गई। उनके घर की तलाशी क्यों ली गई? मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय कमजोर समुदाय है और उन पर आक्रमण किया गया। ईसाई समुदाय के मानव अधिकार खण्ड ने बताया है कि पिछले आठ महीनों में, जब से भाजपा सरकार ने शासन की बागडोर संभाली है, उनके समुदाय पर 84 अत्याचार की घटनाएं 1998 के दौरान हुई हैं। लेकिन इसकी तुलना में 1964 से 1996 के दौरान 32 वर्षों की अवधि में केवल 33 घटनाएं हुई हैं।

क्या यह सरकार चलाने का तरीका है? सरकार निसहाय है ढाई करोड़ से अधिक ईसाई विद्रोह पर उतर आए हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले वे शांत थे, लेकिन अब सड़कों पर उतर आए हैं वे अपने जान–माल की सुरक्षा चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय जो बार–बार होने वाले प्रहारों में अपने जान–माल की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, वे अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर विद्रोह कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाई अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों की घटनाओं में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। प्रहारों और तोड़–फोड़ की घटनाओं में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

महोदय, दिल्ली में, जैसाकि आप सभी को मालूम है कि चर्च में शराब देने पर पाबन्दी है। ईसाई धर्म के अनुसार कुछ विशेष अवसरों पर वे चर्च में शराब देते हैं लेकिन भाजपा सरकार इस बहाने से इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है कि यह हिन्दूओं के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या उनका इस पर प्रतिबंध लगाना उचित है? राजकोट में संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने बालिका छात्रावास में धावा बोलने के पश्चात् बाईबल की प्रतियां जला डालीं। बिहार में फॉदर कृष्णदास पर हमला बोला गया और सड़क पर नंगा घुमाया गया। हजारीबाग में कुछ आंदोलनकारियों ने फॉदर थॉमस की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में फादर एंटोनी पर कुछ आंदोलनकारियों द्वारा लोहे की सलाखों से हमला किया गया। लुधियाना में ईसाईयों की प्रार्थना सभा में बाधा पहुंचाई गई। गुजरात में ओजाडा में जनजाति ईसाई लोगों पर हथियारबंद लोगों द्वारा तोड़–फोड़ की गई। महाराष्ट्र में एक बार फिर कुछ लोगों ने लातूर में भारतीय कैथलिक हॉस्पीटल एसोसिएशन पर हमला बोला जहां ईसाईयों द्वारा भूकम्प पीड़ित लोगों को चिकित्सीय सहायता दी जा रही थी। हरियाणा में 200 वर्ष पुरानी कब्रगाह पर हांसी में कर्नल जेम्स स्काईनर की कब्र को क्षति पहुंचाई गई। आन्ध्र प्रदेश में कुछ आंदोलनकारियों ने कूरनूर में गिपसन्स सेंट्रल बेपटिस्ट चर्च को गिराने की धमकी दी। केरल में लिटिल फॉलर चर्च में तोड़–फोड़ की गई और क्रॉस के निशान को अपवित्र कर दिया गया। झबुआ में क्या हुआ? 23 सितम्बर 1998 को एक शर्मनाक घटना घटी। सुबह–सुबह चार ननों के साथ बलात्कार किया गया। ...*(व्यवधान)* झबुआ के दूरस्थ छोटे गांव में चार ननों के साथ रोंगटे खड़े करने वाला बलात्कार और घोर अपराध हुआ है, जिससे पूरे देश में न केवल सनसनी फैली, बल्कि हर एक देशवासी का सिर शर्म से झुक गया है। ...*(व्यवधान)*

बाबरी मस्जिद के विध्वंश के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटमार की घटनाएं हुई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार हुए और सरकार ने श्रीकृष्ण जांच आयोग का गठन किया। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह कहा गया है कि जो सत्ताधारी लोगों और पुलिस अधिकारियों के कारण ही कार्रवाईयां हुईं। उन्होंने क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश में मेरठ में क्या हुआ? मुस्लिमों पर हमले हुए और एक जांच आयोग गठित किया गया और आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। परन्तु उस रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इसे अभी प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है?

[श्री टी. आर. बालू]

आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि अनुच्छेद 25 में किस बात का उल्लेख है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मुक्त रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14, विधि की दृष्टि से समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या हम विधि की दृष्टि से समता का पालन कर रहे हैं? क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमें कानून की नजर में समता को बनाए रखना है।

कुछ जन्मजात हिन्दुओं ने अन्य धर्मों को अपना लिया है। इसकी क्या आवश्यकता थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वे अपने वैदिक धार्मिक लोगों के अत्याचार सह नहीं पाए थे। ऐसी घटनाओं के बाद बजरंग दल के मुखिया, श्री सुरेन्द्र कुमार जैन बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक क्या कहते हैं :

> "हमने भारत में ईसाई मिशनों के विरुद्ध दूसरे 'भारत छोड़ो आंदोलन' को आरंभ करने की घोषणा की है।"

यह वक्तव्य किसी छोटे–मोटे व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा दिया गया है। इसके बाद श्री बी. एल. शर्मा ने एक वक्तव्य दिया :

> "राष्ट्र–विरोधी ताकतों के विरुद्ध भड़की हिंसा देशभक्त हिन्दू युवकों के आक्रोश का प्रदर्शन है। मिशनरियों को बोरिया–बिस्तर बांधकर भारत को छोड़ देना चाहिए, विश्व हिन्दू परिषद इन देशद्रोहियों की गतिविधियों के विरुद्ध आंख बन्द कर बैठी नहीं रह सकती।"

यह वक्तव्य श्री बी. एल. शर्मा द्वारा दिया गया था।

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं समय की कमी को जानता हूं।

महोदय, अब समय आ गया है कि दलगत राजनीति, धर्म, जाति, मूलवंश इत्यादि बातों से ऊपर उठा जाए। हमें अल्पसंख्यकों के मन में आत्मविश्वास की भावना जगानी है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाए, उनके हितों की भलीभांति रक्षा की जाए और उनके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जाए। अब तक जो कुछ भी हुआ, उसे हमें भूलना होगा। हमें एक धर्म और दूसरे धर्म और एक जाति और दूसरी जाति के बीच शत्रुता को भूलना होगा।

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

मैं अपनी बात पूरी करने से सन्त तिरुवल्लुवर की पंक्तियों को तमिल मे उल्लेखित करना चाहता हूं। यह एक कुरल है जिसका मेरे नेता डॉ. कलाइंगनर करुणानिधि जनता के बीच अक्सर उल्लेख करते रहते हैं।

"पिराप्पोक्कम एल्ला ओयिरकम सिरप्पुव्वा

सेई थोज़िल वेत्रुमायग्न"

इसका अर्थ है कि सभी मानव जन्म के समय एक समान होते हैं, उनके कर्म उनकी योग्यता का निर्धारण करते हैं।

इसके बाद मैं कनियन पूनगुरानर की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है:

"याधुम ओरे यावारम केलिर"

इसका अर्थ है कि सभी स्थान हमारे हैं, सभी हमारे सगे–संबंधी हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं उस ओर के मेरे दोस्तों का ध्यान यह सुनिश्चित करने की ओर दिलाना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : सभापति महोदय, इस महीने की 10 तारीख को मानवाधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किए जाने की स्वर्ण जयंती है। मानवाधिकारों के बिलों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विशेष स्थान है।

अपराह्न 5.39 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैं इस सरकार से मानवाधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंगीकार किए जाने की स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए उस दिन या फिर आज, जैसा कि पहले सोचा गया था, एक सर्वसम्मत संकल्प को पारित करने के लिए पहल करने की अपेक्षा कर रहा था। मैं यह देखने के लिए सरकार से अभी भी कुछ उपायों को ढूंढने का आग्रह करता हूं कि क्या हम मानवाधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंगीकार किए जाने को स्वर्ण जयंती मना सकते हैं। इस पर अभी भी संसद में वाद–विवाद किया जा सकता है।

जहां तक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का संबंध है मैं घटनाओं या विशेष घटनाओं के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इनका इस वाद–विवाद में भाग लेने वाले कई माननीय सदस्य उल्लेख कर चुके हैं। मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

दूसरा, मैं केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया से चिन्तित हूं। ... *(व्यवधान)* मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। प्रो. पी. जे. कुरियन के प्रश्न के उत्तर में माननीय गृहमंत्री ने इसे राज्य का विषय कहकर टाल दिया और कहा कि यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : कौन सा विषय?

श्री पूर्णो ए. संगमा : यह अत्याचारों से संबंधित है। यह एक तारांकित प्रश्न था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभिन्न स्थानों पर घटित होने वाली घटनाएं नहीं हैं और जिसे वे कानून और व्यवस्था का प्रश्न कहकर नकार सकते हैं। इसका संबंध उनकी विचारधारा से है। इसका संबंध संघ परिवार की विचारधारा से है।

समय कम होने के कारण मैं सीधे उस विषय पर आना चाहता हूं। मैं स्थिति को भाजपा और संघ परिवार की विचारधारा और भाजपा और संघ परिवार के सिद्धांतों के दो पहलुओं के आधार पर स्पष्ट करना चाहता हूं। इसका वैचारिक पहलू क्या है? भाजपा का घोषणापत्र एकदम स्पष्ठ है। भाजपा का घोषणा क्या कहता है? आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ है कि आप एक राष्ट्र, एक जैसे लोग और एक संस्कृति की अवधारणा से प्रतिबद्ध हैं। यह उनके 1998 के घोषणापत्र में एकदम स्पष्ट है। मैं घोषणापत्र का उल्लेख करता हूं

> "भाजपा एक राष्ट्र, एक जैसे लोग और एक संस्कृति की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी राष्ट्रवादी दृष्टि भारत के भौगोलिक या राजनीतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है अपितु यह हमारी अनादि सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है। सांस्कृतिक परंपरा, जो सभी क्षेत्रों, धर्मों और भाषाओं का केंद्रीय तत्व है, एक सभ्यता की पहचान है और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण करती है जोकि 'हिंदुत्व' का मूल तत्व है। यही एक राष्ट्र, एक जैसे लोग और एक संस्कृति की विचारधारा है।

दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं वह हमारी शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण से संबंधित है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी का अत्यधिक सम्मान करता हूं। परंतु, हाल ही में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सरकार के एजेंडा को जिस प्रकार से थोपे जाने का प्रयास किया गया, यह एक ऐसी बात है जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं कर सकता हूं कि डॉ. जोशी के समान सम्माननीय व्यक्ति ऐसा कर सकता है। हम जानते हैं कि किस प्रकार एक आर. एस. एस. के कार्यकर्ता, श्री पी. डी. चिर्टींगवियना–मैं नहीं जानता कि इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है–को शिक्षा के भगवाकरण के सिद्धांत को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया था।

हम सब जानते हैं कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम् को लाए जाने का प्रयास किया गया था, संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लाए जाने का प्रयास किया गया था। हम इससे अवगत हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह मामला ऐसे ही खड़ा हो गया था? क्या यह एक नया विचार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह भाजपा की विचारधारा का अहम हिस्सा है और इसे इसके घटकों आर. एस. एस., विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यही खतरे की बात है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल पुराने संगठन हैं, परंतु वे पहले क्रियाशील नहीं थे। अचानक वे इतना ज्यादा क्रियाशील हो गए हैं? वे अचानक ईसाई–विरोधी, मुस्लिम विरोधी और अल्पसंख्यकों के विरोधी कैसे बन गए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें वर्तमान सरकार का समर्थन प्राप्त है। वे जानते हैं कि यह एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक जैसे लोग, हिंदुत्व की विचारधारा के अनुकूल है।

मुझे माननीय गृह मंत्री, श्री आडवाणी के बौद्ध धर्म संबंधी रिपोर्ट को पढ़कर आश्चर्य हुआ था। 6 नवम्बर, 1998 को जब माननीय गृह मंत्री सारनाथ में बौद्ध धर्म त्रिकोण में विश्व एकता का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने बौद्ध धर्म का हिन्दूकरण और आर्यकरण किया था। आपने क्या कहा था? महोदय, उन्होंने कहा था, मैं उल्लेख करता हूं :

> "बुद्ध भगवान ने हिन्दू आर्य सभ्यता के आदर्शों में पुनः प्राण फूंका था।"

गृह मंत्री ने आगे यह भी कहा था

> "गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे और उनका दर्शन भगवत्गीता से उद्भूत हुआ था।"

हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में माननीय गृह मंत्री के समाचार पत्रों में छपी व्याख्या पर बौद्ध धर्म के विद्वानों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आजकल क्या हो रहा है। हम विश्व हिन्दू परिषद्, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के नेताओं द्वारा दिए जा रहे वक्तव्यों से अवगत हैं, मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि वे अपना बचाव करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु यह बात सभी जानते हैं कि इन सब संगठनों के प्रमुख नेता ईसाइयों को राष्ट्र–विरोधी तत्व मान रहे हैं। दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। गिरजाघरों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे गिरजों में शराब को परोसते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री उत्तम सिंह पवार (जालना) : किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह टिप्पणी कुछ मिशनरियों के विरुद्ध थी और पूरे ईसाई समुदाय के विरुद्ध नहीं थी। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : कृपया अधिकारिक वक्तव्य यहां पर मत दीजिए। ...*(व्यवधान)* हम भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : *किसी ने भी नहीं कहा है। ...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेंद्रनगर) : हमें आपके बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : संगमा जी, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : क्या आप विद्वान लोगों को उपदेश दीजिएगा। *...(व्यवधान)* उन्हें सिखाइएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिंकदर (दमदम) : कृपया इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियों का उल्लेख मत कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : आप महान भारत के अंग हैं। *...(व्यवधान)* मैं आपको महान भारतीय मानता हूं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के वक्तव्य समाचारपत्रों में छपे हैं। उन्होंने इंकार नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : ठीक है। मैं अपने वक्तव्य को संशोधित करता हूं। यह समाचार पत्रों में छपा है। *...(व्यवधान)* यह गलत हो सकता है। यदि यह गलत हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी। परंतु यह छपा है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता ने यह वक्तव्य दिया है। मैं समझता हूं ऐसा ईसाई धर्म की समझ न होने के कारण है। मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं। उन्होंने आरोप लगाया था कि गिरजाघरों में शराब परोसी जाती है। इसीलिए उत्पादन शुल्क नियमों के अधीन इन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है और इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। मैंने ऐसा पढ़ा है। मैं नहीं जानता आप इसे पढ़ने से चूक कैसे गए। *...(व्यवधान)* नहीं, क्योंकि आप मेरे वक्तव्य को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अगर बोलने वाला कोई और होता तो मैं उसे न रोकता। मैं आखिर तक इंतजार करता। परंतु बोलने वाले श्री संगमा हैं जो इस सदन के माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय और ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं चाहता था कि वह केवल कहीं से भी कोई रिपोर्ट ही उद्धृत नहीं करते, जहां तक मेरा ख्याल है, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया जो उन्होंने कहा है। परंतु जिस दिन इसका उल्लेख सदन में किया गया था उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी यह कहने के लिए खड़े हुए थे कि जहां तक कि सरकार का संबंध है, जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है हम ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए, अगरर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो दिल्ली सरकार से इसे तुरंत ही समाप्त करने के लिए कहा जाएगा क्योंकि वे इसे नहीं समझते इसका उदाहरण देने की बजाए जब कोई भूतपूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का प्रमुख सदस्य इस तरह की बात दोहराता है तो नुकसान न केवल भाजपा का और न केवल इस सरकार को होता है, बल्कि पूरे देश को नुकसान होता है। मैं बार-बार यही दोहराना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप कुछ उद्धृत करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आप कहां से उद्धृत कर रहे हैं। फिर इस विशेष मामले में, पूरी सभा ने सरकार और प्रधान मंत्री के आधिकारिक विचार सुने थे। इसे दुबारा उद्धृत करने का सवाल ही नहीं उठता। *...(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : हो सकता है मैंन 'बंद' शब्द का प्रयोग किया हो और श्री राजेन्द्र गुप्ता ने 'बंद' शब्द को प्रयोग नहीं किया हो। दुर्भाग्यवश, मेरे पास वह पेपर नहीं है परन्तु मेरे पास मेरे नोट हैं। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था वह है : 'चर्च' *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय प्रधानमंत्री ने सरकार का आधिकारिक मत दिया था पार्टी का नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं यह जानता हूं। श्री आडवाणी जी वह बाद में।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री संगमा जी, जिस दिन यह खबर अखबारों में छपी थी, यह मामला सदन में उठाया गया था और माननीय प्रधानमंत्री ने बिना इस बात की चिंता किए हुए कि दिल्ली जाकर सरकार से पूछे, यह कहा कि सरकार की राय क्या है और पार्टी की राय क्या है। प्रत्येक व्यक्ति ने यह सोचा कि पूरा मामला समाप्त हो गया था। तीन महीनों बाद, पार्टी के एक नेता ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात की और यह पूरे सदन ने बंद कर दिया था।

यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पूरे देश को नुकसान हो?

श्री पूर्णो ए. संगमा : माननीय गृह मंत्री जी मैंने अपना भाषण यह कहकर शुरू किया था कि मैं उन घटनाओं की बात या उस विशेष घटना की बात नहीं कर रहा जो घट चुकी है। मैं भाजपा और संघ परिवार के आदर्शवादी और सिद्धांतवादी स्वरूप की बात कर रहा हूं। मैंने यही वक्तव्य दिया था। वह वक्तव्य देने के बाद मैं लोगों के सैद्धांतिक स्वरूप को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं घटना की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री संगमा जी, अगर मुझे उसका उत्तर देना होगा जो आपने कहा था, मैं उसे भाजपा के आदर्श के रूप में अपने घोषणापत्र के रूप में उद्धृत करके कहता। परन्तु आप दिल्ली सरकार से संबंधित घटना, चर्च से संबंधित घटनाओं की बात कर रहे हो और उस संदर्भ में उस मामले का संतोषजनक रूप से उत्तर दिया गया था और सरकार ने तुरंत उत्तर दिया था कि यह नहीं किया जाना था और यह मामला समाप्त हो गया। क्या आप इसे दोहराना चाहते हैं? क्या यह ठीक है? कृपया आगे कहिए क्योंकि जहां तक अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों का संबंध है, आपको यही कहना है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं केवल यही नहीं कहना चाहता। मुझे बहुत सी–बातें कहनी हैं। मुझे लगता है कि समय की कमी के कारण मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता। मैं सैद्धान्तिक स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था। भाजपा और संघ परिवार के लोगों की यह धारणा क्यों है, वह गलत विचार क्यों है कि ईसाई लोग राष्ट्र विरोधी हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : नहीं; आप गलत कह रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाई : मुझे खुशी है कि यह सच है।

श्री पूर्णो ए. संगमा : परंतु यह कहा गया है। यह बार–बार कहा गया है।

श्री हरिन पाठक : यह सच नहीं है। यह सही नहीं है।

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम : क्योंकि कभी किसी ने यह कह दिया था, इसलिए क्या आप अन्य लोगों पर आरोप लगाएंगे?

अध्यक्ष महोदय :श्री खण्डूड़ी जी, कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं बहुत खुश हूं। आपके उत्तर से आज यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि आप समझने लग गए हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ) : आप सभा का समय खराब कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभा का समय कोई खराब नहीं कर रहा है क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं जिससे मैं समझता हूं यह देश आहत होता है।

मैं एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं कि श्री संगमा, माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने मुझे यह बधाई दी है कि आज मैंने समझना शुरू कर दिया है।

मुझे यह कहना है कि जहां तक ईसाई समुदाय का सवाल है बचपन से लेकर मेरी शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल, एक मिशनरी स्कूल में हुई है। ईसाईयों को राष्ट्र विरोधी या ऐसा ही कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में एक ही बार में अपने जन्म स्थान कराची में पिछले 15 वर्षों में केवल कुछ दिनों के लिए गया था। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने आकर मुझसे पूछा, "क्या आप कराची में किसी खास जगह जाने के इच्छुक हैं?" मैने कहा "कि अगर मैं किसी जगह जाना चाहता हूं तो स्कूल सेंट पैट्रिक हाई स्कूल जाना चाहूंगा और मेरी यह इच्छा है।" मैं वहां गया था। मैं केवल इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि जहां तक इस सरकार और इस पार्टी का संबंध है, जिस पर मुझे गर्व है, यह निष्कर्ष निकालना कि इसके आदर्श ईसाइयों को राष्ट्र विरोधी मानते हैं, एक विडंबना वाली बात है।

श्री हरिन पाठक : इस पर भी गौर कीजिए। वे एक प्रसिद्ध आदर्शवादियों में से एक हैं।

श्री पूर्णो ए. संगमा : माननीय गृह मंत्री जी, मैं केवल यही जानना चाहता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं जानता था कि माननीय गृह मंत्री जी सेंट पैट्रिक्स स्कूल, कराची में पढ़े थे। मैं वह जानता हूं। इस देश से संबंधित कई लोग, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या नौकरशाह, चाहे वे कूटनीतिज्ञ हों या पत्रकार, चाहे वे उद्योगपति ही हों, उनमें से अधिकांश ईसाई संस्थाओं में पढ़े हैं, और हमें इस पर गर्व है क्योंकि इस देश को यह हमारा योगदान है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो ऐसा क्यों है कि आज बाइबल की हजारों प्रतियां जलाई जा रही हैं? क्यों? आज गिरजाघरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है। कब्रिस्तानों से शवों को क्यों निकाला जा रहा है। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मुझे घोर आपत्ति इस बात की है कि संगमा जी कह रहे हैं कि केवल ईसाई मिशनरी में पढ़ने वाले लोग ही अच्छे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे आपसे सहमत नहीं हैं। श्री वीरेन्द्र कुमार जी, वे आपसे सहमत नहीं हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : बहुत से गांव में पढ़ने वाले लोग, नगरपालिका के विद्यालय में पढ़ने वाले लोग, जिला परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले लोग इस देश में सबसे बड़े महान पुरुष हुए हैं। आप यह भ्रम मत रखिए कि खाली ईसाई मिशनरी में पढ़ने वाले लोग ही अच्छे होते हैं। आप क्या बात करते हैं?

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं समझता हूं कि सत्ता दल के लिए यह काफी कठिन होता जा रहा है। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। मैं सावधान करना चाहता हूं कि श्री रामविलास पासवान ने इस बहस पर एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था। हमारी सीमाओं को देखो। अल्पसंख्यक लोग ही सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। में कुछ और भी कहना चाहता हूं कि अगर भारत को पूरे विश्व में एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जाए जो मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी है तो हमें यह समझना चाहिए कि हम और भी अलग–थलग पड़ जाएंगे। हमारे देश में जो कुछ हुआ है उन बातों के कारण हम पहले ही अलग–थलग पड़े हुए हैं। आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। आप परमाणु परीक्षणों की बात करते हैं। हम पहले ही अलग–थलग पड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि यह हमारे देश

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

के लिए अच्छा होगा। आखिर, यह विश्व मूल रूप से दो खंडों में पहले ही विभाजित है। मैं बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में कह रहा हूं। भारत अपने विश्वीकरण की दौड़ में दुनिया से अलग नहीं रह सकता। कृपया यह याद रखें। मुझे खुशी है कि आज गृह मंत्री जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आखिर प्रधान मंत्री ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वे बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं क्योंकि उनके मंत्रालय में उनके तीन बहुत विश्वस्त व्यक्ति हैं। परंतु गृह मंत्री जी मैं केवल यही टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपकी या प्रधानमंत्री जी की स्पष्टवादिता में संभवतः काफी विलंब हुआ है। इसमें पहले ही देर हो चुकी है। मुझे बताया गया है और मैं यह जानता हूं कि हिन्दू लोग हर सुबह सूर्य नमस्कार नामक एक पूजा करते हैं। यह अंधापन दूर करने के लिए होती है। मैंने यह कहीं पढ़ा था कि यह अंधापन दूर करने के लिए होती है। परंतु दुर्भाग्यवश श्री आडवाणी और प्रधानमंत्री जी अंधे होने के बाद सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत के लोग और इस देश के लोग अंधे नहीं हैं। यह बात दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए चुनावों में साबित हो चुकी है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूं, लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि मुझे कितनी देर बोलना है?

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट

कुमारी उमा भारती : कृपया दस मिनट दीजिए।

अभी संगमा साहब ने भाषण दिया। जब संगमा साहब स्पीकर थे, मैं उनका बहुत आदर करती थी। ...*(व्यवधान)* हां, करती थी, क्योंकि आज उन्होंने जो स्पीच दी है, मुझे संगमा साहब से इस तरह के भाषण की आशा नहीं थी।

आपने आडवाणी जी पर एक कमेंट किया है। अब आप समझने लगे हैं मैं आप पर भी यह कमेंट करूंगी, अब आप अपनी समझ खोने लगे हैं, आपने जिस तरह का भाषण दिया है और जिस, तरह से कोटेशंस कोट किए हैं, हमें आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। हम आपका बहुत आदर करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदन में आगे से बोलें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके प्रति हमारे मन में जो आदर है, वह बना रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट।

माननीय सदस्यगण, हमने इस विषय पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आबंटित किया था। इसमें पहले ही नौ घंटे का समय लग गया है। इस विषय पर पहले ही तेईस सदस्य बोल चुके हैं। मैं सभा की राय चाहता हूं कि इस विषय को आज ही समाप्त करने के लिए एक घंटा और बढ़ाया जाए। इस विषय पर और पांच–छह सदस्यों को बोलना है। इसलिए क्या हम समय को एक घंटा और बढ़ाएं ?

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : आज नहीं, कल। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): आपने कहा था कि पूरा हो गया है, आडवाणी जी जबाव देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं कल हमारे पास काफी महत्वपूर्ण कार्य है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हमने दो घंटों की जगह में नौ घंटे लिए हैं इसलिए, सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। महोदया, अब अपनी बात जारी रख सकती हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अभी आडवाणी जी ने संगमा जी की बात का उत्तर देते हुए कहा कि वे स्वयं ईसाई स्कूल में पढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संगमा जी को निमंत्रण देना चाहती हूं कि आप हाउस की डिबेट के बाद मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं छठे दर्जे तक पढ़ी हूं और गांव के स्कूल में पढ़ी हूं। उसके बाद में देश और प्रदेश में प्रवचन करने लगी थी। मुझे कभी ईसाई स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरे कमरे से लगा हुआ एक छोटा सा कमरा है, जो कि पूजाघर है, उसमें एक भगवान कृष्ण की मूर्ति है और दूसरी ईसा मसीह की तस्वीर लगी हुई है। मैं संगमा साहब को बताना चाहती हूं कि मैं कभी भी क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ी हूं, लेकिन फिर भी मेरे कमरे में ईसा मसीह की तस्वीर लगी हुई है इसलिए क्योंकि मैं हिन्दू हूं। मेरे हिन्दू होने पर मुझे इसकी छूट दी गई है कि मैं भगवान कृष्ण के साथ–साथ जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी अपने कमरे में लगाऊं।

मैं छः वर्ष की उम्र से ही आर. एस. एस. की शाखाओं में जाती हूं और मैं बहुत ही पक्की तथा निष्ठावान आर. एस. एस. में आस्था रखने वाली हूं, क्योंकि हमारे यहां संघ में महिलाओं की अलग शाखाएं होती हैं और पुरुषों की शाखाएं अलग होती हैं। लेकिन मैं पुरुषों की शाखाओं में भी प्रवचन और भाषण देने के लिए गई हूं। इसलिए आज यदि परिष्कृत भाषा में कहें तो मैं पक्की संघी भी हूं और पक्की हिन्दू भी हूं। लेकिन मेरे कमरे में भगवान कृष्ण की तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर जीसस क्राइस्ट की लगी हुई है, और वहां कोई तस्वीर नहीं है। आप इस बात को लेकर चलेंगे कि

क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के कारण ही उदारता का भाव आता है, ऐसा नहीं है। जो गांव के स्कूल में पढ़ा है उसमें भी उदारता का भाव है, क्योंकि मैं हिन्दू हूं और हिन्दू माता–पिता की हिन्दू संतान हूं।

मैं जब भी अमरीका जाती हूं, वहां जहां मैं रहती हूं उसके अगल–बगल में कोई मंदिर मुझे नहीं मिलता। आप विश्वास करें इस बात का कि जब मंगलवार का दिन आता है तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी चर्च में जाकर बैठती हूं, क्योंकि मुझे किसी धर्म स्थान की जरूरत होती है। मैं वहां पीछे जाकर बैठती हूं, नमस्कार करती हूं, माथा टेकती हूं और पीछे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करके चली आती हूं, क्योंकि मैं उसको एक धर्म स्थान मानती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संगमा से एक बात और बताना चाहती हूं। मैंने 1992 में संन्यास लिया है और मैं संन्यासी हूं। मैं हिन्दू हूं, मैं भारतीय हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि अगर आप इस देश से मजहबवाद को समाप्त करना चाहते हैं, अगर साम्प्रदायिकता को समाप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण इस दुनिया की धरती पर हो जिसका मजहब से कोई संबंध न हो, जिसके अंदर ईसा की सेवा हो, जिसके अंदर हिन्दू का उपकार हो, जिसके अंदर मुसलमान की आस्था हो, जिसके अंदर जैन की अहिंसा हो, जिसके अंदर बौद्ध की करुणा हो और जिसके अंदर सिख की श्रद्धा हो तो सबसे पहले मैं इसके लिए तैयार रहूंगी कि साम्प्रदायिकतावाद से ऊपर उठकर एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जिसके अंदर सभी धर्मों के अच्छे भावों का समावेश हो। मैंने आपसे पूछूंगी कि क्या आप भी इस बात के लिए तैयार होंगे? आपने जिस तरह से साम्प्रदायिकता से भरा हुआ भाषण दिया, आपने तो साम्प्रदायिकता से ओत–प्रोत भाषण दिया है। जितने भी भाषण यहां हुए हैं, मैं सारे के सारे पढ़े हैं। आपने जिस तरह से साम्प्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की है, माननीय शिव शंकर जी यहां मौजूद नहीं हैं।

चूंकि मुझे समय कम दिया गया है। एक–एक लाइन का उत्तर देना है। उन्होंने झाबुआ के प्रकरण में जिक्र किया है, बैकुण्ठ लाल शर्मा "प्रेम" जो पूर्व सांसद रहे हैं और विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी हैं, मैं संगमा जी के एक वाक्य का उत्तर माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से यह देना चाहती हूं कि अगर यहां पर शर्मा जी को किसी तरह से बुलाने का उपाय हो और शर्मा जी अगर इस बात को स्वीकार कर लें कि उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है तो कानून उनको बाद में दंड देगा, सबसे पहले मैं उनको इस बात का दंड दूंगी कि अगर उन्होंने ईसाई ननों के बलात्कार के बारे में इस तरह की बात की है, मैं यह कहूंगी कि झाबुआ के प्रकरण को हमने बगैर उसकी असलियत में जाए न उछाला होता तो अच्छा होता। जिन 24 लोगों को उसमें अभियुक्त पाया गया है, उनमें से 12 लोग ईसाई पाए गए हैं तो जिस प्रकार से झाबुआ के बलात्कार कांड में वोटों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने की कोशिश की गई और हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच में जो विभाजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है तो यह जहर कहां तक फैलता? उससे वह बात खुल गई कि 24 लोगों में से 12 लोग ईसाई भी थे और जिन लोगों ने यह दुराचार किया है, वे महापापी हैं लेकिन उस दुराचार को जिसने धर्म की राजनीति बनाने की कोशिश की है, वे उनसे भी बड़े दुराचारी हैं और उनसे भी बड़े पापी हैं जिन्होंने झाबुआ के इस कांड को लेकर और हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच में विभाजन करके इस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश की।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजन : माननीय मंत्री जी द्वारा झाबुआ घटना के दोषियों के बारे में दिया गया वक्तव्य सही नहीं है। वे ईसाई नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : आपके माध्यम से संगमा जी का एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगी :

[अनुवाद]

> "ओ मेरे पिता, उन्हें माफ करना क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।"

आपने अभी जिस प्रकार की बातें संघ के बारे में कहीं और यह कहा कि हम ईसाइयों को एंटी–नेशनल कहते हैं या बी. जे. पी. के बारे में कहा कि हम ईसाइयों को एंटी–नेशनल मानते हैं, उनके चर्चों को गिरा देना चाहते हैं, ईसाइयों को देश से हम निकाल देना चाहते हैं, उसका अगर आपके पास कहीं कोई प्रमाण नहीं है, तब फिर इसलिए आपके लिए भी मैं यही कहूंगी :

> "ओ परम पिता, उन्हें माफ करना क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं।"

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं नहीं जानता पर पूरा विश्व यह जानता है।

कुमारी उमा भारती : आपको पता ही नहीं है कि क्या बोले जा रहे हैं। हम मुसलमानों की आस्था पर कभी प्रश्न चिह्न खड़ा नहीं करते। किसी को देशभक्ति का लाइसेंस बांटने वाले हम कौन होते हैं? देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हम कौन होते है। चूंकि मुझे आदेश मिला कि मुझे यहां पर बोलना है और मैं पहले से इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने पूरी स्पीचेज को पहले पढ़ा तो मैं यह जानकर दंग रह गई कि यहां पर चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि अल्पसंख्यकों पर अगर अत्याचार होते हैं तो उन अत्याचारों का मूल कारण क्या होता है और उनका निदान क्या होना चाहिए लेकिन यहां पर मैंने देखा कि हर जगह पर स्पीचेज को जिस प्रकार से साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, पी. शिव शंकर

[कुमारी उमा भारती]

साहब का मैं बड़ा आदर करती हूं, वे यहां पर मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का जिक्र किया है लेकिन अल्पसंख्यकों का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या भी इस देश में हो जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों का मतलब क्या है, इसका मतलब एक या दो समुदाय नहीं हैं। सिख भी अल्पसंख्यकों में आते हैं। इस देश में जैन, मुस्लिम और अन्य कई समुदाय भी हैं जो काफी कम संख्या में हैं और अल्पसंख्यक हैं।

1984 के दंगों में जिस प्रकार से हजारों सिखों के मुंह में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, जिस प्रकार से उनको भूना गया, जिस प्रकार से हजारों स्त्रियों को विधवा बनाया गया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं तो यह सोचती थी कि पी. शिव शंकर जी जब अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो कश्मीर में जो हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और जिस प्रकार से उनको विस्थापित करके जम्मू में धकेल दिया गया, जिस प्रकार से उनकी स्त्रियों पर अत्याचार किए गए, उसका भी यहां पर जिक्र होगा, इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगी कि जैसे झाबुआ कांड हुआ, राजकोट की घटना का भी बार-बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वहां के प्रिंसिपल ने बड़े विवेक का परिचय दिया, उन्होंने लिखकर माफी मांगी कि जो न्यू टेस्टामेट की कृति बांटने के साथ-साथ उसमें एक फॉर्म जो प्रिंट करके लगाया गया कि मैं इस बात को मानता हूं कि ईसामसीह ही एक तारणहार हैं और ईसामसीह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हिन्दू बच्चों को भी कहा गया कि वे भी उस फॉर्म को भरें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं जो आपने बातें कहीं,

एक जाति, एक राष्ट्र और एक संस्कृति, वन नेशन पर तो आपको डिस्प्यूट नहीं होगा, वन पीपल पर भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको वन कल्चर पर दिक्कत आ रही होगी। वन कल्चर का मतलब धर्म नहीं होता है, वन कल्चर का मतलब मज़हब, विश्वास नहीं होता है। वन कल्चर का मतलब होता है "वे ऑफ लिविंग" और यहां की "वे ऑफ लिविंग" एक ही है क्योंकि कल्चर का मतलब भाषा, भूषा और भोजन होता है। कल्चर का मतलब स्त्रियों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, हमारे अपने देश के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। उस वन कल्चर के प्रति जो हमने कहा और अगर उस बात को ठीक ढंग से समझा गया और अगर आप भी ठीक ढंग से समझ गए होते तो आपको दिक्कत नहीं आती। यहां पर तीन-चार दिन में जो बातें चली हैं, मैं कहूंगी कि कुछ घटनाएं घटी होंगी और कुछ लोगों पर इसलिए घटी होंगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक तबके के लोगों से संबंधित हैं लेकिन हम उन घटनाओं की प्रशंसा नहीं करते।

हम उनका संरक्षण करना नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार से उनको बचाना नहीं चाहते, वे इसके लिए दंडित हों। इसमें हमारी तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से कभी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रही है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि सेक्यूलरिज्म का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में एक शब्द आंटी होता है। आंटी के हिन्दी में कई अर्थ होते हैं। आंटी का अर्थ बुआ, चाची, मौसी और मामी भी होता है। मुझे लगता है कि आंटी की तरह ही सेक्यूलरिज़्म शब्द हो गया है। हमें वास्तव में सेक्यूलरिज़्म को समझना है, क्योंकि इसके अलग-अलग अर्थ हैं। जब संगमा साहब यहां बोलेंगे तो सेक्यूलरिज़्म का अर्थ यहां अलग हो जाएगा, जब बाहर जाकर बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमने जो सेक्यूलरिज़्म का मतलब निकाला है वह क्या निकाला है। जब जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी ने एक स्त्री को वेद पढ़ने से रोका, यहां जो बंगाल और उड़ीसा के सांसद बैठे हैं उनको याद होगा कि जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी ने एक महिला को वेद पढ़ने से रोका और उसे कहा कि तुम महिला हो इसलिए तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसका मैंने खुद विरोध किया और जब मैंने विरोध किया तो शंकराचार्य जी के एक शिष्य ने मुझ से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को वेद पढ़ने से इसलिए रोका क्योंकि अगर महिलाएं वेद पढ़ेंगी तो उनके गर्भाशय पर असर पड़ेगा, तब मैंने कहा कि आप नहीं रोक सकते, मैं एक तर्क दूंगी कि अगर पुरुष वेद पढ़ेंगे तो उनके आमाशय पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस से निवेदन करना चाहती हूं कि जब जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी एक महिला को वेद पढ़ने से रोकते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करने से रोकते हैं तो पूरा देश उनकी निन्दा करता है, उनकी भर्त्सना करता है। मेरे जैसे लोग भी उसकी निन्दा एवं भर्त्सना करते हैं। वे एक तरफ शंकराचार्य जी की भर्त्सना करते हैं, जो स्त्री को वेद पढ़ने से रोकते हैं और दूसरी तरफ तसलीमा नसरीन को देश में आने के लिए वीज़ा भी नहीं देते हैं। एक देश में दो धाराएं नहीं चलेंगी, एक ही धारा चलेगी, कट्टरता या उदारता की धारा चलेगी। हम इसी विचार को संस्कृति कहते हैं, यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्द कहीं और हो रहा है और दवा कहीं दूसरी जगह हो रही है। एक बार एक बच्चा खेल के मैदान में खेलने के लिए गया तो उसके पांव में चोट लग गई। जब वह घर में आया तो उसने पिता जी को बताया कि मुझे चोट लग गई है तो उसके पिता ने पहले उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खेलने के लिए मत जाना और फिर कहा कि लाओ मैं तुम्हारे पांव में दवाई लगा दूं तथा यह भी कहा कि मैं जब तक तुम्हें दवाई लगाऊंगा तब तक तुम चूं मत करना। पिता उसके पांव में दवाई लगाता रहा। दवाई लगाने के बाद जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो बच्चे ने पिता जी से कहा कि दर्द तो ठीक नहीं हुई, तब पिता ने पूछा कि दर्द क्यों नहीं ठीक हुआ तो लड़के ने कहा कि चोट दाएं पांव में लगी थी और आप बाएं पांव में दवाई लगाते रहे, तब पिता ने कहा कि तुम बीच में क्यों नहीं बोले तो उसने कहा कि आपने कहा था कि बीच में मत बोलना इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप सेक्यूलरिज़्म का पाठ किसे पढ़ा रहे हो? इस देश के लोगों को सेक्यूलरिज़्म के पाठ की जरूरत नहीं है। संगमा जी, आप एक बात पक्की मानिए, लाल कृष्ण आडवाणी

जी, अशोक सिंघल जी, रज्जू भैया तथा अन्य कोई भी इस देश को हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राज्य नहीं बनाना चाहता और कोई भी इस देश को हिन्दू राज्य नहीं बना सकता है, इसलिए इस देश को सेक्यूलरिज़्म के उपदेश की भी जरूरत नहीं है। जिस देश के करोड़ों लोगों ने धरती पर पड़े हुए कंकर से लेकर आकाश में लटके हुए चांद तारों को भी पूजा हो, जिनका श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम भी नहीं मालूम, वे भी उनके भूख–प्यास की चिन्ता करते हों, जो चांद–तारे लाखों किलोमीटर दूर आकाश में लटके हुए हैं, उनके भूख–प्यास की भी जिनको चिंता लगती हो, उन लोगों को सेक्यूलरिज़्म का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी कीमत पर इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमें इन घटनाओं की तह में जरूर जाना चाहिए। मैं इन घटनाओं की निन्दा करती हूं। जैसे मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, तंदूरी कांड हुआ वैसे ही झाबुआ का कांड हुआ। मुझे नहीं लगता कि अपराध करने वाले लोग मजहब को ध्यान में रख कर अपराध करते हों, अगर मजहब को ध्यान में रख कर अपराध करते हैं तो उसका कठोरतम दंड उनको मिलना चाहिए।

महोदय, यहां रामविलास जी बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। पी. शिवशंकर जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने भी बोला; आरिफ साहब यहां नहीं हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं, जैसे संगमा साहब बोलते समय ईसाइयों के प्रवक्ता लग रहे थे, मैं हिन्दुओं की प्रवक्ता बन कर बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब आस्था के सम्मान की बात आती है तो करोड़ों हिन्दुओं ने गणेश जी को दूध पिला दिया, इसमें किसी को क्या तकलीफ है। मान लीजिए करोड़ों हिन्दुओं को गणेश जी को दूध पिलाने में शांति प्राप्त हुई, फेथ हिलिंग होती है। फैथ हिलिंग के नाम पर बड़ी–बड़ी कांफ्रेसेस होती हैं। लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। मज़ारों पर भी भूत–प्रेत की बाधा के नाम पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। अंध–विश्वास अगर गलत है तो हर जगह पर गलत है, कट्टरता अगर गलत है तो हर जगह पर गलत है। लेकिन अगर यहां से यह मैसेज जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उमा जी, गणेश जी को दूध पिलाने पर आपत्ति नहीं है। गणेश जी लड्डू खाते थे और आपने दूध पिला दिया।

कुमारी उमा भारती : लेकिन भाई साहब, लड्डू खाकर अगर गणेश जी का हाजमा खराब हो जाए और अगर वह दूध पीना चाहें तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अगर हम लगातार किसी एक समुदाय के ऊपर अटैक करेंगे और उनके मन में यह बात बैठाएंगे कि किसी एक समुदाय को गिनी–पिग बनाया जा रहा है एक्सपैरीमेंट के लिए, तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि मजहब के नाम पर आक्रमण नहीं होते होंगे। लेकिन आज मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर निवेदन करना चाहूंगी। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पूरा देश साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर शांति से रहे। आप चाहते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ियां मजहबवाद, प्रांतवाद, जातिवाद, भाई–भतीजावाद, भाषावाद से ऊपर उठकर शांति से रहे, तो उसका निदान इसी संसद में है, बाहर जो लड़ाई होती है उसके बीज इसी संसद में बोये जाते हैं। जिस तरह की स्पीच संगमा साहब और राम विलास पासवान की हुई है। राम विलास जी, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैंने आपका नाम बिना "जी" लिए बोल दिया। मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूं। जिस तरह की स्पीच आरिफ मोहम्मद जी की हुई। ये भाषण ठीक नहीं हुए हैं। अगर हमें साम्प्रदायिकता को रोकना है तो संसद में बैठे हुए लोगों को यहां कदम उठाना होगा, अगर साम्प्रदायिकता की निंदा करनी है... *(व्यवधान)* मैं आपके किसी पाइंट से डिस–एग्री कर सकती हूं, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, आपको बड़ा भाई मानती हूं और इससे मैं कभी डिस–एग्री नहीं करूंगी और आप भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहां संसद में बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगी कि जब भी इस तरह की बहस चले तो साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर बात करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : क्या आप अपने भाई राम विलास जी को किसी हिन्दू मंदिर के पवित्र स्थान में जाने देंगे?

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : संगमा साहब, अगर आपने 1984 के दंगों की निंदा की होती, अगर आपने कश्मीरके हिंदुओं को वहां से मार भगाने की निंदा की होती, तो मैं आपके सामने नत–मस्तक हो गई होती। लेकिन आपने जो बातें कहीं, उनका कोई आधार नहीं था। आपने हमारे राजेन्द्र गुप्ता, यहां के मिनिस्टर की बात कही, जो अपनी सफाई के लिए यहां मौजूद नहीं हैं। आप रूल के नाम पर हमारे सिर पर साल–डेढ़ साल तक हथौड़े चलाते रहे, डांट पिलाते रहे। इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन और आग्रह करूंगी कि अगर हमें मजहब के नाम पर जो आक्रमण होते हैं उन्हें रोकना है तो इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं और बाकी जो यहां नहीं बैठे हैं अगर वे अपने दिमागों के जाले ही ठीक कर लें और आपस में तय कर लें कि इन समस्याओं का निराकरण करना है तो इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। लेकिन स्वयं साम्प्रदायिकता के रंग में रंगकर इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। ऊपर उठकर ही इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। अगर हम ऊपर उठकर इन्हें रोकेंगे तो मुझे विश्वास है कि माइनोरिटीज पर जो एट्रोसिटीज हो रही है उनको हम रोक सकेंगे। माइनोरिटीज पर जो एट्रोसिटीज होती है उनकी हम निंदा करते हैं। हमारे माननीय आडवाणी जी आपके सामने एक–एक बात का जवाब देने वाले हैं। मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करती हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, यह एक कटु सत्य है कि मातृभूमि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक इस देश में स्वयं को और अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं समझते। हाल ही के महीनों में, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि, अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। मुसलमान, ईसाई, सिक्ख को निशाना बनाया गया है।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अल्पसंख्यकों पर हुए हमले हमारी मातृभूमि भारत की संस्कृति पर हुए हमलों के समान हैं। अल्पसंख्यकों पर हुए हमले भारतीय धर्म निरपेक्षवाद पर हुए हमले हैं। वे हमले स्वयं भारत के संविधान पर हुए हमलों के समान हैं।

इस स्थिति का कटु सत्य यह है कि अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कुछ लोगों की जान–बूझकर अपनाई गई प्रवृत्ति का नतीजा है जो सरकार या प्रशासन में एक ही विचारधारा वाले लोगों के उदासीन रवैये से और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किए गए थे। महोदय अगर आप अल्पसंख्यकों पर हुए विभिन्न अत्याचारों को देखें तो आप पाएंगे कि अल्पसंख्यकों पर हुए हमले न केवल कुछ लोगों की प्रवृत्ति के कारण हुए बल्कि सरकार के कारण भी हुए।

'लोकसभा में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 1406 पूछा गया था। यह प्रश्न पूछने वालों में मेरा नाम भी था। अपने उत्तर में एक–दो घटनाओं का उल्लेख करने के बाद माननीय गृहमंत्री ने यही कहा, 'इसके अलावा गुजरात में छः और घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने कार्यवाई की है और स्थिति को नियंत्रण में ले आई है।'

अगर सरकार का ऐसा ही कठोर रवैया है तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से गोलवॉल्कर के विचार और नीति को लागू किया जाता है उसी साहसिक तरीके से फासीवादी ताकतों द्वारा इस सरकार को कड़े तरीके लागू करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : यह कहना कि इसमें सरकार का हाथ है, यह आपत्तिजनक बात है। इस पर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बारे में सरकार की नीयत साफ है। माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कठेरिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : गोल्वॉल्कर के विचारों को स्पष्ट और भिन्न रूप से दोहराया जा रहा है जिन्होंने अल्पसंख्यकों को हिन्दू नाम अपनाने और हिन्दू त्यौहारों को मनाने इत्यादि के लिए आह्वान किया था। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में वंदे मातरम् और सरस्वती वंदना गाने की अनिवार्यता थोपने की कोशिश की। संविधान, कानून और यहां तक कि बिजोय इमानुअल और अन्य बनाम केरल राज्य, ए आई आर 1987 एस सी. 748 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भावना की पूर्ण अवहेलना करते हुए इसे लागू करने की कोशिश की गई है। आपके द्वारा दिया गया समय बहुत कम है और इसलिए मैं केवल उस मामले का उल्लेख करूंगा और उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन, मैं सभा को एक अमरीकी मामले में एक अमरीकी जज, जस्टिस स्टोन के विवेकपूर्ण शब्दों का स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

> "स्वतंत्रता जिसकी गारंटी दी गई है का सार है किसी भी व्यक्ति विशेष को कम–से–कम ऐसे मामले में जहां अपने धर्म के बारे में झूठा साक्ष्य देने की बाध्यता है।" इस बारे में वह क्या सोचता और वह क्या कहता है इसकी बाध्यता से स्वतंत्रता है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में गोलवॉलकर के विचारों की अनुगूंज कर्नाटक में भी सुनी गई है। 17 जुलाई को, बजरंग दल द्वारा पर्चे बांटे गए थे। इस बात की धमकी दी गई थी कि स्कूलों में हिन्दू प्रार्थनाएं की जानी चाहिए और हिन्दू देवियों के चित्र लगाए जाने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकमगलूर में हज़रत बाबा दरगाह की मुक्ति के आंदोलन को आरंभ करके कर्नाटक में अयोध्या की घटना को पुनः दोहराया जाने की कोशिश की गई थी।

गुजरात के रणधीकपुर में स्थिति की गंभीरता को देखिए। अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मेरे द्वारा भेजे गए अतारांकित प्रश्न–जो कि मेरे तथा अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था–में भी इसे मामूली सा मामला ही माना गया। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि रणभीकपुरमें गुजरात गवर्नमेंट ने कानूनन वहां के अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया है और वह अच्छी तरह से रणभीकपुर में रहते हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : अतः इस प्रकार की प्रतिक्रिया की गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में संघ परिवार ने घोषणा कर रखी है कि 2000 ई. तक बांसवाड़ा को ईसाइयों से मुक्त कर दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार के रवैये को देखिए।

श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार द्वारा संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह आपको अवसर नहीं दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अध्यक्ष जी, आप हमें बोलने नहीं देते। गुजरात सरकार ने अल्पसंख्यकों को अच्छी तरह से संरक्षण दिया है। ये कैसे इस प्रकार बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : 6 दिसम्बर को, जिस दिन बाबरी मस्सिद गिराई गई थी, उसकी वर्षगांठ की संध्या पर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों पर कहर बरपाया गया। गोवन्दी, ओशीवारा, परतीक्षा नगर जैसी अन्य अनेक कालोनियों में रात को पुलिस ने मुस्लिम घरों के दरवाजे खटखटाए और उनसे राशन कार्ड दिखाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे दुर्व्यवहार किया और जानबूझ कर उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

महोदय, आजकल तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर भोले–भाले लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही हैं।

सरकार की स्थिति देखिए। यहां, दिल्ली में हम देखते हैं कि उप–मंडलीय मैजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस भेजे गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि 'आपके मृत पूर्वज–पिता अथवा दादा–पाकिस्तान के नागरिक थे और अब आप आइए और उनकी सम्पत्ति का खुलासा कीजिए।' इस बात की व्याख्या कोई नहीं करना चाहता कि किस कानून के अन्तर्गत उनसे इस बारे में पूछताछ की गई थी। प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे पांच सौ नोटिस जारी किए गए थे। मैं इस विशेष मामले पर विस्तारपूर्वक बोलना चाहता हूं लेकिन समय की कमी के कारण मैं संक्षेप में अपनी बातों का उल्लेख करूंगा। महोदय देखिए किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। गुजरात में एक ईसाई व्यक्ति के मृत शरीर को कब्र में से निकाल कर राज–मार्ग पर फेंक दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : वहां कोई कब्रिस्तान नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : हमें जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे : बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में अल्पसंख्यकों को अच्छी तरह से संरक्षण दे रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, अयोध्या नगर पालिका परिषद् ने संकल्प 16 (1) पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि सभी कब्रिस्तानों को बंद कर दिया जाएगा और अयोध्या की सीमा के भीतर दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस उद्दंडतापूर्ण और अमानवीय व्यवहार को देखिए। जब वे कहते हैं कि अयोध्या नगर पालिका परिषद् की सीमा के अन्दर किसी को दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महोदय, यह किसी बात की चरम सीमा है। मैंने इस मामले के संबंध में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है।

यह गंभीर स्थिति है और नामले पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

एक महान मुस्लिम विद्वान मौलाना सईद अबुल हसन अली नदवी के पूर्वजों के घर पर छापा मारकर अल्पसंख्यकों को डराने के लिए ऐसे दमनकारी कदम उठाए जा रहे हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सर, हमारी समता पार्टी को आपने बोलने का समय नहीं दिया है, हमें भी बोलने का समय दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : आप में भी धैर्य की कमी है और मुझे मालूम है कि समय की कमी है। इसलिए मुझे यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करने दीजिए कि हमारी मातृभूमि भारत की नियती साम्प्रदायिक सौहार्द और सामंजस्य में निहित है। हमारे सपनों का भारत वह है जहां किसी भी व्यक्ति को एक पल के लिए भी अपनी सुरक्षा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा को खतरा नहीं हो और न ही उसकी जीवन शैली को खतरा हो। वह हमारे सपनों का भारत है जहां सभी प्रगति की राह पर समान अवसरों के साथ तथा कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें ताकि हम राष्ट्र में बंध जाएं जो कि विश्व के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह स्थिति है और इसीलिए जैसा कि मैंने कहा है स्थिति की घोर वास्तविकता यह है कि गोलवालकर के विचारों और नीति को किस जोरदार तरीके से कार्यान्वित करनी कोशिश की जा रही है और वह राष्ट्र के अधिकाधिक हित में और हमारे देश की एकता तथा अखंडता के हित में इन विचारों को तिलांजलि दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी. सी. थॉमस बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि हमारा ऐजेंडा इस तरह का नहीं हो और अभी हाल ही में लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं इसी कारण से हमारा यह एजेंडा है और जो अभी माननीय सदस्य ने कहा है, मैं उसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूं कि जिस धर्म निरपेक्ष भारत की छवि हमारे दिल में है, उस भारत को ऐसे स्थान के रूप में निरूपित किया जाए जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे चाहे वह बहुसंख्यक वर्ग में हो अथवा अल्पसंख्यक वर्ग में हो अथवा किसी अन्य धर्म का हो। धर्म को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह इस देश में व्यक्तियों को विभाजित करे। ऐसा नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा है तो हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।

जहां तक कि कुछ अत्याचारों का संबंध है, लगभग सभी का उल्लेख यहां किया गया है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। जब गुजरात सरकार ने यहां दिल्ली तथा भारत के सभी स्थानों में एक समुदाय द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध के खिलाफ कार्यवाही की थी, तब हमने संसद में कहा था कि गुजरात सरकार ने यह कहा है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने विरोध किया है अथवा किसी ऐसे संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रहे हैं जो कि उस दिन बंद रहेगा। उस समय संसद में यह कहा गया था कि कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होने जा रही थी।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : आपका इंफार्मेशन गलत है। जो ग्रान्ट लेने वाली एजूकेशन संस्थाएं होती हैं वे इस तरह से छुट्टी पर नहीं रह सकतीं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किसी भी स्कूल को धर्म के नाम पर बन्द करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और विशेषकार तब जब स्कूल सरकारी अनुदान से चलता हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थॉमस : मेरे पास बोलने के लिए केवल दो मिनट का समय है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : वह कार्य–दिवस था।

श्री पी. सी. थॉमस : आपके पास कितने कार्य–दिवस होते हैं? कितने कार्य–दिवसों पर हमने हड़ताल की है? क्या आप उन सब के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं जो कि इसके विरोध में हड़ताल पर गए हैं? ...*(व्यवधान)* वह केवल विरोध था। संस्थानों की ओर से केवल विरोध व्यक्त किया गया था। यह मानता हूं कि केवल गुजरात में कार्यवाही की गई थी। केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अन्य स्थानों पर भी किसी राज्य सरकार ने कार्यवाही नहीं की।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा शासन चल रहा है और ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात में अच्छा शासन चले इसलिए ये गुजरात का नाम ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थॉमस : यह अत्याचार है। इसे किसी छोटी पार्टी के सदस्य पर अत्याचार के रूप में माना जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अध्यक्ष महोदय, किसी भी ऐसी शैक्षणिक संस्था को जो प्रदेश शासन के अनुदान से चल रही है, उसे इस प्रकार से हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा कोई संस्था नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : शुक्रवार को ऐसा हुआ था। ऐसा परिपत्र न केवल एक स्कूल को जारी किया गया था बल्कि यह सभी स्कूलों को जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि बच्चों को इन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थॉमस : मुझे केवल दो मिनट दिए गए हैं और इन दो मिनटों में उन्होंने तीन मिनट ले लिए हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से स्कूल को बंद करके सड़क पर उतरने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थॉमस, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए; सदस्यों को सम्बोधित नहीं करिए।

श्री पी. सी. थॉमस : महोदय, मैं अपनी बात को केवल एक मुद्दे तक सीमित रखने की कोशिश कर रहा था।

4 दिसम्बर को विरोध किया गया था और हमने यहां इस बारे में बताया है, हमने संसद में बताया था कि एक सरकार–मैं यह नहीं कहता कि गुजरात सरकार– ने यह कहा था कि वह कड़ी कार्यवाही करने जा रही थी, अर्थात् वह किसी भी ऐसे स्कूल को अनुदान देना बंद कर देंगे जो कि उस दिन बंद रहेंगे। कोई कार्यवाही तो थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। तब उसके जवाब में संसद में कहा गया था कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी। इसके बावजूद गुजरात में सभी स्कूलों और संस्थानों को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नोटिस भेजे गए थे जो कि उस दिन बंद रहे थे। वह कहते हैं कि निरीक्षक खास तौर पर उस दिन स्कूलों का निरीक्षण करने गए थे और जब निरीक्षक स्कूलों में गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है।

वह कहते हैं कि जब इसकी जांच की गई थी तो यह पता था कि वे विरोध कर रहे थे। तत्पश्चात् उन्होंने एक नोटिस दिया था जिसमें यह कहा गया था कि अगले दिन तक इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। सामान्यतः जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया जाता है। कारण बताओ नोटिस में यह कहा गया था कि अगले दिन उन्हें वहां हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि अनुदान में कटौती क्यों नहीं की जानी चाहिए। कार्यवाही तत्काल की गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किसी भी शैक्षणिक संस्था को वातावरण बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : थॉमस जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री पी. सी. थॉमस : मैं यह बात सभा के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा था कि सरकार अर्थात् गुजरात सरकार द्वारा ऐसी कार्यवाही की जा रही है। यदि ऐसा है, तो मेरा विचार है जबकि माननीय गृह मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं तो वह इस सभा में इसका जवाब दे देंगे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरे विचार में अत्याचार की घटनाओं का यह क्रम और आगे जारी नहीं रहना चाहिए और इस सरकार को इस सभा में एक बहुत ही कठोर वक्तव्य देना चाहिए कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे और उनकी सभी तरह के अत्याचारों से रक्षा की जाएगी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामुला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा माननीय गृह मंत्री, श्री एल. के. आडवाणी के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है।

यह स्थिति बहुत कष्टदायक है। मेरे विचार में माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री को राष्ट्र की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। शिव–सेना के नेता श्री मधुकर सरपोतदार ने यहां कहा था कि हम स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी हां, यह हमारे लिए शर्म की बात है क्योंकि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के संविधान पर कुठाराघात करते हैं, उनके हृदय में भारत के संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह सभी कुठाराघात करने के लिए तैयार हैं।

अतः यह एक साम्प्रदायिक त्रासदी है और इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए यह शर्म की बात है। लेकिन किसी को तो इस सम्पूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी ही होगी। मैं अपनी बहन, कुमारी उमा जी की बात से बहुत हैरान था। उन्होंने कहा था कि हत्यारों–अथवा जो भी हिन्दी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अर्थात् अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि यहां इस सभा में श्री सरपोतदार ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी। वह दुबारा नहीं बनेगी। वह मस्जिद कभी दुबारा नहीं बनाई जाएगी। वह इसे ढांचा कहती हैं। कृपया इस बात को भूल जाइए कि वह मस्जिद थी या ढांचा था।

भारतीय पुरातत्व किसी को भी सौ वर्ष पुरानी इमारत को गिराने की अनुमति नहीं देता है। वह मस्जिद 500 वर्ष पुरानी थी। इसलिए इसे गिराना एक अपराध था। यहां तक कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उस संबंध में वक्तव्य दिया था। यह कहना बहुत आसान है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस समय मैं कुमारी उमा भारती की भावनाओं का सम्मान करता हूं क्योंकि जब भी राष्ट्र का प्रश्न सामने आता है तो हमारे विचार एक समान हैं। लेकिन उन्हें इस अवसर पर हमारा साथ देना चाहिए। उन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए और समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए और केवल तभी उनकी बात मुझे प्रभावित करेगी। अन्यथा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उन्हें इन लोगों को सजा देने के लिए आगे आना चाहिए। जब मैं इस विश्लेषण की गहराई में जाता हूं तो मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि मैंने झबुआ के संबंध में माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। हमें माननीय गृह मंत्री के समक्ष उन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए जो कि सही हैं।

आज हम भारतवासी 21वीं सदी में एक बड़े और महान् राष्ट्र के रूप में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। भारत सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट पाना चाहता है। भारत सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट पाने में पूर्ण सक्षम है और पात्रता रखता है। इसका दुनिया के देशों में एक सम्मानपूर्ण स्थान होना चाहिए। हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं लेकिन हम इस प्रकार की नेकनामी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कुछ घटनाएं घटी हैं और हाल ही में इनके ग्राफ में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। माननीय गृह मंत्री को इस संबंध में विचार करना चाहिए। भारत का भी भविष्य है। मैंने इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है। यह अन्य बड़े देशों की तरह नहीं रह जाएगा। यह निश्चित रूप से नेहरू के स्वपनों का राष्ट्र बनेगा। इस समय सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुध्रुवीय प्रणाली के समाप्त होने के कारण एक ध्रुवीय प्रणाली आरंभ हो गई है। न केवल एशिया में बल्कि विश्व भर में स्थिति बहुत अच्छी है। चीन, भारत, रूस और अमरीका एक साथ मिलकर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हमें इस स्थिति का उत्तर देना है। हमें तत्काल ही इस बुराई से निजात पाना है। मैं माननीय गृह मंत्री से भी इसी बात की आशा करता हूं।

महोदय, मुझे कई बातें छोड़नी पड़ रही हैं। आज इस देश में अल्पसंख्यक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। श्री सरपोतदार ने गलत बात कही है क्योंकि उनकी इतिहास में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा : आ गया है, आग गया नहीं हार्मनी से कन्वर्ट हो गया है।

[प्रो. सैफुद्दीन सोज़]

آگیا ہے، آگیا نہیں ہارمونی سے کنورٹ ہو گیا ہے۔

मुसलमानों को अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि और पितृभूमि मानने का जन्म सिद्ध अधिकार है। वह दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं और न ही वह शिव सेना के रहमोकर्म पर हैं।

[हिन्दी]

सब नहीं आया है। जो आया है, वह बाबर के साथ यहां मरा है और जीया है। जहांगीर हिन्दू मां का बेटा था और शाहजहां आदि जितने भी बादशाह थे, वे सब यहां गुजरे हैं। आप अंग्रेजों के साथ उस सारे दौर को भुलाने का दौर नहीं गिन सकते क्योंकि उस पर 1500 करोड़ मुसलमानों को एतराज है।

سب نہیں آیا ہے۔ جو آیا ہے، وہ بابر کے ساتھ یہاں مرا ہے اور جیا ہے۔ جہانگیر ہندو ماں کا بیٹا تھا اور شاہجہاں وغیرہ جتنے بھی بادشاہ تھے، وہ سب یہاں گذرے ہیں۔ آپ انگریزوں کے ساتھ اُس سارے دور کو بھلانے کا دور نہیں گن سکتے کیونکہ اس پر ۱۵۰۰ کروڑ مسلمانوں کو اعتراض ہے۔

[अनुवाद]

कितने मुगल आए थे?

राष्ट्रीय स्वयं सेवक से मेरी यही शिकायत है कि वह हिन्दुओं को पुनरुद्धारवादी बनाना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि उन्हें अपने अतीत में झांकना चाहिए। लेकिन अधिक अतीतावलोकन से हिन्दू समाज को ही नुकसान होगा।

इतिहास सोए हुए शेर की तरह है। यदि आप सोये हुए शेर को उठाते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति मारा जाता है वह वही व्यक्ति होता है जो उस शेर को जगाता है। हमें इतना अधिक अतीत में नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

तारीख को, इतिहास को ज्यादा खंगालने से हिन्दुस्तान का मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा। मैं उर्दू में बोल रहा हूं। तारीख जो है, माझी जो है, वह हमारे लिए मिशाल बननी चाहिए ताकि आपके भविष्य का रास्ता खुल जाए। हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए माझी से सबक लेना चाहिए।

تاریخ کو، اتہاس کو زیادہ کھنگالنے سے ہندوستان کا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اُردو میں بول رہا ہوں۔ تاریخ جو ہے، ماضی جو ہے، وہ ہمارے لئے مثال بننی چاہیئے تاکہ آپ کے مستقبل کا راستہ کھل جائے۔ ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لئے ماضی سے سبق لینا چاہیئے۔

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री को बता रहा हूं कि मुस्लिम और ईसाई लोग अपने को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आर. एस. एस. द्वारा फैलाया गया घृणा अभियान ही जिम्मेदार है।

जब भा.ज.पा. सरकार गठित करने के लिए आगे आई तब (आर. एस. एस.) ने राहत की सांस ली। तब से मैं स्वयं देख रहा हूं कि वह पुनरुद्धारवादी आंदोलन को और मजबूत करना चाहते हैं, वे लोग भारत को एक धर्मतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और उनके जोश को देखकर ऐसा लगता है कि वे प्रशासन की बागडोर भी संभालना चाहते हैं। वे उत्तरप्रदेश गए; वे तकनीकी संस्थानों में गए और वे विज्ञान संबंधी संस्थानों में भी गए। उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। वे सांस्कृतिक पार्टी और एक धार्मिक पार्टी हो सकते हैं लेकिन वे सरकार में नहीं हैं। यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। गृह मंत्री से पहले उन्होंने उन स्थानों का दौरा किया जिनका दौरा उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं, भारत के नागरिक के रूप में, इस बात पर आपत्ति करता हूं।

एक समय के बाद आर. एस. एस. भारतीय जनता पार्टी पर एक बोझ बन जाएगा। वास्तव में, मैं चाहता हूं कि भा.ज.पा. आगे बढ़े और एक धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बनाए। हम इस बात का स्वागत करेंगे। जब तक उनका बहुमत है, उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार है। उस संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं हो सकती है। लेकिन आम आदमी और अल्पसंख्यक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि मैंने कहा था कि यह आर. एस. एस. के कारण है, फिर भी मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह भा.ज.पा. की नीतियों के कारण भी है। सरकार की नीतियां आर. एस. एस. के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान कर रही है।

मेरे पास लिखित सामग्री है। मैं अभी इसको पढ़ नहीं सकता हूं। यह पत्र डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने पेरिस में प्रस्तुत किया था। मैं इस संबंध में पूर्णतः असहमत हूं क्योंकि इससे इस राष्ट्र की सही सोच नहीं झलकती है। दुर्भायवश मैं इसके विस्तार में नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं इस विषय के अंत में बोल रहा हूं। लेकिन इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में डॉ. जोशी ने श्री अरविन्द और विकासवाद की बात का उल्लेख किया है। जब कोई आदमी विकासवाद की बात करता है तो उसे इस्लाम द्वारा दिए गए योगदान को भी स्वीकार करना चाहिए। मैं उस संबंध में बाद में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मुस्लिम समुदाय हत्याओं की चोट और पाठ्यक्रम में सुधार के नाम पर किया गया प्रहार सहन कर रहा है। वह मुस्लिमों और ईसाइयों का भारतीयकरण और आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं। मेरे पास रिपोर्ट है। मैं इसे श्री एल. के. आडवाणी

को दे रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वह इसका अध्ययन बहुत शान्त भाव से करेंगे। यह रिपोर्ट गुजरात के संबंध में है। यदि गृह मंत्री चाहें तो मैं यह उन्हें दे दूंगा। जो कुछ भी उन्होंने झबुआ के संबंध में कहा वह सही था। लेकिन यह रिपोर्ट गुजरात के संबंध में है। इसमें बारडोली के कुछ चित्र हैं। एक अध्ययन दल वहां गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज़ आप इसे माननीय गृह मंत्री को भेज सकते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : ईसाइयों और मुस्लिमों के साथ जो कुछ हुआ है, इससे संबंधित तथ्य साबित हो चुके हैं। गुजरात में जो दल गया था, उनमें केवल एक हिन्दू था। मैं इसे इस उम्मीद के साथ माननीय गृह मंत्री को भेज दूंगा कि वह इस संबंध में विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी : कश्मीर के बारे में बताइए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : अगर आप चाहेंगे तो मैं कश्मीर के बारे में भी बताऊंगा। वह तो आडवाणी जी को ज्यादा पता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولہ): اگر آپ چاہیں گے تو میں کشمیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ تو آڈوانی جی کو زیادہ پتہ ہے۔ ... (مداخلت)

ईसाइयों के एक धार्मिक जन समुदाय, **जीवन दर्शन** पर सीधे हमला किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज़, कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं सब बातें छोड़ता जा रहा हूं।

उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम में सुधार की बात चल रही थी। मेरी आपत्ति 'वंदेमातरम्' अथवा 'सरस्वती वंदना' के संबंध में नहीं है। यह अच्छा नियम और अच्छी शिक्षा है। यदि श्री आडवाणी मुझे अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और मुझे गाने के लिए कहते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं अपने मित्रों का ध्यान आकर्षिक कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : सरस्वती वंदना भारतीय संस्कृति है और बचपन से सब लोग सरस्वती वंदना करते हैं। ...*(व्यवधान)* सरस्वती वंदना कोई धर्म के स्वरूप में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज़, कृपया बस कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। आप सरस्वती वंदना अथवा वंदेमातरम् को सभी के लिए अनिवार्य नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह भारतीय संविधान का सीधे-सीधे उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 और 28 में व्यवस्था है कि करदाता के धन को किसी धर्म के बढ़ावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकारी स्कूलों में कुछ भी अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः ऐसा आप निजी स्कूलों में करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज़, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं हर बात को छोड़ता जा रहा हूं।

मैं अपनी बात पूरी करने से पहले, भारत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, हम भविष्य के लिए भारत का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। मैं श्रीकृष्ण आयोग का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं आयोग की नियुक्ति की शर्तों का उल्लेख नहीं करूंगा। श्री सरपोतदार हमारे सहयोगी हैं और सुधरने के लिए समय की कमी नहीं है। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि कुछ व्यक्तियों और संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया। जिस संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया वह है शिव सेना और जिन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया वो हैं श्री बाल ठाकरे और श्री सरपोतदार। आयोग ने श्री बाल ठाकरे की एक साक्षात्कार में की गई उस स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को देश से जाना होगा। मैं श्री बाल ठाकरे द्वारा 'द टाइम्स' मैगजीन को दिए गए साक्षात्कार का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन श्रीकृष्ण आयोग द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है। मैं पूरे ब्यौरे में नहीं जा रहा। मेरे सहयोगी स्वयं यहां पर उपस्थित हैं। श्रीकृष्ण आयोग उन्हें सुधारना चाहता है। मैं आपके और गृह मंत्री के माध्यम से उनकी सोच को सुधारना चाहता हूं क्योंकि श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट में उनके विरुद्ध कड़ी निन्दा की गई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं चाहता हूं कि श्री बाल ठाकरे को इस प्रकार के वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे कानून को अपने हाथ में लेकर फैसला करते हैं या फतवा देते हैं। वे कानून की बात नहीं करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्हें श्री बाल ठाकरे का नाम नहीं लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* वे मेरा नाम ले सकते हैं। मैं सभा में उपस्थित हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच सुधारें। यही श्रीकृष्ण आयोग भी आपसे अपेक्षा रखता है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कानून से ऊंचा न हो। मैं धर्मतांत्रिक भारत नहीं चाहता जिसमें पुनरूत्थानवादी हिन्दू आंदोलन और उग्र राष्ट्रीयता हो परंतु ऐसा भारत हो जो गतिशील और शक्तिशाली हो, जिसमें सौहार्द और एकजुटता की भावना हो, भारत एक विश्व शक्ति हो – विश्व की चार शक्तियों में से एक हो। यह जवाहरलाल नेहरू का सपना था। मैं उनकी कविता की एक पंक्ति को उद्धृत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब इतना समय नहीं बचा है।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : क्या आप हमें बोलने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। हम पहले ही दस घंटे का समय ले चुके हैं जबकि आबंटित समय केवल दो घण्टे था। अब गृह मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : अध्यक्ष जी, समता पार्टी को तो आपने टाइम ही नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही दस घंटे का समय ले चुके हैं। हम इस मुद्दे पर पिछले चार दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आप कितने घण्टों तक इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : आप लोग ऐसा मत कीजिए। आपने प्रोमिस किया था कि इसके बाद में जवाब देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सभा के सभी घटक दलों को बोलने का अवसर चाहिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : आडवाणी जी, हम आपसे सहयोग चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं हाथ जोड़कर कहता हूं 'नहीं'।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके अन्दर कितने लोगों को चांस दे सकते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय सभा में उत्तर देने की पिछले चार दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : हमारी पार्टी के लोक सभा में पांच सदस्य हैं और किसी भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अगर ये आठ बजे जवाब देंगे तो न्यूज में तो जाएगा नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों का यही व्यवहार रहा तो मैं सभा को नहीं चला सकता।

सायं 7.00 बजे

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में 42 अलग–अलग दल हैं। मैं सभी दलों को अवसर नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, मैंने सूचना दी है मेरा दल सभा का तीसरा सबसे बड़ा दल है। मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपके दल में से भी कोई बोल चुका है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, कृपया समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप यह समझिए कि गृह मंत्री का उत्तर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपने पहले ही दस घण्टे ले लिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने प्रॉमिस किया था कि साढ़े छः बजे होम मिनिस्टर जवाब देंगे, अब सात बज रहे हैं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : हमारी पार्टी के केवल चार सदस्यों ने ही बोला है। अभी और दस सदस्य बोलने बाकी हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने प्रॉमिस किया था इसके बाद कोई इश्यू नहीं आएगा। अब इश्यू भी सारे आने चाहिए और दस–दस घंटे एक ही बहस में लग जाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

[अनुवाद]

यह तरीका नहीं है। महोदय, आपने तीन घण्टे का समय आबंटित किया था। परन्तु उन्होंने पहले ही दस घण्टे का समय ले लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सभा में पांच व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को एक घण्टा पचास मिनट का समय दिया गया। परन्तु हमारी पार्टी के एक भी आदमी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह स्ट्रेटजी हो रही है, कल भी कोई बिल पास नहीं होने दिया, आज भी नहीं होने दिया। जब सरकारी बिजनेस आता है ये हमला करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप विरोध क्यों कर रहे हैं? यदि एक घण्टे का समय बढ़ाया जाता है तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आप हमसे सहयोग चाहते हैं और यदि हम बोलना चाहते हैं तो आप बोलने नहीं देते। आप इस पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? खुराना जी छोड़िए, क्यों नाराज हो रहे हैं। महोदय, पिछले पांच दिनों से मेरे सदस्य बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं भी बैठा हूं। सभी बैठ रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ठीक है फिर रिप्लाई कल होगा और आज जितने सदस्य चाहें बोल लें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम केवल समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं सभी को मौका देना चाहता हूं। मैं महिला तथा पुरुष सदस्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, कृपया इस बात को समझने की कोशिश करें कि मंत्री जी कल उत्तर देंगे। यदि सदस्य सहमत हैं तो मैं सभा का समय आधा घण्टा अर्थात् अपराह्न 7.30 बजे तक बढ़ाने की सभा से अनुमति चाहता हूं। एक शर्त केवल यह है कि प्रत्येक सदस्य को केवल तीन मिनट ही लेना होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि विपक्ष के सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मुझसे मिलकर बात की है। हमने उनको समय दिया है और वे बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : इसे एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा एक घंटा समय बढ़ाए जाने के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में भी प्रत्येक सदस्य को तीन से चार मिनट ही मिलेंगे। उत्तर कल होगा।

श्री अमर राय प्रधान बोलेंगे।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया।

आज देश में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जात–पांत के नाम पर, जो अत्याचार और शोषण की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें देखकर मुझे एक ही बात लगती है और मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं कि आपकी जो थ्योरी है, थीसिस है, चिंतन है, भावना है कि एक देश हिन्दू राष्ट्र, एक भाषा हिन्दी और इसलिए आप एक धर्म हिन्दू मांग रहे हैं? बहन उमा भारती जी की बात को मैंने बहुत धैर्य से सुना कि हमारे देश के संविधान में जो सैकुलरिज्म है, उसे आपने एक ढंग से हाउस में रखा। उन्होंने क्या कहा कि आंटी क्या होता है? आंटी मौसी होता है, आंटी का मतलब बुआ होता है। आडवाणी जी, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो 6 दिसम्बर, 1992 को आपने बयान दिया, वह बयान बहुत गंभीरता से, बहुत धैर्य से मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। बाबरी मस्जिद गिरने के छः साल के बाद आपने जो भाषा बोली है, आपने जो कुछ बात कही है, जो पीड़ा, जो दुख अनुभव किया है, उसमें मैं

[श्री अमर राय प्रधान]

भी अनुभवी हूं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह बी.जे.पी. की सरकार अभी जो कुछ यहां किया है, वह भूलना चाहती है और नए ढंग से, सैकुलरिज्म से इस देश को चलाना चाहती है लेकिन क्या हुआ? शिक्षा के नाम पर आप सरस्वती वंदना चला रहे हैं। आप सिनेमा एक्टर दिलीप कुमार जी के घर पर नारे लगवा रहे हैं। आप धर्म के नाम पर बाइबल जला रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल जलाने से हमारे देश की इमेज गिर गई है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने जैसे कहा, मैं चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तीन मिनट में समाप्त करिए।

श्री अमर राय प्रधान : कम–से–कम चार मिनट कीजिए। सिर्फ बाइबल पर नहीं, आप सारे देश में आग लगा रहे हैं। हिन्दुस्तान जलता रहे और आप हिन्दुत्व का प्रचार करते रहें।

इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे रोम जलता रहा और नीरो बीन बजाता रहा। अगर ऐसा यहां हुआ तो बहुत दुख की बात होगी। आपने हिन्दू दर्शन की बात की, हिन्दू दर्शन में चारवाक का दर्शन भी है, जो चारवाक विश्वास नहीं करता कि भगवान कौन है। ...*(व्यवधान)* पतंजलि भगवान में विश्वास करता है, वह बोलता है कि प्रेगमेटिक के साथ समझौता करो। यह तो हमारे हिन्दू धर्म के ऊपर है। मैं ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं हूं, मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूं और मैं पडित भी नहीं हूं।

आडवाणी जी, मुझे मालूम है कि आप विवेकानंद पर विश्वास करते हैं। जब वह शिकागो से वापस आए तो उन्होंने बोला ।

[अनुवाद]

"आप अपने 330 मिलियन पौराणिक देवताओं पर विश्वास करो और विदेशियों द्वारा आपके मध्य समय–समय पर प्रवेश कराए गए देवताओं पर विश्वास करो और स्वयं पर विश्वास न करो तो फिर तुम्हारी मुक्ति सम्भव नहीं है। अपने पर विश्वास रखो और इस विश्वास पर कायम रहो और शक्तिशाली बनो। आज हमें इसी बात की आवश्यकता है।"

यह स्वामी विवेकानन्द द्वारा कहा गया था। हमारे देश में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था : –

"मैं इसीलिए कम्युनिस्ट नहीं हूं क्योंकि यह आदर्श है अपितु इसलिए क्योंकि भूखे पेट से आधी रोटी भली है।"

[हिन्दी]

महोदय, हमारे हिन्दू धर्म के दर्शन में कई विभाग हैं–कोई भगवान में विश्वास करता है और कोई भगवान में विश्वास नहीं करता है। आप हिन्दू धर्म की बात कर रहे हैं, हिन्दू धर्म में तो भक्ति मार्ग के दर्शन हैं। हमारे यहां मुखमरी है, जिनके पास मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है उनके लिए आपने क्या किया है? आप हिन्दू, मुसलमान को अलग करके देखते हैं।

[अनुवाद]

"फूट डालो और राज करो" की नीति देश में अंग्रेजों द्वारा अपनायी गई थी और विभाजन के समय भी उन्होंने इस नीति को अपनाया था। आप इसे नकार नहीं सकते। भारत को विभाजित करने में कांग्रेस ने समर्थन दिया था। उस समय मैं समझता हूं श्री आडवाणी भी छात्र थे और मैं भी छात्र था। और आप हिन्दू मसीहाओं ने डॉ. मुंझे के नेतृत्व में यह निर्णय किया था कि बंटवारा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार आपने भारत का विभाजन कराया।"

[हिन्दी]

आपने साम्प्रदायिकता का बीज रोपण किया है, आप एक धर्म के साथ दूसरे धर्म को लड़ाने का मौका देते हैं, यह बात ठीक नहीं है। इस तरह हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन बोल कर बात करना ठीक नहीं है। इस देश की जो भावना होनी चाहिए वह भावना आपने नहीं अपनाई है। यह भारत धर्म सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है, यह धर्म आपने नहीं माना है। मुझे आशा है कि आप सेक्यूलरिज्म की बात करेंगे और जो संविधान में है उसे मान लेंगे तथा उसे ठीक ढंग से लागू करेंगे।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पिछले कई दिनों से सदन एक संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहा है। समय का अभाव है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मुझे इस बात का दुख है कि जो संवेदनशील मुद्दा है, जिसे लेकर हमें दर्द होता है उस मुद्दे पर बहुत कम लोगों ने अपने विचार रखे या उसकी चिंता जताई। महोदय, मेरे घर में मेरी बेटी की करीबन ढाई साल की एक छोटी बेटी है। वह घर में खेलते–खेलते गिर जाती है और उसे थोड़ी–बहुत चोट लगती है। हमने देखा है कि जब वह गिर जाती है तो हम उसे देखते हैं और कहते हैं कि अरे, बिटिया गिर गई तो वह चिल्लाने, रोने लगती है। अगर उसके सामने हम नहीं देखते तो खड़ा होकर चलने लगती है, उसे पता नहीं कि वह गिर गई है। मुझे लगता है कि हम पिछले कई दिनों से इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जो छोटे–छोटे, आइसोलेटिड, लोकल मुद्दे हैं उनको हमने अपने भाषण में बोलकर पूरे देश को ऐसा मैसेज दिया है कि पूरा अल्पसंख्यक समुदाय इस देश में सुरक्षित नहीं है। देश में कुछ लोग उनको इस देश से भगाना चाहते हैं। जो बात सदन से निकलती है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री माननीय आडवाणी जी ने कहा कि हमारे भाषण से जो सुर निकलता है वह सुर घटनाओं की हकीकत से ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा चेतावनी वाला बनता है।

सायं 7.16 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

सभापति जी, अल्पसंख्यकों की परिभाषा हमें करनी होगी। यह देश इतना बड़ा है। इसमें जाति के आधार पर अल्पसंख्यक की

परिभाषा नहीं हो पाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर कच्छ तक कुछ ऐसे इलाके, प्रदेश और प्रांत हैं जिनमें कुछ इलाका ऐसा है जहां वे बहुसंख्यक होते हैं जबकि दूसरे इलाकों में वह कहीं अल्पसंख्यक होता है। मैं गुजरात के पंचमाल जिले के शहेरा का निवासी हूं। वह एक छोटा सा गांव है। मुझे मेरे पिता जी ने बताया कि 1948 में मेरा घर भी जलाया गया था। अब बताओ कि मैं अल्पसंख्यक हूं या बहुसंख्यक हूं। एक गरीब ब्राह्मण का घर जलाया गया। हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी। मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं लेकिन जब 1948 का दंगा हुआ, सुना गया है कि उस वक्त जो कलैक्टर थे वे बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बने। उन्होंने उस वक्त पेट्रोल की टंकियां भेजी थीं। मैं पिछले तीस साल से राजनीति में हूं और बीस साल कारपोरेशन में भी रहा हूं। मैंने अहमदाबाद शहर का 1969 का दंगा देखा। यहां हर दो वर्ष बाद एक दंगा होता था। इतिहास इस बात का गवाह है कि उस समय कांग्रेस का शासन था। उस दंगे में ढाई हजार मुसलमान और एक हजार हिंदू मारे गए। अब मैं हिन्दू और मुसलमानों की बात करूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगी। वहां ढाई हजार मुसलमानों की बोटिंग लिस्ट से नाम चुन-चुन कर मारा गया। उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन था? किसकी सरकार वहां थी। केन्द्र में और गुजरात में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय किसी को अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं हुई।

कश्मीर से चार-पांच लाख लोगों को निकाल दिया गया और आज देश के कोने-कोने में वे पड़े हैं। उनका कसूर केवल यह था कि उन्होंने एक हिंदू मां के पेट से जन्म लिया। अपने ही देश में, अपनी ही सरकार के होते हुए उनको उनके प्रदेश में जला दिया जाता है और उनकी संपत्ति लूटी जाती है। उनकी किसी को चिंता नहीं और किसी ने भी नियम 193 के अन्तर्गत उसका उल्लेख नहीं किया। पिछले 12-14 सालों से कश्मीर के पंडितों के घरों को लूटा जाता रहा है, उनका उत्पीड़न होता रहा है। आज भी उनकी चिंता किसी को नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैंने गुजरात का उल्लेख किया। समय कम है। मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरे मित्र बता रहे थे कि गुजरात सरकार ने उन स्कूलों पर नोटिस जारी किया जिन्होंने हिस्सा लिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 दिसम्बर को शुक्रवार था। क्या इस देश में किसी भी शासन में स्कूलों के बच्चों को राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में ले जाने की छूट है। कौन से संविधान में लिखा है कि स्कूल बंद कर दो। चाहे वह भाजपा की रैली हो, कम्युनिस्ट पार्टी की रैली हो या फिर किसी भी धर्म की रैली हो। वहां पर स्कूलों ने पहले से एनाउंस कर दिया कि 4 तारीख को हमारे स्कूल बंद रहेंगे। छोटे-छोटे मासूम बच्चे जिन्हें मालूम नहीं कि धर्म क्या होता है, किसको जलाया गया या मारा गया। जबर्दस्ती स्कूल के लड़कों को रैली में ले गए। सरकार ने किसी एक स्कूल पर सर्कूलर नहीं दिया था। हमारे शासन में कहा जाता है कि कोई स्कूल अपने बच्चों को राजनीति में न घसीटे। राजकोट की घटना का उल्लेख हुआ है। सभापति जी, राजकोट का यह आई. पी. मिशन स्कूल है जिसमें 1800 बच्चे हैं और जिसमें 15 बच्चे क्रिश्चियन्स हैं। 1775 नॉन क्रिश्चियन हैं। मेरे पास यह फोटोग्राफ है। नया करार न्यू टैस्टामैंट के आखिरी पत्र में लिखा है कि मैं पापी हूं। 9-10 साल के बच्चे को कहा जाता है कि पढ़ो और कबूल करो कि मैं पापी हूं। मेरे पापों के कारण यीशु भगवान को क्रास पर चढ़ाया गया था। मासूम बच्चे के दिमाग में हीनता का भाव पैदा किया जाता है। किसी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि कोई बच्चा पापी बने। कहा जाता है कि साइन करो कि मेरा तारणहार यही होगा। भारत को संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मासूम बच्चों से जबर्दस्ती लिखवाया गया और उनके साइन लिए गए। यह संविधान के खिलाफ है।

[अनुवाद]

मैं अनुच्छेद 28(3) का उल्लेख करूंगा और अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

> "28 (3) राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यदित को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।"

[हिन्दी]

मां-बाप के साइन नहीं लिए गए। बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य ने माफी मांगी। यहां हकीकत को उल्टा करके बताया गया। कपडवेज में वाघुरी समाज के लोग रहते हैं। यह कपड़ों के बदले बर्तन बेचते हैं। वे सालों से यह काम करते हैं। उनके यहां किसी मुर्दे को दफनाया नहीं गया। वहां 40 साल से मंदिर में पूजा होती है। वह वाघुरी भाइयों की बस्ती है। वह ब्राह्मणवाद या किसी अपर क्लास की बस्ती नहीं है। वहां के लोगों को पादरी जबर्दस्ती पिछले करीबन पांच साल से फुसला रहा था कि क्रिश्चियन बनो, यह करो और वह करो। वाघुरी समाज ने उसकी बात नहीं मानी। उनको जबर्दस्ती धर्म बदलनने की कोशिश हुई। यहां सारी घटनाओं को विकृत करके रखा जाता है। हमारी सरकार चाहे केन्द्र की हो या गुजरात की हो, जब भी कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, वह नसीहत देने के लिए सख्त सजा देता है। हमें अल्पसंख्यकों के प्रति ज्यादा हमदर्दी है। हमारी सरकार ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया जबकि बाकी के राज्यों में गिरफ्तार भी नहीं किया गया। मुझे क्षमा करें, मुझे स्मरण है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि आज से 10-12 साल पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने चार मिशनरी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही कर एक रपट केन्द्र सरकार को भेजी थी। हमारा झगड़ा किसी कम्युनिटी से नहीं है। गरीब लोगों को जबर्दस्ती लालच देकर, फुसला कर, गरीबी हटाने के नाम पर सुविधाएं देने की बात कह कर उनकी भावनाओं के साथ

[श्री हरिन पाठक]

खिलवाड़ होता है। उनकी आस्थाओं, मान्यताओं को परिवर्तित किया जाता है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। हम सब इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोंचे। आडवाणी जी ने ठीक कहा कि इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है हम पहले अपने गिरेबान में झांके किसी शायर ने ठीक कहा है "मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, यह आग कहीं न कहीं तो जलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि देश की सूरत हम सब को बदलनी चाहिए।"

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरदुआर्स) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसके प्रति सदन के सभी माननीय सदस्य ही चिंतित नहीं हैं बल्कि देश की समस्त जनता चिंतित है।

आज जिस ढंग से यहां चर्चा हो रही है उसकी और समस्त जनता देख रही है। विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, विगत आठ महीने से इस विषय पर पूरे देश के अल्पसंख्यकों विशेषकर क्रिश्चियनों में चिंता है। यहां माननीय सदस्यों ने बताया कि क्रिश्चियन समुदाय के शिक्षण संस्थानों पर हमला हुआ, उनकी बाइबल को जलाया गया, कहीं गड़े मुर्दे को उखाड़कर दूसरी जगह रखा गया और इस तरह विभिन्न जगहों में अल्पसंख्यक समुदायों परर अत्याचार हो रहे हैं। यह विषय हम सबके लिए चिंता का विषय है और विशेषकर सत्ता पक्ष के लोगों के लिए और भी चिन्ता का विषय होना चाहिए। इसे सत्ता पक्ष के सीनियर सदस्य जिस तरह से डिफेण्ड कर रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि वे इस विषय पर सीरियसली चिन्ता कर रहे हैं कि हमारे देश के संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार हर समुदाय, जाति और धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार अबाध गति से चल सकें, अपने धर्म का अनुकरण करते हुए अपने धर्म की चर्चा कर सकें, प्रचार कर सकें। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के लोगों पर कनवर्शन के लिए विशेष तरीके से दबाव दिया जा रहा है। बीजेपी के जो साथी संगठन हैं, उनका शायद यह कहना है कि क्रिश्चियन समुदाय के पादरी, विशप अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे हिन्दुओं को भी क्रिश्चियन बना रहे हैं। अगर कोई किसी पर दबाव डालकर जबर्दस्ती धर्मान्तरण करता है तो इसका मैं जबर्दस्त विरोध करता हूं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि क्रिश्चियन लोग इस तरह से दबाव डालकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर उन्होंने वैसा किया होता तो प्रमाण मौजूद होते। आज क्रिश्चियनों की संख्या 2.6 प्रतिशत है। यह क्या साबित करता है? एक गलत संकेत इन अल्पसंख्यक मिशनरियों के बारे में दिया गया है। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, उनकी चिन्ता और भावना अल्पसंख्यकों के लिए देखिए कि जो क्रिश्चियन सीरियल दयासागर चल रहा था उसको रोक दिया गया। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, इन पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि सभी को अपने धर्म के प्रचार करने का मौका मिले, सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का मौका दिया जाए और भारत का संविधान हमारे देश की समस्त जातियों को समस्त धर्मावलंबियों को जिस तरह से अवसर देना चाहता है, उस संविधान के प्रावधान के अनुसार हर व्यक्ति को पूरा अवसर मिले और किसी को यह बोलने का मौका न मिले कि विश्व हिन्दू परिषद्, आर. एस. एस. या बजरंग दल और बीजेपी के जितने सहयोगी संगठन हैं, वे दूसरे धर्मों पर दबाव डालना चाहते हैं और दूसरे धर्म के लोग जब अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो उन भी वे रोक लगाना चाहते हैं।

4 दिसंबर को दिल्ली में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने जिसमें पादरी तथा विशप लोग भी शामिल थे, प्रदर्शन किया। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत सहिष्णु हैं, सहनशील हैं और बहुत ठंडे दिमाग वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सड़क पर प्रदर्शन के लिए आना पड़ा, इसके कारण क्या हैं?

इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मूल समस्या का निदान करना अगर आप आवश्यक समझते हैं तो विषय पर ध्यान दिया जाए।

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : सभापति महोदय, हमारे देश में बहुत धर्मों को मानने वाले, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं तथा हमारा देश बहु--संस्कृति वाला देश है। तथापि हमारा यह प्रयास और उत्सुकता रहती है कि 'अनेकता में एकता' हो सके। हाल ही के वर्षों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और चालू वर्ष में यह वृद्धि अप्रत्याशित हुई है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 30 तक में धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार--प्रसार का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान की उद्देशिका की भावना भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संवर्द्धन करना है।

हमारे संविधान में तथा विश्व संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। परंतु इन संरक्षणों का लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा उल्लंघन हो रहा है। अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप हो रहा है और इसलिए उन्हें अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों में लगातार सहायता मांगनी पड़ती है।

पादरियों की हत्या और उनके साथ हाथापाई, ननों के साथ हाथापाई और बलात्कार, गिरजाघरों, अस्पतालों, अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक और अन्य संस्थानों के नुकसान, प्रार्थना सभाओं में विघ्न डालना, बाइबल और न्यू टेस्टामेंट की प्रतियां जलाना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ईसाइयों

को तंग करने तथा उनके साथ हिंसा की घटनाएं अखबारों में छपी हैं।

हिंसा और अत्याचार की घटनाओं में कई मामले इस सभा में उठे और अखबारों में भी प्रकाशित हुए हैं। चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में अत्याचार के कुछ मामले बताना चाहूंगा। दिनांक 2.9.97 को बिहार में फादर क्रिस्तुदास को अपमानित किया गया और दुमका की गलियों में नंगा घुमाया गया। 27.10.97 को हजारीबाग में फादर ए. टी. थामस को मार दिया गया। गुजरात में 103 साल पुराने मिशनरी स्कूल, राजकोट, में असामाजिक और आतंकवादी तत्वों द्वारा बाइबल और न्यू टेस्टामेंट की कई प्रतियां जला दी गई थीं। मध्य प्रदेश में झबुआ जिले में एक जनजातीय गांव में चार ननों का अमानवीय अपमान और बलात्कार किया गया तथा लूटमार की गई। महाराष्ट्र में सरकार ने जातीय दंगों से संबंधित श्री कृष्ण रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था जो 1992–93 में मुंबई में हुए थे। राजस्थान में ईसाई स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं पर व्यापक हमले हुए थे। उत्तर प्रदेश में बाघपुर में एक कान्वेंट को लूटा गया था और मेरठ में एक चर्च पर हमला हुआ था और उसे नष्ट कर दिया गया था। इन घटनाओं और अन्य अत्याचारों से यह पता चलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित हैं।

हाल ही के अत्याचार की घटनाओं को देखकर मैं यह कहना चाहूंगा कि इन अत्याचारों के पीछे राजनैतिक और धार्मिक कारण हैं। ईसाइयों के प्रति हिंसा राजनीतिज्ञों और असामाजिक तत्वों का मनोरंजन बन गया है। वे लोग उल्टे ईसाइयों पर यह आरोप लगाते हैं कि उनकी सेवा का उद्देश्य धर्म परिवर्तन है।

एक गलत धारणा है कि ईसाइयों की संख्या उनके जन्म लेने और धर्म परिवर्तन से बढ़ी है। 1961 की जनसंख्या के अनुसार ईसाइयों की जनसंख्या 2.4 प्रतिशत थी जबकि 1991 में यह 2.32 प्रतिशत थी इस प्रकार ईसाइयों की जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आई है। सेवा के पीछे धर्म परिवर्तन को उद्देश्य बताना ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह गलत धारणा है। जैसा कि पहले बताया गया ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

भारत में ईसाई पहली शताब्दी से चल रहा है जब ईसा मसीह का एक चेला सेंट थॉमस केरल और अन्य जगहों में आया था। ये लोग यूरोपीयों द्वारा नहीं लाए गए थे। पहली शताब्दी से जिसमें ब्रिटिश राज के 300 वर्ष भी शामिल हैं, लेकर अब तक ईसाइयों की जनसंख्या केवल 2.32 प्रतिशत है।

ईसाई लोग समझते हैं कि वे पहले भारतीय हैं। जब हम चर्च के अंदर जाते हैं तो हम ईसाइयों के तरीके से पूजा करते हैं। परंतु जब हम चर्च से बाहर आते हैं तो हम समझते हैं कि हम भारतीय हैं।

राष्ट्र की प्रगति और विकास में, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में ईसाइयों का योगदान बहुत अधिक है। वे ये सेवाएं बड़ी सेवा भावना से गरीबों, पददलितों और कमजोर वर्गों तक पहुंचाते हैं।

अंतिम बात यह है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। समय पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई न कर पाना ही इन अत्याचारों का एक मुख्य कारण है।

अतः सरकार को सतर्क होना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सांप्रदायिक अशांति रोकने के लिए, राज्य सरकारों की मदद के लिए त्वरित कार्रवाई बल तैनात किया जाना चाहिए। लोगों में दुर्भावना या नफरत और सांप्रदायिक अलगाव फैलाने वाली ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

सांप्रदायिक दंगों की आशंका वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाए और जिला और गांव स्तर पर शांति समितियां गठित की जाएं।

एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे अल्पसंख्यक लोग यह महसूस कर सकें कि वे इस देश में शांति के साथ और सुरक्षित रह सकते हैं। इससे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद का सिद्धांत कायम रहेगा तथा देश की एकता और अखंडता बढ़ेगी।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : सभापति जी, क्या समता पार्टी के सांसदों को बोलने हेतु समय देना आपकी सूची में नहीं है?

सभापति महोदय : है।

श्री शकुनी चौधरी : कब? अभी तक तीन–चार दिन इस विषय पर बहस हो चुकी है, लेकिन आपने समता पार्टी को एक मिनट का भी टाइम नहीं दिया है।

सभापति महोदय : आपका नाम है।

श्री शकुनी चौधरी : आप चेयर पर हैं, हमें बोलने का अवसर कब मिलेगा?

सभापति महोदय : इसीलिए आपको जरूर समय दिया जाएगा। कृपया बैठिए। श्री पी. आर. किंडिया।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. किन्डिया (शिलांग) : सभापति महोदय, कुछ महीने पहले जब माननीय गृह मंत्री जी शिलांग आए थे, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि वे पहाड़ी क्षेत्रों के और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को वसुदैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को अपनाने के लिए कहेंगे। मैं उनके वक्तव्य से पूरी तरह सहमत था। मैंने महसूस किया कि वह एक अच्छा संकेत है।

पिछले दिनों श्री आडवाणी ने झाबुआ, मध्य प्रदेश में ननों के साथ हुए बलात्कार के संबंध में एक वक्तव्य दिया था और इसकी अमानवीय काम कहकर निंदा की थी। ये अच्छे संकेत हैं। परंतु इसके साथ ही मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले नौ महीनों में क्या हुआ। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध संगठित रूप से कार्यवाही की गई और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पूरे ईसाई समुदाय के साथ।

[श्री पी. आर. किन्डियाँ]

ऐसा पहली बार हुआ है कि ईसाई समुदाय पर अत्याचारों में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सरकार को दोष दूंगा। परंतु समाज में ऐसे तत्व हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद की छवि को नष्ट कररने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी के विरुद्ध बोलना नहीं चाहता। परंतु इस समय यही मुद्दा है। कटु सत्य यह है कि ये घटनाएं अपने आप में अलग-थलग नहीं हैं। ये बड़े पैमाने पर हुई हैं। ये घटनाएं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य कई राज्यों में हुई हैं। इसलिए ये व्यापक प्रकृति की हैं। सच्चाई यही है कि ये घटनाएं काफी बड़े पैमाने पर हुई हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए।

ऐसा पहली बार हुआ है कि शांतिप्रिय ईसाई इस महीने की चार तारीख को सड़कों पर आ गए हैं। इससे पहले वे केवल 1970 में धर्म स्वतंत्रता संबंधी विधेयक का विरोध करने के लिए ही सामने आए थे।

मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले नौ महीनों के दौरान अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों की संख्या क्यों बढ़ी? मैं सरकार के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि धारणा यही है कि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है। वे यही दावा करते हैं। परंतु इसके तीन रूप हैं। विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हम विश्व हिन्दू परिषद के रूप में भाजपा को देखते हैं। हम बजरंग दल के रूप में भाजपा को देखते हैं और हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रूप में भाजपा को देखते हैं। इसका एक विभाजित व्यक्तित्व है। यही समय है कि भाजपा सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या वी. एच. पी., आर. एस. एस. और बजरंग दल उनके सहयोगी हैं; वे उनकी तरफ से बोलते हैं या वे अपनी बात कहते हैं

भाजपा को इनन संगठनों से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में जहां ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक है आर. एस. एस. अपने पंजे फैला रहा है। वे वहां 250 मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं। यह एक तरह का षड्यंत्र है जिससे कलह पैदा होगा और शांति नहीं रहेगी तथा वैमनस्य का वातावरण पैदा होगा।

मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक श्वेत-पत्र जारी करें और एक स्पष्ट वक्तव्य दें कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध वैमनस्य फैलाने वाले इन कट्टरपंथी संगठनों को दबाने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? यह मेरी आपसे अपील है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : सभापति जी, आजादी के 50 साल बाद इस सदन में हमें अल्पसंख्यकों का विषय रखना पड़ा, यह इस बात को बल देती है कि 50 साल तक जिन लोगों ने यहां शासन किया, वे सभी धार्मिक और सामाजिक समरसता स्थापित करने में विफल रहे। वैसे समय बहुत कम है परंतु मैं दो-तीन बातें यहां पर रखना चाहती हूं क्योंकि सामने से जिन सदस्यों ने इस विषय पर वक्तव्य दिया है उसमें से ज्यादातर ने गुजरात राज्य की दो-तीन घटनाओं को लेकर हंगामा मचाया है। सत्य क्या है, उसे मैं यहां यह उजागर करना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि जब कहीं धुंआ उठता है तो उसके अंदर आग भी होती है। धुंआ ऐसे ही नहीं उठता, उसके अंदर आग होती है। राखी का त्यौहार हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है जो किसी धर्म का नहीं होता। परन्तु गुजरात में राखी के दूसरे दिन एक पाठशाला में जो घटना घटी, उसकी मैं यहां याद दिलाना चाहती हूं। हम जानते हैं कि इस देश की एक हिन्दू स्त्री ने एक मुसलमान बादशाह हुमायूं को राखी बांधी थी। यह हिन्दू मुसलमान का भेद भारतीय संस्कृति या हिन्दू धर्म से नहीं है। गुजरात के बड़ौदा शहर के एक स्कूल में यह घटना घटी। वह स्कूल मिशनरी स्कूल था। राखी के दूसरे दिन जब बच्चे राखी बांधकर आए तो उन बच्चों पर दबाव डाला गया और उनसे वह राखी उतरवा ली गई। मेरे पास इस बात के सबूत हैं। जिला कलैक्टर के पास यह कम्पलेंट बच्चों के माता-पिता के जरिये दर्ज कराई गई कि हमारे हाथों से राखी उतरवा दी गई। सिल्वास के मिशनरी स्कूल में यह घटना घटी है। मैंने अभी पहले कहा कि जहां धुंआ उठता है, वहां आग होती है यह आग है। ...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। ऐसे कैसे होगा? पांच दिन से मैं बोलने के लिए इंतजार कर रही हूं। मैं सत्य पर प्रकाश डालना चाहती हूं।

सभापति महोदय : बहुत लम्बे भाषण की गुजांइश नहीं है।

श्रीमती भावना कर्दम दवे : आप मुझे धीरे-धीरे बोलने दीजिए। मैं जल्दी ही पूरा कर लूंगी। राजकोट के मामले के संबंध में हमारे एक भाई साहब ने जो कहा है, वह बिल्कुल असत्य है। बाइबल को किसी ने नहीं जलाया। वह इकरारनामा है जो यहां दिया गया है और जिसे पढ़कर सुनाया है।

मैं एक दूसरी घटना आपके सामने रखना चाहती हूं। गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए यहां पर दो-तीन घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मैं आपको यहां एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहती हूं जो एफ. आई. आर. दर्ज की गई है। ...*(व्यवधान)* मैं केवल रिपोर्ट पढ़कर सुना रही हूं। मैं अपना एक भी शब्द नहीं बोलूंगी।

[अनुवाद]

29-30 अक्टूबर, 1998 को बड़ोदा में ईसाइयों, वी. एच. पी. और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जो घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट बड़ौदा पुलिस आयुक्त ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : डिटेल्ड भाषण की जरूरत नहीं है। केवल इम्पोर्टेंट प्वाइंट बतला दीजिए।

श्रीमती भावना कर्दम दवे : मैं तो केवल सत्य पर प्रकाश डालना चाहती हूं। मैं असत्य नहीं बोलना चाहती। यह पुलिस रिपोर्ट है, 29 तारीख को पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की गई है। एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले ने लिखा है :

[अनुवाद]

"दिनांक 29 की पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लड़के गुजरात के बाहर से आए, अपना स्थान छोड़कर इस शिकायत के साथ प्रेस की तरफ बढ़े कि उन्हें संगठन ने खाना नहीं दिया था। प्रेस ने यह सूचना वी. एच. पी. कार्यकताओं को दी जिन्होंने बजरंग दल के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ विद्यालय में..."

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो पढ़ रही हैं, उसे पढ़ा हुआ मान लिया। अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : फतेहगंज पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. 346/98 धारा 153ए के अंतर्गत दो शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं।

[हिन्दी]

एक मिनट सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं रिपोर्ट लेकर आई हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती भावना कर्दम दवे : इसमें लिखा है: "परवी तालुका के चेतन भाई शंकर भाई की ईसाई सम्मेलन की प्रबन्धक श्रीमती ग्रेस मैथ्यू के विरुद्ध शिकायत जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वे सम्मेलन में सम्मिलित लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे थे।..."

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक्सप्लेन मत कीजिए, केवल प्वांइट्स बताइए। प्रो. ए. के. प्रेमाजम ।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले पांच दिनों से इस अवसर के लिए मैं इन्तजार कर रहा था। नियम 193 के अन्तर्गत अत्यंत गम्भीर और अत्यन्त जीवन्त चर्चा हुई है और यहां, मेरी राय में, अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों सम्बन्धी इस चर्चा के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें अन्तर्ग्रस्त हैं।

पहला मामला मानवाधिकारों का है और दूसरा भारत की एकता और अखण्डता का है। सत्ता पक्ष में कई वक्ताओं ने कहा है कि हिन्दू बहुमत में हैं और यह जनसंख्या का 85 प्रतिशत बनता है और हिन्दुओं को ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं पैदायशी हिन्दू हूं लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं हूं। जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुओं का बहुमत जो कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत बनता है, सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। हालांकि मैं पैदायशी हिन्दू हूं मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं और जो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुओं के बहुमत द्वारा जो जनसंख्या का 85 प्रतिशत बनता है, वास्तव में व्यक्त की गई अथवा महसूस की गई विचारधारा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

कृपया व्यवधान न डालें।

पैदायशी हिन्दू हूं। मैं जानता हूं हिन्दुत्व क्या है। यह संस्कृति बहुधार्मिक तत्वों से बनी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं। मैं केवल इस सदन के सदस्यों को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि यह बहुधार्मिक संस्कृति है और वह विविधतापूर्ण संस्कृति है यह संस्कृति मिली-जुली है और अन्य देशों से समय-समय पर यहां लोग आते रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं। मेरे दल से दो अन्य वक्ताओं ने बोलने का अपना विचार बदल दिया है। इसलिए मुझे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

प्राचीन समय से कई लोग यहां आए हैं। आर्य, कुशाण सीथिया के निवासी वीर गाथा काल के लोग, पार्थियाई और अन्य लोग यहां आए। उसके पश्चात् मुसलमान और ईसाई भी यहां आए। हम संस्कृति के इन सब स्वरूपों को समाप्त नहीं कर सकते न ही इन मतावलम्बियों को समाप्त कर सकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों पर हुए अत्याचार मानवाधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

हमारे संविधान में, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों सहित, सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और अपने धर्म का प्रचार करने सम्बन्धी मौलिक अधिकारों की गारंटी है। यहां धर्म परिवर्तन और विदेशियों के बारे में काल्पनिक डर सम्बन्धी मामला उठाया गया है।

हाल ही में मेरे राज्य में 14 नवम्बर को एक घटना घटी थी जिसमें कुछ ब्रदर और कुछ मिशनरियां शामिल थीं।

सभापति महोदय : श्री शकुनी चौधरी।

प्रो. ए. के. प्रेमाजय : मैं दो मिनट और बोलना चाहता हूं। मुझे अवसर नहीं दिया गया था।

मैं कहना चाहता हूं कि गृहमंत्री ने झाबुआ के बारे में एक वक्तव्य दिया था कि इसमें ईसाई भी शामिल थे। यह बिल्कुल गलत है। मैंने उस स्थान का दौरा किया है और वहां पुलिस प्राधिकारियों से भी मिला हूं। वास्तव में इसमें शामिल लोग कुछ आदिवासी थे जो भील समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस घटना के लिए ईसाई जिम्मेदार नहीं थे।

दूसरी बात जब कभी भी अत्याचार होते हैं तो धर्म परिवर्तन और विदेशियों का काल्पनिक डर है का तर्क दिया जाता है। ईसाई और मुसलमान वास्तव में इस देश के अंग हैं। चिर काल से कई लोग भारत आए हैं।

बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका है। यह हमारी संस्कृति का अंश है। अब माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने स्मरण में कुछ बातें कही है। लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : सभापति जी, आपने मुझे जो मौका दिया, इसके लिए मैं चेयर को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो कई दिनों से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बातें चल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर आपके पास लिखित भाषण है तो सदन के पटल पर रख दिया जाए, उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शकुनी चौधरी : हमें इस बात से आश्चर्य हुआ। आप यह क्या करवा रहे हैं, आप चेयर से कण्ट्रोल कीजिए न। आप चेयर से कण्ट्रोल कीजिए, अभी बहुत से लोग हैं, आप क्या कीजिएगा। अभी कई लोग हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजय : मेरे राज्य केरल में एक घटना घटी जहां ईसाई डोमिनिकन जैकोबियन संप्रदाय के दो ब्रदर पर हमला किया गया। यहां पर भी धर्म परिवर्तन और देशी होने का तर्क दिया गया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इनका खत्म हो गया। इनका भाषण समाप्त हुआ, इनकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। उनका रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

श्री शकुनी चौधरी : फिर लोग कहेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है।

सभापति महोदय : ये बोल रहे हैं, आपका भाषण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी : सभापति जी, अगर मैं कुछ बोलूंगा। ... *(व्यवधान)*

सभापति महादय : बोलिए न, इनकी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जा रही है।*

(व्यवधान)

श्री शकुनी चौधरी : यह क्या हो रहा है?

सभापति जी, अभी कई दिनों से सभी माननीय सदस्यों की बातें मैं सुन रहा था।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शकुनी चौधरी : मुझे यह अनुभव हो रहा था कि ऐसा कोई समय नहीं है, अभी तक जितनी बार डिबेट हुई, इसमें यह बाबरी मस्जिद जरूर रहती है। बाबरी मस्जिद पर लोग जरूर बोलेंगे, चाहे जितनी बार सदन में बहस हो। मैंने अनुभव किया कि जब सभी वर्ग के लोग यहां बोल रहे थे, चाहे वे मुसलमान की तरफ से मुस्लिम भाई बोल रहे थे, चाहे क्रिश्चियन की तरफ से माननीय सदस्य संगमा साहब बोल रहे थे या और जितनी पार्टी के लोग हैं, मुझे यह अनुभव हो रहा था कि सही में यहां ये धार्मिक नेता लोग आए हुए हैं, ये धार्मिक नेता की तरह बोलते हैं और सही में अगर पूछिए कि इस सदन से आम लोगों में जो मैसेज जाता है, यह निश्चित रूप से साबित करता है कि जब यहां इस तरह का वातावरण है, लोगों को जो मैसेज मिलता है, वह गलत मैसेज है। 1992 में मस्जिद टूटी लेकिन आज तक कोई सदन ऐसा नहीं है, जिसमें कि बार–बार डिबेट में यह दोहराया नहीं जाता हो।

पहले जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के पहले कहा जाता था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो आपका वोटिंग राइट खत्म कर देगी और आप सबसे ज्यादा बोलते थे, हमें याद है, आप अभी चेयर पर हैं इसलिए मैं यह बोलना नहीं चाहता.*

मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है।

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : यह गलत है, इसको आप प्रोसिडिंग्स से निकलवाइए। आप यहां चेयर को कुछ नहीं कह सकते। यहां जो बैठे हुए है, आप उनको बोलिए।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री शकुनी चौधरी : सभापति जी, आप पहले अनुभव कीजिए कि बाबरी मस्जिद से पहले आपने ही क्या–क्या कहा है।

सभापति महोदय : आसन के बारे में बातें एक्सपंज की जाएं।

श्री शकुनी चौधरी : मैं सांसद के रूप में बिहार से ही आता हूं। आपके लालू जी क्या–क्या नहीं बोले, जरा यह याद कीजिए। मैं अब उसका ज्यादा वर्णन करना नहीं चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सब्जैक्ट माइनोरिटी एट्रासिटीज का है।

श्री शकुनी चौधरी : मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो–जो नारे, जो–जो स्लोगन दिए थे, आपने पाया कि भाजपा और समता पार्टी की मिली–जुली सरकार को आठ महीने शासन में हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ और आपके इतिहास को अगर 1948 से लेकर देखा जाए तो दंगों का सिलसिला अगर मैं यहां बताने लगूंगा तो शायद एक दिन और मुझे भाषण देना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* अभी तो हमने भाषण भी शुरू नहीं किया है, आपने तो पहले ही घंटी बजा दी।

सभापति महोदय : इस पर क्या बोलिएगा।

श्री शकुनी चौधरी : हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप अनुभव करते हुए जानिए, मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि सदन में कोई भी बात ऐसी नहीं उठाए जाए, जिससे इसका बुरा असर गांव, देहात तक पहुंचे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी धार्मिक बात यहां नहीं कहें।

सभी धर्म बराबर हैं। धर्म तो यह सिखाता है कि किसी से कोई द्वन्द्व नहीं हो। आप दो मिनट सुनिए, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि धर्म तो खुदा के पास जाने का एक रास्ता है, धर्म तो भगवान के पास जाने का एक रास्ता है, जिस तरह दिल्ली आने के लिए कोई हरियाणा से आता है, कोई ग्वालियर से आता है, कोई लखनऊ से आता है, उसी तरह धर्म भी है, जो सभी जगह से आकर भगवान और खुदा तक पहुंचाता है, फिर बीच में क्या लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसी लड़ाई लड़ते हैं वे भारत को नहीं जानते, न उनको कोई ज्ञान है। जो ऐसा काम कराते हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कम–से–कम देश को ऐसी बातों से बचाइए। अभी–अभी हमारे वहां डी. एस. पी. की हत्या हुई। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में गोली मारकर हत्या की गई। राजद के युवा अध्यक्ष हैं, वह क्रिमिनल मुस्लिम समुदाय के थे तो मैं क्या यह कहूं कि मुस्लिम समुदाय ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं है, वहां डी. एस. पी. की हत्या हुई है और सिर्फ हत्या का मामला है। इसलिए हमें ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। इससे तो यही पता चलता है कि आप लोग सिर्फ वोटों के लिए यह साबित करना चाहते हैं कि उनके वोट कैसे हम खींच सकें। आपके मन में सिर्फ यही भावना है और इसके सिवा कोई दूसरी भावना नहीं है।

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : सभापति महोदय, यह देश बहुत बड़ा है, यहां तरह–तरह के लोग रहते हैं। हम सब लोग मिलकर रहते आए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में भी हमारी शिक्षा–दीक्षा इस बात की हुआ करती थी। उस समय गांधी जी हमेशा गाते थे और कहते थे–हिन्दू–मुस्लिम तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन आज 50 साल के बाद भी हम कुछ–न–कुछ और किसी–न–किसी रूप में इस बीमारी के शिकार हैं। आज अल्पसंख्यक चाहे वे सिख हों, मुसलमान हों या ईसाई हों, सबके साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं चौधरी जी कि तस्वीर उलटने पर कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, फिर उलटाओ तो ईश्वर–अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे राम। आप जब कांग्रेस में थे तो दूसरा भाषण दिया करते थे, आज इधर आ गए हैं तो लालू जी और डी. एस. पी. पर भाषण दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बात अगर गलत है तो वह गलत ही होनी चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से हो। यहां दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि देश में असंख्य वारदातें हो रही हैं। शिव सेना के नेता ने भी स्वीकार किया है, दूसरे नेताओं ने भी स्वीकार किया है ओर हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि वारदातें होती हैं, इनको रोकना देश का फर्ज है। आज आप इस स्थिति में हैं, हो सकता है कल न हों इसलिए हिन्दू–मुस्लिम की बात को निकाला जाए। आज आपको देश चलाना है और इस जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। आज आप कटघरे में खड़े हैं, सही जगह पर हैं, जहां आपकी परीक्षा होने वाली है।

इस सदन में संगमा जी पर बड़ा अटैक किया गया। वे सदन के स्पीकर रह चुके हैं और बड़े नेता हैं। वे स्वयं क्रिश्चियन हैं। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस पर अत्याचार होते हैं, तो क्या गलत कहा। लेकिन हमारे मंत्री जी ने उनके लिए पता नहीं क्या–क्या नहीं कहा और यह भी कहा कि मैं क्या–क्या हूं। इस तरह से उन्होंने यहां पर धर्मनिरपेक्षता पर भाषण दिया। आज जरूरत इस बात की है कि आपने देश की बागडोर सम्भाली है तो लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार होते हैं, उनको रोकने में आपका सहयोग मिलना चाहिए। आपका कर्त्तव्य होता है कि आप गलत नीयत या निष्ठा से कोई काम न करें। आप पांच–छः साल पहले जो थे, वह अब न रहे, नहीं तो देश नहीं चलेगा। इसका सबूत अभी मिल भी गया है कि आठ महीने के शासन में आपने तीन राज्य हाथ से निकाल दिए हैं। इसलिए इस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद हों। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

श्री वी. एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, यह सच है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। यूनाइटिड क्रिश्चियन फॉरम फार ह्यूमन राइट्स द्वारा किए सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष में ईसाइयों पर हुए प्रहारों की संख्या 1964 और 1997 के इस समुदाय पर हुए अत्याचारों की कुल संख्या के बराबर हैं। यह शर्मनाक, चौंका देने वाली और चिन्ताजनक घटना है। समयाभाव के कारण मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा।

[श्री वी. एम. सुधीरन]

आरम्भ में कई राज्यों में ईसाइयों पर हुए अत्याचारों में वृद्धि होने प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म गुरु के घर पुलिस का रहस्यमय छापा और रुंधे परिवार द्वारा चिकमंगलूर में अयोध्या जैसी घटना की पुनरावृत्ति किए जाने की कोशिश से अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

रात्रि 8.00 बजे

महोदय, उन पर हो रहे अत्याचारों को हमेशा के लिए रोकने और उनके संवैधानिक स्वतंत्रताओं और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कारगर राजनैतिक और प्रशासनिक कदम शीघ्र उठाने होंगे। अब प्रश्न यह है क्या सरकार के पास अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति है? इसके लिए सरकार और सत्ता पक्ष को अपने दृष्टिकोण में विश्वासजन्य परिवर्तन लाना होगा। पूर्णतः लोकतान्त्रिक और धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना निहायत जरूरी है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव दूंगा। ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए जिसमें अल्पसंख्यक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, सरकार को सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए और उसमें इसके लिए आवश्यक उपायों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ईसाई मिशनरियों, ननों और ईसाई संस्थाओं तथा मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए अपराधों के सम्बन्ध में सरकार को चालू सत्र के दौरान ही 'श्वेत पत्र' लाना चाहिए। मुख्यमन्त्रियों की बैठक तुरन्त बुलाई जानी चाहिए ताकि अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाए और ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं। केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सरकारी स्तर पर एक निगरानी सेल गठित किया जाना चाहिए ताकि मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके। सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक सुरक्षा सेल का गठन किया जाना चाहिए। इस सेल के निर्देशन और निरीक्षण के अधीन ऐसे अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए पुलिस महा निरीक्षक के अधीन एक विशेष कार्य बल गठित किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों की संवैधानिक स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है, एक स्थायी संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि या तो सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कार्य करे अथवा सत्ता से बाहर हो जाए। जो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें राज करने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अब सभी दलों के सदस्यों ने अपने विचार रख दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक हैं और श्रोता बहुसंख्यक हैं। इन अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों पर घोर अत्याचार हो रहा है।

श्री मोतीलाल दोरा (राजनांदगांव) : सभापति जी, जिस विषय पर हम लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, वह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अल्पसंख्यकों पर देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ महीनों में जो अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये देश के सद्भावना के वातावरण को तोड़ने वाली, देश में सद्भावना का वातावरण जो वर्षों से रहा है, उसे छिन्न-भिन्न करने वाली हैं। वहां की कुछ घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, उन पर पिछले आठ महीनों में जिस प्रकार से अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, मेरे पास पूरी सूची है, आडवाणी जी के पास भी होगी, वह देश के होम मिनिस्टर हैं, इस नाते उनके पास होनी चाहिए। गुजरात में सर्वाधिक अठारह घटनाएं पिछले आठ महीनों में ईसाई धर्म के मानने वालों पर हुई हैं। यह वातावरण आखिर क्यों खराब हुआ? छः दिसम्बर, 1992 की घटना के बाद, वहां इस घटना को लोग भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी भुला नहीं पा रहे हैं। उसका "शौर्य दिवस" के रूप में मनाया जाना, बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद का कर्नाटक के चिकमंगलूर के बदनगिरि में इस प्रकार से कहना कि जिस प्रकार से हमने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया था, उसी प्रकार से हम मथुरा और काशी में भी करेंगे, उस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की धमकी देना, मैं समझता हूं कि आडवाणी जी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश में सद्भावना का वातावरण बने, हम इस प्रकार का प्रयत्न करें कि अल्पसंख्यक चाहे वे मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन या ईसाई हों या किसी भी अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हों उन पर अत्याचार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ था लेकिन आपने मुझे एक-दो मिनट का समय दिया है इसलिए मैं एक बात यह कहना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न हो।"

[हिन्दी]

सभापति जी, आप बिहार से आते हैं। हमारा देश "सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया," वाला रहा है। यह गांधी, गौतम, बुद्ध और महावीर का देश है; हमारे देश में इस प्रकार की घटनाओं का घटित होना सचमुच में हम सब लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, अफसोस की बात है। इस प्रकार की घटनाएं न घटें और अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार के अत्याचार न हों । इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं-

"उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने जिन्दगी की किस गली में शाम हो जाए।"

सभापति जी, किस गली में शाम हो सकती है, कौन सी पार्टी देश में सत्ता में आ सकती है, कौन सी पार्टी नहीं आएगी, यह कोई नहीं जानता, यह इस देश के मतदाता के हाथ में है। मेरा आपके माध्यम से केवल एक ही निवेदन है, हम सब लोगों को यही कहना है–"ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब को सन्मति दे भगवान।" अगर सब को सन्मति मिल गई तो इस देश में सद्भावना का वातावरण रहेगा और फिर देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

***श्री बी. एम. मेनसिंकाई (धारयाड़ दक्षिण)** : सभापति महोदय, लोक शक्ति से इस सभा में हम तीन सदस्य हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे पर्याप्त समय दें।

इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अल्पसंख्यकों पर किए गए अत्याचारों में तीव्र वृद्धि हुई है।

महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले कई समुदाय हैं। निसन्देह अल्पसंख्यक शब्द अपने अर्थ को खो बैठा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के अन्तर्गत लिंगयाट वोकालिगर, कूरूबर, मुस्लिम और कई अन्य समुदाय आते हैं। अतः मैं महसूस करता हूं कि अल्पसंख्यक शब्द और इसकी सुरक्षा ने अपना अर्थ खो दिया है। मैं यह भी समझता हूं कि हमें विस्तार से इस पर चर्चा करने में इस माननीय सभा का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

हमारे देश में बारहवीं शताब्दी के दौरान महान सन्त भक्ति भंडारी बसावाना ने एक धर्म की शिक्षा दी थी और उसी का प्रचार किया था जिसमें समाज के सभी समुदाय शामिल हों। इन्होंने एकेश्वरवाद की अवधारणा के अनुयायी थे और इसी के बारे में लोगों में प्रचार किया था।

सभापति महोदय : क्या आपने सूचना दी थी कि कि आप कन्नड में बोलेंगे।

श्री बी. एम. मेनसिंकाई : जी हां, महोदय मैंने सूचना दी हुई है। सभापति महोदय। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने इस भाषा में बोलने के लिए सूचना नहीं दी थी।

श्री बी. एम. मेनसिंकाई : नहीं। अपनी प्रार्थना में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है।

सभापति महोदय : इसके लिए सूचना देनी पड़ती है। अब आप जल्दी समाप्त करिए।

[अनुवाद]

श्री बी. एम. मेनसिंकाई : चूंकि अनुवाद नहीं हो रहा है, मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा। राजनीतिक दलों को स्वयं पहले ये चीजें सीखनी चाहिए। गांवों में सभी जातियों के बीच एकता होती है। लेकिन राजनीतिक दल लोगों को "अल्पसंख्यक" अथवा "बहुसंख्यक" के रूप में बांट रहे हैं। बारहवीं शताब्दी में बासवेश्वरर ने शिक्षा दी थी कि सभी धर्मों के उद्देश्य समान हैं। इसीलिए मैं लोगों के उस सिद्धांत का पालन करने का अनुरोध करता हूं।

कर्नाटक में दो मन्दिर हैं पहला श्री हट्टी फकीरेश्वर मन्दिर और दूसरा है हुलूगुरु मन्दिर जहां हिन्दू और मुस्लिम इकट्ठे भगवान की पूजा करने जाते हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह ग्रामीण लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करे। राजनीतिक दलों को यह पाठ सीखना चाहिए ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सके।

सबको पता है कि हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही लगभग 4.30 बजे सुबह लाउड स्पीकरों पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पूजा शुरू कर देते हैं। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए ताकि शहरों और गांवों में लोग ठीक प्रकार से सो सकें। वे सुबह 6.00 बजे के बाद लाउड स्पीकरों का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाँओ) : सभापति महोदय, हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई धरोहरों में से एक हमारा संविधान है जो पवित्र है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता और वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आज अल्पसंख्यक स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सभी सही सोच वाले व्यक्तियों को गहरी चिन्ता है कि इस देश में विभिन्न संस्कृति और धर्मों के लोगों के बीच चिरकालिक सद्भाव का क्या होगा।

महोदय उपलब्ध सूचनाओं में यह देखा गया है कि हाल ही में हिंसा की कुछ घटनाएं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वास्तव में इस वर्ष इन घटनाओं की संख्या उतनी अधिक दी जितनी स्वतंत्रता के पश्चात आज तक कुल मिलाकर नहीं हुई है।

महोदय हमारे माननीय गृह मंत्री सहित कौन इंकार कर सकता है कि जहां कहीं भी ईसाई मिशनरियां गई हैं वहां उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक शिक्षा का प्रसार करने में सहायता की है। मिशनरियां और नन इस देश के प्रत्येक कोने में गई हैं और उन्होंने शिक्षा का प्रसार और गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। महोदय, हम देखते हैं कि कई नेता उन स्कूलों और

---

* गूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री फ्रांसिस्को सारदीना]

कालेजों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और बाद में वे रूढ़िवादी बन जाते हैं और उसी संस्कृति के खिलाफ हो जाते हैं जिनका ये मिशनरियां प्रचार कर रही होती हैं। आप राज्यों को देखिए जहां हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं। सबसे अधिक घटनाएं गुजरात राज्य में हुई हैं। अल्पसंख्यक आज महसूस कर रहे हैं कि जब से भाजपा केन्द्र में सत्ता में आई है तब से इन घटनाओं में वृद्धि हुई है।

महोदय, क्रिश्चियनों को न केवज अपने धर्म में विश्वास रखने का अधिकार है बल्कि उन्हें संविधान की कुछ सीमाओं के भीतर जो वह चाहते हैं को अपनाने और प्रचार करने का अधिकार भी है। दूसरी ओर के मेरे माननीय सहयोगी कह रहे हैं कि ईसाई अपने धर्म में जबरदस्ती दीक्षित और प्रचार कर रहे हैं। यह सब गलत है। मेरे माननीय मित्र बंटवारे और सिखों पर हुए अत्याचारों के बारे में कह रहे थे। इन सब से उनका क्या मतलब है?

क्या वे इस वर्ष यहां हो रही घटनाओं को तर्क संगत बताना चाहते हैं? हम सब को एक स्वर से जो घटित हो रहा है उसकी निन्दा करनी चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईसाई इस देश के अभिन्न अंग हैं।

महोदय, मैं गोवा राज्य से हूं जहां पर्याप्त मात्रा में ईसाई, हिन्दू और मुसलमान पाए जाते हैं लेकिन सभी यहां सद्भाव से रह रहे हैं। इस देश में सबको मालूम होना चाहिए कि गहां समान नागरिक संहिता है। मैं माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गोवा राज्य में धर्म और लिंग दोनों के लिए समान नागरिक संहिता है। यहां भेदभाव नहीं है।

महोदय अन्त में कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस सब को लागू करने का निश्चय कर ले तो यह सभी तभी सम्भव होगा हम जो यहां कहते हैं, करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसका असर हर राज्य में होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को पता होना चाहिए कि हम धर्मवादी शासन देश में नहीं रहते हैं अपितु लोकतंत्र में रह रहे हैं। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध हैं कि वह हर राज्य को यह संदेश भेजें और देखें कि यह घटनाएं वास्तव में रोकी जाएं। सभी समुदाय, सभी लोग जो भिन्न धर्म को मानते हैं एक ही मातृभूमि एक ही देश भारत के रहने वाले हैं जब तक इस देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को किसी धर्म में विश्वास रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तब तक इस देश में कोई खुश नहीं होगा। अतः मैं एक बार पुनः माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करें माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि ननों से बलात्कार करने वाले लोगों में से आधे लोग ईसाई थे। ...*(व्यवधान)* हम नहीं जानते हैं। हमें समाचार पत्रों में दिए समाचारों से पता चलता है। यही कारण है हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री इस विषय पर श्वेत पत्र लेकर आएं।

सभापति महोदय : अब यह सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.16 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 16 दिसम्बर, 1998/ 25 अग्रहायण,1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।